राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का पांचवां दिवस [संख्या ३

सोमवार,

दिनांक १९ जनवरी, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, वन, चिकित्सा, यातायात, पंचायत एवं शिक्षा विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री फूलचन्द बाफणा।

डॉक्टरों की कमी

२१. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय राजस्थान में कितने डॉक्टरों की कमी है? इस कमी की पूर्ति कौन से वर्ष तक हो सकेगी?

(२) उपर्युक्त कमी की पूर्ति के पश्चात् प्रति वर्ष कितने डॉक्टर एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण हो जायेंगे?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) राजस्थान में विभाग के अधीनस्थ ३०९ डॉक्टरों के पद रिक्त हैं एवं वर्ष १९७०-७१ तक उक्त कमी पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(२) उक्त पूर्ति के पश्चात् प्रति वर्ष करीब ५१५ छात्र एम. बी. बी. एस. की परीक्षा में पास होने की सम्भावना है।

श्री फूलचन्द बाफणा : आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद पांच सौ डॉक्टर प्रति-वर्ष और होंगे उनका क्या उपयोग होगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके उपयोग की दृष्टि वह नहीं है। प्राइवेट प्रेक्टिस में भी जावेंगे, रूरल एरियाज में जावेंगे, सरकारी जगह जो भी होगी तो वैसे भी पावेंगे। दो पांच वर्ष तक बेकार रहने की सम्भावना नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफणा : सरकारी नौकरी न हो तो प्राइवेट प्रेक्टिस में भी जा सकते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्राइवेट प्रेक्टिस में भी जा सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रूरल एरिया में इस प्रोपोर्शन से नहीं भेजते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब जितने डॉक्टर आते जा रहे हैं वे रूरल एरिया में जाते जा रहे हैं क्योंकि शहरों में जगह ही नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : इस वर्ष कितने रूरल एरिया में गये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह इसी से मिलता-जुलता प्रश्न है। कितनों को रूरल एरिया में जाने के आदेश दिये और कितने पहुँचे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अलग से पूछते तो दे सकता था।

श्री फूलचन्द बाफणा : इन्जीनियर्स की पलटन बेकार हो गयी। वैसे इनकी भी हो जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या २२!

श्री जयनारायण खालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल बुरासिया !

चैक-पोस्ट देवली

२३. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि देवली (टोंक) में वाणिज्य कर की चैक-पोस्ट कायम है ?

(२) क्या यहां से कोटा, बम्बई व अन्य स्थानों को मेंढ़े, बकरों के ट्रक जाते हैं ? यदि हां, तो दिनांक १-१-६७ से ३१-१२-६६ तक कितने ट्रक गये और कितना टैक्स वसूल किया गया ? सूची सालवार व नामवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) दिनांक १-१-६७ से ३१-१२-६६ तक कोटा के लिये कितने नग गये और उसमें कितना टैक्स वसूल किया गया और किस दर से किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि कोटा माल ले जाने वाले व्यापारियों को इन्चार्ज, चैक-पोस्ट द्वारा काफी तंग किया जाता है और उनसे रिश्वत के रूप में रुपये लिये जाते हैं ?

उप-मन्त्री, करारोपण (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (१) जी हां।

(२) जी हां। देवली चैक-पोस्ट से दिनांक १-१-६७ से ३१-१२-६६ तक ५२७ भेड़-बकरों के ट्रक गये। जिनसे १,१७,६३०) रुपये टैक्स वसूल किया गया। इनकी सूची 'क' संलग्न है।

(३) दिनांक १-१-६७ से ३१-१२-६६ तक कोटा के लिये ३०१२ नग गये इनमें से कोई टैक्स वसूल किया हुआ नहीं पाया गया। इनकी सूची 'ख' संलग्न है।

(४) जी नहीं। इस किस्म की—कोई शिकायत-पेश होना नहीं पाया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीलाल बुरासिया : जो बकरे और मेंढ़े बेचे जाते हैं, राजस्थान में उनका भी

(श्री देवीलाल बुरासिया)
जबरदस्ती टैक्स पोस्ट पर वसूल किया जाता है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : जो राजस्थान के अन्दर बकरे बेचे जाते है उनका कोई टैक्स वसूल नहीं होता है। राजस्थान से बाहर जो ट्रक जाते हैं उनका टैक्स वसूल किया जाता है।

श्री देवीलाल बुरासिया : देवली चैक-पोस्ट के बारे में कई बार लिखा। बाहर नहीं ले जाते हैं फिर भी व्यापारियों को तंग किया जाता है और टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स नहीं देते हैं और दस-पन्द्रह रुपया फी गाड़ी दे देते हैं तो फ्री छोड़ देते हैं। नहीं तो पूरा टैक्स वसूल करते है। मिनिस्टर महोदय को भी लिखा कि इस प्रकार देवली चैक-पोस्ट की शिकायतें हैं।

श्री बृजप्रकाश गोयल : ऐसी न शिकायत पाई गई है और न भेजी गई है। जिस किसी के लिये आप फरमा रहे हैं तो उस अधिकारी का नाम बतला दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जनरल शिकायत है। हर एक से लेते हैं।

श्री बृजप्रकाश गोयल : नाम लिख कर भिजावें।

श्री देवीलाल बुरासिया : वहां से कम से कम दो सौ ट्रक गुजरते हैं। कोई भी गाड़ी बिना दस-पन्द्रह रुपये दिये उस चैकपोस्ट से पास नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : (किसी एक माननीय सदस्य के बोलने खड़े होने पर) इसका उत्तर देने दीजिये।

श्री बृजप्रकाश गोयल : जो भी इस प्रकार का गलत काम करते हैं तो उनको दंड दिया जावेगा। आप नाम बताइये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : चैक-पोस्ट पर न किया हो और न वाकया हो लेकिन वहां पर वसूल करने का क्या औचित्य है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : बाहर बेचने के लिये ले जा रहे हैं तो नियमों के अन्तर्गत टैक्स लेना वाजिब हो जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चराने के लिये ले जा रहे हैं तो फिर कैसे वसूल करते हैं ? आखिर आधार क्या है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसके बारे में जो डिक्लेरेशन हैं, जो नियमों में प्रावधान है उनके मुताबिक कार्यवाही होती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि चैक-पोस्ट पर टैक्स की वसूली की जाय। क्रय-विक्रय जहां पर होता है वहीं पर टैक्स की वसूली होती है।

श्री देवीलाल बुरासिया : जो अकाल क्षेत्र से जानवर जाते हैं उनको भी ये मानते हैं कि बिक्री होती है और जबरदस्ती टैक्स वसूल किया गया है। ये कहते हैं कि बाहर जाकर बेचेंगे जब कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश में चराने के लिये जा रहे हैं और रिलीफ एरिया के हैं। हमारे यहां पर अकाल है इसलिये उन पर टैक्स नहीं लेना चाहिए, फिर भी टैक्स अधिकारी ने वहां के सी. टी. ओ. ने, वहां के असिस्टेन्ट सी. टी. ओ. ने उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल कर लिया है और वहां से निकलने पर १०-१०, २०-२० रुपया लिया है।

Page No 4

श्री अध्यक्ष : क्या आपकी यह जानकारी में है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : यह बात सही नहीं है।

श्री गोरधनलाल सोनी (मेड़ता) : कोई भी वहां से बिना टैक्स दिये नहीं जा सकता है ...

श्री अध्यक्ष : यह तो वही प्रश्न है जो आपने बतलाया है। उसी को आप दोहरा रहे हैं।

श्री गोरधनलाल सोनी : इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार है। सेल्स टैक्स वाले बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, औचित्य क्या है ? भ्रष्टाचार तो पूर्णरूप से व्याप्त हो रहा है इसको तो कहां तक गिनायें, मगर औचित्य क्या है इस पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा नियम है कि वहां चैक-पोस्ट पर टैक्स लिया जाय, यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री गोरधनलाल सोनी : जो लोग बिल लेकर आते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नम्बर होता है तो उनको क्या अधिकार है फिर टैक्स वसूल करने का ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री देवीलाल बुरासिया : माननीय अध्यक्ष, इसका पूरा इन्श्योरेन्स (एश्योरेन्स) नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : क्या इन्श्योरेन्स (एश्योरेन्स) दें ? इनके पास है ही नहीं।

श्री गोरधनलाल सोनी : जो लोग बिल लेकर जाते है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। पंचायत मंत्री !

कृषि प्रसार अधिकारी के साथ मारपीट

२४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री चतरा-राम, कृषि प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर के साथ उक्त समिति के प्रधान ने समिति के कार्यालय में मारपीट की ? यदि हां तो कब और उसकी शिकायत राज्य सरकार व जिलाधीश को कब प्राप्त हुई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश, नागौर ने कोई जांच की ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, दिनांक ७-८-१९६७ को। शिकायत राज्य सरकार को दि० १७-८-१९६७ व जिलाधीश को दिनांक १५-८-६७ को प्राप्त हुई। जिलाधीश को जांच हेतु दिनांक २४-८-५७ को भेजी गई थी। विस्तृत जांच रिपोर्ट २३-१२-६८ को प्राप्त हुई।

Page No 5

(श्री परसराम मदेरणा)

आरोप साबित होने से प्रधान को नोटिस दिनांक १४-३-६९ को दिया गया। प्रधान ने व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर मांगी है। जो अब दिनांक ३०-१-७० को दिया गया है।

(२) जी हां, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी जा रही है।

(३) नियमानुसार प्रधान को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद व जिला परिषद् से सम्मति लेकर उचित निर्णय लिया जावेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर न रखने का क्या कारण है?

श्री परसराम मदेरणा : आवश्यक नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ६८ में जांच रिपोर्ट आई है और उससे राज्य सरकार को यह सन्तोष हो गया कि आरोप सही है तो आपने ७० तक उस पर क्या किया?

श्री परसराम मदेरणा : रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने रिमूवल का नोटिस दिया तो उस नोटिस के उत्तर में उसने पर्सनल सुनवाई का मौका चाहा। बीच में एक हियरिंग की डेट फिक्स हुई थी लेकिन मैं अकालग्रस्त एरिया में गया हुआ था इसलिये हियरिंग की डेट ३०-१-७० को फिक्स की हुई है। उसको पर्सनल सुनवाई का मौका दिये जाने के बाद राज्य सरकार को सन्तोष होगा कि रिमूवल की कार्यवाही की जानी चाहिये तो कार्यवाही के पूर्व धारा ३९ के प्रावधान के अनुसार जिला परिषद् की सम्मति लेने के पश्चात् राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार का उत्तर पिछले सत्र में भी दिया गया था और उस उत्तर को लेकर इस मामले में पर्सनल सुनवाई क्यों नहीं हुई?

श्री परसराम मदेरणा : वह मामला दूसरा है।

श्री भैरोंसिंह : उनको जो रिमूवल का नोटिस दिया गया है उस नोटिस में कितने दिन तक की मयाद दी थी कि अमुक मयाद तक उनको इस सम्बन्ध में उत्तर देना है?

श्री अध्यक्ष : क्या मयाद प्रेस्क्राइब्ड की गई थी?

श्री भैरोंसिंह : नोटिस में मयाद का समय लिखा था क्या?

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान को नोटिस दिया गया था कि उनको एक महीने में उत्तर देना है तो एक महीने के अन्दर उनका जवाब आया कि मेरे खिलाफ आरोप सही नहीं है इसलिये मुझे पर्सनल सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिये। जो रूल्स बने हुए हैं उनमें इस प्रकार का प्रावधान है कि सुनवाई का मौका देने के बाद में दूसरी कार्यवाही करनी चाहिये तो सुनवाई की तारीख ३०-१-७० निश्चित की गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो ३०-१-७० को सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है उसके पहले भी तारीख निश्चित की गई थी?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

Page No 6

श्री भैरोंसिंह : उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त मैं अकालग्रस्त एरिया में गया हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या ऐसा ही मानकर चलें कि जब तक अकाल है तब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इस समय में भी बहुतसे फैसले किये हैं और हियरिंग को सुना है और इसकी तारीख मुकर्रर कर दी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, शिक्षा मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने और किये हैं और हियरिंग का मौका भी दिया है, उनके लिये आपको अकाल के समय भी फुरसत मिल गई, लेकिन इस केस के बारे में आप पिछले तीन वर्षों से पोस्टपोन करते आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद में रिप्लाई आगा है और हियरिंग बीच में फिक्स की थी वह पोस्टपोन हो गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, शिक्षा मन्त्रीजी !

श्री लालबहादुर शास्त्री कॉलेज जयपुर

२५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री लालबहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर को सरकार द्वारा अनुदान कब से और कितना दिया जा रहा है ?

(२) क्या उक्त कॉलेज के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? छात्रों की मांगे क्या थीं ?

(३) इस कॉलेज की संचालक समिति के अध्यक्ष कौन हैं ? और उन्हे संस्था द्वारा वेतन या अन्य कोई एलाउन्स या सुविधा दी जाती है ?

(४) इस कॉलेज में वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहे हैं ? प्रत्येक का नाम, योग्यता व अनुभव की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या उक्त विद्यालय में संस्कृत विषय प्रारम्भ किया गया ? यदि हां, तो इसमें कितने विद्यार्थी हैं और प्राध्यापक कौन हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

१. निम्नलिखित सहायता दी गई:—

६५-६६	१०,०००.००	पुस्तकालय
६७-६८	६,४२०.२६	
६८-६९	३२,५१४.००	
	४१,६३४.२६	

(२) जी हां। विद्यार्थी राजनितिक विषय के प्राध्यापक को बदलवाना चाहते थे।

(३) श्री देवीशंकर तिवाड़ी। कोई वेतन अथवा भत्ता संस्था की ओर से नहीं दिया जाता है।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 7

(राव श्री धीरसिंह)

(५) संस्कृत विषय १९६६-६७ में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष १९६८-६९ में पी० यू० सी० में ४, टी० डी० सी० प्रथम वर्ष में १२, द्वितीय वर्ष में १४ व तृतीय वर्ष में ४ विद्यार्थी हैं। श्रीमती राजेश्वरी भट्ट एम० ए० द्वितीय श्रेणी तथा तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव व श्री गंगाधर भट्ट एम० ए०, पी० एच० डी० पार्ट-टाइम अध्यापक हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता ६५-६६, ६७-६८, और ६८-६९ में दी गई वह पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई राज्य सरकार द्वारा ?

राव श्री धीरसिंह : इसके अतिरिक्त ६५ में इस संस्था को ग्रान्ट-इन-एड की लिस्ट में बी केटेगरी में लिया गया था और ५० पर्सेन्ट ग्रान्ट-इन-एड का इसको देने का प्रावधान था लेकिन उस वक्त में इसकी फीस इतनी थी कि उसको ग्रान्ट-इन-एड नहीं मिल सकती थी। उसके बाद में ६८-६९ में फुल टाइम लेक्चरार्स एम्प्लॉय कर लिए इन्होंने, क्योंकि यूनिवर्सिटी और एज्यूकेशन वालों ने इन्सिस्ट किया कि पार्ट-टाइम लेक्चरार्स नहीं होने चाहिए और फुल टाइम लेक्चरार्स रखने चाहिए तो ३२,५१४ रु० रेकरिंग ग्रान्ट ५० पर्सेन्ट के आधार पर उनको मिली। उसके पहले केवल एक वर्ष के अन्दर इनको १७५० रु० रेकरिंग ग्रान्ट ६७-६८ में मिली है। उसके पहले उनकी फीस और खर्चा बराबर था इसलिए रेकरिंग ग्रान्ट की लिस्ट में तो इनका नाम था लेकिन इनको पेमेन्ट नहीं किया गया। बाकी ९४२० रु० जो मिला है इनको वह नॉन-रेकरिंग ग्रान्ट का मिला है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था। इस प्रश्न में इतनी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने स्पष्ट पूछा है कि कितने प्रकार की सहायता, कितने प्रकार के अनुदान, प्रत्येक वर्ष में किस-किस प्रकार के दिये गये और आपका उत्तर और मुलाहिजा फर्मा लें। इस उत्तर से मेरे प्रश्न का निराकरण नहीं होता है। अब जो आपने नवीन बात बताई है वह समझ में नहीं आई है।

राव श्री धीरसिंह : मैं आपको और बता देता हूं। १०,००० रु० लाइब्रेरी के लिए एडहॉक अनुदान के लिए दिया गया और ६५-६६ में कोई अनुदान नहीं दिया गया। ६७-६८ में ९४२० रु० रेकरिंग ग्रान्ट और १७५० रु० नॉन-रेकरिंग ग्रान्ट डुप्लीकेटर खरीदने हेतु दिया गया, और ६८-६९ में अनुदान के रूप में ३२,५१४ रु० दिया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप यह बताने कृपा करें कि वास्तविक व्यय कितना हुआ है इस संस्था में ?

राव श्री धीरसिंह : ६८-६९ में जो अनुदान दिया गया है वह ५० पर्सेन्ट दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वार्षिक व्यय इस संस्था का कितना है और इसके अन्दर राज्य सरकार कितना वहन करती है और

(श्री दुर्गालाल बादवार)
विद्यार्थियों से फीस के रूप में कितना लिया जाता है, क्या आप यह बता सकते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : आपने यह प्रश्न नहीं पूछा है कि उसका वार्षिक व्यय कितना है और फीस कितनी ली जाती है।

श्री दुर्गालाल बादवार : मैंने प्रश्न में सारी बातें पूछी हैं और आप केबिनेट के योग्य मंत्री हैं तो सारी बातों की जानकारी रखना चाहिए, यह कोई ऐसा विषय नहीं है, कितना स्पष्ट विषय है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गंगासहाय !

श्री दुर्गालाल बादवार : माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे प्रश्न नं० २ के उत्तर में आपने कहा है "जी हां, विद्यार्थी राजनीति विषय के प्राध्यापक को बदलवाना चाहते थे।" मैंने स्पष्टरूप से पूछा था कि क्या कारण थे और राज्य सरकार ने क्या किया ? क्यों बदलवाना चाहते थे, इसकी जानकारी क्या राज्य सरकार ने की है ?

राव श्री धीरसिंह : विद्यार्थियों ने एजीटेशन और हड़ताल की थी और जो कारण उनकी तरफ से बतलाया गया था कि प्राध्यापक पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करवाते हैं, लेकिन वहां की एक्जीक्यूटिव बॉडी ने जांच की और वह एलिगेशन सत्य नहीं पाया गया इसलिए वापस विथड्रॉ कर लिया।

श्री दुर्गालाल बादवार : राज्य सरकार ने क्या जांच की ?

राव श्री धीरसिंह : उनकी मैनेजिंग बॉडी ने की थी और उनके आपस में तै होकर एजीटेशन वापिस ले लिया गया।

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या यह सही है कि विद्यार्थियों ने सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी ?

राव श्री धीरसिंह : आई थी, पर ऐसा कारण सरकार के नजर में नहीं आया।

श्री दुर्गालाल बादवार : सरकार ने क्या इसके लिये कोई जांच की ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गंगासहाय !

मलेरिया मेडिकल ऑफिसर के विरुद्ध कार्यवाही

२६. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १७-६-६७ से २२-६-६७ तक श्री जी. एम. मेनावत तत्कालीन मलेरिया मेडिकल ऑफिसर ने यात्रा सरकारी मोटर से की ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन्हीं तारीखों में उक्त श्री मेनावत अजमेर पेशी में किसी न्यायालय में उपस्थित हुए थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि श्री मेनावत इन्हीं तारीखों में अजमेर एन. एम. ई. पी. यूनिट में भी गये थे जिसका प्रमाण-पत्र देकर इन्होंने इस यात्रा का भत्ता क्लेम किया था ?

(४) क्या यह भी सही है कि श्री मेनावत को डिप्टी एस. पी. (ए. सी. पी.), जयपुर ने ७ १०.६७ को अलवर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था ?

(श्री गंगासहाय)

(५) क्या यह भी सही है कि लल्लूराम एस. डब्ल्यू., काकरी ८-७-६७ से २०-१२-६७ तक लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहे जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित निरीक्षक ने इन्चार्ज श्री मेनावत को समय पर की थी ?

(६) क्या यह भी सही है कि श्री मेनावत ने उक्त मलेरिया कार्यकर्ता को वेतन का भुगतान नवम्बर, १९६७ तक लगातार किया है ?

(७) क्या सरकार ने इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि की है, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी नहीं। केवल दिनांक १३-६-६७ से १८-९-६७ तक सरकारी वाहन में यात्रा करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(२) जी नहीं। दिनांक १५-६-६७ से १८-९-६७ तक डॉ. जी. एस. मेनावत अजमेर गये थे।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, पर दिनांक ७-१०-६७ को भ्रष्टाचार विभाग द्वारा उनके खिलाफ ट्रेप अरेन्ज की गई थी, जो सफल नहीं हुई।

(५) मामले में जांच की जा रही है।

(६) मामले में जांच की जा रही है।

(७) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगासहाय : यात्रा सम्बन्धी शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे ऐसा मालूम हुआ है अभी तक कि निदेशालय की तरफ से जांच होकर जांच रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट में आ गई है। अभी मेरे पास नहीं पहुंची है।

श्री गंगासहाय : जांच के दौरान सस्पेन्ड क्यों नहीं किया शिकायत मिलने पर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सस्पेण्ड जैसा मामला नहीं था।

श्री गंगासहाय : ए. जी. ने सरकार को लिखा था कि इसको मुअत्तिल किया जावे फिर सरकार ने क्या किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गंगासहाय : लल्लूराम ७-७-६७ से २५-१२-६७ तक लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहा फिर भी उसे पेमेन्ट किया गया, प्रिविलेज लीव भी सैंक्शन की, और ग्रेड इन्क्रीमेन्ट भी दिया, इसकी शिकायत पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगासहाय : मुझे शिकायत किये तीसरा वर्ष होने आया, मैंने प्रश्न भेजा था, जांच कब तक समाप्त हो जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने अर्ज किया कि निदेशालय से जांच रिपोर्ट आ गई है, सेक्रेटरियेट लेवल पर एक्शन लेना बाकी है।

श्री गंगासहाय : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने समय में यह निर्णय कर देंगे ?

Page No 10

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने निवेदन किया कि कागजात सेक्रेटरियेट को भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शास्त्री !

गंगानगर बस डिपो को तेल की सप्लाई

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गंगानगर में नया बस डिपो खोला गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि १६६८ में तेल सप्लाई के देशी एवं विदेशी कम्पनियों से टेण्डर भी मंगाये गये ? यदि हां, तो कौन-कौनसी कम्पनियों के टेण्डर चेयरमैन अथवा जनरल मैनेजर, पथ परिवहन निगम ने मंगाये व पास किये ?

(३) क्या यह सत्य है कि बर्मा शेल वालों का टेण्डर लोएस्ट था ? यदि हां, तो इस कम्पनी का टेण्डर कैन्सिल करके इण्डियन ऑयल वालों को तेल सप्लाई का ऑर्डर क्यों दिया गया ? दोनों की दरों का अन्तर क्या था ?

(४) टेण्डर से मंगवाया गया तेल सिर्फ गंगानगर के लिए था अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिये था ? कुल कितना तेल सप्लाई किया जाना था ?

यातायात मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, दिनांक १-७-६८ से।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) टेन्डर कैन्सिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि टेन्डर मांगे ही नहीं गये थे।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या गंगानगर में राजस्थान पथ परिवहन निगम के गंगानगर डिपो के लिये बिना टेन्डर ही तेल खरीदा गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इण्डियन ऑइल कम्पनी के पम्प से खरीदा गया। यह भारत सरकार का अण्डरटेकिंग है और राज्य सरकार की नीति है कि इसको प्रिफरेन्स दिया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा प्रश्न है कि टेण्डर मांगा था या विज्ञापन अखबारों में निकाला था इसके लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेण्डर के लिये मैंने कह दिया, अखबारों में कोई सूचना नहीं दी गई। इण्डियन ऑइल कम्पनी की फिक्स्ड रेट पर खरीदना शुरू किया। इसके बाद में बर्मा शेल ने कहा कि हमसे खरीदिये, हम इस रेट में कन्सेशन देने को तैयार हैं। इस रेट पर हमने इण्डियन ऑइल कम्पनी वालों से नेगोशियेट किया और इन्होंने भी दो परसेन्ट रिबेट देना स्वीकार कर लिया।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इण्डियन ऑइल कम्पनी और बर्मा शेल दोनों से विचार-विमर्श करने के बाद भी आपने इण्डियन ऑइल कम्पनी से ही इसलिये लेना शुरू किया कि शायद श्रीमती सुमित्रा देवी पण्डित को

(श्री भगवानदास शास्त्री)
राजस्थान में गैस की एजेन्सी का लाइसेन्स आप दिलाना चाहते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सर्वथा असत्य है।

श्री भगवानदास शास्त्री : श्रीमती सुमित्रा देवी पण्डित को गैस का लाइसेन्स भारत सरकार को आवेदन-पत्र देने पर मिला या यों ही मिल गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मेरे से और विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री गंगासहाय (कठूमर) : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने पहले कहा कि यह असत्य है तो जब मन्त्रीजी को जानकारी ही नहीं है तो असत्य कैसे हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी जानकारी नहीं कि जिसके आधार पर कह सकूं कि यह दिलाने का काम हमने किया।

श्री भगवानदास शास्त्री : जब लोएस्ट एस्टीमेट बर्मा शैल ने भेजा इसके बाद भी इण्डियन आॅइल कम्पनी से ही लेने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। पब्लिक अण्डरटेकिंग है यह।

श्री भगवानदास शास्त्री : ये श्रीमती सुमित्रा देवी पण्डित कहते हैं, सुखाड़ियाजी की धर्म बहिन हैं और इसलिये यह सुविधा उनको दिलानी थी क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुमित्रा देवी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का यह अण्डरटेकिंग है इसलिये राज्य सरकार की नीति है इसको प्रिफरेन्स देने की।

प्रश्न संख्या २८

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट!, खाद्य मन्त्री! श्री नथमल बोहरा!

(अल्प विराम के अनन्तर)

क्या मन्त्री महोदय नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मन्त्री तो हैं प्रश्नकर्ता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर यह प्रोक्सी किसने कर डाली ?

प्रश्न संख्या २८!

श्री रामप्रसाद बोहरा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

कम्पाउन्डर का तबादला

२६. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १६६८ व ६६ में रायपुर, जिला झालावाड़ की डिस्पेन्सरी के कम्पाउन्डर श्री दीनदयाल सक्सेना का तबादला कितनी बार किया गया और क्यों ? इससे सरकार को कितनी रकम भत्ता आदि पर देनी पड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) श्री सक्सेना ग्रेड १ कम्पाउन्डर हैं और जब रायपुर में डॉक्टर मौजूद है तो फिर इन्हें यहां ही क्यों रखा जा रहा है ? तबादला बार-बार केन्सिल करने की वजह

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

क्या है ? क्या इन्हें यहां डेपुटेशन पर लगाया है ? इनकी नियुक्ति कहां हुई है ?

(३) इनके विरुद्ध शिकायतें कब-कब विभाग में या मन्त्रीजी के पास आईं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) दो बार। किन्तु इसमें राज्य सरकार का कोई खर्चा नहीं हुआ ।

(२) राजकीय चिकित्सालय रायपुर में श्री दीनदयाल सक्सेना, कम्पाउन्डर दिनांक १६-८-६८ से कार्यरत हैं। उक्त डिस्पेन्सरी में दिनांक ३-६-६६ से डॉक्टर भी कार्यरत है । कम्पाउन्डर श्री दीनदयाल का पद स्थापन भरतपुर है परन्तु स्थानीय मांग के कारण इन्हें रायपुर में डेपुटेशन पर रखा गया है।

(३) श्री दीनदयाल कम्पाउन्डर के विरुद्ध जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पास दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों पर जांच करवाई गई । जांच करने पर उक्त शिकायत निराधार पाई गई।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि शिकायतकर्ताओं को जांच के वक्त नहीं बुलाया गया और खाली इन्चार्ज डॉक्टर को पूछ लिया गया जो अभी हाल ही में वहां गये हैं जबकि शिकायत पुराने डॉक्टर के वक्त की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जांच के कागजात मेरे पास नहीं हैं। यह अलग से सवाल है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इसकी काफी शिकायत है, दवाइयां और इन्जेक्शन बेचता है और पार्टीबाजी में भाग लेता है और फिर फर्स्ट ग्रेड की वहां जगह नहीं होते हुए भी उसे वहां रख रखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह शिकायत जांच करने पर गलत पाई गई।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जांच किससे करवाई आपने, जाच करने वालों को आपने साथ में क्यों नहीं लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिला स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी झालावाड़ के द्वारा जांच करवाई गई थी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह जांच रिपोर्ट आपने पढ़ी है क्या ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : मेरा निवेदन यह है कि उसका पोस्टिंग भरतपुर में हो रखा है तो रायपुर में क्यों रखा हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रायपुर की जनता की मांग पर रखा हुआ है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मांग पर रखा हुआ है तो क्या....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डिप्टी मिनिस्टर जनता को रिप्रजेन्ट करते हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या ये तीन विधायक जो बोल रहे हैं वे जनता को रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं ? केवल डिप्टी-मिनिस्टर ही करता है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या रायपुर की जनता ने शिकायत की थी ?

Page No 13

एक माननीय सदस्य : क्या यह भी सही है कि श्री कन्हैयालाल पटेल ने कहा था कि इसे पंचायत इलेक्शन तक नहीं हटायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)
एक-एक माननीय सदस्य ! श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि उनका पोस्टिंग भरतपुर में हो चुका है और वे तनख्वाह भरतपुर से ही उठा रहे हैं और काम रायपुर में कर रहे हैं ? ट्रान्सफर होने पर भी उनको रखा हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ज्यों-ज्यों डॉक्टर्स आते जा रहे हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है। अब डॉक्टर्स की नियुक्ति होने लग गई है। अब फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर्स को कहां रखा जाय यह देखना है।

श्री अध्यक्ष : आधे-आधे हो गये हैं।

प्रश्न संख्या १०

श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा !

बस दुर्घटनाएं

११. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक २९ जुलाई, १९६७ को स्टेट रोडवेज निगम की बस नम्बर आर. एस. एल. १८३४ जयपुर से आते वक्त सुबह १०-१० पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ?

(२) इस दुर्घटना का क्या कारण था और इससे जनता का जान व माल का क्या नुकसान हुआ ? इस बस का क्या बीमा हो रहा था ? अगर हां, तो किस श्रेणी का और किस कम्पनी में ?

(३) बस को कितना नुकसान हुआ ? क्या जिस बस से टक्कर हुई थी वह भी रोडवेज की ही थी ? यदि हां, तो दूसरी बस को कितना नुकसान हुआ ?

(४) क्या यह सत्य है कि बसों की ठीक देखभाल नहीं होने के कारण इस प्रकार की आये दिन दुर्घटना हुआ करती है ?

(५) रोडवेज की बसों के अब तक कितने ऐक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं ? और इन दुर्घटनाओं के कारण जनता के कितने आदमी मरे और उनको कितना मुआवजा दिया गया ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां।

(२) दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई। जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ। निगम की गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट की धारा ९४ (२) (सी) के तहत बीमा से मुक्त हैं।

(३) दोनों बसें निगम की थीं तथा दोनों में चार-चार सौ रुपये का नुकसान हुआ।

(४) जी नहीं।

(५) निगम बनने के बाद से सन् १९६९ तक ४२४ गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुईं; जिनमें मृतकों की संख्या ८९ है। जिन मृतकों के परिवार वालों द्वारा क्लेम किये गये उनमें से

Page No 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
दो परिवारों को २५२६००) रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि ड्राइवर श्री रतनसिंह शराब पिये हुए था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सत्य नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : लेकिन प्रश्न के भाग दो में आपने यह कहा है कि ऐसा अनुभव किया जाता है कि चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई। जब लापरवाही आपने बताई है तो...

श्री अध्यक्ष : शराब लापरवाही में आ जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पेसिफिक कोई वर्णन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या एक्सीडेन्ट्स को मीट करने के लिये निगम में फन्ड्स क्रियेट किये हुये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर !

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

३२. **श्री यशवंतसिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान के शिक्षा विभाग से क्या सम्बन्ध है ?

(२) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों, आदेशों और उनके द्वारा निर्धारित नियमों आदि का किस सीमा तक पालन किया गया तथा अन्य के पालन होने में क्या कठिनाई है ?

(३) माध्यमिक शिक्षा स्तर तक एक वर्ष में औसतन कितनी कॉन्फ्रेन्सेज, सेमिनार, वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जाता है ?

(४) इसके द्वारा दिये गये निर्देशों या सिफारिशों का कहां तक पालन किया जाता है ? अब तक कितनी सिफारिशें राज्य सरकार ने मानी हैं ? इन सिफारिशों की संख्या क्या है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) बोर्ड और शिक्षा विभाग आपस में एक-दूसरे के पूरक तथा अन्योन्याश्रित हैं। शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) का निर्देशक अधिनियम के अनुसार बोर्ड का पदाकारणात् सदस्य होता है और यह बोर्ड के शिक्षण सम्बन्धी समस्त मामलों में शिक्षा विभाग का दृष्टिकोण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम बनाने, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन के कार्य में संस्थाओं को बोर्ड की परीक्षा के लिये मान्यता देने, उनका निरीक्षण करने आदि विभिन्न कार्य विषयों में शिक्षा विभाग का बोर्ड को सक्रिय सहयोग मिलता रहता है।

(२) बोर्ड में जो प्रस्ताव पारित किये जाते हैं उन पर शिक्षा विभाग द्वारा उचित अमल किया जाता है। स्कूलों में जिन प्रस्तावों पर आर्थिक व अन्य कठिनाइयों के कारण कार्यवाही होने में शिथिलता होती है, उनकी जानकारी समय-समय पर संस्थाओं के निरीक्षण करने वाले बोर्ड निरीक्षकों द्वारा बो

Page No 15

(श्री धीरसिंह)

जाती है, उसके बाद उन पर अमल करने हेतु बोर्ड द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सरकार अपने वित्तीय साधनों के अनुसार उन कमियों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करती है।

(३) बोर्ड एक वर्ष में औसतन २५ शैक्षिक कार्य गोष्ठियां आयोजित करता है।

(४) बोर्ड जो कार्य गोष्ठियां अब तक आयोजित करता रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य स्कूलों के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों को मूल्यांकन तथा शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण देने का रहा है। इन कार्य-गोष्ठियों में शिक्षा विभाग के लिये सुझावों का इन मामलों में प्रश्न नहीं उठता।

अन्य मामलों में जो सिफारिशें बोर्ड शिक्षा विभाग को भेजता है, उनका पालन किस हद तक होता है, उसका चेकिंग बोर्ड द्वारा स्कूलों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कराये गये निरीक्षणों व सामयिक निरीक्षणों की रिपोर्ट्स द्वारा किया जाता है और उनमें जो कमियां पाई जाती हैं, उनको सही करने के लिये स्कूलों तथा शिक्षा विभाग को पुनः लिखा जाता है। सरकार अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रख कर जहां तक सम्भव होता है इन कमियों को दूर करती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसे कौनसे निदेश हैं जो आपके वित्तीय साधनों के बाहर थे ?

राव श्री धीरसिंह : आम तौर से उनका आक्षेप स्कूल बिल्डिंग से है, जैसे स्टेन्डर्ड के अनुसार साइन्स के कमरे न होना आदि है। खास तौर से वित्तीय साधनों के अभाव में पालन करने में राज्य सरकार को दिक्कत रहती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उनका वित्तीय कितना अमाउन्ट है जो अब तक हायर सेकेन्डरी स्कूल तक जो उन्हें पालन करें तो खर्चे की आवश्यकता होगी।

राव श्री धीरसिंह : लगभग ४.५ करोड़ रुपये जब तक नहीं हों "सब तक स्टेन्डर्ड के मुताबिक भवन व्यवस्था" नहीं हो सकती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: राज्य सरकार बिना वित्तीय साधनों के देखते हुये आदेश कैसे दे देती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : साइन्स के कमरों को स्टेन्डर्ड के अनुसार डायमेन्शन्स देखना पड़ता है क्योंकि साइन्स की लेबोरेट्री कमरों के पूरे डायमेन्शन पर निर्भर होती है। छोटे कमरों में सफलता-पूर्वक परीक्षण नहीं हो पाता है लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुवालाल चौधरी।

ग्राम पंचायत गाडोता द्वारा कायम की गई पेनल्टी

३३. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम पंचायत गाडोता, तहसील दूदू में पंचायत की ओर से हरजीराम भूरा-राम निवासी कापड़ियावास कलां के विरुद्ध

(श्री सुवालाल चौधरी)

एकडाले लगाने की आबादी भूमि का मुकदमा बनाया गया था ? अगर हां, तो कौनसी तारीख को ?

(२) क्या इस मुकदमे का फैसला जिलाधीश, जयपुर ने भी किया है ? अगर हां तो क्या फैसला हुआ ?

(३) क्या पंचायत ने जिलाधीश के फैसले को ध्यान में रखते हुये पंचायत की सभा में इस मामले पर पुनः विचार किया है ? अगर हां, तो उसका क्या फैसला हुआ ?

(४) क्या सरपंच ने उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई पेनल्टी कायम की है ? अगर हां, तो कितने रुपये की और आखिरी नोटिस किस तारीख को किस नम्बर से दिया है ?

(५) क्या पंचायत का आदेश नहीं मानने पर पंचायत किसी व्यक्ति से पेनल्टी १ रु. प्रतिदिन लगाकर ५,०००) रु० तक ले सकती है, और नहीं तो १ रु० प्रतिदिन से शुरू की जाकर आखिर कितनी मात्रा तक पेनल्टी जारी रखी जा सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, दिनांक १७-८-६२ को।

(२) पंचायत समिति के निर्णय के विरुद्ध निगरानी किये जाने पर अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर द्वारा पंचायत व पंचायत समिति का निर्णय बहाल रखा गया।

(३) श्री हरजीराम के प्रार्थना-पत्र देने पर पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ६१) रु० पेनल्टी के ११) रु० दण्ड-स्वरूप जमा कराये जावें।

(४) जी हां, पंचायत द्वारा १०८०) रु० की पेनल्टी कायम की गई तथा नोटिस संख्या ६६ दिनांक ११-६-६५ को दिया गया।

(५) राजस्थान पंचायत अधिनियम में प्रावधान है कि जब तक पंचायत की आज्ञा की पालना नहीं होगी तब तक १) रु० प्रतिदिन पेनल्टी जारी रहेगी।

श्री सुवालाल : हरजीराम ने कौनसी तारीख को पंचायत में दरख्वास्त पेश की और पंचायत ने कौनसी तारीख को फैसला किया ?

श्री परसराम मदेरणा : हरजीराम के आवेदन-पत्र पर कौनसी तारीख थी यह तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन पंचायत में १५-६-६५ में विचार किया कि यह गरीब आदमी है अगर उस पर इतनी ज्यादा पेनल्टी लगाई तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री सुवालाल : क्या यह पंचायत ने जो फैसला किया है उसको सही माना जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका मार्ग-दर्शन पंचायत समिति से चाहा था उसने यह लिखा था कि वैधानिक अधिकार नहीं है। इस पर विचार चल रहा है कि इसको तरमीम कर सकें और रिवाइज कर सकें।

श्री सुवालाल : क्या पांच हजार रुपये तक पेनल्टी की जा सकती है ? एक छोटी सी दीवार देहाती गांव में लगाकर बाड़ बढ़ा लेता है तो क्या पांच हजार तक पंचायत पेनल्टी वसूल कर सकती है, यह न्यायोचित है ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर पंचायत की आज्ञा का अनुपालन नहीं करेंगे तो उसके

(श्री परसराम मदेरणा)
खिलाफ एक रुपया प्रति दिन उस पर पेनल्टी लगाई जाय, ऐसा प्रावधान है जमा नहीं कराते है तो लगेगी।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : पंचायत समिति दुश्मनी से वसूल कर सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसको कोई लिमिट नहीं है क्या दो-दो, तीन-तीन साल तक जमा नहीं कराये तो क्या वह राशि बढ़ती जाती है?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत जो कुछ फैसला करे उनके विरोध में पंचायत समिति के पास अपील हो सकती है। उससे भी एग्रीव्ड हो तो आगे कलेक्टर के पास जा सकते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या पांच हजार रु० को जो पेनल्टी है वह क्या अत्यधिक नहीं है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री विजयसिंह !

कन्या माध्यमिक शाला वाड़ी का ऑडिट

२४. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर में वाड़ी स्थित राजकीय कन्या माध्यमिक शाला का २०, २१ नवम्बर, १९६७ को श्री रामावतार गुप्ता, इन्चार्ज ऑडिट पार्टी, शिक्षा विभाग द्वारा ऑडिट किया गया?

(२) क्या इन अधिकारियों ने यहां एक १८९१ रु० का कच्चा रसीद और एक रजिस्टर में यह राशि भरतपुर कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका को सुरक्षा कोष के अन्तर्गत दिया गया, दिखाया गया पाया?

(३) क्या इन अधिकारियों ने १८९१ रु० का सुरक्षा कोष में गबन होना पाया और इसकी रिपोर्ट विभागीय जांच समिति अलवर को की?

(४) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। प्रारम्भिक जांच से ऐसा पाया गया है।

(३) ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है।

(४) श्रीमती एम० टी० रेमजे को आरोप-पत्र दिया जा चुका है तथा इन्हें निलम्बित किया जा चुका है और केस जिलाधीश एवं पुलिस विभाग, भरतपुर को जांच के लिये भेजा गया है।

श्री विजयसिंह : आपने आरोप-पत्र कब दिया और कब निलम्बित किया?

राव श्री धीरसिंह : आरोप-पत्र कब दिया इसकी तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन दिये हुए काफी दिन हो गये। गत सत्र में भी यह प्रश्न आया था उस समय भी आरोप पत्र पर जांच चल रही थी, उसमें ढिले हो रही थी इस कारण अब इमीडियेटली एक्शन लेकर के इनको सस्पेण्ड किया गया है और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मंगवाने के लिये लिख दिया गया है। इसको

(श्री घोरसिंह)

क्रिमिनल केस के लिये हैंड ओवर कर दिया है पुलिस को वह क्रिमिनल लाइबिलिटीज को जांच कर ले।

श्री विजयसिंह : यह रक्षा कोष का गबन आपको कब से मालूम हुआ ?

राव श्री घोरसिंह : इसकी ऑडिट रिपोर्ट ६३ में पेश हुई थी उसमें यह पाया गया। उसके बाद यह मामला पुलिस को दिया गया। गजेटेड अधिकारी के खिलाफ केस था इसलिये इसको फिर विभाग के द्वारा एन्क्वायरी चलती रही फिर भी यह कम्पलीट नहीं हुआ। यह प्रश्न पिछले सत्र में भी आया था। इसको जल्दी एक्सपीडाइट करने के लिये आदेश दिये गये हैं, और सम्बन्धित अधिकारी को सस्पेण्ड किया गया है।

श्री विजयसिंह : जब विधायक प्रश्न उठाते तब कार्यवाही होती है अन्यथा विभाग रक्षा कोष के पैसे के बारे में अन्धकार में है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : रक्षा कोष का पैसा और विभाग दोनों ही अन्धकार में हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२

श्री बालसिंह सोढा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गोरधन सोनी

मेड़ता में लड़कियों के लिये सेकेन्डरी स्कूल

३६, श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता गर्ल्स स्कूल में इस समय ५०० से अधिक छात्रायें शिक्षा पा रही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी के ५० मील के एरिया में गर्ल्स सेकेन्डरी स्कूल नहीं है इस कारण से काफ़ी लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित हैं एवं कुछ लड़कियां लड़कों के सेकेन्डरी स्कूल, मेड़ता में शिक्षा पा रही हैं ?

(३) क्या यह सही है कि मेड़ता में तहसील हैडक्वार्टर, सब-डिवीजनल ऑफिसर हैडक्वार्टर एवं सेशन, सिविल एवं मुन्सिफ कोर्ट होने के नाते, अधिकारियों एवं अन्य सभी लोगों की छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने में भारी दिक्कत है ?

(४) गत ३ वर्षों में राजस्थान में कितनी गर्ल्स स्कूल को सेकेन्डरी में परिणित किया ? उनके नाम व छात्राओं की संख्या का चार्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(५) क्या यह सही है कि निरन्तर इस सुझाव को मेड़ता के गर्ल्स मिडिल स्कूल को सेकेन्डरी करने के सुझाव को, सरकार निष्पक्ष व उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही है ?

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री घोरसिंह) :

(१) जी हां।

Page No 19

(श्री धीरसिंह)

(२) यह सही है।

(३) मेड़ता तहसील में मेड़ता सिटी व मेड़ता रोड में लड़कों की एक-एक सेकेन्डरी स्कूल चल रही है। उच्च शिक्षा पाने वाली छात्रायें अधिकांश इन स्कूलों में पढ़ती हैं।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणा-वगुण आधार, व वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर भी विचार किया जावेगा।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।]

श्री गोरधन सोनी : मैने छात्राओं की लिस्ट मांगी थी जिन स्कूलों को उन्नत किया गया है उनकी यह नहीं बताई गई और केवल ६ कक्षा से १० वीं कक्षा की छात्राओं की लिस्ट दी गई है जैसे शिवगंज सिरोही में १२४, डीडवाना में, नागौर में १२५, राजगढ़–चूरू में १०३, गंगाशहर में १२१ इस तरह से इन संस्थाओं में लड़कियों की संख्या बहुत कम है जबकि मेड़ता माध्यमिक शाला में ५७५ की संख्या है इतनी संख्या होते हुए भी वहां की स्कूल उन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

राव श्री धीरसिंह : यही बात तो ठीक नहीं है कि आपके मेड़ता स्कूल में ५०० से अधिक लड़कियों की संख्या है। यह ठीक है कि कहीं संख्या कम है कहीं अधिक है। लड़कियों की शिक्षा को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं इस कारण मेड़ता में स्कूल खुलना चाहिये लेकिन जैसा भाग ५ के उत्तर में कहा गया है उसके अनुसार ही हम सोच सकते हैं।

श्री गोरधन सोनी : क्या आप इस बात को आश्वासन देंगे कि आयन्दा साल इसको उन्नत कर देंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : यह आश्वासन देना सम्भव नहीं है। मेरिट के आधार पर अगले वर्ष विचार किया जायगा।

श्री गोरधन सोनी : मेड़ता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। यहां से जिन स्कूलों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है उनको तो उन्नत किया गया लेकिन मेड़ता में एस० डी० ओ० का कार्यालय है, सब अदालतें हैं, कार्यालय हैं लेकिन वहां पर स्कूल को उन्नत नहीं किया गया। भीलवाड़ा में ६७ में ४ स्कूलों को उन्नत किया गया, नागौर में एक लेकिन मेड़ता में एक भी नहीं किया गया इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप तुलनात्मक आधार पर सहानुभूति से विचार करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आप यह आश्वासन देंगे किसी भी हाई स्कूल को उन्नत नहीं करेंगे जब तक कि पहले मेड़ता की स्कूल को नहीं कर दिया जाय ?

श्री शिवचरण माथुर : यह तो मैं नहीं कह सकता आगे किस आधार पर स्कूलों को उन्नत करेंगे यह अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयत्न अवश्य

Page No 20

(श्री शिवचरण माथुर)

करेंगे। वैसे हम लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। आपने जो संख्या बतायी है वह १ से लेकर कक्षा ७ तक की संख्या है। हमें जो संख्या बतायी है वह कक्षा ६ से लेकर १० तक की है। मेड़ता के औचित्य को स्वीकार करते हैं लेकिन अभी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि अगले साल ही खोल देंगे।

श्री मोरधन सोनी : कक्षा ६ से कक्षा दस तक की छात्राओं की संख्या भी आपने जो बतायी है वह गलत है मैंने पूरे स्कूल की संख्या दी थी, इतनी संख्या होते हुए भी आप उस स्कूल को उन्नत नहीं करना चाहते इसका वहां क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर : हाई स्कूल में कक्षा ६ से कक्षा १० तक की संख्या दी जाती है इसमें गुमराह करने का सवाल नहीं है।

प्रश्न संख्या ३७

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राघवराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा !

साक्षरता अभियान

३८. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान सरकार ने साक्षरता की सात वर्षीय कार्यक्रम किस दिन से प्रारम्भ किया था ?

(२) इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने किसको सौंपी है और इसमें वित्त व साधन किस प्रकार जुटाये गये हैं ?

(३) अध्यापकों को सरकार किस प्रकार पारिश्रमिक देगी ?

(४) पिछले छः वर्षों में साक्षर बनाने का लक्ष्य किस प्रतिशत तक प्राप्त किया गया है ?

(५) क्या यह सत्य है कि अब तक यह कार्य सामुदायिक विकास के अन्तर्गत पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा कराया जाता है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शिक्षा की सप्त वर्षीय योजना पिछले वर्ष बनाई गई थी जिसमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी सम्मिलित था। इसको अर्थाभाव के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(२) वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा कार्य का संचालन उप-निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान के उत्तरदायित्व में १९५४ से चल रहा है। प्रारम्भ में जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की देख-रेख जिला समाज शिक्षा अधिकारी ही करते थे तथा खण्ड स्तर पर समाज शिक्षा संयोजक एवं महिला समाज शिक्षा संयोजक द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। वर्तमान में जिला समाज शिक्षा अधिकारी, समाज शिक्षा संयोजक एवं महिला समाज शिक्षा संयोजक के पद समाप्त किये जाने पर पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन का भार जिला विद्यालय निरीक्षकों को सौंपा हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालन के लिये

(श्री धीरसिंह) प्रतिवर्ष आयोजना-भिन्न से लगभग ३·०० लाख रुपये का राजकीय व्यय किया जाता है।

(३) अध्यापकों के लिये नियमित रूप से कोई निश्चित पारिश्रमिक स्वीकृति नहीं है, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में रुचि जाग्रत करने के लिये अध्यापकों को उनके कार्य श्रेष्ठता के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष निम्न प्रकार से पारितोषिक देकर प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है:—

प्रथम पुरस्कार	३०० रु०
द्वितीय पुरस्कार	२०० रु०
तृतीय पुरस्कार	१०० रु०
अन्य आठ पुरस्कार	५०-५० के

दिये जाते हैं।

(४) प्रतिवर्ष डेढ लाख निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे ६ वर्ष में ९ लाख प्रौढ़ों को साक्षर होना चाहिये था परन्तु ६ वर्षों में निर्धारित लक्ष्य का ७० प्रतिशत या ६,३७,००० प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया है। ७० प्रतिशत साक्षर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार:—

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या	साक्षर प्रौढ़ों की संख्या	
वर्ष १९६१-६२ से १९६६-६७ तक	पुरुष	स्त्री
५५०२८	५६५१०७	७२०३२
	योग ... ६३७१३९	

(५) प्रत्येक जिला परिषद् जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार कर उप-निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुमोदनार्थ प्रेषित करती है तथा पंचायत समितियां इस कार्यक्रम को शिक्षा प्रसार अधिकारियों के माध्यम द्वारा क्रियान्वित करती हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि यह प्रौढ़ पाठशालाएं बिल्कुल ही राजस्थान में नहीं चल रही हैं ? यह आंकड़े बिल्कुल गलत दिये गये हैं ? इन पर जो व्यय होता है वह बिल्कुल न्यून है ? इनका कोई देख-रेख नहीं हो रही है ? क्या यह सत्य है ?

राव श्री धीरसिंह : यह सत्य नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं, यह सत्य है। हमारे इलाके में कोई भी प्रौढ़ पाठशाला नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : ये आंकड़े गलत दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान में जो रुपया व्यय किया गया है उसका दुरुपयोग किया गया है—क्या यह सत्य है ? क्या इसकी जांच कराई जायगी ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि बूंदी जिले में प्रौढ़शाला कहीं भी नहीं चल रही है ?

राव श्री धीरसिंह : प्रश्न में यह नहीं पूछा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : राजस्थान में कहां-कहां चल रही हैं ?

राव श्री धीरसिंह : यह भी प्रश्न में यहीं पूछा है। जनरल इन्फार्मेशन पूछी है कि कैसे चलाई जाती है, किसके माध्यम से चलाई जाती हैं, वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जाते हैं, साक्षरता का लक्ष्य कितने प्रतिशत प्राप्त किया है ? आप चाहेंगे तो बूंदी के बारे में मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : राजस्थान में कहां-कहां चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

राव श्री धीरसिंह : यह भी प्रश्न में नहीं पूछा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान में कहां-कहां चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : वाइटल है, इम्पोर्टेन्ट है लेकिन अलग से है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अलग से है लेकिन यह बता दें कि कहां-कहां चल रही हैं। इनका (श्री रामचन्द्र आर्य) कहना बिल्कुल सही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कागज पर चल रही है क्या यह सत्य है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : प्रौढ़ शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि पैदा हो इसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

राव श्री धीरसिंह : यह कोशिश की जा रही है कि लोगों में रुचि पैदा हो। प्रौढ़ शिक्षा प्रसार अधिकारी और सरकार की तरफ से जिला निरीक्षक इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब कहां कर पाये हैं और कहां नहीं कर पाये हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका कोई सर्वेक्षण कराया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि प्रौढ़ शिक्षा का काम जिस रुचि से चलना चाहिए उससे नहीं चल रहा है। उसके कई कारण हैं। बहुत तो प्रौढ़ शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव है। आपने देखा होगा कि केवल तीन लाख रुपया साल के लिए स्वीकृत है। हम चाहते हैं ऐसी जगह पर, जहां कन्सेन्ट्रेटेड तरीके से इस काम को कर सकें, वहां किया जाय। रामचन्द्र आर्य ने कहा है, यह हो सकता है कि उनके जिले में कोई नहीं हो। लेकिन ये आंकड़े पूरे राजस्थान के दिये हैं, अलग-अलग जगहों के मांगे नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : आंकड़े बढ़ते रहेंगे या नहीं आगे ?

श्री शिवचरण माथुर : बढ़ेंगे ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : साक्षरता के अभियान में जितने लोगों को साक्षर किया गया है उनमें मंत्रियों की संख्या कितनी है ?

श्री शिवचरण माथुर : एक भी नहीं।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ! श्री दुर्गालाल बादवार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No 23

प्रश्न संख्या ४०

श्री देवीदत्त गोड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नंदलाल दण्डवासी (किशनगंज-सु.) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

शिक्षा प्रसार अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

४१. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री गोविन्दलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं जब डीडवाना पंचायत समिति में नियुक्त थे तब उनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उस समय की शिकायतों की कभी जांच हुई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने कब की तथा जांच में नतीजा क्या रहा ? सूचीमय जांच रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इनके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से और क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

(४) क्या भूतपूर्व विकास आयुक्त, श्री आर. डी. माथुर ने इनके खिलाफ हुई शिकायतों की जांच करके कोई पत्र इनके खिलाफ शिक्षा विभाग को लिखा ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) लाडनूं स्थानान्तरण होने के बाद में इनकी कोई शिकायतें हों, तो उनका विवरण बतावें।

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) श्री गोविन्दलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं जब डीडवाना में नियुक्त थे तब उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की सूची संलग्न है।

(२) जी हां। श्री एस. एन. द्विवेदी, भूतपूर्व विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की गई। कुछ आवश्यक पत्रावलियां श्री गोविन्दलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी से प्राप्त न होने के कारण प्रतिवेदन विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सका। उस समय श्री द्विवेदी अकस्मात् ५५ वर्ष की आयु की घोषणा उपरान्त सेवा निवृत्त हो गये। अब इस प्रकरण की जांच प्रतिवेदन श्री गिरधारी लाल, विद्यालय उप-निरीक्षक द्वारा प्राप्त हो चुकी है, उस पर निर्णय विचाराधीन है।

(३) बिन्दु (१) में अंकित शिकायतों के अलावा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है।

(४) भूतपूर्व विकास आयुक्त श्री आर. डी. माथुर द्वारा उनके खिलाफ हुई शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्रों का पाया जाना प्रतीत नहीं होता है।

(५) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

Page No 24

श्री हरजीराम बुरड़क : गोविन्दलाल को जो चार्ज-शीट दी गई है उसके आधार क्या थे ? किस आधार पर चार्ज-शीट दी गई है ?

राव श्री धीरसिंह : चार्जेज का स्टेटमेंट आपको पेश किया गया है उसमें सभी चार्ज लिखे हुए हैं। आप चाहें तो शुरू से आखिर तक मैं पढ़ दूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं पूछ रहा हूं, किस आधार पर चार्ज-शीट तैयार की गई है ? किसी ने शिकायत की या किसी अधिकारी ने जांच करके रिपोर्ट भेजी थी ?

राव श्री धीरसिंह : कलेक्टर ने जांच करके यहां रिपोर्ट भेजी उसके आधार पर चार्ज-शीट तैयार की गई ?

श्री हरजीराम बुरड़क : कलेक्टर ने जांच करके रिपोर्ट भेज दी, फिर विद्यालय निरीक्षक क्या चार्जेज की एन्क्वायरी कर रहे हैं ? वह चार-पांच वर्ष तक क्या करते रहे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : पंचायत के अन्दर में डेपूटेशन पर है इसलिए जिला विकास अधिकारी की हैसियत से प्रारम्भिक जांच करने के बाद रूल्स के अनुसार शिक्षा प्रसार अधिकारी के खिलाफ एक्शन के लिए शिक्षा विभाग को भेजी। प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी के बाद फाइनल एन्क्वायरी के लिए भेजी थी इसलिए विभाग को जांच रिपोर्ट दी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

राव श्री धीरसिंह : नवम्बर के महीने में। तारीख तो मुझे याद नहीं है, नवम्बर के महीने में आई होगी। अब उसका फैसला कर रहे हैं डायरेक्टर, प्राइमरी एजूकेशन।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या उसमें ऐसा चार्ज था जिसके लिए अविलम्ब निलम्बित करना चाहिए ?

राव श्री धीरसिंह : कुछ दिन तक निलम्बित किया गया, लेकिन एन्क्वायरी में टाइम लगा इसलिए सस्पेन्शन ऑर्डर को विदड्रॉ कर लिया। सस्पेन्ड बीच में रहे हैं, लेकिन एन्क्वायरी में लम्बा टाइम लगा और उसमें रिप्रेजेन्टेशन किया इसलिए सस्पेन्शन ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : सस्पेन्शन ऑर्डर में जब यह कहा कि जब तक फैसला नहीं हो तब तक के लिए निलम्बित किया गया तो बिना पूरी जांच किये और फैसला किये बिना कैसे सस्पेन्शन ऑर्डर विदड्रॉ कर लिया गया ?

राव श्री धीरसिंह : एन्क्वायरी के जो रूल्स हैं उनमें है कि सस्पेन्शन एन्क्वायरी के दौरान भी रिवोक किया जा सकता है। उसके अन्तर्गत ही किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : एन्क्वायरी ऑफिसर जब तक एन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं दे, चाहे वह इन्टेरीम एन्क्वायरी रिपोर्ट हो उसकी जानकारी किये बिना नहीं कर सकते ?

राव श्री धीरसिंह : एन्क्वायरी में टाइम लगे तो बीच में रिवोक किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक २२ रह गया है।

Page No 25

श्री अध्यक्ष : कई रह गये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : टाइम भी है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट का टाइम रह गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पांच मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में समाप्त नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कर लेंगे, मैं गारन्टी करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया ! यातायात मंत्री !

टौंक शहर को रेल्वे लाइन से जोड़ने की योजना

२२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) टौंक शहर को रेल से जोड़ने के लिये क्या सरकार ने भारत सरकार को कोई योजना भेजी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या टौंक को रेल से जोड़ने के लिये कभी सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितनी रकम की योजना थी ?

(३) अब इस योजना के बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपमन्त्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) टौंक शहर को रेल से जोड़ने की कोई योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि द्वितीय आम चुनाव के समय भारत सरकार के रेल मंत्री द्वारा राज्य सरकार ने टौंक की एक आम चुनाव मीटिंग में घोषणा करवाई थी कि शीघ्र ही टौंक को रेल्वे लाइन से जोड़ा जायगा ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा जानकारी में है कि घोषणा कराई रेल मंत्री से ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से फिर राज्य सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास को जानकारी है कि इस प्रकार की घोषणा टौंक में भारत सरकार के रेल मंत्री से कराई थी कि शीघ्र ही टौंक को रेल लाइन से जोड़ा जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : लेप्स हो गई होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं राज्य सरकार से पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो विभाग से हमें जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा प्रतीत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं होता है। हो सकता है, माननीय रेल मन्त्री उधर पधारे हों और उस समय उन्होंने कहा हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : वैसे नहीं पधारे। माननीय रेल मन्त्री को आम चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के लिये राजस्थान की कांग्रेस ने बुलाया था और उन्होंने चुनाव के समय आम सभा में इस प्रकार की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कहीं से जानकारी मिल सकती हो तो आप प्राप्त करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या ऐसी जानकारी माननीय गृह मन्त्रीजी से आपको मिल सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं प्रयत्न करूंगा ऐसी जानकारी प्राप्त करने का।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनाज का गबन

२८. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़-सु०) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के अनाज गोदाम से कितना क्विन्टल अनाज गायब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त अनाज के गबन में तहसीलदार व नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ निलम्बित कर दिये गये थे ? यदि हां तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त गबन की एन्क्वायरी पूर्ण होने से पहिले सम्बन्धित तहसीलदार को बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या वे निर्दोष पाये गये ? यदि हां, तो दोषी कौन था ?

(४) जिस वक्त अनाज का गबन हुआ था उस वक्त सप्लाई क्लर्क कौन था ? क्या वह निर्दोष पाया गया है ?

उत्तर

(१) तहसील, लक्ष्मणगढ़ के अनाज गोदाम में ३७५-४३-००० क्विन्टल गेहूं कम पाया गया।

(२) जी हां, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश संख्या एफ० ११(३६) डी० ई०/बी० आर० ६७/८४३६-४१, दिनांक १७-५-६७ के द्वारा निलम्बित कर दिये गये थे ?

(३) जी हां, पैन्डिग एन्क्वायरी पूर्ण होने से पहले ही तत्कालीन तहसीलदार व नायब तहसीलदार को राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश संख्या-एफ० ११ (३६) डी० ई०/बी० आर०/ ६७/२४०५५-६१, दिनांक १५-११-६७ के द्वारा बहाल कर दिया गया। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश संख्या एफ० ११ (३६) डी० ई०/बी०आर०/ ६७/२६७४०-४५, दिनांक १५-१२-६७ के

Page No 27

(खाद्य मंत्री)

द्वारा जिलाधीश महोदय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, और जांच जारी है।

(४) जिस समय गबन हुआ उस समय सप्लाइ क्लर्क श्री सत्यनारायण शर्मा था। श्री शर्मा को दिनांक २२-५-६७ को निलम्बित किया गया था। अब श्री शर्मा को दिनांक १४-३-६६ से जांच के दौरान (पेन्डिन्ग एन्क्वायरी) बहाल कर दिया गया है। जांच (एन्क्वायरी) अभी भी चल रही है।

बेसिक एस. टी. सी. स्कूल

३०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस वर्ष किस-किस जिले में कितने २ स्कूल एवं कॉलेजेज खोले गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेसिक एस. टी. सी. स्कूल बन्द कर दी जाय ? यदि हां, तो कब और क्यों ? उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा इस निर्णय के अनुसार कितने बेसिक एस. टी. सी. स्कूल बन्द किए गये ? उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि सरकार ट्रेन्ड टीचर्स को काम नहीं दे सकी और इससे ही ये स्कूल बन्द करने का निर्णय लेने को विवश हुई है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष खोले जाने वाले स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस वर्ष एक कॉलेज नागौर में खोला गया।

(२) ट्रेन्ड टीचर्स की संख्या आवश्यकता से अधिक होने के कारण बेसिक एस. टी. सी. बन्द करने का निर्णय लेकर दिनांक १६-७-६६ को आदेश प्रसारित किये गये जिस की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकाल और ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा दी गई राशि

३५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष ६८-६६ में केन्द्र ने ग्रामीण पेय जल योजना के लिए अकाल क्षेत्र के लिए अलग से राशि दी थी ? अगर हां, तो वह कितनी राशि थी और वह राशि किस-किस ग्रामीण जल योजनाओं पर खर्च की गई ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि रूनसी गांव से पीपाड़ के लिए वर्ष १९६८-६६ में पानी की नल लाइन बनाई गई है ? यह राशि किस नियम से और कितनी खर्च की गई तथा यहां पर खर्च करने के क्या कारण हैं ?

(श्री बालसिंह सोढा)

(३) क्या यह सच है कि अकाल की ग्रामीण पेय जल योजना की राशि को नगरपालिकाओं में खर्च नहीं किया जा सकता ऐसे केन्द्र के आदेश थे ? अगर हां, तो पीपाड़ में नगरपालिका होते हुए यह धन अनियमित रूप से क्यों खर्च किया गया ?

(४) क्या यह भी सही है कि पीपाड़ व रनसी गांव गत वर्ष अकाल घोषित क्षेत्र में नहीं थे ? क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की भी इस योजना पर राय नहीं ली गई और मंत्रिमण्डल में ही इसको रखा गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण पेय जल योजनाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हां। रनसी गांव से पीपाड़ सिटी तक वर्ष १९६८-६९ में पानी को नल लाइन डाली गई। इस कार्य पर लगभग १३ लाख ६० अब तक व्यय हुआ है। पीपाड़ सिटी तक नल लाइन इसलिए डाली गई कि इसके आस-पास के क्षेत्र के गांवों को ट्रकों एवं रेल द्वारा टंकियों से पानी उपलब्ध कराया जाय।

(३) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है कि पीपाड़ व रनसी गांव अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं थे। सारा जोधपुर जिला ही अकालग्रस्त था। चूंकि पीपाड़ सिटी के इर्द-गिर्द बहुतसे गांवों में पेय जल की विषम स्थिति थी। अतः राज्य सरकार द्वारा स्थिति की विषमता को देखते हुए यह कार्य स्वीकृत किया गया।

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

३७. श्री रावतराम (स्वापर-सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६९-७० में चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों के कितने कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त तहसीलों में कहां-कहां राहत कार्य चालू किये गये थे तथा हरएक पर कितने २ मजदूरों ने कार्य किया व तहसील वाइज राहत कार्यों पर कितनी-कितनी धन राशि खर्च की गई ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि जिले की रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसीलों में सबसे कम राहत कार्य खोले गये हैं। जबकि इन्हीं तहसीलों में ही सबसे ज्यादा अकाल था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों में राहत कार्य खोलने के लिये तत्कालीन जिलाधीश ने जिला राहत समिति

(श्री शंकरराम)

की सिफारिशों के संदर्भ में सरकार को बराबर लिखा कि उक्त तहसीलों के साथ न्याय किया जाना चाहिये? यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्यों नहीं गौर किया ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं। आवश्यकतानुसार काम खोले गये थे। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं। जिलाधीश से सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः गौर नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विकास अधिकारी पर जुर्माना

३९. श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सिकराय ने अपने उप-नियम के उल्लंघन का दोषी श्री रामलाल मीणा, विकास अधिकारी को मानते हुए उन पर (५१) रुपये का जुर्माना किया है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने इस जुर्माने को प्रशासनिक जुर्माना मानते हुए धारा ६६ (२) के तहत पंचायत समिति का जुर्माना निरस्त किये जाने का नोटिस दिया है ?

(३) क्या जुर्माना निरस्त किये जाने के नोटिस के अलावा सरकार ने यह भी चेष्टा की है कि उप-नियमों का वाकई उल्लंघन हुआ या नहीं ?

(४) क्या इस प्रकार जुर्माना निरस्त कर, नोटिस देकर सरकार ने जांच किये बिना व अन्य कदम न उठा कर क्या विकास अधिकारी को अनुचित प्रश्रय नहीं दिया है ?

(५) क्या सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम पक्षपात का द्योतक नहीं है कि अपराधी की जांच नहीं करें और दण्ड आदि करने की कार्यवाही करें ? सरकार इस विषय में आगामी क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, जांच जारी है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं, प्रस्ताव अनियमित होने से निरस्त किया गया है। जांच पूरी होने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मांगरोल में बुनकर कॉलोनी का निर्माण

४०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र के प्रमुख ग्राम मांगरोल में बुनकर कॉलोनी

Page No 30

(श्री देवीदत्त गाडिया)

निर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कितने परिवारों के लिये गृह निर्माण हेतु कितना रुपया स्वीकृत हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि बुनकर कॉलोनी निर्माण का कार्य चालू हो गया था और आज तक वह अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कॉलोनी किन कारणों से अधूरी पड़ी है ?

(३) क्या सरकार ने उस अधूरी पड़ी हुई कॉलोनी को पूरा कराने का निर्णय किया है ?

उत्तर

(१) जी हां, पचास परिवारों के लिए ५०,०००.०० की राशि स्वीकृत हुई थी।

(२) जी हां, धनराशि लेने वाली बुनकर कॉलोनी समिति ने निर्धारित सीमा तक कार्य नहीं किया, अतः कॉलोनी अधूरी पड़ी है।

(३) जी नहीं, संभव हुआ तो और धनराशि देने का प्रयास किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊंट का बेचान

१५. श्री गंगासहाय (कठूमर—सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सीम का थाना रेंज में १९६६-६७ में रेंज अधिकारी द्वारा सरकारी ऊंट को बेचा गया है ? यदि हां, तो कितने में और किस की आज्ञा से तथा विक्रय राशि को किस मद में जमा कराया गया है ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सुजानगढ़ से कुचामन वाया लाडनूं-डीडवाना मार्ग को बसें

१६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सुजानगढ से कुचामन वाया लाडनूं-डीडवाना रूट पर किन-किन की बसें चलती हैं ? क्या इन बसों का मालिक एक ही है ? मौजूदा बसों के अलावा और दूसरों को बस चलाने का परमिट क्यों नहीं दिया जाता जब कि सवारियां बहुत ज्यादा होती हैं और बसें बहुत कम आती हैं जिससे लोग परेशान होते हैं ?

(२) क्या सरकार इस रूट पर और बसें चलाने के लिये दूसरे बस मालिकों को बसें चलाने के लिये परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(३) क्या मौजूदा बसें चलाने वालों के अलावा दूसरों ने इस रूट पर बसें चलाने के लिये परमिट के लिये दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या निर्णय हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि मौजूदा बसें स्टेन्डों पर खड़ी सवारियां छोड़ जाती हैं जिससे मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है, जिसकी लोगों ने शिकायतें भी काफी कीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) सुजानगढ़ से कुचामन वाया लाडनूं डीडवाना मार्ग पर जो बसें चलती हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सब बसों का मालिक एक ही नहीं है। कुल ६ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की गाड़ियां चलती हैं। इस मार्ग पर ७ रिटर्न ट्रिप्स सर्विस प्रतिदिन चलती हैं। बसों में भीड़ होने के बारे में परिवाद प्राप्त नहीं हुये हैं। प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(२) इस मार्ग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा २१ वाहनों का स्कोप हाल ही में (२३-१-६९) को निर्धारित किया है। पूर्व में ६ रिटर्न ट्रिप्स थे अब ७ कर दी हैं। इस प्रकार प्राधिकरण ने परमिट की संख्या नहीं बढ़ाई परन्तु एक ट्रिप बढ़ा दी है।

(३) दिनांक २३-१-६९ को जब क्षेत्रीय-परिवहन प्राधिकरण ने स्कोप को पुनः निर्धारित किया तो परमिटों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं समझा। अतः नया परमिट किसी को नहीं दिया गया।

(४) इस बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, मनोहरथाना से औषधियों की चोरी

१७. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मनोहरथाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के स्टॉक से कुछ औषधियां एक वर्ष के भीतर-भीतर गायब हो गई थीं या चोरी हो गई थीं ? यदि हां, तो वह कितने मूल्य की औषधियां थीं ?

(२) क्या विभाग द्वारा इसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है एवं उसमें किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां। वह औषधियां मूल्य ४८५ रु० ०५ पै० की थी।

(२) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री देवीलाल कम्पाउन्डर को दोषी ठहराया गया। दोषी व्यक्ति से रकम वसूल करली गई है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, मनोहरथाना की गाड़ी

१८. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मनोहरथाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को क्या कोई गाड़ी यूनीसेफ की ओर से एलॉट की गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या उक्त गाड़ी मनोहरथाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर पहुँच चुकी है ? यदि नहीं, तो उक्त गाड़ी इस समय कहां है ?

(३) उक्त गाड़ी को कब तक सेन्टर पर पहुँचाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ट्रेकोमा योजना समाप्त किये जाने पर गाड़ी नं० आर० एम० एल० १२७४ दिनांक १८-६-६८ को अलॉट की गई।

(चिकित्सा मंत्री)

(२) जी नहीं। वर्तमान काल में यह गाड़ी अकाल राहत कार्य हेतु बीकानेर में है। फिलहाल चालू हालत में नहीं है।

(३) गाड़ी चालू हालत में होने पर शीघ्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना में भिजवाये जाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

जसवन्त सराय, जोधपुर के मैनेजर की नियुक्ति

१९. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि देवस्थान, राजस्थान ने श्री रमेशकांत पुत्र श्री भंवरलाल श्रीमाली को मैनेजर, जसवन्त सराय, जोधपुर के पद पर स्थानान्तर का आदेश देकर नियुक्त किया? यदि हां, तो स्थानान्तर से पूर्व के स्थान व पद का अन्तिम वेतन भुगतान पत्र (लास्ट पे सर्टीफिकेट) की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर स्थगित किया गया)

लाडनूं अस्पताल के डॉक्टर के विरुद्ध शिकायतें

२०. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डॉक्टर डी. वी. व्यास जब लाडनूं अस्पताल में थे तब एक युवती की हत्या के मामले की इत्तला पुलिस को नहीं देकर उक्त मामले को दबाया जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी और सरकार ने राज्य के चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी से जांच करवाई थी? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस जांच को कब किया गया और अब तक इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है?

(३) अब इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त डाक्टर ने सरकार से लम्बी छुट्टी लेकर सुजानगढ़ में अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस शुरू की? यदि हां, तो कब से और किस रूप में?

उत्तर

(१) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जांच दिनांक २५-११-६७ को की गई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक १३-३-६८ को राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने डॉक्टर को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी पत्रांक एफ. १(५१)चि० स्वा./६८ दिनांक १९-७-६८ द्वारा दे दी थी। डाक्टर व्यास ने २३-५-६९ को अपना राज्य सेवा से त्यागपत्र भी प्रस्तुत किया जो कि राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. १(५१) चि० स्वा०/६८-२ दिनांक १४-१०-१९६९ द्वारा स्वीकृत कर दिया है और उसी दिन उपरोक्त कार्यवाही की सूचना श्री हरजीराम बुरडक को भी दे दी गयी थी।

(चिकित्सा मंत्री)

(३) इसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उक्त डॉक्टर अब राज्य सेवा में नहीं है।

(४) जी हां, जांच परिणाम से पाया गया कि डॉक्टर व्यास सुजानगढ़ में प्राइवेट प्रेक्टिस करते थे जो नियम विरुद्ध नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

लाडनूं अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की डॉक्टर द्वारा पिटाई

२१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सुजानगढ़, जिला चूरू के अस्पताल के डॉक्टर वी. वी. व्यास ने लाडनूं अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री पीथाराम को सुजानगढ़ ले जाकर कमरे में बन्द करके उसके साथ मारपीट की और यह शिकायत तत्काल विभागीय उच्च अधिकारियों को की गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(२) उक्त घटना की जांच किस अधिकारी ने कब की और जांच से क्या मामला सामने आया? यदि डॉक्टर की ज्यादती साबित हुई तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां, इस सम्बन्ध में शिकायत दिनांक ४-१२-६७ से प्राप्त हुई थी। शिकायत पत्र की प्रतिलिपि जिला चि० एवं स्वा० अधिकारी, नागौर को आवश्यक जांच करने हेतु १६-१-६८ को भेज दी गयी थी।

(२) उक्त घटना की जांच जि. चि. एवं स्वा. अधिकारी नागौर ने दिनांक १०-१-६८ को अपने स्तर पर (स्वयं को प्राप्त शिकायत पर) पहले ही करली थी, परन्तु जांच पूर्ण नहीं होने से उन्हें पुनः जांच करने के लिये लिखा जो कि उन्होंने दि. ११-४-६८ को की। जांच प्रतिवेदन से यह तथ्य सामने आया कि डॉ० व्यास ने श्री पीथा राम को नहीं पीटा, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सबूत नहीं है। डॉ० व्यास का त्यागपत्र राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. १ (५१) चि. स्वा./६८-२; दिनांक १४-१०-६६ द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

विद्यालय निरीक्षक अलवर द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण

२२. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विद्यालय निरीक्षक, अलवर ने ६७-६८ तथा ६८-६९ में कितने ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते हुए २ वर्ष से कम समय हुआ? क्या इन स्थानान्तरों की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करली गई थी? स्थानान्तरित कर्मचारियों के नाम, स्थानान्तर करने के कारण एवं इन कर्मचारियों को दिया गया यात्रा भत्ता आदि के विवरण को प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ऐसे स्थानान्तर आदेश कितने हैं—(१) जिनका पालन नहीं हुआ, (२) जिनको निरस्त कर दिया गया, (३) जिनका संशोधन कर दिया गया? स्थानान्तर आदेशों के पालन न होने, निरस्त होने और संशोधन होने के कारण बताये जायं।

Page No 34

(श्री गंगासहाय)

(३) क्या यह सही है कि श्री मामचन्द सोनी एस. टी. सी. फेल प्रत्याशी की नियुक्ति मेरिट लिस्ट में ट्रेण्ड मानकर की गई थी? इस गलत नियुक्ति के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(४) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, अलवर द्वारा अनेक नियुक्तियां तथा रिक्त पदों पर स्थानान्तर राज्य सरकार के नियुक्तियों के रोक के आदेशों के बावजूद बिना नियोजन कार्यालय के परिचय-पत्र के की गई हैं?

(५) क्या यह सही है कि प्रताप हाई-स्कूल के स्टाफ द्वारा, फर्जी मेडिकल बिल्स प्राप्त करने की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई और उस पर शिक्षा विभाग तथा भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा कोई जांच की गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

(६) क्या इन मेडिकल क्लेम्स पर डॉक्टर के सही हस्ताक्षर हैं? क्या दुकानों की रसीदात सही दुकानों की हैं? क्या इनका सेल्स टैक्स राज्य सरकार को जमा हो गया है?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है। विद्यालय निरीक्षक सक्षम था।

(२) सकारण सूची संलग्न है:—

(१) कोई नहीं,

(२) ६ आदेश निरस्त किये,

(३) १४ संशोधित किये।

(३) यह सही है। यह गलती सहवन (ओवरसाइट) से हुई इसके लिये कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इस सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों को भविष्य में और भी सतर्क रहने के लिये चेतावनी देदी गई है।

(४) जी नहीं।

(५) ऐसी शिकायत सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई। केवल उप-अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, भरतपुर को दी गई। समस्त पत्रादि उप-अधीक्षक, भ्रारक्षी भ्रष्टाचार निरोधक, भरतपुर के पास हैं।

(६) विभाग में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जो भी ऐसी शिकायत सम्बन्धी पत्रादि होंगे वे भ्रष्टाचार निरोधक, भरतपुर के पास होंगे।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकलेरा हाई स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच

२३. श्री बिट्ठलप्रसाद (अकलेरा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकलेरा हाई स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक को पीरबक्ष की स्कूल में साम्प्रदायिकता एवं गुण्डागर्दी फैलाने के बाबत क्या कोई विभागीय जांच करवाई गई है?

(२) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट किन तथ्यों को प्रकाश में लाती है?

Page No 35

(श्री विट्ठलप्रसाद)

(३) उक्त अध्यापक के विरुद्ध क्या विभाग कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करना उचित समझता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जांच रिपोर्ट से निम्न तथ्य प्रकाश में आते हैं:—

१. सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना अध्यापक को शाला से मुक्त करना।

२. शाला के वातावरण को बिगाड़ना एवं हड़ताल कराना।

३. अध्यापकों को ट्यूशन पर कोई रोकथाम नहीं करना।

४. साम्प्रदायिक भावना फैलाना।

५. उच्च अधिकारी के प्रति असम्मान-जनक व्यवहार करना।

(३) प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम जालिया की प्राथमिक शाला में कमरों का निर्माण

२४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत, सूपा के ग्राम जालिया में प्राथमिक शाला के कमरों का निर्माण-कार्य कब से ठप्प है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कमरों के निर्माण में जन सहयोग भी दिया गया था ? अगर हां तो कितना ?

(३) क्या यह सही है कि कमरों की छत न होने की वजह से बच्चों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है ?

(४) क्या सरकार उक्त कमरों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ?

(५) यदि हां, तो कमरे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

उत्तर

(१) सन् ६२-६३ से।

(२) पंचायत समिति, मसूदा की शिक्षा स्थाई समिति ने प्रथम किश्त के ५००) रु० व दूसरी किश्त के ४००) रु० शाला निर्माण हेतु अनुदान के रूप में दिये।

(३) जी हां।

(४) यह कार्य जनता के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा निवृत्त शिक्षा प्रसार अधिकारी के पी. एफ. का भुगतान

२५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर सेवा से कब निवृत्त हुए और सेवा निवृत्ति के समय उनके पी. एफ. के कितने रुपये सरकार में जमा थे ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) उक्त अधिकारी की सेवा निवृत्ति के बाद पी. एफ. के कितने-कितने रुपये कब तक भुगतान किए गए ?

(३) क्या अभी भी उक्त अधिकारी को पी. एफ. के रुपये सरकार से लेने हैं ? यदि हां, तो कितने और कब तक भुगतान किया जायेगा ?

(४) क्या उक्त अधिकारी ने सरकार को उक्त पी. एफ. की रकम के भुगतान के लिए कोई निवेदन-पत्र या, नोटिस दिया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(५) इतने लम्बे समय तक पी. एफ. का भुगतान नहीं होने का क्या कारण है ?

(६) इस संबंध में कोई नियम बने हुए हों तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) श्री मुन्शीसिंह अरोड़ा, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं दि. २-४-६२ से सेवा निवृत्त हुए। सेवा निवृत्ति के समय उनके पी. एफ. के ३,१४४.५६ रुपये सरकार में जमा थे ।

(२) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर पत्र संख्या पी. एफ./ शिक्षा/ १२२५, दि० २७-७-६३ के अन्तर्गत ३,१४४.५६ रुपयों की ऑथोरिटी लेटर प्राप्त हुआ था जिस पर पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा बतलाई गई १६३४.४२ रुपयों की धनराशि की वसूली का समायोजन कर बकाया धनराशि का श्री अरोड़ा को भुगतान कर दिया ।

(३) पी. एफ. का हिसाब महालेखाकार द्वारा रखा जाता है ।

(४) जी हां । विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है ।

(५) पी. एफ. का भुगतान हो चुका है ।

(६) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से १-४-५४ को जी. पी. एफ. नियम बने हुए हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

संस्कृत अध्यापक की नियुक्ति

२६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जौहरी मल्टी परपज हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं को सरकार ने अपने अधिकार में लिया था ? यदि हां, तो उक्त स्कूल के कौनसे अध्यापक सरकार ने अपनी सेवा में किस-किस ग्रेड में कब से लिए तथा उनको पहले कौनसा ग्रेड दिया जाता था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह भी सत्य है कि पं० हनुमानदत्त शास्त्री को उक्त स्कूल में संस्कृत अध्यापक सैकेन्ड ग्रेड पर नियुक्त किया हुआ था ? यदि हां, तो कब से तथा किस योग्यता के आधार पर ? उनके शास्त्री परीक्षा पास करने के सर्टिफिकेट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) पं० हनुमानदत्त शास्त्री को किस सर्टिफिकेट के आधार पर सरकार ने अपनी सेवा में लिया है तथा इनकी नियुक्ति कौनसे स्कूल में की है ?

Page No 37

(श्री हरजीराम बुरड़क) :

(४) उपरोक्त स्कूलों में नियुक्ति के पूर्व में उपरोक्त व्यक्ति किस स्कूल में किस ग्रेड में अध्यापक थे ?

उत्तर

(१) जी हां। सूची संलग्न है।

(२) जी हां। दिनांक १६-७-६२ से शास्त्री प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

(३) शास्त्री की योग्यता के आधार पर दिनांक १-७-६६ से राज्य सेवा में लिया है, वर्तमान में यह जौहरी मल्टी परपज स्कूल में ही कार्य कर रहे हैं।

(४) अधिग्रहण पूर्व में पे ब० उ० मा० शाला (सहायता प्राप्त) लाडनूं में वेतन श्रृंखला ११५–३५० में कार्य कर रहे थे।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

ग्राम पंचायत रामपुरा के निवासियों को चीनी

२७. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़- सु.): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ ढहर-का-बास को करीब ८ माह से चीनी क्यों नहीं मिली ?

(२) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. फतेहपुर ने तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को उपरोक्त पंचायत के निवासियों को चीनी न देने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सीकर ने आदेश दिनांक ११-८-१६६८ के द्वारा श्री बोदूराम पुत्र श्री गंगाराम को, उपरोक्त पंचायत को चीनी वितरण करने हेतु डीलर नियुक्त किया था ?

(४) क्या यह सही है कि श्री बोदूराम ने चीनी का डीलर बनने के लिये कभी प्रार्थना ही नहीं की व किसी फर्जी आदमी ने ही श्री बोदूराम को चीनी का डीलर नियुक्त कर दिया ?

(५) क्या यह सही है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा श्री बोदूराम के नाम एक नोटिस दिनांक २१-६-६८ को जमानत की रकम व हिसाब पेश करने हेतु दिया तो यह सारा भेद खुला ?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त फर्जी कार्यवाही की जांच करवाने सम्बन्धी ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ ढहर-का-बास व ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., देवरा की ओर से आई और इसकी जांच जिलाधीश द्वारा तुरन्त ही किसी अधिकारी को भेजकर करवाई ? जांच पूर्ण होकर दिनांक ६-१०-६८ को पेश होने पर कौन-कौन दोषी पाये गये ?

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिये संबन्धित अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है ?

(८) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, देवरा को चीनी का परमिट माह फरवरी व मार्च, १६६८ को दो परमिट मिले थे ? यदि हां, तो इसकी चीनी अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

Page No 38

(श्री नथमल बोहरा)

(९) क्या यह सही है कि यह दोनों परमिट लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री बालचन्द जिला रसद अधिकारी व तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पास कई बार गये तो चीनी नहीं दी क्योंकि हमारे पास एस. डी. ओ., फतेहपुर का आदेश है कि आपकी समिति को चीनी नहीं दी जायगी ?

(१०) क्या यह सही है कि उक्त समिति के नाम के चार परमिटों की चीनी भी फर्जी श्री बोदूराम को देदी ? यदि हां, तो क्यों ?

(११) क्या यह सही है कि फर्जी बोदूराम के नाम से दिनांक ४-९-६८ को १०९२ किलो व दिनांक १८-९-१९६८ को ७२८ किलो, दिनांक २३-९-१९६८ को ६०६ किलो कुल २,४२६ किलो २५ बोरी चीनी एक ही माह में देना उच्च अधिकारियों की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट करता है ?

(१२) क्या यह सही है कि उपरोक्त काण्ड की जांच करने हेतु सम्बन्धित सहकारी समिति द्वारा मन्त्री महोदय व फूड कमिश्नर व आई. जी. पी. एण्टी-करप्शन, सी. आई. डी. विभाग को भी शिकायत पेश हुई है ? अगर हां, तो जांच करने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) सहकारी समिति, देवरा के विरुद्ध शिकायत होने से उक्त समिति जिसके माध्यम से उक्त ग्राम पंचायत को चीनी दी जाती थी को चीनी का कोटा नहीं दिया गया, उसकी जांच चल रही थी कि दीवाली आदि त्योहार आने के कारण जनता को चीनी की मांग पर उक्त समिति के स्थान पर श्री बोदूराम नामक व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया था, परन्तु उसने चीनी उठाकर वितरण नहीं की जिसका मामला पुलिस में दायर हो चुका है। अतः ८ माह से उक्त पंचायत को चीनी का वितरण नहीं हो सका।

(२) नहीं।

(३) हां।

(४) हां, यह सही है, श्री बोदूराम ने चीनी का डीलर बनने के लिये प्रार्थना नहीं की, जैसा उसने व्यक्त किया है, उसके आधार पर जिस व्यक्ति को चीनी दी गई थी वह श्री बोदूराम के स्थान पर फर्जी मालूम हुआ, श्री बोदूराम को जिलाधीश द्वारा चीनी का डीलर नियुक्त फर्जी स्थिति में नहीं किया गया था।

(५) हां।

(६) हां, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक २९-१०-६८ को उक्त मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, दोनों व्यक्तियों के नाम का पता पुलिस की जांच के पश्चात् मालूम होगा।

(७) इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

(८) हां। उक्त समिति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उक्त परमिटों की चीनी उक्त समिति को नहीं दी गई।

(९) नहीं।

(१०) हां, उस समय तक श्री बोदूराम के फर्जी होने का जिला रसद कार्यालय को ज्ञान नहीं था।

Page No 39

(खाद्य मंत्री)

(११) यह सही है कि श्री मोदूराम को २४२६ किलो (२५ बोरी) चीनी दी गई, परन्तु यह चीनी एक माह की नहीं थी, तथा माह मई से सितम्बर, ६८ तक की थी। पूर्व के महीनों को मयाद जनहित में बढ़ाई गई थी, ताकि जनता को रुकी हुई चीनी का वितरण हो सके, अतः अधिकारियों की ईमानदारी पर सन्देह का प्रश्न ही नहीं उठता।

(१२) यह सही है, चूंकि उक्त शिकायत की जांच पहले ही प्रवर्तन अधिकारी द्वारा करवाली गई थी, और यह मामला दिनांक २६-१०-६६ को पुलिस के सुपुर्द किया गया था। अब यह अनुसन्धान हेतु सी० आई० डी०, जयपुर को दिया गया है। इस सम्बन्ध में अन्तिम जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भीलवाड़ा एवं टोंक जिलों में अकाल राहत कार्यों के लिये धनराशि

२८. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा एवं टोंक जिलों में अकाल सहायता के लिये वर्ष १९६८-६९ एवं ६९-७० में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी-कितनी राशि किन-किन कामों में खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या उक्त राशि में से डाक बंगला व पक्की सड़कें एवं नदियों में रपटें (एनीकट) बनाई गई हैं ? अगर हां तो कितनी-कितनी धनराशि कहां-कहां ? सूची सदन में रखें।

(३) क्या उक्त जिलों को उनकी अकाल से प्रभावित जनसंख्या के अनुपात से अधिक राशि दी गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) पक्की सड़कों एवं नदियों में रपटें बनाई गई हैं, और उस पर जितनी-जितनी धनराशि व्यय हुई है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। डाक बंगला, किसी जिले में अकाल सहायता मद से नहीं बनाया गया।

(३) प्रत्येक जिले में स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रावधान किया गया है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

पंचायत समिति, लाडनूं के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

२६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लाडनूं के मौजूदा प्रधान के खिलाफ राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट की धारा ४० के तहत कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से और उसमें क्या-क्या आरोप लगाये हैं तथा कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि शिकायतकर्ता ने इस कार्यवाही के दौरान उक्त प्रधान को प्रधान पद से निलम्बित करने की भी मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(३) यह जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी और अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

उत्तर

(१) जी हां दिनांक १८-८-६८ से श्री मनसुखलाल भंवर निवासी लाडनूं ने दिनांक १८-८-६८ को आवेदन किया था कि प्रधान पंचायत समिति, लाडनूं ने उनके द्वारा प्रस्तुत अपील नम्बर १४-१५-१६ व १७ वर्ष ६७ में नियमों के विरुद्ध निर्णय दिए हैं यह मामला जिलाधीश, नागौर के पास आरम्भिक जांच में विचाराधीन है।

(२) जी हां, जिलाधीश, नागौर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व इस बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

(३) उक्त अपीलों की रिवीजन जिलाधीश, नागौर के न्यायालयों में विचाराधीन है। उक्त न्यायालय से रिवीजन का निर्णय हो जाने के बाद हीं विभागीय जांच पूरी हो सकेगी और इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा कि प्रधान इस मामले में कितना दोषी है। अतः समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों द्वारा यात्रायें

१०. श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(१) क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा जारी की है कि विकास अधिकारी या अन्य प्रसार अधिकारी सरकारी कार्य से पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर विभागीय अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना यात्रा न करे ?

(२) यदि हां, तो क्या ऐसी बिना स्वीकृति की गई यात्राएं दण्डनीय हैं ?

(३) क्या पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी तथा प्रसार अधिकारियों ने ऐसी यात्राएं बिना आज्ञा सम्पन्न की है ?

(४) यदि हां, तो किन-किन तारीखों में और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) ऐसे आदेश हैं कि जिले के बाहर राजस्थान में यात्रा के लिए जिलाधीश की अनुमति प्राप्त की जावे। किन्तु जयपुर यात्रा के लिए पंचायत एवं विकास विभाग को या सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार राजस्थान से बाहर की यात्रा के लिये जिलाधीश की सिफारिश पर पंचायत एवं विकास विभाग की अनुमति आवश्यक है। जयपुर जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों व प्रसार अधिकारियों को जयपुर यात्रा के लिये इस विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं किन्तु की गई यात्राओं का प्रमाणीकरण उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा कराना आवश्यक है।

(२) आवश्यक होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(३) जी हां।

(४) जिन तारीखों में यात्राएं की गईं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उनके सम्बन्ध में जिलाधीश के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

पंचायत समिति के प्रस्तावों की क्रियान्विति

३१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अप्रेल, १९६८ से फरवरी, १९६९ तक के पारित स्थायी समितियों व पंचायत समिति के किस-किस प्रस्ताव को पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी ने क्रियान्वित नहीं किया है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निमित्त कोई स्थगन आदेश दिए हैं ?

(३) यदि नहीं, तो विकास अधिकारी ने क्रियान्वित क्यों नहीं किया ?

(४) क्या सरकार विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१.

जिला प्रशासनिक स्थाई समिति		समाज सेवा		शिक्षा एवं समाज शिक्षा		उत्पादन स्थायी समिति	
बैठक का दिनांक	प्रस्ताव संख्या जो क्रियान्वित नहीं हुए	बैठक का दिनांक	प्रस्ताव संख्या जो क्रियान्वित नहीं हुए	बैठक का दिनांक	प्रस्ताव संख्या जो क्रियान्वित नहीं हुए	बैठक का दिनांक	प्रस्ताव संख्या जो क्रियान्वित नहीं हुए
१७-५-६८	२३	२२-८-६८	३, ४, ७, ८, ९ (राशि के अभाव में)	२३-८-६८	३	३०-७-६८	४
७-७-६८	१७	—		२५-११-६८	खेल-कूद प्रतियोगिता सम्बन्धी	७-९-६८	५
२७-८-६८	२२	—	—	—	--	१८-१०-६८	११-१२ (ख)
७-१०-६८	११, १७	—	—	—	—	२१-११-६८	२, ३, ५
						५-१२-६८	२, ३

(२) जी नहीं।

(३) दिनांक २२-८-६८ को पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति प्रधान ने रोक दी थी। अब उपरोक्त सब ही प्रस्तावों की क्रियान्विति जारी है।

(४) उप-जिला विकास अधिकारी को जांच के लिये लिखा गया है।

कृषि उत्पादन स्थायी समिति की बैठक

३२. श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि यदि, किसी कृषि उत्पादन स्थायी समिति में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य न हो तो उत्पादन वृद्धि के विचार-विमर्श हेतु उसे इस स्थायी समिति में बुलाया जाना चाहिए ?

(२) यदि हां, तो क्या पंचायत समिति, सिकराय में इस प्रक्रिया का पालन हुआ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि जिस स्थायी समिति में प्रधान सदस्य न हो उसकी कार्यवाही तुरन्त प्रधान को भेजी जाकर उसके पालन हेतु निर्देश प्राप्त किए जाने चाहिए ?

(४) क्या पंचायत समिति, सिकराय में मई, १६६८ के पश्चात् इस प्रक्रिया का पालन किया गया है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कार्य संचालन) नियम, १६६५ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति, शाहपुरा द्वारा सामान की खरीद

३३. श्री देवीदत्त गाड़िया: (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति को निजी आय वृद्धि हेतु खेती करने के लिये काश्त की भूमि मिली है ?

यदि हां, तो किस स्थान की किस-किस खसरा नम्बर की कुल कितनी भूमि किस वर्ष किस अधिकारी या भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटित की गई ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा खेती करने के लिये उक्त भूमि पर खर्चा किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को किस-किस मद में कितना-कितना रुपया किस प्रस्ताव के द्वारा खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने खेती के लिये कृषि संबंधित मशीन व औजार आदि खरीद किए थे ? यदि हां, तो किस-किस फर्म से कितने व कितने रुपयों की लागत से क्या-क्या सामान खरीद किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या उपरोक्त खरीद के संबंध में टेन्डर्स आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस फर्म के टेन्डर प्राप्त हुए ?

उत्तर

(१) जी हां। खखड बांध, उम्मेदसागर व माहुर सागर के पेटे की कुल २००० एकड़

(पंचायत मंत्री)
भूमि देने की वर्ष १६६७ में राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम पंचायत बिचून द्वारा नोटिस

३४. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत बिचून, पंचायत समिति, दूदू में पंचायत ने शिवलाल पुत्र कानाराम जाट, निवासी ढानी जेवलदा (मोला की ढानी) के विरुद्ध कोई मुकदमा बिना इजाजत मांगे मकान का दायर किया था? अगर हां, तो कौनसी तारीख को किया? क्या तामीर बन्द करने का भी नोटिस दिया? अगर हां, तो उस नोटिस का क्या फैसला हुआ?

(२) पंचायत ने जो नोटिस तामीर बन्द करने का दिया वह किस खसरा नं० की आबादी भूमि में तामीर बन्द करने का दिया?

(३) क्या यह सही है कि श्री शिवलाल ने एक पुख्ता भवन अपने पर्चे की जमीन खसरा नं. में व आधा हिस्सा तामीर का गै. मु. पहाड़ खसरा नं. में तामीर किया है उसी भवन का पंचायत ने नोटिस दिया है?

(४) क्या सरपंच ने श्री शिवलाल के विरुद्ध खसरा नम्बरान में बनाये गये भवन को तोड़ने का नोटिस भी दिया है? और अगर तामीर बनाने से बन्द नहीं कर, बनाई हुई को नही तोड़े जब तक ५) रुपया प्रति दिन के हिसाब से पैनेल्टी ली जावे? अगर यह निर्णय किसी पंचायत एक्ट की धारा के विरुद्ध है तो इस सरपंच के विरुद्ध क्या सरकार धारा १७ (४) पर अन्य कानूनी कार्यवाही कर सकेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां। मुकदमा दिनांक १८-४-६५ को दायर हुआ नोटिस भी काम तामीर बन्द करने का दिया। पालना नहीं करने से मकान तुड़ाने, १५) रु० जुर्माना व ५) रु० प्रतिदिन पैनेल्टी वसूल करने का निर्णय पंचायत ने दिया।

(२) खसरा नम्बर ६६३ चरागाह पंचायत में काम तामीर बन्द करने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया था।

(३) जी नहीं। मकान चरागाह पंचायत व गैर मुमकिन पहाड़ की जमीन में बनाया गया। उसके बारे में नोटिस दिया गया।

(४) पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया था। तामीर ३ दिन में बन्द न करने तथा बनाए गए भवन को नहीं तोड़ने की हालत में यह आदेश दिया कि जब तक इसकी तामील नहीं हो उस समय तक ५) रु० प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया। इस मामले में जिलाधीश, जयपुर के न्यायालय में निगरानी निर्णयाधीन है। अतः निर्णय नहीं होने तक और कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

Page No 44

किशनगढ़ बास में प्रधान द्वारा भूमि पर कब्जा

३५. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के किशनगढ़-बास, अलवर में आगमन के उपलक्ष में एवं सार्वजनिक सभा में भाषण करने हेतु एक स्टेज का निर्माण हुआ था ?

(२) उक्त स्टेज बनाने हेतु राज्य की ओर से कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(३) क्या वह स्टेज मास्टर प्लान सार्वजनिक स्थान पर बनाई गई थी या किसी व्यक्ति विशेष की भूमि पर ? यदि हां, तो किसको भूमि पर ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त स्टेज जो पक्की बनी, वह सार्वजनिक निर्माण, विभाग को सौंप दी और एक बिस्वा जमीन का लगान माफ कर दिया था ?

(५) क्या यह सही है कि उस स्टेज वाली भूमि को वहां के वर्तमान प्रधान एवं उसके किसी कुटुम्बी ने खरीद लिया ? यदि हां, तो कितने रुपये में ? क्या उसकी रजिस्ट्री हो गई है या नहीं ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त प्रधान ने प्रस्ताव पास कराकर उक्त स्टेज को तुड़वाने की कार्यवाही की और तत्कालीन विकास अधिकारी को इसकी कार्यवाही के लिये नियुक्त किया ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(७) क्या यह सत्य है कि उक्त प्रधान ने उक्त स्टेज का कुछ भाग तुड़वाया तथा पास की सार्वजनिक सड़क पर अनधिकार कब्जा किया ?

(८) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत वहां के इंचार्ज अस्पताल द्वारा उप-जिलाधीश किशनगढ़ को लिखित में की गई जिस पर उप-जिलाधीश ने घटना-स्थल पर अपने पटवारी, गिरदावर सहित पहुंचकर नक्शा तैयार करवाया ?

(९) क्या उक्त स्टेज के तुड़वाने संबंधी पंचायत समिति के निर्णय की कार्यवाही अवैध मानी है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान व विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राज्य सरकार की ओर से कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(३) यह स्टेज श्री वासूमल पुत्र दयालमल सिन्धी (अलॉटी) की जमीन पर बनाया गया था।

(४) सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने की कोई सूचना राजस्व रिकार्ड में नहीं है। तहसीलदार के आदेशानुसार दो बिस्वा भूमि का राजस्व लगान ४६ पैसे की दर से संवत् २०२२ से माफ किया गया है।

(५) राजस्व रिकार्ड में भूमि के बेचने अथवा रजिस्ट्री कराने का कोई इन्द्राज नहीं है।

(पंचायत मंत्री)

(६) स्थायी समिति द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया था उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) जी नहीं।

(८) रिकार्ड के अनुसार ऐसी कोई शिकायत किया जाना नहीं पाया जाता। मौके पर स्टेज यथावत् बना हुवा है।

(९) ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिए)

पंचायत समिति पिड़ावा के क्लर्क के विरुद्ध शिकायतें

३६. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ के क्लर्क श्री घासीलाल व्यास, एल. डी. सी. का तबादला बारां, जुलाई, ६८ में हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्लर्क अभी तक यहीं कार्य कर रहे हैं ? क्या इनका तबादला कैन्सिल कर दिया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों ?

(३) क्या श्री घासीलाल व्यास के खिलाफ कोई शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये।

(३) राज्य सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पंचायत समिति, तिजारा द्वारा भवन निर्माण हेतु ऋण

३७. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री प्यारेलाल, प्रधान पंचायत समिति, तिजारा के सुपुत्र तिजारा पंचायत समिति में अध्यापक हैं ? यदि हां, तो इनकी इस पद पर नियुक्ति की तिथि क्या है ?

(२) पंचायत समिति के कर्मचारियों को भवन निर्माण (हाउस बिल्डिंग लोन) हेतु ऋण देने के क्या नियम हैं ?

(३) क्या प्रधान के लड़के को पंचायत समिति, तिजारा से कोई भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो कब व कितना ?

उत्तर

(१) जी हां। नियुक्ति दिनांक १-७-६७ की है।

(२) भवन हेतु कर्मचारियों को ऋण देने के नियम नहीं बने हैं किन्तु पंचायत समितियों को अपनी आय से ऋण देने की स्वीकृतियां पूर्व में दी गई थीं। दि० १७-१०-६८ से इस प्रकार का ऋण नहीं देने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(पंचायत मंत्री)

(३) जी हां। दिनांक २२-८-६७ को ४८००) रु० का ऋण निजी आय से स्वीकृत किया गया।

प्राथमिकशाला, तिजारा का भवन

३८. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, तिजारा (अलवर) की प्राथमिक शाला नं. १ का भवन खाली कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि यह भवन (स्कूल भवन) कस्टोडियन विभाग का था ?

(३) इस भवन का मासिक किराया कितना तय हुआ था और भुगतान कितना रुपया किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। बाद में कस्टोडियन ने इसे बेच दिया।

(३) विकेन्द्रीकरण के पूर्व से शिक्षा विभाग व कस्टोडियन विभाग द्वारा २) रु० प्रति माह से किराया तय था तथा दिनांक २-१०-५९ से दिनांक २०-१-६८ तक २) रु० प्रति माह से भुगतान किया गया था। बाद में मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाया जाने के आवेदन पर दिनांक २१-१-६८ से ८९) रु० प्रति माह से दिया गया है।

मुग्राना पंचायत समिति में गबन व घोटाले

३९. श्री देवीदत्त गाड़िया (दारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की मुग्राना पंचायत समिति में हुए लाखों रुपयों के गबन व घोटाले की जांच करवाई गई थी ?

यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा करवाई गई और सरकार में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

अभयदूत में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर उप-जिला विकास, अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा जांच कराई गई। समाचार तथ्यहीन पाया गया।

(११.५६ म. प.)

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री गृह मंत्री ! राजस्थान (प्रतिकूल कार्यों का प्रतिषेश) अध्यादेश !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (प्रतिकूल कार्यों का प्रतिषेश) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश सं० १, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक !

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

मुख्य मंत्री ! राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १६७० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : } शेम! शेम!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : } शेम! शेम!

श्री दामोदरलाल व्यास : काहे का शेम, शेम ! गलत कह गये।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश को जारी करने के कारण।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों को बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १६६६ (अध्यादेश सं० ८, सन् १६६६) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६७० को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १६६६ (अध्यादेश सं० ११, सन् १६६६) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(१२ मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६७० को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समितियों के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि— श्री मथुरादास माथुर !

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि-कर (संशोधन) विधेयक, १६६८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगामी सत्र मीन्स ? एक तो मार्च का ही सेशन होगा।

श्री मथुरादास माथुर : जो भी सत्र हो जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री रामकिशोर व्यास !

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिकृति (टोनेन्सी) विधेयक, १६६६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्त्तमान सत्र की अन्तिम तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वर्त्तमान समय को वर्त्तमान सत्र की अन्तिम तिथि तक और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री बी० एन० जोशी, बालक !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बालक अनुपस्थित है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) तथा चुंगी उत्पादन विधेयक, १६६६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्त्तमान सत्र के द्वितीय सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नियत समय को वर्त्तमान सत्र के द्वितीय सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री बी० एन० जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बालक विधेयक है, कोई तो बोलो।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बालक के सम्बन्ध में क्या कहा जाय। लिस्ट में उनका नाम है और वह उपस्थित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बालक जब अल्पवयस्क हो तो क्या किया जा सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं मथुरादास माथुर ऑन बिहाफ ऑफ श्री बी० एन० जोशी प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बालक विधेयक, १६६६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को मार्च, १६७० के तृतीय सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-यह है कि समय को मार्च, ७० के तृतीय सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

स्थगन प्रस्ताव पर विचार—इस पर विचार करने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना उपयुक्त समझता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर (राष्ट्रीय अनुशासन योजना) के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर माननीय सदस्यों को मैं सूचित कर दूंगा।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है उसमें उन्होने जिला बांसवाड़ा में लगातार ५ वर्षों से अकाल पड़ने तथा इस वर्ष गिरदावरी रिपोर्ट में फर्जी पैदावार बताकर तकावी, लगान आदि की वसूली सख्ती से करने के कारण उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली बहस के दौरान इस विषय को उनके द्वारा उठाया जा सकता है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

भादरा और सांगरिया में पुलिस द्वारा गोली चलाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने से पूर्व गंगानगर जिले के उन शहीदों के प्रति....

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो व्यवस्था दी गयी और यह भी कहा गया कि गवर्नर महोदय के भाषण के समय विचार कर सकते हैं लेकिन अब वहां पर अकाल है और अकाल के समय में....

श्री अध्यक्ष : मैंने तो दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह दिया।

श्री हीराभाई : मैं जल्दी ही अर्ज कर रहा हूं। एक तरफ तो वहां पर अकाल है और उस एरिया में गवर्नमेन्ट ने अकाल डिक्लेयर कर दिया है और अकाल डिक्लेयर करने के बावजूद भी वहां पर हजारों रुपये की पेनल्टी और लगान, तकावी आदि किसानों पर लगाया है ...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री हीराभाई : वहां पर सख्ती से वसूली की जा रही है ५–५ साल की और यह सब अकाल के समय की बकाया है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं समझ गया आपकी बात को।

श्री हीराभाई : जो सख्ती की जा रही है और वसूली की जा रही है अकाल के समय की उसको रोका जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोलने से पूर्व गंगानगर जिले के उन शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होने किसानों की मांगों के समर्थन में अपना बलिदान देकर शहीदों में अपना नाम लिखाया है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के उन किसानों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करूंगा जिन्होंने इस आन्दोलन के जरिये राजस्थान सरकार के घुटने टिका दिये। यहां तक भी कहूं कि घुटने ही नहीं आज राजस्थान सरकार की हुकूमत जमीन के ऊपर हाथ के बल नहीं पड़ी बल्कि

(श्री भैरोंसिंह)

यदि असंसदीय भाषा न हो तो मैं यह भी कह सकता हूं कि आज सरकार मिट्टी चाट रही है...

श्री अध्यक्ष : मां धरती !

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब से चाट रही है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो रात दिन देखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कई बार काम रोको प्रस्ताव रखे जाते हैं। हम कई बार चेष्टा करते हैं कि विधान सभा का अन्य कार्य स्थगित होकर किसी प्रमुख समस्या पर विचार किया जाय। आज के पहले और इस स्थगन प्रस्ताव के पहले दो बार ऐसे स्थगन प्रस्ताव मन्जूर हुए हैं लेकिन विधान सभा के इतने बड़े इतिहास में इस संख्या तक स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होना यह कोई बड़ी बात नहीं है....

लेकिन आपने देखा होगा कि गंगानगर के किसानों ने अपने इस सत्याग्रह के माध्यम से सारी सरकार के कामों को ठप्प कर दिया है, आज सारी सरकार के काम रुके हुए हैं, पटवारी पटवार केन्द्रों से हट कर जिला केन्द्रों में पहुंच गये, आज वहां पुलिस का काम ठप्प है, राजस्व विभाग का काम ठप्प है, अदालतों का काम ठप्प है और पुलिस विभाग निश्चित रूप से आज सक्रिय हो कर गोलियां चला कर अपनी योग्यता का और अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देखते होंगे कि इस किसान आन्दोलन के कारण सारी स्कूलें ठप्प, सारे कॉलेजेज ठप्प और आज आप यह अनुभव करते होंगे कि इस आन्दोलन के प्रभाव से न केवल राजस्थान सरकार ही ठप्प हुई है बल्कि मन्त्रिमण्डल की बुद्धि भी ठप्प हो चुकी है और उसी आन्दोलन का प्रभाव है कि यह काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यहां इस सदन में पेश हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन क्यों चला इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा विचार करने की कोशिश करेंगे तो न इसमें छात्रों का दोष पायेंगे, न आन्दोलन चलाने वालों का दोष पायेंगे, न आन्दोलन करने वालों का दोष पायेंगे और न इस आन्दोलन में भाग लेने वालों को दोषी बनाने की आवश्यकता है। इस आन्दोलन के कारणों की सतर्कता से देखेंगे तो सरकार की अकर्मण्यता, सरकार की अयोग्यता, राजस्थान सरकार की प्रशासनिक ढिलाई ही इस आन्दोलन के लिये मूल कारण है और सीधे तौर से सरकार इसके लिये दोषी है।

अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन के माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि इस किसान आन्दोलन को लेकर किसानों ने किस प्रकार जन समर्थन प्राप्त किया है। आपने यह अनुभव किया होगा कि ३३ मांगें इस किसान आन्दोलन में किसानों ने रखी हैं मोटे रूप में राजस्थान सरकार के सामने और राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मन में इन मांगों का समर्थन नहीं करता हो। खास तौर से गंगानगर जिले से जो निर्वाचित होकर आये हैं चाहे वे राज्य मन्त्री हों, चाहे उप-मन्त्री हों इन मांगों का समर्थन करते हैं, पहले भले ही विरोध करते हों पर अब वे मानते हैं कि गंगानगर के किसानों की ये वास्तविक समस्याएं हैं, उनके ऊपर विचार

Page No 51

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिये। और अगर हम इन पर अच्छी तरह से विचार करेंगे तो इस किसान आन्दोलन के लिये हमें सारा दोष सरकार की अकर्मण्यता का ही लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन मांगों को सदन के समक्ष केटेगेरिकली रखूंगा ताकि किसी को भी यह भ्रम नहीं हो कि इन मांगों को बढ़ा-चढ़ा कर रखा गया था; या ये मांगें ऐसी थीं कि सरकार उन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती थी और किसानों ने यों ही आन्दोलन शुरू कर दिया।

पहली मांग है गंग कैनाल और भाखरा कैनाल में पानी की कमी को पूरा किया जाये।

राजस्थान कैनाल को शीघ्र पूरा किया जाय।

नहरों में टेलों तक पानी पहुँचाया जाय।

गंग कैनाल की लालगढ़ और समीजा शाखाओं को बनाया जाय।

सिरंमुख लाईन और ओट्टू कैनाल योजना को प्रारम्भ किया जाय।

अप्रेल, १९७० में पाकिस्तान से मिलने वाले पानी को लेने की योजना बनाई जाय।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान विधान सभा का कोई भी माननीय सदस्य इन मांगों के विरोध में नहीं हैं। सभी इन मांगों का समर्थन करेंगे पर विरोध नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, आपने या सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इन दिनों में गंगानगर जिले में प्रवास किया वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर अन्य जिलों के मुकाबले पर केपिटा इन्कम ज्यादा है, जहां सिचाई की सुविधा अन्य जिलों के मुकाबले में अधिक है और यह भी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जो सिंचाई योजनाएं वहां बनाई गई हैं, गंगानगर का किसान उन सिंचाई सुविधाओं के कारण पिछले वर्षों में लाभान्वित हुआ है। पर आज गंगानगर का किसान आन्दोलन करने के लिये क्यों तैयार हुआ, फिर गंगानगर का किसान गोलियां खा कर शहादत में नाम लिखवाने के लिये क्यों तैयार हुआ? इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय सदस्य और मुख्य मन्त्री भी इसे स्वीकार करेंगे कि गंगानगर जिले के क्षेत्रों और बाड़मेर जैसलमेर जिलों के क्षेत्रों में कोई फरक नहीं है। जिस तरह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जिस तरह वीरान रेगिस्तान, बीरान भूमि, रेत के टीले पड़े हुऐ हैं उसी तरह गंगानगर जिले में भी हैं और इसका कारण है सरकार की अकर्मण्यता और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार। मैं बताना चाहूंगा कि १९२७ में गंगा कैनाल का निर्माण हुआ। इस सदन के माननीय सदस्यों को खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों को जानकारी है कि उस समय ४ लाख एकड़ भूमि का कमाण्ड एरिया घोषित किया गया था। तत्कालीन सरकार ने इस बात का एग्रीमेन्ट किसानों से किया कि ६० प्रतिशत पानी तुम्हारे खेतों को देंगे। उस समय ६० प्रतिशत पानी और ४ लाख एकड़ भूमि को कमाण्ड एरिया घोषित करने की घोषणाएं की गई, उन सिंचाई सुविधाओं को देने के लिये पांच

Page No 52

(श्री भैरोंसिंह)

वचनबद्ध हैं। आज आप ६० प्रतिशत पानी नहीं दे पाते और इस कारण कि आप वहां की भूमि को पानी नहीं दे सकते इस कारण गंगानगर में रेतीला क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर की तरह वीरान क्षेत्र है और वहां मिट्टी उड़ती है। तत्कालीन सरकार ने ४ लाख एकड़ भूमि को कमाण्ड एरिया घोषित किया वहां साढ़े सात लाख एकड़ का कमाण्ड एरिया आपने घोषित किया है। अगर गंग कैनाल में कम पानी आता है, उसकी वजह से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाती तो किसानों को इसके कारण कोई असुविधा नहीं होती, पर गंग कैनाल का पानी, यह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जितना पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। कमाण्ड एरिया ज्यादा डिक्लेयर किया, जिसके कारण कई असुविधाएं पैदा होती हैं, सरकारी अधिकारियों की जेब में जिसने पैसा डाला उसने अपने खेत में पानी डाल दिया, जिसने सरकारी अधिकारियों की जेब में पैसा नहीं डाला उसके खेत को पानी नहीं मिला। बारह बन्ध में करप्शन बढ़ा। पैसे देकर एक बार पानी ले लिया तो दूसरी बार बिना पैसे पानी नहीं मिलेगा, तीसरी बार भी बिना पैसे पानी नहीं मिलेगा। पिलाई की हर बारी के समय खेत के मालिक को परेशानी उठानी पड़ती है, सरकारी अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, नहीं तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। यह गंग कैनाल की पोजिशन है।

राजस्थान सरकार कह सकती है कि गंग कैनाल में पानी कम आया, राजस्थान कैनाल में भाखरा से पूरा पानी नहीं मिला पर मैं पिछले दिनों गंगानगर जिले में गया तो मैंने देखा कि घग्घर फ्लड कन्ट्रोल कैनाल में पानी डाल रहे हैं, राजस्थान कैनाल में पानी की कमी, गंग कैनाल में पानी की कमी और घग्घर कैनाल में, घग्घर झील में पानी डाल कर पानी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर राजस्थान सरकार थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लेती तो लो लेवल में उस पानी को डाइवर्ट किया जाकर सूखे क्षेत्रों को पानी दिया जा सकता था। न गंग कैनाल में पानी, न राजस्थान कैनाल में पानी पर फ्लड कन्ट्रोल कैनाल में पानी और इस सबका नतीजा आज यह है कि गंग कैनाल के होते हुए, राजस्थान कैनाल के होते हुए गंगानगर जिला सूखा का सूखा रह गया और आज वहां यह हालत है कि सारी कपास की फसल, सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। पहले तो राजस्थान सरकार इसे स्वीकार ही नहीं करती थी, आज जाकर कहने लगी है कि वहां गन्ने की खेती, कपास की खेती बर्बाद हो गई और इस कारण बर्बादी का कोई कीड़ा नहीं, कोई हवा नहीं, वहां तो यह सीधा सा कारण इस सारी बर्बादी का था कि जितना पानी मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। यह हालत है आज गंगकैनाल की।

राजस्थान कैनाल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि इसके सम्बन्ध में हम अलग से विचार करेंगे, उस समय सारी बातें रखी जायंगी पर राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में पौंग डेम बन रहा है, उसमें ५२ पर्सेंट राजस्थान का हिस्सा है। मैं राजस्थान कैनाल की छोटी सी हिस्ट्री बता दूं। ५७ में जो इसके लिये एस्टीमेट बना वह ६६ करोड़ का बना। ६२ में १३६ करोड़ का एस्टीमेट बना, ६६ में यह १३६ से बढ़ कर १८७ करोड़ हो गया इसमें ६६ करोड़ पौंग डेम का भी था पर जिस तरह राजस्थान कैनाल के

(श्री भैरोंसिंह)

निर्माण की गति चल रही है, राजस्थान सरकार का ६७४ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, यह निर्माण पर होता तो कोई बात नहीं पर सदन को यह जान कर दुःख होगा कि यह निर्माण पर नहीं ३५५ करोड़ रुपया तो ब्याज का खर्चा है। मैं समझता हूं राजस्थान की हुकूमत राजस्थान कैनाल के निर्माण के बारे में सीरियस होती, अगर फेज्ड प्रोग्राम के मुताबिक राजस्थान कैनाल का निर्माण होता तो यह ३५५ करोड़ ब्याज के खर्चे से राजस्थान को बचाया जा सकता था, राजस्थान सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने अपनी उचित मांग को रखती, वह उसने नहीं रखी, पंजाब गवर्नमेन्ट से अपना हिस्सा नहीं ले सकी। इसी का परिणाम है कि इसी वर्ष ७० में, मार्च महीने में पाकिस्तान से जो अपने हिस्से का पानी लेने वाले हैं, जो पाकिस्तान से ट्रीटी हुई, उसके अनुसार १२५ करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान ने अपने सारे आल्टरनेटिव सोर्सेज क्रियेट कर लिये, दुर्भाग्य है कि राजस्थान कैनाल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। राजस्थान कैनाल का जो फर्स्ट फेज का काम १९६८-६९ में पूरा होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मुझे भय है इस बात का कि अगर राजस्थान कैनाल का काम पूरा नहीं हुआ तो पानी पाकिस्तान में जायगा और नहीं जायगा तो दूसरा आल्टरनेटिव भारत सरकार के सामने, राजस्थान सरकार के सामने केवल एक होगा कि राजस्थान कैनाल से मिलने वाला पानी जो राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में नहीं जा सकता वह हरियाणा में जाय और पंजाब में जाय और आप मान कर चलें कि एक बार हरियाणा और पंजाब में चला गया, हरियाणा में हिसार में और पंजाब के दूसरे जिलों की भूमि सिंचित करने के लिये लग गया और किसानों का अधिकार कायम हो गया तो वह बाद में आन्दोलन करेंगे कि राजस्थान कैनाल का पानी राजस्थान को नहीं दिया जायगा। जमीन हरियाणा और पंजाब की भी है।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि फर्स्ट फेज की कम्प्लीशन के लिए जहां १३० करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, हमें अब तक केवल ६३ करोड़ आज तक इस कैनाल पर खर्च करना पड़ा है। जहां १३० करोड़ खर्च होना चाहिये था, हमने ६३ करोड़ खर्च किया। परिणाम यह है कि आज केवल राजस्थान फीडर पूरा कर पाये। १२२ मील पूरे कर पाये और ७० मील से लेकर ११० मील तक काम इस समय चल रहा है। मैं समझता हूं, अगले दो वर्षों में भी फर्स्ट फेज का काम पूरा नहीं किया जा सकता। सेकंड फेज को कोई गारंटी देना तो मेरे लिये असम्भव है। सरकार के स्टेटमेन्ट्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि योजना आयोग के वाइस चेयरमेन श्री गाडगिल और सिंचाई मन्त्री श्री राव दोनों इस पक्ष में नहीं हैं कि राजस्थान कैनाल के सेकेंड फेज का काम शुरू किया जाय। मैं समझता हूं, राजस्थान के लिये वह दुर्भाग्य का दिन होगा जिस समय राजस्थान कैनाल पर सेकेंड फेज का काम हमारे हाथ से निकल जाय या राजस्थान कैनाल से मिलने वाला पानी राजस्थान के किसानों को न मिल कर पाकिस्तान या पंजाब और हरियाणा का उस पर अधिकार हो जाय।

आज अगर राजस्थान कैनाल से पूरा पानी मिल गया होता, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जातीं, राजस्थान कैनाल के जरिए खेतों में

Page No 54

(श्री भैरोंसिंह)

पानी चला जाता तो किसानों के सामने पानी की उतनी समस्या नहीं रहती जो आज उनके सामने उपस्थित हो रही है, और इसी के कारण जो फर्स्ट फेज पर काम होने वाला है, सैकेंड फेज पर के कमांड में आने वाली जनता, वहां के खातेदार किसान, वहां के लैंडलेस टिनेन्ट्स चाहते हैं कि जिस जगह कैनाल पहुंच जाय उस जगह भूमि एलॉट हो जाय तो उस जमीन पर कब्जा कर बैठ जाय, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान कैनाल जो एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिनको आगे चल कर लूंगा। इस सम्बन्ध में केवल यही कह कर राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

इसी प्रकार से गंगानगर के किसानों ने मांग की कि ओट्ट कैनाल बनाई जाय। मुख्यमन्त्री स्वीकार करेंगे, इस सदन में कह चुके हैं कि नोहर और रावतसर इलाका जहां भाखरा और राजस्थान कैनाल का पानी नहीं जा सकता गंग कैनाल से पानी जाने का तो सवाल ही नहीं। आज से ६ वर्ष पहले पंजाब सरकार से एग्रीमेंट आपने किया था ओट्ट बांध का पानी निकल कर रावतसर एरिया को सिंचित करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि विधान सभा में घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? बल्कि-ओट्ट कैनाल की जगह लसाड़िया के लिए भी राजस्थान सरकार से भारत सरकार को लिखकर लसाड़िया नाले को बन्द करवाने को कहा था। नाले को चैनल के रूप में नेचुरल नहर बनाकर गंगानगर जिले के बहुत बड़े भाग को सिंचित किया जा सकता है।

लालगढ़ और समीजा ६ मासी कैनाल के बारे में किसानों को सरकार ने आश्वासन दिया है कि १२ मासी बनायेंगे और चुनाव के समय कोई न-कोई सरकार का प्रतिनिधि खड़ा होकर जनता को विश्वास देते हैं कि लालगढ़ और समीजा कैनाल को जल्दी से जल्दी सिंचित करेंगे।

इसी प्रकार से राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो लो लेविल एरिया जहां कैनाल का पानी जा सकता है, उसमें कैनाल के जरिए आप ले जायं, लेकिन इस बात की व्यवस्था करें तो कुछ एरिया जो असिंचित है जिसमें लेवलिंग के कारण पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। मैं गंगानगर गया तो फ्लड कन्ट्रोल कैनाल है, उसमें पानी भरा है। मैंने किसानों से पूछा कि इसमें से पानी लिफ्ट क्यों नहीं करते तो कहा पहले तो अनुमति दी गई। हम पम्प आउट करना चाहें तो इंजीनियर्स एक हजार रुपये एक पम्प की रिश्वत मांगते हैं। उस पर भी कोई गारंटी नहीं, एक हजार लेने के बाद भी दिया जायगा। तो दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान में पानी है, नहरें हैं, राजस्थान में एग्रीमेंट के अनुसार पानी ज्यादा चाहिये लेकिन हमारी सरकार पानी नहीं ला सकती।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल पानी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान कैनाल में जैसे मैंने कहा पानी का पूरा सतलज और व्यास का पानी का ५२ प्रतिशत हमारे शेयर से मिला, १९६६-६७ में १९५२ के स्थान पर ३५ प्रतिशत पानी मिला, १९६७-६८ में ४३ प्रतिशत, १९६८-६९ में ४९ प्रतिशत और १९६९-७० में पूरा पानी मिलेगा,

(श्री भैरोंसिंह)

उनको आज तक गारंटी नहीं। ऐसी हालत में सदन के कई माननीय सदस्यों ने आज से ४ वर्ष पहले गंग कैनाल के प्रश्न को लेकर सरकार से मांग की थी। मुझे याद है कि जून १९६७ में पंजाब के प्रतिनिधि राजस्थान के प्रतिनिधि और भारत सरकार के प्रतिनिधि, इन तीनों ने मिलकर जाइन्ट मीटिंग की और उसके अन्दर तय हुआ कि जब तक भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड नहीं बनता उस समय तक भाखरा के जनरल मेजर के हाथ में इन हैड्स का काम सुपुर्द किया जाय। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि १९६७ में जो निर्णय हुए उनको आज तक क्यों नहीं लागू कराया और उसी का परिणाम है कि फिरोजपुर, हरिपुरा का पानी पूरा नहीं मिलता और किसान तबाह होते जा रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं मुख्य मन्त्री पर कि वह पंजाब के मुकाबले में बहुत कमजोर हैं, भारत सरकार के मुकाबले में राजस्थान के मुख्य मन्त्री कमजोर हैं और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के पानी का हम उपयोग नहीं कर पाते और पानी जो हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता।

आज सांगरिया और भादरा में कई बार जब भी कुछ कहा है तो एक बात की चर्चा करते हैं कि सिधमुख कैनाल कहां गयी? सिंचाई मन्त्री और मुख्य मन्त्री स्वीकार करेंगे कि पंजाब सरकार से १९६३ में एग्रीमेंट हुआ था, भाखरा से पानी आगया या नहीं, इस झगड़े में १९६३ तक पूरा नहीं कर सके। १९६३ में पंजाब सरकार से एग्रीमेंट हुआ है और पंजाब से तय हुआ कि रूपड़ के ऊपर भाखरा का पानी पंजाब इस्तेमाल करेगा और सरहिन्द के द्वारा करनीसिंह और सादुलसिंह ब्रांच सरहिंद का पानी सरहिंद के क्षेत्र में लेंगे। इस प्रकार एक हजार क्यूसेक पानी हमने पंजाब को देना तय किया और ७०० क्यूसेक्स पानी सिधमुख कैनाल के लिए सारी व्यवस्था की थी। आज से ५ वर्ष पहले विधान सभा में गंगानगर के माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उस समय सरकार ने उत्तर दिया कि हम इसका इन्वेस्टीगेशन करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी सिधमुख कैनाल का निर्माण होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सिधमुख कैनाल के निर्माण के बारे में क्या फाइनल कदम उठाए? आप कहेंगे कि पंजाब सरकार बदल रही है। मैं मानता हूं कि पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को कमजोर देखा है और पंजाब सरकार कह रही है कि वह जो १७०० क्यूसेक्स पानी है वह हमारी सोल प्रोपर्टी है, राजस्थान का कोई उसमें हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पानी को हम नहीं देंगे। राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम अमरसिंह ब्रांच के अन्दर सिधमुख कैनाल का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक पानी ले लें लेकिन पंजाब सरकार ने इन्कार कर दिया। ऐसी हालत में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कैनाल सिस्टम को आर्गेनाइज करने के अन्दर अब तक योग्यता नहीं दिखा पाई है।

राजस्थान कैनाल का समय पर निर्माण नहीं हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं कर पाये कि गंग कैनाल को पूरा पानी मिल जाय और न भाखरा कैनाल के पानी पर जितना अधिकार है उसकी व्यवस्था कर पाई है। लसाड़िया नाले का पानी जो गंगानगर जिले को मिल सकता है, उसकी भी,

(श्री भैरोंसिंह)

इस सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। हमने वायदे बहुत ही किये हैं जनता से किन्तु इससे हमने जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार के आगे घुटने टेक दिये हैं और इसीलिये गंगानगर जिले के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा और माननीय सदस्य निश्चित रूप से इससे कन्वीन्स होंगे।

पानी कम मिलने के कारण वहां के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के किसानों की दूसरी मांग खातेदारी अधिकार देने की है। परगना टीबी, तहसील भादरा के किसानों को खातेदारी हकूक मिले। माफीदारों को खातेदारी के अधिकार बिना मुआवजा के दिये जायं। टीबी में भूतपूर्व बीकानेर रियासत के जमाने में ७ गणतंत्र थे। उनमें से ६ ने बीकानेर रियासत के आगे घुटने टेक दिये थे और उनमे से एक गणतंत्र बचा था। उसने रियासत से न मिलकर पंजाब में मिलना उचित समझा उस समय पंजाब का कानून बिस्वेदारी का वहां लागू हुआ। खातेदारों को खातेदारी के हक मिले हुए थे। सो एक में खातेदारी और बिस्वेदारी थी। सन् १९५५ में टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ। उसके अनुसार ऐसे किसानों को खातेदारी हक मिलने चाहिये थे लेकिन राजस्थान सरकार ने जब जमींदारी-बिस्वेदारी कानून पास किया, उस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था करवा ली कि इन किसानों को हक नहीं मिले। ऐसे किसानों को खातेदारी के अधिकार किसी कारण से नहीं मिल सके आपने इसकी कोई चिन्ता नहीं की।

इसी प्रकार भादरा के क्षेत्र में खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। बीकानेर रियासत में सैटलमेंट ३० साल में हुआ करता था। जिस समय हुआ, उस इन्टेरिम पीरियड के जितने भी काश्तकार थे उनको खातेदारी के अधिकार मिले थे। परन्तु राजस्थान सरकार ने उनको भी खातेदारी के अधिकार नहीं दिये। जो पहले व्यवस्था थी चौसाला की, उसके आधार पर चार साल का पट्टा दिया जाता था और उसके बाद एक साल का पट्टा दिया जाता था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने उनको आरजी काश्तकार मानकर उनको भूमि नीलाम करने की आज्ञा प्रसारित कर दी। ऐसा कौन पागल होगा जो इस आज्ञा को माने? उसको खातेदारी हक न मिले, उसको उसकी जमीन न मिले और पैसे वाले उसकी जमीन खरीद लें?

इसी प्रकार नोहर तहसील के अन्दर भूमिहीन किसानों को जिसके ऊपर वे काश्त करते आरहे हैं खातेदारी हक नहीं मिले हैं। इसके लिये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया। जो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया उसको लेकर जितने भी काश्तकार थे वे हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इसके बाद भी काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं मिले, परन्तु जो व्यक्ति हाईकोर्ट में रिट लेकर गया था उसको उसकी भूमि को खातेदारी हक जरूर मिल गये हैं और बाकी को अभी तक नहीं मिले हैं। इसी प्रकार से माफीदार किसान हैं। गंगानगर जिले में नाई, चमार और दूसरे लोग हैं उनको भी खातेदारी के अधिकार नहीं मिले हैं। आज भी पीढ़ियों से ये लोग इस जमीन पर काबिज हैं, और आज इन लोगों को आरजी काश्तकार मान लिया गया ताकि उन लोगों को अधिकार नहीं दिया जाय।

(श्री भैरोंसिंह)

आज इतना बड़ा अन्याय कोई भी काश्तकार सहन करने को तैयार नहीं है। जिस जमीन के ऊपर वे स्वयं काबिज हैं, जिसके कुटुम्ब उन्होंने स्वयं ने लिये हैं, जिसको उन्होंने डेवलप किया है, वह जमीन उनके पास न रह कर उसको नीलाम कर दिया जाय तो अगर वे इसका विरोध करते हैं तो यह वाजिब है और कोई भी सहनशील सरकार उनकी इन मांगों का विरोध नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यह अवस्था है इन लोगों की जिनको कि खातेदारी अधिकार राजस्थान की सरकार ने नहीं दिये हैं। बाकी की ८ मांगें हैं। उनमें एक है--भूमिहीनों को भूमि दी जाये, (२) भूमिहीनों की परिभाषा में परिवर्तन किया जाय और शादीशुदा बालिगों के परिवारों को स्वीकार किया जाय, (३) कम भूमि वाले किसान को कमी पूर्ति के लिये दो-दो मुरब्बा कृषि भूमि दी जाय, (४) प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दो मुरब्बा तक कृषि भूमि दी जाय, (५) सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीनों को दो मुरब्बे तक बेदखल नहीं किया जाये, (६) नीलामी बन्द की जाय, (७) सरकारी भूमि के नाजायज एलॉटमेंट रद्द किया जाय, (८) भूमिहीनों और कम भूमि वाले किसानों द्वारा खरीदी गई भूमि को वैध माना जाय।

मैं, अध्यक्ष महोदय, भूमि नीलामी का प्रश्न पहले लेता हूं। राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में भूमि की नीलामी की जा रही है। मुख्य मंत्रीजी मानते हैं कि भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी ने गलती से पौंग डेम के रिहेबिलिटेशन के लिये एक लाख एकड़ भूमि के बजाय नाथूरामजी मिर्धा ने दबाव में आकर तीन लाख एकड़ भूमि देना स्वीकार किया था। इससे ५००० आदमियों के बजाय पंजाब सरकार और भारत सरकार के दबाव के कारण राजस्थान सरकार पर १८००० परिवारों का बोझा लाद दिया गया है। यह गलती राजस्थान सरकार की है। हमारी सरकार ने प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार को लेटर भेजा है और उसमें राजस्थान सरकार का यह कहना है कि पौंग डेम के विस्थापितों के लिये हमारे पास में एक लाख एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है। इस लेटर के बाकी के कन्टेन्ट्स काफी महत्वपूर्ण हैं मैं सदन के सम्मुख इनको रखना चाहूंगा।

इसमें राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि ९ लाख एकड़ भूमि राजस्थान के अनकमाण्ड एरिया में आती है, इसके लिये इतनी भूमि के सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। खातेदारों के लिये १.३४ लाख एकड़ १९५५ के टैम्परेरी एलॉटीज और लीज होल्डर्स को २.०८ लाख एकड़ लैंडलेस शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये १.५० लाख एकड़ आपने तय किया है। और इसी प्रकार भाखरा लैंडलेस जागीरदार और पोलिटिकल सफरर्स के लिये १.०४ लाख एकड़ तय की गयी हैं। मार्केट डेवलपमेंट के लिये २०,००० एकड़, गवर्नमेंट एक्सपरिमेंट और डिमान्सट्रेशन व फार्म के लिये १० हजार एकड़, पंचायत और पंचायत समितियों के लिये १० हजार और इसी प्रकार राजस्थान कैनाल के लैंडलेस के लिये १५० हजार एकड़ और आबादी, रोड्स वगैरह के लिये १ लाख एकड़, और पौंग डेम के विस्थापित के लिये १ लाख एकड़ भूमि तय की गयी है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना

Page No 58

(श्री मोतीसिंह)

चाहता हूं कि आपके पास में जमीन कौनसी है जिसकी नीलामी आप करना चाहते हैं। आप के खुद के प्लानिंग कमीशन को कमिट्मेंट्स हैं। शिड्युल्ड कास्टस और ट्राइब्स कमीशन के सामने आपने माना है कि आप इतनी जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को वितरित करना चाहते हैं, भाखरा कैनाल के जो टैम्परेरी लीज होल्डर्स हैं उनको वितरित करना चाहते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कौनसी जमीन है जिसको आप नीलाम करना चाहते हैं, आप इस बारे मे कमीटेड हैं कि इतनी जमीन लैंडलेस हरिजनों को देंगे, इतनी सरकारी कामों के लिये रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लोग भूमि पर काबिज हैं, सरकार उस जमीन को, उनको आरजी काश्तकार घोषित कर उनकी जमीन को नीलाम करना चाहती है तो इसका विरोध करना वाजिब है। किसानों ने इसका विरोध किया और उनके विरोध के आगे सरकार ने घुटने टेके यह इस बात की सफलता का सूचक है और इसका सूचक है कि यह आन्दोलन कितना वाजिब था।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के पास लैन्डलेस टिनैट्न्स की ६० हजार एप्लीकेशन्स हैं। उनका डिस्पोजल आप नहीं करते हैं एक तरफ आप कहते हैं कि लैन्डलेस टिनेन्ट्स को जमीन देना चाहते हैं दूसरी तरफ ६० हजार एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं लैंडलेस टिनेन्ट्स की जिनका डिस्पोजल आप नहीं करते हैं, और इसीलिये किसानों की जमीन के सम्बन्ध में मांग उठी। मांग उठने के साथ-साथ जमीनों पर प्रहार पड़ा और जो किसान गंगानगर जिले में फसल पैदा करके अपना पेट भरना चाहते थे उनके सामने समस्या पैदा हो गयी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भारत सरकार को बार-बार आश्वासन देने के बावजूद जो भारत सरकार को प्रस्ताव रखा उसके विपरीत भी यह सरकार आचरण करती है तो आन्दोलन होंगे आन्दोलन में जनता आवेगी और आन्दोलन में छात्र भी कूदेंगे मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि छात्र क्यों कूद गये? छात्रों को स्कॉलरशिप मिलनी बन्द हो गयी। जिसका बाप सिंचाई करता था, उसको सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता। खेती की पैदावार नहीं होती पूरी और पैदावार गिरने से जिस छात्र को बीस रुपया स्कोलरशिप मिलती थी उसको पांच रुपया ही मिलने लग गई, उसको पन्द्रह रुपये का उत्पीड़न नहीं होगा बाप के खेत पर पैदावार नहीं होने के कारण? छात्र बाप-दादा की प्रॉपर्टी के लिये आन्दोलन करते हैं तो इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। आप चिढ़ेंगे तो यह ज्यादा चलेगा। आपने बेहूदी और ढंग से काम लिया तो जो रक्तपात करना चाहते हैं वह नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी की जो मांगे हैं कि कृषि-यंत्र, खाद, सस्ते मिलने चाहिये इसमें किसी को विरोध नहीं है। एक मांग है मंडियों का डेवलपमेन्ट। आपने जो मंडीज के डेवलपमेन्ट के लिये मास्टर प्लान बनाया वह २१३ करोड़ रुपयों का है। जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ साइमल्टेनियसली २१३ करोड़ रुपये कॉलोनाइजेशन पर खर्च

(श्री शेरसिंह)

होना चाहिये था। सदन को सुन कर दुख होगा कि २१३ करोड़ का जो मास्टर प्लान था उसमें से ५ करोड़ रुपया खर्च किया है इस पर पिछले ग्यारह वर्ष में। मंडियों का डेवलपमेन्ट नहीं होता है इकॉनोमिक डेवलपमेन्ट नहीं होगा और उनका डेवलपमेन्ट न होने से आम काश्तकार की इकोनोमी खराब होती है।

फिर है, नल कूप को बिजली देना, कारखानें स्थापित करना और गांवों और शहरों में आबादी भूमि में आवास की व्यवस्था की जाय। यह जनरल मांगें हैं। स्पेसिफिकली कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आबादी की भूमि के लिये जो समस्या है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। गंगानगर की पंचायतों को आबादी भूमि के एलॉटमेन्ट का अधिकार था। १९५९ में अधिकार वापिस ले लिये। गंगानगर की पंचायत आबादी के लिये भूमि का एलॉटमेन्ट नहीं कर सकती। किसान आबादी की भूमि के लिये तड़फ रहा है। घर बनाने के लिये उसके पास भूमि नहीं। खेती तो कहीं गयी। गांव में बसता है तो जमीन नहीं, बैल बांधता है तो जमीन नहीं, ट्रैक्टर खड़ा करे तो जमीन नहीं। सरकार से पूछे तो कहती है कि यह विचाराधीन है। कई वर्षों से विचाराधीन है। सरकार कहती है कि पंचायत की मांग आती है तो एलाउ करते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितनी मांगें आयीं और कितनी स्वीकार कीं? और आपके लोग कितने थे और बाकी के लोग कितने थे? आपके लोगों ने दरख्वास्तें दीं तो उनको तो मंजूर हो गई और बाकी के लोग तड़फ रहे हैं।

बढ़ाया गया आबियाना माफ किया जाय, केश क्रॉप को कर मुक्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि पिछले बजट सत्र में इसमें बाहर धरणा देकर बैठे थे और फिर अन्दर आये और यहां धरणा देकर बैठे। हमने सोचा कि सरकार के सामने लोकतन्त्रीय परम्परा का कुछ मूल्य होगा। सरकार ऐसा महसूस करती होगी कि बिना विरोधी पक्ष के सरकार अपंग है, लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष नहीं बैठता है तो सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जो सीधी जनता से सम्बन्ध रखती हो। प्रोसिजरल मेटर्स डिस्पोज ऑफ करे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम धरणा देकर बैठे तो केश क्रॉप टैक्स लगाये जा रहे थे। हम भी धरना देकर, बेरी आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसको मनवाने के लिये बैठे थे। उस गोलीकान्ड के लिये बैठे लेकिन राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये और दूसरा गोलीकान्ड करवाया। जनता का खून करके यह राजस्थान सरकार बनी थी।

उस वक्त टैक्स न लगाते, विरोधी दल को बोलने दिया जाता, विरोधी दल सरकार के सामने समस्या रखता तो टैक्स के कारण यह समस्या ही पैदा नहीं होती।

आप कहते हैं कि रिसेटलमेन्ट के जरिये नोटिस दिये। फरवरी में पर्चे बंटे। आपने कहा कि नोटिस दिये, खतौनी के पर्चे बंटे। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ी हुई दरों से वसूल करते हैं। आप कहते हैं कि बन्द नहीं करना चाहते हैं। चित्तौड़ में आपने रिसेटलमेन्ट रेटस से बन्द कर दिया। गंगानगर में क्यों चालू है? दो रुपया लगान देता था किसान उसका

Page No 60

(श्री भैरोंसिंह)

१२ रुपया कर दिया। उस बढ़े हुए लगान पर आप सरचार्ज वसूल करना चाहते हैं तो किसान की कितनी हिम्मत है कि वह देगा? इस पर विरोध है। गन्ना और कपास की खेती पहले ही खराब हो गयी। आपको वह उस पर टैक्स का पैसा नहीं दे सकता। बढ़ी हुई रिसेटलमेन्ट की रेट रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से किसान नहीं दे सकता। पंजाब के मुकाबले में मध्य प्रदेश के मुकाबले में, बिहार के मुकाबले में, यू. पी. के मुकाबले में, राजस्थान में ज्यादा है। आखिर राजस्थान के लोगों में कहां से वह खूबी आ गयी है? दुनिया भर के टैक्स किसान पर थोपते जायं, आप परवाह नहीं करते कि अन्य प्रान्तों में क्या टैक्स है और यहां पर क्या है? एक प्रदेश को छोड़ कर राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिस में किसान पर सबसे ज्यादा टैक्स का बोझा है। उस किसान पर लगातार टैक्स लगाते जायं कोई किसान देने की तैयारी में नहीं होगा। आपने रिसेटलमेन्ट रेहमा क्राप्स के ऊपर टैक्स, रिसेटलमेन्ट सरचार्ज और इस प्रकार के जो टैक्स लगाये हैं वे अव्यवहारिक हैं। आज आपने उसको स्वीकार किया है। पहले उसको स्वीकार कर लेते तो किसान इतना परेशान नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार छोटी २ मांगें हैं। सरकारी भूमि का नाजायज एलॉटमेन्ट करना बन्द कर दें। लैंडलेस टिनेन्ट की एप्लीकेशन को मन्जूर नहीं करते और जो लैंडलेस नहीं हैं वे कब्जा किये बैठे हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि अपने मंत्रिमंडल के ऊपर नजर उठा कर देखें कि कोई मन्त्री यह कह दे कि उसने जमीन पर अधिकार नहीं किया है मंत्री बनने के बाद? पहले यह कहते कि वह लैंडलेस टिनेन्ट था और उसके ऊपर कब्जा किया। आप लोग जमीन लेते जाओ और फार्म्स बनाते जाओ, आपके यहां पम्पस लग जायं ट्रैक्टर लग जायं और पैदावार न हो तो पैदावार दिखा कर मंत्री पद के कारण जो कमाया है ब्लेक मनी उसको व्हाइट बनाओ यह अब लोग बरदाश्त नहीं कर सकते। किसानों ने मांग की लेकिन कोई जांच नहीं हुई।

अलवर से आये माननीय सदस्य ने कई बार प्रश्न उठाया। अलवर में जो शरणार्थी हैं उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है। कल मैंने गंगानगर और अलवर के जो शरणार्थी हैं उनको किस प्रकार से सरकार रिहेबिलेट कर रही है, उसका एक कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट पढ़ा। एक ही सरकार के द्वारा भेदभाव। गंगानगर के शरणार्थियों के साथ भेदभाव। अलवर के साथ जो कि व्यवहारिक है स्वीकृत करना चाहिये उतना गंगानगर के साथ भी करते।

एक मांग है वह बड़ी इन्नोसेन्ट है। भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय। कौन खत्म करेगा? सरकार उसको खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकती। खत्म करे तो बचे कैसे? यह समस्या सरकार के सामने है।

कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। मेडिकल सहूलियतें बढ़ाई जायं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जिस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न आया तो उदयपुर के लिये निर्णय हुआ। कृषि की सबसे ज्यादा सुविधायें उपलब्ध हों, डेवलपमेन्ट हो, वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलनी है। आपने उदयपुर में खोली वह वहां से नहीं जा सकती, यह व्यवस्था की जा सकती है कि गंगानगर

(श्री भैरोंसिंह)

जिले में एक यूनिवर्सिटी और खोली जाय। किसान को सहायता करना चाहते हैं तो किसान को किस प्रकार प्रोपर ट्रेनिंग मिले उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उदयपुर का किसान वल्लभनगर फॉर्म पर जाकर कृषि का पंडित बन सके यह मैं नहीं समझ सकता। गंगानगर में कृषि कॉलिज खोलने की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय, कई बार मुख्य मंत्री कहते हैं कि गंगानगर जिले का डेवलपमेन्ट बहुत हो गया। अभी हम घूम रहे थे हमें तो सब तरफ गरीबी हीं गरीबी नजर आ रही थी। हमने वहां एक गाड़ी चलती हुई अवश्य देखी जिसमें गधे जुते हुए होते हैं। हमने वहाँ के लोगों से पूछा यह क्या गाड़ी है, वे कहने लगे इसका नाम हमने मंत्री गाड़ी रख रखा है वह इसलिये कि जब से हमारे इलाके के लोग मंत्रिमण्डल में गये हैं तब से हमारी हालत यह कर रखी है। पूरी मेहनत करते हैं फिर भी पेट नहीं भरता। ऐसी स्थिति देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं, आखिर गंगानगर का किसान उद्वेलित क्यों न हो।

इस आन्दोलन के संबन्ध में अब मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। इस आन्दोलन के बारे में ५ तारीख को किसान संघर्ष समिति के जो सूत्रधार हैं श्री कुम्भारामजी उन्होंने एक स्टेटमेन्ट दिया। उसमें उन्होंने इस बात का संकेत किया था कि ३ नवंबर से चलने वाला आन्दोलन पिछले दिनों पूर्णतया शान्तिपूर्वक चल रहा था, इन दिनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई लेकिन जब करणपुर में भूतपूर्व विधायक श्री योगेन्द्र हान्डा को मारा बुरी तरह से मारा उसकी जब जांच नहीं हुई और उस मारने वाले अधिकारी, श्री होतचन्द को जब राज्य सरकार की ओर से पचास रुपये और रिकमण्डेशन सर्टिफिकेट दिया गया। एक तरफ विधायक को मारने पर कमेण्डेशन सर्टिफिकेट मिले तो आप यह मान कर चले कि फिर सांगरिया का वह हीरो क्यों न बनना चाहेगा सरकार से और ज्यादा वाहवाही प्राप्त करने की वह कोशिश क्यों न करेगा? उस समय आन्दोलन कोई नहीं था किसी प्रकार की वहां गड़बड़ नहीं थी। पुलिस ने यह पूरी तरह से समझ लिया कि अब भूमि की नीलामी स्थगित कर दी गई है और आन्दोलन दब जायगा। सरकार भी इसी तरह से आश्वस्त हो गई उसके बाद अन्य जो किसानों की मांगें थी उस बारे में सरकार ने उदासीनता बरती और आन्दोलन किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बराबर शान्तिपूर्वक चलता रहा सब जगह पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन होते थे, सब लोग शान्तिपूर्वक ढंग से चल रहे थे इस बीच सरकार का यह षड़यन्त्र चल रहा था कि इस आन्दोलन को किस प्रकार से हिंसात्मक बनाया जा सकता है? किसान संघर्ष समिति ने अपने इस आन्दोलन को हिंसात्मक रूप देने में सरकार की कार्यवाही का किस प्रकार से योग रहा उसके तीन कारण बताये—

पहला तो यह कि जब हमने व्यक्तिगत रूप से पटवारी के कार्यालय में जाते थे, शान्ति से अपने आप गिरफ्तार करवाते थे, किसी ने पटवारी की कलम नहीं पकड़ी, किसी ने रेकार्ड नहीं फाड़ा, किसी पटवार को मारा नहीं। पटवारी के कार्यालय में जाते, शान्ति से अपने आपको गिरफ्तार करवाते, कहीं किसी से किस प्रकार के झगड़े की बात

Page No 62

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं हुई। उस पर सरकार ने यह आदेश दिया कि जितने पटवारी के कार्यालय हैं वे सब तहसीलों में स्थानान्तर कर दिये जायं एक तो यह कारण था जो आन्दोलन पटवार लेवल तक चल रहा था वह बढ़कर आगे तहसील लेवल तक हो गया। इसके अलावा ३०-३१ तारीख की रात को जितने भी इस आन्दोलन को चलाने वाले कार्यकर्त्ता थे उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। वह इसलिये कि जब जनता लीडर रहित हो जायेगी तो वे क्यू क्रिएट हो जायगा, जनता फिर भड़क उठेगी और इस तरह से जनता हिंसात्मक रूप अख्त्यार कर लेगी तो उन्हें गोली चलाने का मौका मिल जायगा।

कल गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया और उसी प्रकार का स्टेटमेन्ट कुम्भारामजी ने भी दिया था उसमें एक बात कही गई थी कि जहां एक तरफ हमारे कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया उधर दूसरी तरफ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। दामोदरजी ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने जेलों में यह कहा कि भूमि की नीलामी स्थगित कर दी हमारी मांगे मन्जूर हो गई और इस बिना पर उनको छोड दिया गया उन्होने इस आन्दोलन मे हिंसा का समावेश किया। इधर तो इनकी तरफ से यह प्रयास हो रहा था, उधर कांग्रेस के नेता लोग जो बंबई अधिवेशन से आ रहे थे, उन्होंने यह प्रचार शुरू किया कि हम गंगानगर के नेता गण बंबई से किसानो के लिये बहुत सी ऐसी चीजें लाये है जिनसे आपका भला होने वाला है। वे लोग चाहते थे हमारा जिले में स्वागत हो और इस तरह से हम वहां के आन्दोलन को शान्त कर सकेंगे। हमारे मनफूलसिंहजी, गुरु दीपसिंह जी आदि मंत्रियों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है इसका फायदा उठाना चाहिये उन्होंने अपने नाम से बड़े बड़े पोस्टर लगवाये, पेम्फलेट्स बांटे गये उसमें कहां गया कि हम किसानों के लिये बंबई से संदेश लाये हैं। किसानों ने देखा कोई मिठाई होगी जो बंबई से लाये हैं लेकिन किसानों ने उनकी बात को सुना नहीं, उन्होंने देखा यह तो हमारी तोहीन हो गई। सात तारीख को तीन स्थानों पर सांगरिया, भादरा और करनपुर में सभाएं होने वाली थी। मनफूलसिंहजी ने देखा कि बंबई का सन्देश सुनाकर हम लोगों के आन्दोलन को शान्त कर देंगे। इसकी व्यवस्था के लिये उन्होंने पुलिस वालों को आदेश दिया कि यह आन्दोलन जो चल रहा है तुम्हारी सुस्ती के कारण चल रहा है, तुम लोगों को सख्ती के साथ काम करना चाहिये। मनफूलसिंहजी ने करणपुर में भाषण दिया जिसमें उन्होने कहा कि आप लोग गलत रास्ते पर आ रहे हैं, ये आन्दोलन करने वाले हैं वे सब गुन्डे है यह गुन्डों का आन्दोलन है। यह कह कर उन्होंने अपने चाचा जो गिरफ्तार हुए हैं उनको भी गुण्डा कहा है, मनीराम जो इनका जंवाई है वह भी गुण्डा है बाकी के इनके कई रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और अपने आपको गिरफ्तार करवाया, उन सब के लिये ये गुण्डे शब्द का इस्तेमाल करते है। करनपुर में जहां शहीद भगतसिंह जी की बहिन इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थी क्या इसको भी हमारे मंत्री ने इसी श्रेणी में माना है? इन्होंने यहां तक भाषणों में कहा है कि हमारे पर पत्थर फेंके जायेंगे तो हम भी पत्थर फेंकेंगे। कहीं महिलायें पत्थर फेंकती

(श्री भैरोंसिंह)

है लेकिन इनकी तो यह योजना थी कि किसी प्रकार से करनपुर में झगड़ा हो जाय ताकि यहां गोली चलाने की व्यवस्था हो जाय उन्होंने फिर गंगानगर जाने का प्रोग्राम बनाया रास्ते में करणपुर से निकलते हो उनका काले झण्डे से स्वागत करने के लिये लोग एकत्र होगये थे, वे उनका काले झन्डों से स्वागत करना चाहते थे। जनतन्त्र में काले झण्डे दिखाना अपना विरोध करना लोकतन्त्र का मूलभूत अधिकार है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मनफूलसिंहजी ने देखा मेरे साथ पुलिस है वे जोश में उसी रास्ते से निकले जहां पर लोग झन्डे लेकर खड़े हुए थे मुल्कराजजी ने देखा तो रास्ता पलट दिया वे दूसरे रास्ते से होकर पहुँचे। मनफूलसिंहजी जोश में थे मैं पुलिस वालों से लाठी चार्ज करा दूंगा। इस तरह से करणपुर में लाठी चार्ज, हुआ पत्थर बाजी हुई। इसमें ज्यादा समय न लेता हुआ मैं खास मुद्दे पर आता हूं।

छः तारीख को सांगरिया में गोलीकान्ड की जानकारी लोगों को मिल गई थी कि ७ तारीख को गोलीकाण्ड होगा। इसके पहले ५१ लोगों ने अपने आपको तहसील के सामने गिरफ्तारी के लिये पेश किया। जब उनको गिरफ्तार करके ट्रकों में भरा गया तो एक सत्याग्रही ने पूछा कि आप हमें कहां ले जाओगे तो अधिकारियों ने कहा कि हम बाड़मेर के बोर्डर पर ले जायेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से भेड़-बकरियों की तरह नहीं चल सकते। दूसरा ट्रक मंगवाओ। सत्याग्रही ट्रक से नीचे उतर गये इस पर यह कहा गया कि सत्याग्रही तहसील में घुस गये थे और वहां चल कर तोड़फोड़ की यह बिल्कुल बेबुनियाद है।

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वहां जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसने पत्थरबाजी की इस कारण गोली चलानी पड़ी। वहां यदि स्थान को जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि न कहीं पत्थर के निशान हैं और न गोली के निशान हैं। जब लोग वहां पर उन लोगों को माला पहिना कर स्वागत करने के लिये आये थे कैसे पत्थर फेंकते? तहसील के सामने ट्रक खड़ा था यदि वहां से गोली मारते तो किसी सत्याग्रही के तो लगनी चाहिये थी लेकिन किसी सत्याग्रही के कोई चोट नहीं आयी। सरकार का कहना है, अध्यक्ष महोदय, इस गोलीकांड में चार आदमी मरे मैं पूछना चाहता हूं उसमें से कोई सत्याग्रही था क्या? एक देवेन्द्र मरा, दूसरा रामपाल जो हरियाणा का सिपाही था छुट्टी लेकर आया था वह मारा गया उसको गोली मार दी। पंजाब का रोड़सिंह है क्या वह सत्याग्रही था? धानका जो मारा गया वह सत्याग्रही नहीं था।

(१ म. पं.)

तो जो सत्याग्रह के लिये नहीं आये उनको गोली कैसे मार दी? अब सरकार कहती है ऊपर से गोली चली। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बुलेटिन को सुनकर हम गंगानगर गये। उस समय किसी ने नहीं कहा कि किसी प्रदर्शनकारी ने गोली चलाई।

हमने सांगरिया में एस. डी. एम. से पूछा कि गोली चलाने की इत्तला कलेक्टर को आपने कब दी? कहा, आधा घण्टा के बाद दे दी। कलेक्टर से पूछा आपको इत्तला कब मिल गई? कहा, आधा घन्टे बाद मिल गई। सरकार को कब इत्तला दी? चार बजे गवर्नमेंट को इत्तला दे दी। पुलिस

(श्री भैरोंसिंह)

के ऊपर एक प्रदर्शनकारी ने गोली चलाई। फिर सरकार तीन दिन तक मौन क्यों रही? यह बन्दूक चलाने की घटना की बात अचानक चार दिन बाद कैसे आई? कहां से आई? आप चाहते हैं जयपुर का पैटर्न यहां लागू करें। जयपुर में जैसे दूसरे को गोली का बहाना बनाकर आपने निरपराधों को भून दिया वैसे ही यहां बहाना तैयार किया। एक ने ऊपर से गोली चलाई। मैं उस मण्डी में गया हूं। बन्दूक चलाना भी जानता हूं। चलती हुई देखी भी है। पर वहां के लिये आज भी हुकूमत को चुनौती देता हूं कि जिस मण्डी में जिस स्थान से गोली चलाने की बात कही जाती है उस जगह से उस रेन्ज से उस लाइन से तहसीलदार को गोली नहीं लग सकती। मैंने तहसीलदार से कहा कि दुबारा वहां से मोर्चा लिया जाय, अगर उस में वहां से चलने पर तुम्हें गोली लग जाय तो मान लेंगे कि किसी आदमी ने उस जगह से गोली चलाई है। वहां पास में एक चबूतरा बना हुआ है। उसके आगे इतनी ऊंची दीवार है कि जिसकी आड़ लेकर खड़े होने वाले पर उस रेन्ज से गोली लग ही नहीं सकती। उस दीवार के नीचे तहसीलदार था। तो जब तक दीवार के गोली नहीं लगे तहसीलदार तक गोली जा ही नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह और कहना चाहता हूं कि बन्दूक चलाने वाला बन्दूक लटका कर थोड़े चलाता है। उस जगह से तो कोई कम जानकार भी अगर बिना निशाना भी गोली चलाए और बीच में दीवार न हो तो ये तहसीलदार साहब, जो मोटे ताजे आदमी थे, उल्टे पैरों नीचे होते हुए नजर आते। मुझे बताया उन्होंने कि कान के पास से गोली निकल गई। लगता है निशानेबाज बड़ा तेज था। एक तरफ उसको देखें कि प्राइवेट आदमी गोली चलाता है तो बिलकुल कान के पास से होकर निकाल देता है इतने मोटे ताजे आदमी के भी बड़ी होशियारी से गोली चलाकर और तुम्हारे आदमी कितने बेवकूफ कि हर भागते हुए आदमी को गोली ठोक दी? तुम भी होशियार होते तो कान के पास से गोली चलाकर लोगों को डरा सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ।

हमारी सरकार कहती है चार आदमी को गोली लगी। अब चार की बात कैसे कही जावे। दो आदमी तो ऑन दी स्पाट मर गये। तीसरा आदमी अस्पताल में जाते-जाते मर गया। सरकार बताती है केवल दो आदमी मरे। जिस समय सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं गवर्नमेंट के पास इत्तला की बात कहकर कहा तीन मारे गये। पर सरकार ने इस बात को भी काफी देर तक छिपाया। अब कहते हैं चार रात को मर गये। दोपहर तक उसको दबाया और छिपाकर कहते हैं कि चार के अलावा नहीं मरे। हमने उनको और पूछा तो कहा कि नहीं चार ही मरे। हम वहां गये। पता लगाया कि कौन-कौन मरे हैं। तो मालूम हुआ कि लोग बहुत मरे हैं। एक धानुका का केस है जिसको गोली देकर आपने मारा। एक को १½ फर्लांग की दूरी पर मण्डी में गोली चला कर मारा। स्थान के बारे में मुकुट बिहारीलालजी ने बता दिया है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। रिश्तेदारों को हमने पूछा। धानुका कैसे मरा? कहां गोली से मर गया। तो फिर उसकी लाश कहां गयी थी? कहां पुलिस वालों के पास थी, वहां हम लेने गये। पूछा वह कहां है लाश? तो कहा हमने जला दिया। जला कैसे दिया? तो

(श्री भैरोंसिंह)

जवाब दिया जब वह मर गया तो हमने यह कहा कि हम इसको ले जाकर जगजीवनरामजी के पास जावेंगे और जाने की तैयारी करने लगे। तो पुलिस वालों को पता लग गया। उनको पकड़ कर पुलिस ले गई। वहां तहसीलदार था, मजिस्ट्रेट था, डी. एस. पी. था। उसको धमकाया और कहा कि तुम यदि इस लाश को जगजीवनरामजी के पास ले गये और किसी को भी इसके मरने की खबर दे दी तो तुमको और मार देंगे हमारा क्या जहां पांच मरे वहां ६ सही। इतनी बड़ी धमकी। फिर वे क्या करते श्मशान भूमि में ले गये। ८॥ बजे जला दिया। इसके प्रमाण हैं। इसके प्रमाण हैं बालू पुत्र खूबाराम। मारू भाई चीता। यह स्टेटमेंट है मेरे पास। उसके लड़के का स्टेटमेंट है। चन्दू धाणक। मर गया। उसे रेडी में पटका और बाकी श्मशान भूमि में दाह संस्कार करके आये। मैं यह स्टेटमेंट दोनों का पढ़कर सुनाता हूं।

श्री बालू पुत्र श्री खूबाराम जाति धनिक, निवासी वार्ड नं० १ सांगरिया ने बताया कि मेरा भाई चन्दूलाल पुत्र श्री खूबाराम, जाति धानक, उम्र करीब ४० साल, सांगरिया में मजदूरी मकान मरम्मत का काम किया करता था कल ता० ७-१-७० को सायं ४ बजे एक आदमी मनीराम तोला ने मुझे बताया कि चन्दूलाल मिस्त्री के गोली लगकर मरा पड़ा है जिसे सुनकर मेरा लड़का ओमप्रकाश बनवारीलाल, राधेश्याम की दुकान के सामने पहुंचा। खून पड़ा था और मेरे भाई की लाश चौ० रामरिख कडवासरा की दुकान के सामने पड़ी थी। उसके कुरता, पाजामा, बास्केट व सफेद टोपी व टायरों वाली चप्पल पहनी हुई थी। गोली पेट के आरोपार निकल गई थी व अन्दर की सारी आंते बाहर निकली हुई थीं। खून से लथपथ था। मेरे लड़के ने व हरिराम ने रेहड़ी में डाल कर चन्दूराम की लाश को अपने घर पर ले गए। नत्थूराम धानक भी साथ गया था। कफन व दाह संस्कार के लिए लकड़ी व अन्य सामान लेकर लाश को श्मशान भूमि में ले गए लाश ले जाने से पहले हमने तहसीलदार व डी. एस. पी. साहब से लाश ले जाने बाबत पूछ लिया था जिन्होंने जलाने का कहा था। दुर्गा व गणपत मिस्त्री पूछने गए थे।

द० बालूराम——८-२-७०

ओमप्रकाश पुत्र श्री बालूराम, जाति धानक, निवासी वार्ड नं० १ सांगरिया ने बताया कि मुझे कल ७-१-७० को शाम के करीब ४ बजे बताया कि मेरे चाचा चन्दूलाल के गोली मार दी गई है व मरा पड़ा है जिस पर पहुंच कर देखा कि लाश चौ० रामरिख कड़वासरा की दुकान के सामने पड़ी थी। गोली बनवारी राधेश्याम की दुकान के आगे लगी थी। लाश सीधी पड़ी थी। गोली दाहिनी तरफ से लग कर बाईं तरफ निकल गई थी। लाश को रेहड़ी में डाल कर अपने घर ले गये। वहां से दो-चार आदमियों को तहसीलदार के पास भेजा तो तहसीलदार ने कहा कि अब इस लाश को रखने की जरूरत नहीं है, इसे जला दो। फिर हम सब मेरा बाप मामचन्द मिस्त्री, दुर्गाराम मिस्त्री, बनवारीलाल मिस्त्री, रामजस मिस्त्री, रामजीलाल मिस्त्री, देशराज धानक, हरीराम धानक आदि-आदि उस लाश को लेकर श्मशान में चले गये। उसके लिये कफन का सामान ६) रु० का रामगोपाल चाननमल कपड़े वाले से व बांस घूसाराम बाबूराम से खरीदा था। बांसों के पैसे नहीं लिये। घी रोशन हमारे पास वाले की दुकान से २५० ग्राम खरीदा था। ३८ पैसे की दो डोरी, खोपरा

(श्री भैरोंसिंह)

राजा बानिया की दुकान से खरीदी थी। दाह-संस्कार करने के बाद रात के ६.३० बजे लौटे थे। उसके कपड़े जो हमने दाह-संस्कार के पहले उतार दिये थे वे तीन विद्यार्थी लेकर आ गये थे। उसको हमने अलग से चिता जलाई थी। चन्दू का दाह संस्कार करने से पहले श्मशान में कोई चिता नहीं जली थी।

द० ओमप्रकाश—८-१-७०

अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी चाहें तो उसके कपड़े मैं यहां सदन में पेश कर सकता हूं।

(सदन के प्रांगण पर कपड़े डाले)

ये सरकारी बेंचों से सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। लोगों को इस तरह बर्बरता से गोलियों से भूनने के बाद इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि चार की जगह पांच मरे हैं। दामोदरलालजी, सुखाड़ियाजी, तुम्हारे कुनबे के साथ अगर यह होता, तो अपनी छाती पर हाथ रखकर बोलो क्या करते तुम? आज तुम राजस्थान के मुख्य मन्त्री हो, गृह मन्त्री हो। राजस्थान की सारी जनता के तुम मालिक हो और तुम उन्हीं पर इस तरह से निर्दयता से गोलियां चलाते हो?

इस तरह का स्टेटमेन्ट एक ने नहीं दिया दूसरों ने कईयों ने दिये हैं, दूसरों के स्टेटमेन्ट सदन में रखना चाहूंगा। लेकिन मैं समझता हूं स्टेटमेन्ट के रखने की आवश्यकता नहीं। सरकार स्वीकार करेगी कि चार को नहीं पांच को गोली से भूना गया है। चार को नहीं पांच को मारा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने चिट्ठी लिखी कुम्भारामजी ने और मैंने एस. डी. एम. को कि श्मशान भूमि में लाशें जलाई हैं तो किस-किस की जलाई। एस. डी. एम. और डिप्टी. एस. पी. साहब ने कहा हमने किसी की लाश नहीं जलाई। हम श्मशान भूमि में गये। वहां देखा। ट्रक के निशान, ट्रेक्टर के निशान और जीप के निशान और चिताएं जली हुई। उन चिताओं के पास ही तेल के डिब्बे पड़े। फटे हुए कपड़े पड़े। अन्य दाह-संस्कार की सामग्री थी। चिता एक ऐसी थी जिसमें दो बुत पड़े। एक चिता में दो बुत। मैं समझता हूं कोई गांव में प्लेग कभी आ जावे तो ही हिन्दू एक चिता में दो को जलावेगा, अगर कभी मजबूरी हुई जलाने की तो नहीं तो कतई नहीं। पर सदन विश्वास नहीं करेगा कि यह कैसे हो सकता है। पर यह हुआ है। यहां मैं उन चिताओं के फोटो सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो व्यक्तियों को साथ-साथ जलाया गया है। मैंने तस्दीक करानी चाही। म्युनिसिपेलिटी के क्लर्क से मालूम किया कि तुम्हारे रजिस्टर में चिता जलाने की एन्ट्री है? उसने कहा कानून से तो होनी चाहिये, पर है कोई नहीं। पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दी। पुलिस वालों से पूछा उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा तो फिर ये चितायें कहां से आ गईं धधकती हुईं। सरकार के प्रवक्ता से पूछा। वे कहने लगे हमने लाशें रिश्तेदारों को देदीं। मैं जिस समय सांगरिया पहुंचा १० बजे थे आठ तारीख को। एस. डी. एम. को पूछा लाशें कहां थीं? कहा हमने तो रिश्तेदारों को दे दीं। शाम को वापिस गया दाह-संस्कार में भाग लेकर। लोगों को पूछा। कहा गया लाशें तहसील में थीं। मैं गया तो कहने लगे हमें वहां से दी। वहां पूछा रसोईं कहां हैं। नहीं हैं। एक के लिये कहा पतराम का है। पतराम कौन होता है? बेटा तो

(श्री भैरोंसिंह)

उसका यह बैठा है। पतराम के बेटे को गिरफ्तार कर लिया बाद में। धन्नाराम से कहा तो दोनों को छोड़ने को मेनीपुलेट करके फरजी रसीद लेलो ....। पतराम के दस्तखतों से जो दी गई वह लाश कहां गई ..? पतराम को दे दी ....। पतराम का पता नहीं ...। लोगों ने उनको जलाते हुए देखा ....। बेरी कमीशन ने इस सरकार को इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि मानवता के नाते हिन्दू की लाश को उसके हिन्दू दाह-संस्कार की विधि के अनुसार डेड बॉडी को डिस्पोज आफ किया जावे। हिन्दू परम्परा के अनुसार उसका दाह-संस्कार किया जाना चाहिये। और यह भी कहा कि मानवता के नाते डेड बॉडी को संस्कार करने के लिये घर वालों को दिया जाना चाहिये। मैं पूछता हूं आपको तसल्ली है कि आपने डेड बॉडी घरवालों को देदी है और श्मशान में नहीं जलाई आपने ? आपके हिसाब से चार मरे और कितने ही दूसरे घायलों की संख्या है आप किस बात को लेकर कहते हैं पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, तहसील पर हमला हुआ है। तहसील की कोई दीवार टूटी हुई नहीं है। हमने लोगों से पूछा कौनसी तहसील की दीवार टूटी है, बताया गया कोई दीवार नहीं टूटी है, फूल नहीं टूटे हैं बल्कि तहसील में जाकर देखा तो वहां दुनिया भर की ईंटें इकट्ठी की हुई पड़ी थीं, पत्थर इकट्ठे कर रखे थे जैसे मानो उन्होंने पहले से ही सारे प्लान बना रखे हों। गोलियों के निशान मण्डियों पर जाकर देखे, सरकार ने गोलियां ठोकी हैं, मण्डी के नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, मण्डी में कार्नर पर, किवाड़ोंपर सब जगह गोली ठोकी है इससे ज्यादा मैं समझता हूं नृशंस हत्याकाण्ड नहीं हो सकता है।

अब आप यह कहें कि ए. डी. एम. साहब जांच कर रहे हैं तो ए. डी. एम. साहब आपके प्रभाव से मुक्त नहीं, कलेक्टर के प्रभाव से मुक्त नहीं। मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सांगरिया में जिन लोगों ने गोलियां चलाई उसकी एन्क्वायरी होने की आवश्यकता नहीं बल्कि उनका सीधा प्रोसीक्यूशन होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे की तोड़-फोड़ बताई गई। कहा गया कि रेलवे में आग लगाई गई। हमने जाकर पूछा क्या तोड़-फोड़ हुई ? वहां हमें बताया गया कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई लेकिन फायरिंग के बाद कहा गया कांच तोड़ो कौन तोड़े तो अध्यक्ष महोदय, ४-६ कांच, ४५ कांच के जो फ्रेम हैं किवाड़ों के उनके ६ कांच तोड़े गये। ६ कांच रेलवे स्टेशन के तोड़ दिये जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर गोली मारते हैं कहां मारते हैं इनर सिगनल के पास। वहां पर गोली मारने का आपको क्या अधिकार था ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां पर डालचन्द जो डी. वाई. एस. पी. है और प्रतापसिंह जो भादरा में है, वे दोनों एक बात कहते हैं, हम गोली चलाने में ट्रेन्ड हैं। ६७ में सुखाड़िया साहब को गद्दीनशीन हमने कराई। अगर हम गोली नहीं चलाते तो आज सुखाड़िया साहब नहीं होते, मुख्य मन्त्री नहीं होते। सुखाड़िया से हम सलाम नहीं करते हैं बल्कि सुखाड़िया साहब हमारा अहसान मानते हैं। हमने ६७ में गोली चलाकर सुखाड़िया साहब को राज्य दिलाया। वे दोनों अफसर इस बात में बड़े माहिर हैं।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा सांगरिया में जो लोग मारे गये क्या सरकारी

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारियों ने कोई दोष नहीं किया ? क्या रूथलेसली फायरिंग नहीं किया गया ? क्या यह अपने आप में कातिल नहीं है ? आप किस बात की ज्युडिशियल एन्क्वायरी कराना चाहते हैं ? सरकार के षड्यन्त्र की एन्क्वायरी करायें। राजस्थान सरकार और पुलिस इनके षड्यन्त्र से गंगानगर में गोली चलाई गई। अब अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मारफत उसको दबाना चाहते हैं। सरकार के षड्यन्त्र की एन्क्वायरी करें, ज्युडिशियल एन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ज्युडिशियल एन्क्वायरी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कातिल को प्रोसीक्यूशन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भादरा में गोली चली। भादरा में गोली काण्ड का अजीब हाल है। जिस जानवर की शिकार की जाय उसको एक स्थान पर लाया जाता है। भादरा पुलिस और एस. डी. ओ. दोनों मिलकर विद्यार्थियों को कहने लगे, पहले चार विद्यार्थियों को बुलाया और उनसे कहा गया तुम आन्दोलन मत करो। विद्यार्थियों ने कहा हम चार कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, तो १०० विद्यार्थियों को गान्धी पार्क में बुलाया गया। बाद में छांगी और निनाड़ इन दोनों जगहों से विद्यार्थी और आ रहे थे, उनको रोका गया कि वे शहर में न आयें। उन चार विद्यार्थियों को जीप में बैठाकर ले गये, लड़के भी होशियार थे, उनको शक हुआ कि ये जेल में बन्द करेंगे तो लड़के इनके ताऊ निकले वे और लड़कों को बुलाने के बहाने से भाग निकले। अब, अध्यक्ष महोदय, भादरा-हिसार लाइन है उसके एक मील के पत्थर के पास छांनी निनांण हैं, ये विद्यार्थी हरियाणा रोडवेज से उतरे। तीन रोडवेज आई थीं। पैसेन्जर भेड़-बकरियों की तरह भरे हुये थे। कुछ लोग कडासा गांव से भी आये थे। अध्यक्ष महोदय, स्टूडेन्ट्स की मांगें ऐसी थीं जिन्हें कोई आदमी इन्कार नहीं कर सकता है। उनका आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। एस. डी एम. ने जो लेटर विद्यार्थियों को दिया वह मेरे पास है। मैं उसे पढ़कर सुनाऊं एक गांव है दो साल हो गये वहां स्कूल में मास्टर नहीं है। कमरों में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ८ बजे स्कूल लगता है लेकिन मास्टर ९ बजे से पहले नहीं आते हैं। स्कूल की पत्रिका नहीं निकलती है। टाइप के पैसे खा गये, पीरियड कभी पूरे नहीं लगते हैं। पूरे पीरियडों में मास्टर नहीं होते हैं। छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य ऐसा है जो इन स्टूडेन्ट्स की मांगों को पूरा नहीं करेंगे ? इन्होंने हैड मास्टर को शिकायत की, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को शिकायत की, एज्यूकेशन मिनिस्टर को शिकायत की। केवल इन मांगों को लेकर विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे स्कूल के सामने और इससे पहले ही दो विद्यार्थियों को जेल में पकड़कर ले गये। जेल में सत्याग्रहियों ने कहा हमारे खाने-पीने की व्यवस्था करें और जब, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मांग की तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाये। कितनी शर्म की और अफसोस की बात है। उन विद्यार्थियों ने कहा दो गुमशुदा बच्चे हैं उनको भी लाओ तो फिर उनकी मरम्मत की गई।

अध्यक्ष महोदय, गांव से करीब एक मील दूर ४००, ५००, ६०० विद्यार्थी इकट्ठे हुये थे और इस तरह हरियाणा रोडवेज का जो स्टेण्ड है वहां पर इकट्ठे होकर खड़े हो

(श्री भैरोंसिंह)

गये। वहां पर एस. डी. एम. और पुलिस आ गये। एस. डी. एम. ने कहा आपकी क्या मांगें हैं? और उनसे कहा गया कि शान्ति भंग नहीं होनी चाहिये। ५-५ की लाइन में खड़े होकर गान्धी पार्क में चले जायें। लड़के उससे एग्री करते हैं यह एक ताज्जुब की बात है कि लड़कों ने कोई शान्ति भंग नहीं की और ५-५ की कतार में जा रहे थे, लेकिन वह प्रतापसिंह जो सुखाड़िया साहब का राज तिलक करने वाला है, ने कहा तुम आगे नहीं जा सकते हो। लड़कों ने कहा हम शान्तिपूर्वक जायेंगे, हमें एस. डी. एम. साहब ने इजाजत दे दी है। प्रतापसिंह ने कहा एस. डी. एम. साहब कौन होते हैं? लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने वाला तो मैं हूं। तुम आगे नहीं जा सकते हो। इसी बीच टीयर गैस छोड़ी गई। लड़कों ने देखा टीयर गैस छूटी है तो वे इधर-उधर भागने लगे, और, अध्यक्ष महोदय, उन निरपराध बच्चों पर भागते हुये गोलियां चलाईं गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस लोगों के घरों में घुस गई, घरों को जला दिया गया। घरों में सोते हुये लड़कों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई गईं। मकानों में अब भी खून के निशान पड़े हुये हैं। घरों के अन्दर कोठों में गोली के निशान पड़े हुये हैं। विद्यार्थी किसी मकान में घुस गये तो पुलिस वालों ने उनके पीछे पड़कर मकानों के अन्दर गोलियां चलाईं। मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसी घर में जिसमें कुकड़ सुनार था जिसका आरोप आज जनता पर लगाते हैं वहां पर पुलिस के सिपाही खड़े हो गये और गोलियां बरसाईं। वहां, अध्यक्ष महोदय, यह और बताना चाहता हूं कि वे जाते समय ११ कारतूस और छोड़ गये। ये कारतूस उसी मकान पर से निकले हैं जिस पर आप आग लगाने की बात कहते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को भूना गया। यह वही मकान था जिसमें उन्हें मारने का, हत्या करने का प्रयत्न किया गया। अध्यक्ष महोदय, रेडियो पर एनाउन्समेंट हुआ तहसील जला दी गईं, ट्रक जला दिये गये, बसें जला दी गईं। हम भी भादरा पहुंचे और पूछा कि भाई कौनसी जीप जला दी गई, कौनसी तहसील में आग लगा दी गई? सबसे पहले हम तहसील में पहुंचे और यह मेरी समझ में नहीं आया कि विद्यार्थी तहसील में कैसे पहुंच गये? आन्दोलनकारी तहसील में कैसे पहुंच गये? म्युनिसिपैलिटी का भवन है आस-पास में, उसके सामने चौक है मैंने जाकर पुलिस वालों से कहा एक बात बताओ तहसील में आग कहां लगी? वह स्थान बताओ जहां आग लगी है। उन्होंने बताया यहां कोई आग नहीं लगी, आग का सवाल ही नहीं है। मैंने बताया रेडियो में एनाउन्समेंट हुआ है तब पुलिस वाले कहने लगे रेडियो यूं ही बोलता है। रेडियो तो सरकार का है। आगे जाकर देखा ट्रक जला हुआ धौकड़ की बीच में, उस ट्रक के बारे में पूछा तो कहा गया भादरा से दो मील दूर है, दो मील दूर गोली चलाई गई इसलिये यह स्पष्ट है कि शहर के बाहर जाकर विद्यार्थियों को मारा गया है। यह किसी के समझ में नहीं आता है कि शहर से दो मील दूर जाकर गोली क्यों चलाई गई? जब गोली चलाई गयी तो पुलिस वालों ने सोचा कि डिफेन्स क्रियेट करना चाहिए और इसके लिए ४ सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों को भेजने के बाद आपको सुनकर अचम्भा होगा, अध्यक्ष महोदय, कि उन चार ने उस ट्रक को जो कि ढिलान पर खड़ा था उसको धक्का देकर सड़क पर ले लिया और

(श्री भैरोंसिंह)

इन चार में से एक सिपाही को भागते हुए वहां पर लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके कपड़े उतरवा लिये तो सिपाही ने कहा कि मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूं और मैंने तो सरकार के हुक्म को बजाया है। उसको पकड़ने वाले लोगों ने स्टेटमेन्ट दिया है। फायरिंग शुरू होने के १॥ घंटे बाद और फायरिंग खत्म होती है उसके आधा घन्टे के बाद उस ट्रक को छोड़ दिया गया। इस राज्य के ही तो हॉस्पिटल हैं, इसी राज्य की पुलिस है और यही राज्य हमारा इलाज भी करवाती है। मैं समझता हूं कि मानवता का तकाजा है कि शहर में कोई जाता है और किसी का कोई एक्सीडेन्ट हो जाय तो वहां पर आने-जाने वाले अपनी सवारी से उसको हॉस्पिटल पहुँचायेंगे। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि फायरिंग के बाद क्या सरकार ने मना कर दी थी कि घायल हुए लोगों को उठाना मत? जब पुलिस वालों ने लोगों को नहीं उठाया तो लोग अपने कन्धों पर उनको ले गये, लोग अपनी रेडी में उनको ले गए, लेकिन ज्यादा लोग थे इसलिए सबको समय पर नहीं पहुँचा सके। वहीं पर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की और मेडिकल ऑफिसर और तहसीलदार और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बीच में एक जीप खड़ी थी और उस जीप के ड्राइवर को कहा गया कि लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए जीप दे दो। उसने कहा कि नहीं और लोग और ड्राइवर के बीच बातें होते-होते वहां पर पुलिस आई और पुलिस और घायलों के बीच में झगड़ा हुआ और जीप को आग लगा दी। अब, अध्यक्ष महोदय, बस तो चली है हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में और नाम लगाया गया कि भादरा के लोगों ने बस में आग लगा दी। तहसील में नुकसान नहीं हुआ लेकिन उसके लिए कहा गया कि वहां के लोगों ने याने भादरा के लोगों ने आग लगा दी, भादरा के लोगों ने बस जलादी, भादरा के लोगों ने जीप जलादी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जीप जला दी यह सारी घटनायें पहले होतीं तो मौका हो बोलता, शहादतें तो बोलतीं। कोई आदमी इसके पक्ष में नहीं है। रेडियो ने कहा कि दो आदमी मर गए। एक सुभाष है उसके घर पर हम बैठने गये। हमने वहां पर पूछा एक तो यह सुभाष थे और इनके अलावा और दूसरा आदमी कौन था। वहां के एस० डी० एम० से पूछा तो वह कहता है कि मुझे पता नहीं कल माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि नोहर के एस० डी० एम० को चोट लगी। दूसरे दिन हम गंगानगर गये तो वहां पर पूछा कि वह दूसरा आदमी कौन था जो मरा। पहले एडीशनल एस० पी० को पूछा कि दूसरा आदमी कौन है जो मर गया तो एडीशनल एस० पी० ने कहा कि मुझे तो नाम का पता नहीं, एस० डी० एम० जानें। तो हमने उसके बारे में एस० डी० एम० को टेलीफोन किया तो इन्होंने भी कहा कि पता नहीं। वह कहने लगे कि कलेक्टर साहब के पी० ए० को पता होगा। हमने पी० ए० से पूछा कि दूसरे आदमी का नाम क्या है तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं डॉक्टर को मालूम है, और जब डॉक्टर से पूछा गया तो वह कहने लगे कि मेरे यहां पर कोई नहीं मरा। सरकार की एफिशियेन्सी का नमूना और क्या हो सकता है कि मरा तो एक आदमी और दूसरे आदमी का पता नहीं कि वह कौन था और रेडियो कहता है कि दो मरे हैं। हां-हां, इस बार सरकार ने एक समझदारी से काम लिया कि कोई

(श्री भैरोंसिंह)

सरकारी वक्तव्य प्रसारित नहीं किया। इस पूरी घटना के दौरान में यदि सरकार ने कोई वक्तव्य दिया है तो केवल एक कि सांगरिया में ६ आदमी नहीं बल्कि ५ मरे हैं और जो ६ का एनाउन्समेन्ट हुआ है वह गलती से एनाउन्समेन्ट हो गया। इसके अलावा सरकार ने आज तक कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे गोली-काण्ड के संबंध में गृह मंत्रीजी से और मुख्य-मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसमें एन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो प्रोसीक्यूशन की आवश्यकता है। और यह मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि केवल गोली आपने एक ही जगह चलाई हो ऐसी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जयपुर में सन् ६७ के गोलीकान्ड के बाद राजस्थान में १६ जगहों पर गोली चली है। वह भी एक मिनट में मैं बता देना चाहता हूं कि कहां-कहां गोलियां चली हैं। अध्यक्ष महोदय, १६६७ में गोली चलाकर सुखाड़ियाजी ने अपना शासन लिया उस समय से लेकर आज तक इनकी कोशिश रही है कि राजस्थान का राज्य गोलियों के बल पर कायम रखा जा सकता है। अब मैं सदन को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह तथ्य है कि राजस्थान में १६ जगहों पर गोली चली है। पहली गोली जयपुर में ७ मार्च, १६६७ को चली जिसमें ५३ आदमी तो घायल हुए और ६ आदमियों की मृत्यु हुई। दूसरी गोली २४-४-६७ को तालाशाही थाना बाडी में चली जिसमें ११ व्यक्ति घायल हुए और १ की मृत्यु हुई और यह गोली मुकदमा नं० ३१, दफा ३२३ में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने चलाई। तीसरी बार गोली ६-६-६७ को भरतपुर, पंजाब एवं राजस्थान सीमा पर तस्कर व्यापारियों के मुकाबले में चली जिसमें ३ व्यक्ति घायल हुए। चौथी बार गोली १०-६-६७ को सीवाना, जिला बाड़मेर में चली और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पांचवीं बार गोली ६-६-६७ को अलवर पोस्ट ऑफिस के पास चली जिसमें ३ व्यक्ति घायल हुए। छठी बार गोली २७-८-६७ को भरतपुर, पंजाब एवं राजस्थान की सीमा पर चली जिसमें २ आदमी घायल हुए। सातवीं बार १६-६-६८ को बीकानेर रेल्वे स्टेशन पर केन्द्रीय कर्मचारियों के आन्दोलन के संबंध में गोली चलाई जिसमें ६ व्यक्ति तो घायल हुए और १ की मृत्यु हो गयी। आठवीं बार ४-५-६६ को तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ में अमल की खेती करने वाले किसानों के साथ केन्द्रीय आबकारी विभाग से झगड़ा होने पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें भी एक तो घायल हुआ और १ की मृत्यु हुई। दसवीं बार हिण्डौन में हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाने की मांग को लेकर किये गये प्रदर्शन पर गोली चलाई जिसमें २ की तो मृत्यु हुई और ७ व्यक्ति घायल हुए। ग्यारहवीं बार २८-६-६६ को हिण्डौन में ही छोटे पोस्ट ऑफिस के पास हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने की मांग को लेकर किये गये प्रदर्शन पर गोली चलाई। बारहवीं बार ७-६-६६ को नेगरिया, जिला बांसवाड़ा में चली जिसमें १ आदमी घायल हुआ। तेरहवें स्थान का नाम है टॉडगढ़, अजमेर जहां १०-६-६६ को गोली चली और इसमें ४ आदमी घायल हुए। चौदहवीं बार १६-६-६ को ढाणी चारनान परसरामपुरा के पास थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में गोली चलाई। पन्द्रहवीं जगह है कोलुवा जिला जयपुर जहां १६-१०-६६ को गोली चलाई। उसके बाद नीम का थाना में चलाई जिसमें ८ व्यक्ति घायल हुए।

(श्री भैरोंसिंह)

सत्रहवीं बार ७-१-७० को सांगरिया में चलाई जिसमें २० आदमी घायल हुए और ५ की मृत्यु हुई। अठारहवीं जगह है भादरा जिसमें २२ आदमी घायल हुए और १ की मृत्यु हुई और अन्त में १३-१-७० को चूरू में गोली चलाई जिसमें १ की मृत्यु हुई और ३ घायल हुए। इस तरह से १३३ और ३ मिला कर १३६ लोग तो कुल घायल हुए और २२ की मृत्यु हुई।

अध्यक्ष महोदय, २२ आदमियों का सरकार ने कत्ल किया है और १३६ आदमियों को सरकार ने घायल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुखाड़ियाजी कि क्या आपके दिल से लोकतंत्र निकल गया ? क्या आप इतने कमजोर हो गए कि अब गोलियों के बल पर ही राज्य चलाना चाहते हैं ? तो मैं कहता हूं कि यह गोलियों की प्रवृत्ति आपको खत्म करनी पड़ेगी और यदि आपने खत्म नहीं की तो जनता को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि इस सरकार के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाय। याद है सन् १९६७ में आपने इसी विधान सभा में कहा था कि मैं गोली चलाने की बात से बड़ा दुःखी होता हूं। मेरे राज्य में गोली नहीं चलेगी तो क्या यह राज्य मेरा था जिसमें कि गोली चली ? गोलियों से लोगों को पुलिस ने भून दिया।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बेरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार किया। उसने जो भी कहा उसके लिए सरकार बाध्य थी तो उनका पालन कराया जाता। गृह मन्त्रीजी कह रहे थे कि जो भी एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स दी थीं वह देदी। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्या थीं एग्जीक्यूटिव इन्सट्रक्शन्स ? क्या यह इन्सट्रक्शन्स थीं कि गोली चला दो ? चूरू में गोली चलाई अध्यक्ष महोदय, और बड़े जोरों से सरकार कहने लगी कि हमने सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। सिपाहियों की कौन सुनता है ? वह गरीब लोग बेचारे तो पेड एम्पलोई हैं उनकी कौन सुनता है ? आप किस तरह से कहते हैं कि एस० डी० एम० ने आॅर्डर नहीं दिया। टेलीफोन पर बातें हुई हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी चर्चा करूंगा। टेलीफोन होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो-तीन मिनट ही बोलूंगा। टेलीफोन होते हैं और उसकी व्यवस्था की जाती है। सांगरिया और भादरा में गोलीकाण्ड हो गया और सरकार समझती है कि लोग उसको षड्यंत्र कहेंगे इसलिये पुलिस के सिपाहियों को जेल में डाल दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि यही सरकार है जो गोली खुद चलाती है और हत्या के लिये सिपाहियों को जिम्मेदार ठहराती है। इस प्रकार की हरकत करने वाले एस० डी० एम० को जंगले में ठोको, डीवाई० एस० पी० को जंगले में ठोको। भादरा के एस० डी० एम० और डीवाई० एस० पी० को जंगलों में ठोको। सांगरिया के लोगों को गिरफ्तार किया होता तो पता लगता कि सरकार वास्तव में गोलीकाण्ड के दोषियों के दोष से चिन्तित हैं और गोलीकाण्ड करने वालों को गिरफ्तार करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह मानकर चलें कि गंगानगर के आन्दोलन की जिन मांगों को स्वीकार किया है सुखाड़ियाजी ने उसको तुलनात्मक रूप से देखें तो स्पष्ट होता है कि आन्दोलन सही था, और यह

(श्री भैरोंसिंह)

भी स्पष्ट होता है कि आन्दोलन ने जो मांगें रखी थी उनको सरकार ने स्वीकार न करके गलती की है, और उस गलती से यह भी स्पष्ट होता है कि उससे आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला है। अध्यादेश के रूप में काला कानून पास करके सरकार ने अधिकार अपने हाथ में लिए और आन्दोलन को कुचलने की भी कोशिश की, तो मैं यह कहूंगा कि जिस आन्दोलन को लेकर गोलीकाण्ड हुआ है, उस आन्दोलन को बात में, अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में कहदूं कि इस आन्दोलन में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जितनी शान्ति रखी गई उतनी कभी हिन्दुस्तान में किसी आन्दोलन में शान्ति नहीं रखी गई। गंगानगर में जिसमें प्रत्येक ५ व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति के पास हथियार होते हैं, उन्होंने उन हथियारों को खूंटी पर टांग दिया, गाली-गलौच की भाषा जो कोई बोला उसका गला पकड़ लिया। गाली-गलौच नहीं हुआ, हत्याएं नहीं हुई, हथियार पकड़ने का सवाल नहीं, माननीय गृह मन्त्रीजी एक स्टेटमेंट मंगाकर देख लें कि ३ नवम्बर से लेकर आज तक और गये साल से उसी ३ नवम्बर से आज तक का स्टेटमेंट मंगाकर देख लें कि कोई गोली नहीं चली, कत्ल नहीं हुए लोगों में मारपीट नहीं हुई जिस जिले का एवरेज एक कत्ल का होता है वहां इस मुवमेंट के कारण लोगों ने हथियारों को पकड़ा नहीं, खूंटी पर टांग दिया, उस मूवमेंट के लिये आप कहें कि हिंसा पर उतारू हो गये। हिन्दुस्तान और राजस्थान में पहली बार ऐसा मूवमेंट हुआ है जिसमें लोगों ने हथियारों को ताक पर रख दिया, गाली-गलौच की भाषा को अपने शरीर में हजम कर लिया और सत्याग्रहियों के रूप में सरकार के सामने जाकर समर्पण कर दिया। भादरा में गोली चली और गोली चलने के आधा घण्टे के बाद ही लोग भादरा तहसील के सामने जाकर सत्याग्रह ऑफर करते हैं। सांगरिया में गोली चली लेकिन लोग सत्याग्रह ऑफर करने के लिये ट्रकों में भरकर गये। यह हिंसा की बात है या सिद्धान्त की बात है? आपने हिंसक बनाया और फिर कहते हैं कि ऊपर से गोली चली। मैं पूछना चाहता हूं कि गोली चली तो फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं? एक आदमी गोली चलाता है और यहां पर पुलिस खड़ी है तो वह भाग कर कहां जायेगा? पुलिस ने उसके पास वाले कसूराम को मारा है। वहां जाकर घेर लेते और वह पकड़ा जाता।

श्री रामचन्द्र आर्य : पकड़ा गया है अभी वह। एक ढाबे वाले को पकड़ा है। एक रोटी जो बेचता है उसको पकड़ा है क्योंकि उसके पास बन्दूक थी लाइसेन्स की इसलिए उसको पकड़ लिया।

श्री भैरोंसिंह : जिसको चाहा उसको पकड़ लिया....

श्री रामचन्द्र आर्य : पुलिस में ४०० रु० बाकी थे। वह हनुमानगढ़ की हवालात में है।

श्री भैरोंसिंह : झूठी कहानियां बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें यदि प्रमाण चाहें तो राजस्थान के कई पत्रकार वहां पर गये हैं हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समेन, राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति और हिन्द समाचार। इन सातों की रिपोर्ट हैं और इनकी रिपोर्ट मैं सदन की मेज पर रख देता हूं और गृह-मंत्रीजी से कह देता हूं कि इनमें कोई गलत

(श्री भैरोंसिंह)

बात नहीं है। सब की रिपोर्ट एकसी है और गोलीकाण्ड का वास्तविक चित्र है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जुडिशियल एन्क्वायरी के भ्रम में न रहें। मैं सुखाड़ियाजी से कह देना चाहता हूं कि आप चाहे मुख्य मंत्री हो लेकिन आपके शासन की बागडोर बिल्कुल ढीली हो गई है और सरकारी अफसर आपको गिनते नहीं है, और गिनते इसलिए नहीं है कि खोखलापन ऊपर से नीचे तक पड़ा हुआ है और कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि आप राजस्थान को डुबोकर रहेंगे। राजस्थान को तो आपने वैसे ही डुबो दिया है और जो कुछ बचा है उसको भी आप डुबोएंगे। आज आपके जमाने में १६ बार गोलियां चलाकर आप शासन पर बैठे हुए हैं। तो इन गोलीकाण्डों का प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहां से त्यागपत्र देकर हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके आ जायें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये खून से लिप्त कपड़े माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास भिजवा दें ताकि वे इनका खून चूस लें। इनकी आदत पड़ गई है और किसी का खून करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो कपड़े पेश किये गये हैं ये खून से लिप्त हैं। बदबू आ रही है और ये मेटीरियल बेसिस ऑफ एवीडेन्स हैं। इस प्रकार से कोई फैसला आये तो उसके सामने पेश किये जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एवीडेन्स होने के कारण मैं समझता हूं कि आपके नोटिस में ये चीजें आगई हैं। इस प्रकार से ये कोई वेस्ट नहीं हैं। इसको सुरक्षित एक अटैची में रखा जाना चाहिए और सीलबन्द कर देना चाहिए। और कोई मौके पर ये चीजें काम में आ सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके माथे पर सफेद टोपी (टोपी दिखाकर) भी थी इसकी भी रियायत नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : बाद में आई है या इसके साथ रही है।

भैरोंसिंह : इसके साथ में थी इसमें रह गई थी।

श्री अध्यक्ष : अटैची आप दे रहे हैं। यह भी पीस ऑफ एवीडेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : उसका मुझे कुछ भी नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष : ये वस्त्र एक अटैची में रखे जायं और सीलबन्द कर दिये जायेंगे और सुरक्षित रूप से जब भी पीस ऑफ एवीडेन्स के रूप में मांगे जावेंगे तो सदन की अनुमति से दिये जायेंगे।

और जो दूसरे आपने फोटोज का कहा था....

श्री भैरोंसिंह : सब को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से वे जो बुलेट्स हैं उनको अलग रख लिया जायेगा।

श्री विजयसिंह : ये तो खाली हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इनके अन्दर बुलेट्स नहीं हैं ?

श्री विजयसिंह : खाली खोखे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसको भी ले लिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस गांधी शताब्दी में गांधीजी के चेले को मारा है इस सरकार ने।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ : मैं आपकी इजाजत से ठीक तीन बजे बोलूंगा।

श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो चार बजे रिप्लाई का रखा गया है। तो बोलने वाले ज्यादा हैं इसलिए हाउस की सेन्क्शन लेकर और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस स्थगन-प्रस्ताव पर दो दिन रखे हैं जो कि बहुत पर्याप्त हैं। इस पर ज्यादा नहीं हो सकता है। चार बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, इस ओर से कोई नहीं बोला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता माननीय भैरोंसिंह जी ने इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़ें रखे थे और यह बताने का प्रयत्न किया था कि राजस्थान में कई बार गोलियां चली हैं। मैं कुछ आंकड़े दूसरी रियासतों के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, पंजाब में ६८ में ३ दफा गोली चली है और ६६ में एक दफा गोली चली है। मध्यप्रदेश में ६८ में १ बार और ६६ में २७ बार गोलियां चली हैं। यू. पी. में पहले तीन बार और दो बार, गुजरात में १३ और ३७ बार, बिहार में ७ बार और ६ बार, राजस्थान में एक बार और ६६ में निल ७० में जनवरी में जो हुआ है उसको मैंने अलग रख दिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : तो जितनी कम रही हैं उतनी आप और चलाना चाहते हैं क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय गोली-काण्ड पर बहस हो तब कई बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। आज सन् ४७ के बाद में, २३ वर्ष की आजादी के बाद में सदन में, पालियामेंट में प्रोसीडिंग्स की मार्फत आप निर्णय करना चाहते हैं। ५७ में पहले इस देश में विभिन्न स्थिति थी। सारे सदन की पार्टीज जो मेरे सामने नहीं हैं वे हमारे विरोध में थी। उनमें निराशा का वातावरण, फ्रस्ट्रेशन का वातावरण था....

श्री मदनसिंह : तो क्या आपका मतलब है कि गांधीजी की हत्या जो गोली से हुई थी वह....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात तो सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : डिस्टरबेंस मत करिये। मैं भी कोई मार्ग बताना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में ६७ के चतुर्थ चुनाव के बाद में एक नई स्थिति सामने आती है। संविद की सरकारों का गठन हुआ और संविद सरकारों के गठन के बाद क्या आप दावा कर सकते हैं कि वहां पर गोलियां नहीं चली, और विरोधी सदस्यों को यह ढूंढने का मौका मिला

(श्री यशवंतसिंह)

है कि पुलिस ने गोलियां चलाई और यह सरकार खूनी सरकार है। तब मैं उन महानुभावों से पूछना चाहता हूं जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए यह चार्ज लगाने का प्रयत्न करते हैं कि जिन जगहों पर वह सरकारें थीं, जो संविद की सरकारें थीं जिनमें जनसंघ का पार्टीसिपेशन था, स्वतंत्र पार्टी का पार्टीसिपेशन था, समाजवादी पार्टी का पार्टीसिपेशन था, बी० के० डी० का पार्टीसिपेशन था, क्या वहां पर भी गोलियां नहीं चलाई ?

(१.४० म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह कौनसा आदर्श था ? वह भी गलत था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह भी आदर्श नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि गोली चलाना आदर्श नहीं है। मैं मानता हूं कि गोली चलाने वाला किसी के लिए आदर्श नहीं है। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वह सरकार कोई अच्छी थी। मैं यह नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन आपको और हमें निर्णय करना है, आपको और हमें यह तय करना है कि जब गोली चलती है तो गोली चलने के पीछे क्या स्थिति थी ? उसके सम्बन्ध में आपको और हमें, जो इस सदन में बैठे हुए हैं, कुछ बातों का निर्णय करना चाहिए। अगर हम निर्णय नहीं करते हैं तो मैं उन व्यक्तियों को कुछ नहीं कहना चाहता जो जनतंत्र, जो लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, जिनका केवल उद्देश्य यह है कि आग लगाना, बगावत पैदा करना उनको मैं नहीं कहना चाहता लेकिन उस तरफ बैठने वाले विरोधी दल के माननीय सदस्यों में, एक माननीय सदस्य को छोड़ कर, मेरे ख्याल में सब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर विश्वास रख कर चलने वाले हैं इसलिए आप को और हमें केवल इमोशन में बह कर आगे नहीं बढना है, लेकिन कुछ रिजनिंग के साथ हमें कतिपय प्रश्नों को तय करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गोली काण्ड हुआ चाहे वह गंगानगर में हुआ या इससे पहले गोली काण्ड हुए उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से उसके अधिकारियों के द्वारा प्राप्त एक कथन को इस सदन के सामने रखा जाता है। विरोधी पक्ष के जो माननीय सदस्य मौके पर मौजूद थे, वह अपने ढंग से अपना कथन प्रस्तुत करते हैं, उनके अलावा वह सदस्य भी, जो कि वहां पर तो थे नहीं, उन्होंने अखबारों की कुछ लाइन पढ़ ली और उन अखबारों के आधार पर अपने कथन को पुष्ट करने के लिए पता नहीं कितनी बातें इस सदन के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कतई विवादास्पद हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनमें क्या सच्चाई है क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं। लेकिन मैं एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जब अखबारों की कटिंग के आधार पर कुछ बातें कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैं सदन के सामने एक बहुत गहरा भेद पेश करना चाहता हूं, वह भेद यह है, जब माननीय सदस्य द्वारा

Page No 77

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

यहां पर जिस समय यह कहा जा रहा था कि सुखाड़ियाजी उस गोलीकाण्ड का संचालन कर रहे थे, और डिप्टी मिनिस्टर हनुमानगढ़ में बैठे हुए गोलीकाण्ड के लिए पुलिस अधिकारियों और रेवेन्यू अधिकारियों का संचालन करने का प्रयत्न कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात आई वह मैं सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो उस समय जयपुर में थे, विरोधी दल के जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्य, जो बोल चुके हैं या बोलना चाहते हैं उनको गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने पुलिस के कपड़े दिये पहनने को और हाथ में रिवाल्वर पकड़ा दी और कहा कि तुम गंगानगर जिले में जाकर जनता को भून दो। तो हमें इन बातों का निर्णय यहां नहीं करना है, यह मेरा कहना है जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, विरोधी दल के माननीय सदस्यों की जो कहानी आई है उनके सम्बन्ध में इस सदन को निर्णय करना है। लेकिन सदन में इस बात का निर्णय नहीं होगा। इस बात का निर्णय होगा जो पब्लिक एन्क्वायरी एक्ट के अधीन इस बात का निर्णय होगा कि आया ए० डी० एम० सरकार द्वारा दी गई कई चीजों पर एन्क्वायरी करें वैसे यह ठीक है कि आपको ए. डी. एम. में विश्वास नहीं हो। यह ठीक हो सकता है कि हाईकोर्ट के जज में विश्वास हो। लेकिन यह दूसरा प्रश्न है, जिसके बारे में विचार व्यक्त करने के लिए मैं सदन का समय नहीं लूंगा लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे मे मैं निवेदन कर देना चाहूंगा। आज के कानून के अनुसार पुलिस के अधिकारी हैं जिनके पास लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का अधिकार है, इसके अलावा जाब्ता फौजदारी है, जो आज से पता नहीं कितने वर्ष पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में बना था, उसमें यह प्रावधान दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार की परमीशन लेना आवश्यक है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस के खिलाफ जनता को राइट ऑफ आफेन्स नहीं है, यह अधिकार नहीं है। तीसरे जितने कानून हैं, उन कानूनों के आधार पर एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य अधिकारियों के द्वारा गुड फेथ में लिये हुए एक्शन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस सदन में हम बैठे हुए हैं तो जो डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है उसे हमें मान कर चलना है। आज और हमें यह तय करना है कि इस राज्य के कानून को हम खत्म कर दें ? किस तरह से खत्म करें यह अलग देखने की बात है। १९४७ से पहले जब अंग्रेजों से हमने आजादी प्राप्त की थी उससे पहले विदेशी हुकूमत के अधीन काम करने वाली पुलिस थी जिसका केवल मात्र एक उद्देश्य था, इस जनता को विदेशी हुकूमत के मुकाबले किस तरह से दबाया जाय। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, ला कमीशन ऑफ इंडिया ने पुलिस के रवैये के सम्बन्ध में एक बात कही थी, जिसको मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं—आज जनता का पुलिस के अन्दर ट्रस्ट नहीं रहा, जनता के सेवक होने के बनिस्बत जनता ने अपना विश्वास पुलिस में खो दिया है। मैं आपसे एक और निवेदन कर देना चाहता हूं, वह निवेदन यह है कि १९४७ के बाद भी जब १९५० में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

लोकतंत्र को हमने अपनाया है और पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को अख्तियार किया है, उसके बाद कुछ रास्ते हमें तय करने पड़े हैं और वह रास्ते हैं, जब इस तरह आपकी और हमारी मांग हो तो उन मांगों का सही निराकरण क्या हो। विदेशों में और हमारे देश में कई इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं। और आज जब एक इस तरह की बात कहने लगे हैं इससे पहले १६६७ के पहले मेरा विश्वास था और मैं मान कर चलता था कि सारे देश में सिवाय केरल के कांग्रेस की हुकूमत थी और उसको जितनी गाली दे सकते थे देते थे, हत्यारी कहें, कमजोर कहें, खूनी कहें। लेकिन जब हम रिकोइल करेंगे, दूसरी जगह पर जहां लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का प्रश्न आये, तो दूसरी जगह हम रिकोइल करेंगे तो हमें इमोशनल वे में काम नहीं करना है, बल्कि रीजनिंग से काम करना है। रीजनिंग के आधार पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज गंगानगर की जो मांगें हमारे सामने आई हैं, उनमें कुछ तो यूटोपियन मांगें हैं—भाखरा का पानी, गंग कैनाल का पानी, भाखरा में सरकार ने प्रॉपर इन्तजाम नहीं किया, नहरों की सफाई पूरी नहीं कर सकी। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मैं किसी को डिफेन्स करने नहीं जा रहा हूं, अमृत नाहटा और दूसरे माननीय सज्जन जो यहां विराजे हैं, जब जैसलमेर के कुछ आदमियों को राजस्थान कैनाल पर काम करने के लिए जिस समय भेजा जा रहा था, तो आमरण अनशन करने की धमकी दी। एक एम. पी. और दूसरे सज्जन, जिनमें इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मौजूद थे, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था कि जब तक यह....

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम. पी. किस दल के थे ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कांग्रेस दल के। मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस दल के थे मैं आपकी और हमारी बात नहीं कहना चाहता। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जिन बातों का हम निर्णय करें। आप किसी को गाली निकालें, किसी पर तोहमत डालें, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालें लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको तय करना है। १६४७....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : १६६७ के बाद !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : १६६७ के बाद जब सरकार बनने लगी तो तब बैठ कर हमें रिकन्सीलियेशन करना पड़ा कि गाली निकालने से पहले गाली सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सुखाड़िया और दूसरे डिप्टी मिनिस्टर गोलीकाण्ड का संचालन जयपुर में बैठे हुए कर रहे थे, तो इस बात को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए उन माननीय सदस्य को जो इस प्रकार का चार्ज लगाते हैं कि उनके हाथ में रिवाल्वर था और उन्होंने उन लोगों को भूना था। इससे इन्कार मत करिये। यह सदन में कपड़े फेंकने से काम नहीं चलेगा। इस सदन में जुडिशियल एन्क्वायरी या दूसरी तरह की एन्क्वायरी आप और हम नहीं कर सकते। इस सदन के अन्दर हमें और आपको अपने ग्रीवेन्सेज को वेन्टीलेट करने का प्लेटफार्म मिला हुआ है, इस प्लेटफार्म के द्वारा हम क्या चीज लाना चाहते हैं ? विद्रोह ? हुकूमत को गिराने का एक तरीका ? यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत बिल्कुल ढीली हो गई है, इसको खत्म हो जाना चाहिए ? गंगानगर

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

में गोली चली। गोली चलना ठीक नहीं है। आप कहते कि गंगानगर में पुलिस वालों ने ज्यादती की थी तो मैं आपके साथ हूं, उस ज्यादती के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए और एन्क्वायरी में एस्टेब्लिश्ड फेक्ट्स के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक सेट अप में कुछ बातों के ऊपर हमें निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन आज चाहे कांग्रेसी हो या विरोधी पार्टी के माननीय सदस्य हों, हम एक बात कह कर चलते हैं-इस सदन में बैठ कर हम कानून बनाते हैं लेकिन उन्हीं कानून को फ्लाउट करते हमें दो मिनिट लगते हैं। पब्लिक आन्दोलन के नाम से हम तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं, टैक्स नहीं देंगे। कल की ताजीरात हिन्द की दफा ३०२, जिसमें कहा गया है कि कत्ल करना एक अपराध है और उसके लिए फांसी की सजा होगी, वह फांसी की सजा न होकर आजीवन कारावास हो-यह बात कहते तो मेरी समझ में आता कि इस बात के लिये आन्दोलन करें कि फांसी की सजा न होकर आजीवन कारावास करें। लेकिन यह आन्दोलन करने बैठे कि कत्ल के मुकदमे में सजा देना अपराध है तो मैं सोचूंगा कि आप और हम क्या करने जा रहे हैं? हम जनतंत्र की नींव ढीली कर रहे हैं या जनतंत्र की स्थापना के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस कानून के सम्बन्ध में मैं मानता हूं, जिस समय सत्याग्रह चल रहा था, उस समय कानून बना, उस कानून के बनने के बाद, जिसमें सारा सदन, जिसमें कांग्रेसी भी है और अपोजीशन भी है, सहमत है-वह लॉ ऑफ लैंड हो गया है और उसके अधीन बैटरमेंट लेवी लगाई, सरचार्ज लगाया....

श्री रामचन्द्र आर्य : हम उस समय धरने पर बैठे थे और आपने नाजायज़ काम किया, इसलिए गंगानगर के लोग लड़ रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मानता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वह लॉ ऑफ लैंड हो जाता है....

श्री मदनसिंह : लॉ ऑफ लैंड तो कांग्रेस ने बनाया लेकिन इन्दाजी ने उस लॉ ऑफ लैंड को खत्म कर दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी राय को नहीं माना।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : देश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद इस बात का चल रहा है कि कानून बना, वह लोगों के प्रिवेन्सेज को, एक्स्प्लॉयटेशन को दूर करने के लिये सक्षम है या नहीं, आन्दोलन किस तरह किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में मैं कर्नीकर साहब की राय सदन के समक्ष रखूंगा। कर्नीकर साहब लेक्चरार इन पोलिटिकल साइन्स और जनसंघ के प्रॉमिनेन्ट मेम्बर है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मानेंगे कि कर्नीकर साहब का जनसंघ की नीतियों को निर्धारित करने में हाथ रहा है। मैं इस सम्बन्ध में राजू साहब का नाम लूंगा जो स्वतन्त्र पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, मैं जोशी साहब का नाम लूंगा जो संसोपा के प्रेसीडेन्ट रह चुके हैं, मैं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चरणसिंहजी का नाम लूंगा। इनके कथनों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी यूटोपिया पर आधारित नहीं, आदर्शवाद, समाज और राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। आप अभी

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कह दें कि राजस्थान कैनाल को सदन के प्रांगण से बहाया जाय, यह हो नहीं सकता राजस्थान कैनाल कब बने यह हमारे वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है, इसके लिये आन्दोलन का प्रश्न नहीं होता यह यूटोपिया है। आन्दोलन का कुछ प्रश्न ऐसा है जो रीति-नीति के विरोध में किया जाता है। जो रीति-नीति राज्य सरकार तय करती है उसके विरोध में आन्दोलन होता है, पर कानून के विरुद्ध आन्दोलन का प्रश्न नहीं है। यह मांग करना, यह आन्दोलन करना, यह स्थापना करना कि जनता की हालत खराब है, जनता के रहने के लिये खाने के लिये सरकार की ओर से इन्तजाम नहीं है यह यूटोपिया नहीं है, आन्दोलन है उस आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ बातें हैं। मेन बात यह है कि आन्दोलन किस तरह का कैसे किया जाय? इस सम्बन्ध में मैंने जो उपरोक्त नाम बताये उनके अलावा रजनी कोठारी और अंगरेज बॉउल्स जो इंगलैंड के हैं उनके नाम और जोड़ता हूं। उनकी ओपिनियन है कि यह सब आन्दोलन केवल उस सीमा पर स्वीकार करने योग्य हैं कि वे हिंसात्मक नहीं हों। मास मुवमेंट उन लोगों के हाथ में होना चाहिये जिनमें महात्मा गांधी जैसी क्षमता हो। वह अगर नहीं है तो एक और विश्लेषण सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। ३४ मांगों को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ किया गया उनमें कुछ कानूनी मांगें हैं, कुछ यूटोपियन मांगें है, उसमें विद्यार्थियों की मांगें आ खड़ी हुई, जयपुर के विद्यार्थियों की मांग और आ खड़ी हुई, जयपुर के विद्यार्थियों ने मांगें रखी हैं की सुखाड़ियाजी को इस्तीफा दे देना चाहिये कालेजों में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिये हाजरी नहीं होनी चाहिये...

श्री रामानन्द अग्रवाल : परीक्षाएं नहीं होनी चाहिये, यह तो कोई मांग किसी ने नहीं रखी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हाजरी नहीं होनी चाहिये

श्री रामानन्द अग्रवाल : ७० परसेंट अटेन्डेन्स....

(दोनों माननीय सदस्यों के साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं, जनतन्त्र के खिलाफ बगावत कर के हर तरह से जनतन्त्र को खत्म करना उनकी पार्टी का उद्देश्य है, यही बंगाल में हो रहा है, रवीन्द्र सरोवर काण्ड हमारी आंखों के सामने वहां आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके सम्बन्ध में जांच कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और आपकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रवीन्द्र सरोवर काण्ड जहां हमारी मां बहिनों की इज्जत लूटी गई, उस लेक से दो महिलाओं की लाशें निकली

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : इसका कनेक्शन गंगानगर जिले के गोलीकाण्डों से कैसे लगा रहे हैं, आपकी बहन बेटियों की इज्जत वहां तो नहीं लूटी फिर क्यों गोलियों से लोगों को वहां पर भूना ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जनसंघ से गठबन्धन करना चाहते हैं!

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं उन लोगों में से हूं जो जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उन दलों की बात कह रहा हूं जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं पर जो लोग रूस और चीन को हमारे देश को बेचना चाहते हैं, उनसे कभी जनतंत्र की आशा नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आपको सिण्डीकेट में चले जाना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : चले जाना चाहिये, इस पर मैं अपना निर्णय करूंगा आपकी राय की आवश्यकता नहीं। पर जो लोग चीन और रूस के हाथों इस देश को बेचना चाहते हैं वे गद्दार हैं, मैं इसमें सेंट परसेंट विश्वास करता हूं और जनतन्त्र के हामियों से मेरी चुनौती है कि आप बहकें नहीं, ताव में नहीं आयें, बुद्धि से निर्णय करिये, आपको कुछ पोइन्ट्स तय करने होंगे अगर जनतन्त्र, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को जमाना है तो आपको कुछ बातें तय करनी होंगी। जब आप देखें कि कांग्रेस सरकार एक बात भी हमारी मानने को तैयार नहीं, क्या करें अब तो केवल एक आन्दोलन ही रास्ता है, तो आन्दोलन करिये, जरूर करिये, क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पूरी तरह से परफेक्ट है यह तो कह नहीं सकते क्योंकि दो विरोधी दलों के संघर्ष के बाद एक राज्य कायम होता है, कुछ लिमिटेशन्स होती है, उसके लिये आप आन्दोलन करिये आन्दोलन परमीसिबल है, आन्दोलन करिये पर वह आन्दोलन किसी भी सीमा पर वॉयोलेंट नहीं हो।

मैं कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा, गृह मन्त्रीजी ने आंकड़े रखे, यह आन्दोलन पटवारियों के सर्कल से प्रारम्भ हुआ, होम मिनिस्टर साहब को जो इन्फोरमेशन मिली वह उन्होंने यहां रखी, पहले पटवार सर्कल पर यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उसके बाद तहसीलों पर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उधर से मुकुट साहब ने और भैरोंसिहजी ने इस बात की ताईद की कि पटवार सर्कल से आंदोलन शुरु हुआ। क्या था वह आन्दोलन यह था कि पटवारी जो इस तरह के कागजात तैयार कर रहे थे, उनको वह रेकार्ड तैयार नहीं करने दिया जाय। एक पटवारी सरकारी काम कर रहा है, उसको काम नहीं करने देना। मैं तो नहीं कहता कि आपका यह आन्दोलन शान्त आन्दोलन कहा जा सकता है। जो पटवारियों को वहां काम नहींकरने दिया तो वे तहसीलों में चले गये।

गोली कैसे चली इसमें यह एडमिटेड फैक्ट है कि एक बस में, ट्रक में आग लगाई गई, जीप जलाई गई। कैसे जलाई ? यह मैं नहीं कह सकता, जैसे विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते हैं इन्होंने जलाई गृह मन्त्री कह रहे हैं कि आन्दोलनकारियों ने जलाई, तो यह विवादास्पद तथ्य है, पर यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि जिसके हाथ में जिन राज्यों की गणना मैंने बताई जहां गोलीकाण्ड हुए, न तो कोई इन्क्वायरी हुई

(२.०० म प.)

ज्यूडिशियल तो छोड़ो, पब्लिक एन्क्वायरीज एक्ट के तहत भी एक जगह जांच हुई, बाकी कहीं एन्क्वायरी होने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ और कहीं भी नहीं की गई। क्या कारण था ? हम सब को बैठकर सोचना पड़ेगा कि पुलिस जिस पर लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी है, वह पुलिस जैसे माननीय भैरोंसिहजी ने कहा, वह नहीं वह हमारी लाइफ एण्ड प्रापर्टी की रक्षा करती है...

श्री रामचन्द्र आर्य : जो रात को जिन्दा शहीदों की लाशें जलाये, क्या यह कानून है कि उनको जला दिया जाय ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं सबमें पहले उन पुलिस वालों की निन्दा करता हूं जिन्होंने बिना किसी सोचे समझे, बिना कुछ बोले, गोली चलाई ! मैं मानता हूं कि अगर ऐसी कार्यवाही है तो ऐसे पुलिसवालों को सजा मिलनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : एन्क्वायरी नहीं, गिरफ्तार करना चाहिए जिन लोगों ने रात को लाशें जलाई और जबर्दस्ती उन लोगों को मारा है, एन्क्वायरी तो पहले भी हुई थी। एन्क्वायरी करने वाली भी यही सरकार सजा देने वाली भी यही सरकार।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : या तो मेरी बात मानों या जितने माननीय सदस्य बैठे हैं पुलिस कान्स्टेबल के रूप में हाथ में बन्दूक लेकर गोली चलाये। मगर आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह चीज न कहें। मैं मानता हूं कि जो पुलिस वाले गोली चलायें, एस० डी० एम० भी उसमें शरीक हों तो जयपुर में बैठने वाले गृह और मुख्य मंत्री उसका संचालन कर रहे हों, तो इस सदन से पहले उनसे बात करनी होगी। १९६७ के बाद नई स्थिति पैदा हो गई तो आपको तय करना पड़ेगा। तय करें कि आंदोलन कहां तक ठीक था, पुलिस का अधिकार कहां तक ठीक था, पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की कहां तक क्षमता है? इधर दूसरे तथ्य आ रहे हैं, हम कह दें कि पुलिस वालों को गिरफ्तार कर दे, मैं सदन के समक्ष एक प्रश्न पूछने का अधिकार रखता हूं।

श्री मदनसिंह : चूरू में गिरफ्तार कैसे हुए ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : चारों तरफ से पुलिस का सिपाही, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं लेकिन जब वह चारों तरफ से घिर जाय उस पर पत्थर फेंके जायें और मारने को तैयार हों तो सिपाही साइलेन्ट स्पेक्टेटर की तरह जूते खाता जायगा ?

श्री लादूराम सुलानिया : एक दो मरे क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो नहीं मानता। वह गोल्डन रूल है जिसमें राइट आफ डिफेंस पैदा होता है, जब एक तरफ निहत्थे मानना दूसरी तरफ सिपाही और जिसके हाथ में रिवाल्वर है, कहां तक तुलना है? इसलिए जो लाइफ एण्ड प्रापर्टी को सेव करते हैं, उसकी अधिकार हम देते है, अधिकार के साथ हमने उसकी शक्ति का....

श्री रामचन्द्र आर्य : बेरी आयोग की रिपोर्ट कहां गई ? उसको लागू क्यों नहीं किया ? ये सारे सजेशन्स दे रहे हैं, हमारे भाषणों के खिलाफ दे रहे हैं. सुखाड़िया सरकार क्यों नहीं कहती कि बेरी आयोग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आई थी, उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं। कुछ निष्कर्ष सदन के सामने रखना चाहता हू और तय करने के लिये सब को निर्णय करना है, जनतंत्र के आधार पर या तो साम्यवादियों का रास्ता है विद्रोह पैदा करो, लोगों का धन-माल लूटो, महिलाओं को इज्जत को मोलेस्ट करो। अन्त में मैं अंग्रेजी कवि के कुछ वाक्य सुना कर समाप्त करता हूं, वह है....

श्री हीराभाई : मैं पूछना चाहता हूँ, कि भूमि आपको पूंजिपतियों को देनी है या गरीबों को जो भूमि की भूख से तड़फ रहे हैं ? इसके बीच में आपको क्या निर्णय लेना है ?

श्री मधनसिंह : जगजीवनराम ने कहा था कि आन्दोलन करो। यह सारा आंदोलन जगजीवनरामजी को इन्सपीरेशन से हो रहा है। उन्होंने समझाया कि मगर भूमि नहीं हैं तो छीनो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कुछ स्टेटमेंट्स सदन के समक्ष रखता हूं, फर्नांडिस हैं जनसंघ के प्राफेसर है, बम्बई में कालेज में लेक्चरार हैं और जनसंघ के एक्टिव मेम्बर हैं? He says in his article on "Role of Opposition in India':—

"It is out of frustration that we resort to public protest against Government. The situation has changed after the Election of 1967, when they have started to form their own Government. Some constructive approach to problems must be searched."

सेकेण्ड हैं राजू साहब सेक्रेटरी स्वतन्त्र पार्टी —

"We must try to evolve methods where public grievances can be met by lawful means, public protest at mass scale is liable to be violent and may bring out authoritative attitude of right or left.",

जो एस० एस० पी० के प्रेसीडेन्ट हैं श्री जोशी उन्होंने कहा है एन्टी कांग्रेसवाद यानी गैर कांग्रेसवाद १९६७ के चुनाव के बाद और खास तौर से कांग्रेस के विभाजन के बाद समाप्त हो गई। अब अपने ऐक्शन्स को रेग्यूलेट करना है जिससे कि हम इसके सम्बन्ध में अपना कुछ निर्णय कर सकें और उनके एग्जैक्ट शब्द हैं:—

श्री हीरा भाई : गोली चला कर कब्जा करो।

यशवन्तसिंह नाहर : "Anti Congress attitude must change so in our behaviour on direct action and public protest."

बी० के० डी० के चौधरी चरणसिंह का स्टेटमेन्ट है :

"Our attitude to Government must change. Now there are alternates. The Opposition have also formed Governments and our rigidity to actions must be transferred."

इसके बाद एक रास्ता है—आथोरोटेरियन राइट हो चाहे लेफ्ट हो, साम्यवादियों का रास्ता— वन पार्टी गवर्नमेन्ट, जो उन्होंने कहा वही ब्रह्म वाक्य उनके खिलाफ कहो तो भून दिये जायेंगे। बंगाल और केरल में देख रहे हैं। कोई गोली काण्ड को स्वीकार नहीं करेगा लेकिन गोली काण्ड हुआ है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और गोली काण्ड हुआ तो उसमें आपको और हमें क्या तय करना है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो राय जाहिर की प्रोफेसर साहब की, तो आप उनकी आइडियालोजी और फिलासोफी से सहमत हैं क्या?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं जनतन्त्र में विश्वास करता हूं। अभी बम्बई अधिवेशन से पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ। पटना में जनसंघ का अधिवेशन हुआ, तब उन्होंने यह बताया कि क्लासलेस सोसायटी अगर फार्म करनी है और समाजवाद लाना है तो मैं विरोध नहीं करता। मैं गवर्नमेन्ट प्रोन्ड इन्डस्ट्री का विरोध करता हूं।

और मीनू मसानी का एक स्टेटमेन्ट है जो स्वतन्त्र पार्टी में है। मैं तो समाज-

Page No 84

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

वाद को मान कर चलता हूं। जनतन्त्र में जो पार्टी विश्वास करती है उसमें मैंने कहा है। आप तो विद्रोह करना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह : यह पार्टी है जो इन्दिराजी की मदद भी करती है।

श्री दौलतराम सारण : यह आप कह रहे हैं। आप पार्टी का स्वरूप तो देखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इसीलिये इस सदन के सामने..

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे पार्टी के ऊपर सलेण्डर कम्पेनिंग कर रहे हैं। इसका तो मुझे उत्तर देने का मौका मिलना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और दूसरे यह पूछना चाहूंगा कि मुख्यमन्त्रीजी जब जवाब देंगे तो जो उनके माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं क्या उससे राजस्थान की कांग्रेस और राजस्थान के मुख्य मन्त्री उससे सहमत हैं और जो आउटलुक माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया हैं जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी का तो क्या उससे आपकी पार्टी का एग्रीमेंट है। आपकी पार्टी की लाइन क्या है? यही दृष्टिकोण है?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने यहां अपनी बात रखी है। जनतन्त्र और लोकतान्त्रिक पार्टी में आज मेरा विश्वास है और उनका दूसरे कारणों से विरोधी भी हूं लेकिन जो साम्यवादी पार्टी है, जो चीन से घुसपैठ करके यहां विद्रोह करना चाहते हैं, देश में विद्रोह करना चाहते हैं उनका मैं विरोधी हूं। हमारा मोह विदेशियों के प्रति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको पटना के सैशन में जाना चाहिये था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह निर्णय करने का सवाल मेरा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोल रहे हैं अहमदाबाद की भाषा में और काम कर रहे हैं बम्बई की पार्टी में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : केवल मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि केवल लोकतान्त्रिक पार्टियों में हो विश्वास करना चाहिये। लोकतन्त्र के रहते हुए हमें क्या नये तूफान मान कायम करने चाहियें उसके लिये मैंने दिग्दर्शन किया है। मैं उनकी बात नहीं कहता जो अखबारों में पढ़ा है उसकी कटिंग्स पढ़ कर सदन के सम्मुख रखी है क्योंकि मैं ज्यादा सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। यह जो विद्रोह है उसमें आग है। बेकार में लोग हमारे में लगाना चाहते हैं। हम जनतन्त्र में विश्वास करने वाले उसमें न बहें। एक अंग्रेज कवि ने कहा है उसको मैं पढ़कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा :

When we lie down worn out,
Other men will stand young and fresh
By the steps we have got,
they will climb;
By the stairs that we have built,
they will mount;
At the clumsy work they will laugh;
And when the stones roll,
they will curse;
And they will mount on our work;
They will climb by our stairs;
No man liveth to himself;
And no man dieth to himself."

श्री रामानन्द अग्रवाल : अंग्रेजी के प्रति श्रद्धा अभी खतम नहीं हुई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है कि जनतंत्र के प्रति हमने कदम बढ़ाये हैं तो भगवान के नाम पर इस शासन से विद्रोह करने के लिये हम इन लोगों के हाथ न बिकते जायें जो इस देश को गिरवी रखना चाहते हैं.......

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो सबसे पहले गये हैं सिण्डीकेट के साथ और फिर उसके साथ बदल गये। एक ही आत्मा को बदल कर आप बम्बई भी चले गये ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह हमारा सौभाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर प्लीज।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पर इसका इफेक्ट नहीं हुआ हो।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस पार्टियों के सिद्धान्तों पर हो रही है या गंगानगर के गोलीकाण्ड पर हो रही है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह एक बहुत बड़ा तूफान है। इण्डीकेट चन्द सिद्धान्तों में विश्वास रखता है....

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या उनके पास कम्युनिस्ट नहीं हैं ? दिल्ली की सरकार कम्युनिस्टों के समर्थन पर चल रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह अलग बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए अधिक समय नहीं लगाऊंगा सिर्फ एक ही बात कहूंगा। जब कानून के खिलाफ विद्रोह करने की बात आवे तो उसके पहले एक प्लेटफॉर्म हो जहां हम विद्रोह करें। इधर वाले बहुमत में हैं तो उनको बहुमत से गिरा दें। वह शांतिमय हो और जब गोलीकाण्ड हुआ हो तो मैं निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, विद्वतापूर्वक हम निर्णय करें कि यह जो गोलीकाण्ड हुआ वह क्यों हुआ ? कैसे हुआ ? उसकी आवश्यकता थी कि नहीं ? कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि निहत्थे व्यक्तियों को भून दिया जाये लेकिन जो सिचुवेशन है, परिस्थितियां हैं उनको हमें तय करना है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

राजवी श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है और अभी दस व्यक्ति और बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो गोलीकाण्ड की घटना कुछ दिन पूर्व अमुक स्थानों पर गंगानगर जिले में हुई है उस सम्बन्ध में इस ओर के माननीय सदस्यों की बात भी मैंने ध्यानपूर्वक सुनी है और उस ओर के माननीय सदस्यों की बात भी। माननीय गृह मन्त्री महोदय का बयान भी मैंने सुना। मैं इस सम्बन्ध में लम्बी-चौड़ी तूल-तबील की बातों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन खास-खास मुद्दे जो हैं उस सम्बन्ध में मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अपने विचार स्पष्टतया व्यक्त करूं।

यह निर्विवाद बात है कि आज हमारे देश में जनतन्त्र है। माननीय सदस्य, जो

(महाराव्ल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे पूर्व बोलने वाले थे उन्होंने जो बात कही एक हद तक मैं उससे असहमत नहीं हूं किन्तु जनतन्त्र और रूल ऑफ लॉ की एक सीमा, एक परिधि होती है। अगर वह रूल ऑफ लॉ, कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि साधारण नागरिक उससे सहमत हो तो यह व्यवस्था चल सकती है। एक स्वीकृति की हद के द्वारा, मेजर ऑफ कन्सेन्ट के द्वारा वह चल सकती है किन्तु हरेक सभ्य देश के स्वतन्त्र नागरिक को यह अनुभव हो कि उसके स्वाभिमान, उसके मौलिक अधिकारों को कानून के द्वारा हनन किया जा रहा है तो यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आन्दोलन के द्वारा, हर किस्म की प्रक्रिया के द्वारा वह उस कानून का विरोध करे। उस कानून को तोड़े, उस कानून को भंग करे।

तो गंगानगर में थोड़ा बहुत मुझे भी अनुमान है शासन किस ढंग से चल रहा है। उस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि देश में आज भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार, मेरे खयाल में, अन्य राज्यों के मुकाबले में, राजस्थान की सरकार में विशेष भ्रष्टाचार है और सारे राजस्थान के मुकाबले में सबसे ज्यादा गंगानगर में भ्रष्टाचार है। गंगानगर में मैं समझता हूं भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोग आम तौर से कहते हैं कि 'जय हिन्द' का जमाना है और जेब गरम किये बिना काम नहीं चल सकता।

गंगानगर जिले में पानी की कमी है। लोग यह अनुभव करते है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो पानी प्राप्त करने की व्यवस्था थी उसकी पहल देहली में काफी रूप से राजस्थान नहीं कर सका और उसके मुकाबले में पंजाब को पानी ज्यादा मिला इस कारण से भी गंगानगर जिले में असंतोष है। उसके अतिरिक्त राजस्थान में खातेदारी राइट्स सब किसानों को प्राप्त हैं। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन आज गंगानगर जिले के अन्दर है जहां कि गंगानगर जिले को खातेदारी अधिकार सरकार के द्वारा नहीं दिये गये। बैटरमेन्ट लेवी भी दूसरे क्षेत्रों से कई गुना बढ़ी-चढ़ी है। पानी बराबर नहीं दिया जाता और भूमि एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में घोर, मेरे खयाल में, भ्रष्टाचार है और पक्षपात की पराकाष्ठा है। मैं चाहता था कि नामजद भी कुछ बात करूं लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरे लिये यह शोभनीय नहीं होगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूं। लेकिन एलॉटमेन्ट में घोर भ्रष्टाचार है और इस कोटा-परमिट, लाइसेन्स मानोपली राज्य में यह ठेकेदारी जो सिस्टम है इसकी घोर निन्दा करता हूं। यह घोर अत्याचार है, निरंकुशता है। यह कानून नहीं है यह लॉ लेस लॉ है। अगर लॉ लेस लॉ से सरकार गवर्न करना चाहती है तो यह हर एक नागरिक का कर्त्तव्य है कि उसकी अवहेलना करे। नागरिकों को शान्त होकर करना है। ठेकेदारी के जरिये इस सरकार का खजाना खाली है। एक दिवालिया सरकार के नाते, ठेकेदारों के जरिये अन्यायपूर्ण व्यवस्था के द्वारा सरकार अगर खजाना भरना चाहती है तो नाकाबिल बर्दाश्त बात है। गरीब की पक्षपाती और हिमायती इस तथाकथित सरकार को एक भ्रष्ट, अधिनायकवादी सरकार की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहां गरीब का भला होता है? जो बढ़े सो पावे, पौ बारह पच्चास के आधार पर जमीन को ठेके पर उठाता है वह नागरिक मध्यम श्रेणी

Page No 87

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का हरिजन कैसे जमीन प्राप्त कर सकता है सरकार स्वयं विचार करें।

ऐसी पृष्ठभूमि में जब लोग यह अनुभव करते हैं कि सरकार के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और उस कानून की व्यवस्था का मुकाबला अगर लोग करते हैं तो मेरे खयाल में वह बिलकुल उचित है और उसका उत्तरदायित्व पूर्णतया सरकार पर है।

गृह मंत्री महोदय के बयान को भी मैंने सुना। मंत्री महोदय मुझे माफ करेंगे यदि मैं कहूं कि वह बयान एक फर्स्ट इन्फोर्मेशन ग्रॉफ रिपोर्ट ग्रॉफ ए थानेदार के माफिक है। उसके पास और क्या जरिया हो सकता है कि वास्तविक रूप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वे यहां बैठे हुए है, उनके हाथ पैर, आंख, नाक, कान जो कुछ हैं वह पुलिस है। मैं नहीं चाहता कि सरकारी कर्मचारियों की भर्त्सना की जाय लेकिन कम से कम दो साल के भीतर मेरा यह अनुभव है कि बाज-बाज पुलिस अफसर और खास कर जो दुर्घटना जयपुर में हुई उस समय जो पुलिस अफसर जयपुर के अन्दर थे वही पुलिस अफसर गंगानगर में भी इसी दुर्घटना में भी थे उनका सरकार के द्वारा हौसले अफजाई हर तरह से हुआ है। मैं समझता हूं कि जो वहशियाना तरीका गंगानगर जिले में काम में लाया गया वही तरीका जयपुर के अन्दर ७ मार्च, १९६७ को काम में लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टतया यह कहता हूं कि यह वहशियाना तरीका था, वह बारबरस तरीका था और उदाहरणार्थ मैं यह कह सकता हूं कि जैसे जानवरों के अन्दर एक आदमखोर तेंदुए से बढ़ कर कोई चालाक और शैतान नहीं हो सकता उसी तरह से यह पुलिस अफसर भी चालाक और शैतान हैं।

तो इन सब बातों को देखते हुए मैं निश्चित रूप से यह अनुभव करता हूं कि जब जयपुर में गोलीकाण्ड हुआ तो लाखों रुपये खर्च किये गये। बेरी कमीशन का एपॉइन्टमेन्ट किया गया। बेरी कमीशन की रिकमन्डेशन्स की सरकार ने बिलकुल एक मखौल और मजाक बना कर के उसकी अवहेलना की। क्या यह रूल ग्रॉफ लॉ है? यह कोई स्वस्थ परम्परा कायम करने की प्रक्रिया है? मेरे खयाल में, सरकार की अदूरदर्शी नीति और स्वार्थपरता, कुर्सी पर चिपके रहने की वृत्ति, एक माइनोरिटी गवर्नमेन्ट होने के नाते जितनी भी भर्त्सना, उसकी निन्दा की जाय उतनी ही कम है। और अगर इस तरह की अवहेलना एक राज्य की सरकार कानूनी कमीशन की करेगी तो कोई भी इज्जतदार हाईकोर्ट का जज इस कमीशन पर एप्वॉइन्टमैन्ट मंजूर करने के लिये तैयार नहीं होगा। फिर तो पांच-दस लोग ऐसे तैयार होंगे जो आपके हिमायती बन कर दस-बारह लाख रुपया कमा गये और आपकी इलेक्शन पिटीशन लड़ने के लिये तैयार हो गये जिन्होंने जयपुर में ढाई-तीन लाख का बंगला भी बना लिया।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह मांग करता हूं मेरे दल की ओर से परम आवश्यक है अगर जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को आप कायम रखना चाहते हैं, जनतन्त्र के उसूलों में विश्वास करते हैं, नागरिक शान्ति को मानते हैं तो जो कुछ गंगानगर में आपने किया है उसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गोलीकाण्ड की आपको प्रायश्चित के तौर पर एक हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच करवानी चाहिये ताकि सही स्थिति जनता के सामने आ सके।

गृह मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। आप जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं, सरकार के निष्पक्ष शासन के अन्दर विश्वास रखते हैं, सरकारी मेजेस्टी ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, और नागरिक ज्ञान को मानते हैं तो आपको सदन के अन्दर कमिटमेन्ट करना चाहिये और आश्वासन देना चाहिये बिना हिचकिचाहट के कि हम इसकी निष्पक्ष जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा कमीशन एपॉइण्ट करके करवायेंगे। चाहे वे रिकमेण्डट्री हो, कमीशन की फाइण्डिंग्ज को लेकर एक हद तक वे आपके लिये बाइण्डिंग होंगी. उसकी रिकमण्डेशन को आप मानेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आपके पुलिस वालों ने घरों के अन्दर घुसकर गोलियां चलायी है, मैंने सुना है, मरे हुए आदमियों को बिना पोस्टमार्टम किये ही जला दिया गया है। मैंने यह भी सुना है कि दरअसल कितने मारे गये हैं, कितने आदमी नहीं मारे गये हैं कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्या सरकार निष्पक्ष सरकार के नाते यह अनुभव नहीं कर सकती कि ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो काबिले दरियाफ्त हैं? मानवीय आधार पर भी इनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिये। निष्पक्ष एन्क्वायरी की मांग है। जो कुछ गंगानगर में हुआ उसके बारे में शोक प्रस्ताव हम पहले ही पास कर चुके हैं इस बारे में अब लम्बी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने गोली चलाने के संबन्ध में पूरी तौर से प्रकाश डाल दिया है। गोली का प्रयोग आपने एक बार ही नहीं बार-बार प्रयोग किया है। एक तरफ आप गोली का अन्धाधुन्ध प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ जुडिशियल जांच से इन्कार करते हैं तो आखिर यह क्या व्हाट इज दिस, आखिर यह सरकार क्या है?

श्री विजयसिंह : सरकार है ही नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर इस तरह की बातें होती रहीं तो जनता में रिवोल्ट होगा उसकी सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इसकी न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा करवाइये और यहां पर केटगोरिकल आश्वासन दीजिये जो कुछ न्यायिक जांच होगी, जो कुछ रिकमण्डेशन्स होंगी उनका आदरपूर्वक अक्षरशः नहीं तो ६० प्रतिशत तो पालन करेंगे हो, तब तो मैं समझता हूं आपका स्थान हमारे मन में होगा...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दस पर्सेंट की छूट कैसे?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं तो मैं समझूंगा यह आपका अत्याचार है। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य!

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिला गंगानगर में जो ७ जनवरी को गोलीकाण्ड हुवा उसके लिये हमें बहुत दुःख और बहुत खेद है।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : रिजाइन कर दो।

श्री हंसराज आर्य : प्रजातंत्र में गोली चलना बहुत बुरी घटना है। उस जिले में

(श्री हंसराज आर्य)

गोलीकाण्ड हो जिसको लोग खूंखार मानते हैं। २२ साल की आजादी के बाद गंगानगर के लोगों ने सरकार के सामने कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं की जिसके कारण सरकार को वहां गोली चलाना पड़ा हो। मुझे अच्छी तरह से याद है ३१ जुलाई, ४६ को रायसिंहनगर में गोलीकाण्ड हुवा। उसके बाद अब २५ साल के बाद यह दूसरा मौका आया है। हमारे जिले की जितनी भी समस्याएं हैं, उनको हम हमेशा शान्तिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखते रहे हैं लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना और आज यह नौबत आ गई कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिये वहां के लोगों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। सरकार को चाहिये था वह ऐसा अवसर नहीं देती जिससे लोगों पर उनको गोली चलाना पड़े। चूरू, गंगानगर में गोली चली यह बड़े खेद और अफसोस की बात है। इस गोलीकाण्ड में जो नागरिक मरे हैं उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं व सहानुभूति प्रकट करता हूं।

गंगानगर का आन्दोलन तारीख ३ नवम्बर से शुरू हुवा था वह शान्तिपूर्ण तरीके से चल रहा था इसकी बुनियाद थी कि राजस्थान केनाल की भूमि को नीलाम नहीं किया जाय। इस मांग से हम भी सहमत थे। इसके बारे में २५-१-६८ को गंगानगर के विधायकों ने एक मेमोरेण्डम दिया था उस समय दो हजार किसानों का प्रदर्शन भी हुवा था। उसमें यह मांग की गई थी कि हम राजस्थान कैनाल की भूमि को नीलाम नहीं होने देंगे और वह भी उस समय तक नहीं होने देंगे जब तक कि वहां के सभी भूमिहीनों को एक मुरब्बे के हिसाब से भूमि न मिल जाय। इस पर सरकार ने आश्वासन दिया और भूमि की नीलामी को बन्द कर दिया गया।

उसके ठीक दो साल के बाद फिर राजस्थान कैनाल की भूमि की नीलामी शुरू हो गई। यह देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमने मुख्य मंत्रीजी से बार-बार प्रार्थना की, उसके बाद मुख्य मंत्री महोदय ने २ जनवरी की रात को भूमि की नीलामी को रोक दिया और कहा कि अब हम भूमि की नीलामी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद और भी कुछ मांगें थीं जो काफी समय से सरकार के विचाराधीन थी। उन मांगों को हमने सदन के बाहर और सदन के अन्दर सरकार के सामने रखा। जहां तक भारतीय क्रान्ति-दल का इस आन्दोलन से सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं वह बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है। चाहे पटवार सर्कल पर हो, चाहे तहसील के सामने हो, चाहे जिलाधीश के कार्यालय के सामने हो, उन्होंने हमेशा अपना आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरीके से चलाया है, उनके आन्दोलन में किसी प्रकार की कोई उद्दण्डता नहीं थी और न उग्रता थी। वे लोग खुशी-खुशी जेलों में जा रहे थे। हम भी यह महसूस करते हैं कि उनकी जो मांगें हैं वे उचित हैं, हम चाहे उनके बारे में न बोले हों। ये मांगें सरकार के सम्मुख लम्बे समय से विचाराधीन थीं और यही कारण है इस आन्दोलन में इतनी तेजी आयी है। मैं यह भी कह सकता हूं कि सरकार की यह कभी मन्शा नहीं थी कि आन्दोलन-

(श्री हंसराज ग्रार्य)

कारियों पर किसी प्रकार से गोली चलायी जाय ग्रौर लोग मारे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान्दोलन में उग्रता तब ग्रायी जब सरकार ने कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताग्रों को गिरफ्तार किया ग्रौर छोड़ दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य भूमि की नीलामी रोकना था। नीलामी बन्द हो गई हमारा उद्देश्य समाप्त हो गया। हमारा ध्रुव ग्रान्दोलन नहीं है। उसके बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद से जो उन्होंने कार्यवाही की उसी का परिणाम है कि गंगानगर जिले के लोगों में ग्रौर वहां के विद्यार्थियों में उग्रता ग्रायी। ग्राम किसान में उग्रता ग्रायी, इसमें दोष किसी का है तो वह केवल कम्युनिस्ट पार्टी का है। इसके सम्बन्ध में सबूत के तौर पर मैं एक पेम्फलेट ग्रापके सामने पढ़ देना चाहता हूं जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निकाला गया है।

"नक्सलवादी किसान विद्रोह से प्रेरणा लेकर जहां एक तरफ ग्रान्ध्र में श्री काकुलम, वारंगल, खमाम, यू. पी. में लखीमपुर खेरी, बिहार में पूर्णिया, चम्पारन, बंगाल में गोपी वल्लभपुर तथा पंजाब, केरल व ग्रन्य प्रान्तों में किसान मार्क्स-वादी, लेनिनवादी पार्टी के नेतृत्व में जागीरदारों, इजारेदार दलाल, पूंजीपतियों, भ्रष्ट नौकरशाही व उनके दलालों के शोषण व दमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हथियारबन्द संघर्ष कर रहे हैं। वहां भारत के तमाम प्रतिक्रियावादी व सुधार-वादी गिरोह समाजवाद का जाप करके जनता के गुस्से को ग्रहिंसात्मक गांधीवादी ग्रान्दोलन द्वारा शान्त कर देना चाहते हैं ग्रौर धर्म, जाति, भाषा प्रान्तीयता, उग्र राष्ट्रवाद व चुनाव इत्यादि हथकंडों से जनता की एकता को तोड़ देना चाहते हैं ताकि यह मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण पर ग्राधारित दमनात्मक व्यवस्था कायम रहे व भारतीय जागीरदार व इजारेदार दलाल, पूंजीपति ग्रमेरिकी साम्राज्यवादियों व रूसी सामाजिक साम्राज्यवादियों से सांठ-गांठ करके भारतीय महनतकश जनता को लूटते रहे।

ग्राज राजस्थान के जिला श्री गंगानगर में भी विरोधी कहलाने वाली चुनावबाज पार्टियों ने भूमिहीनों में सरकारी जमीन की एलॉटमेन्ट, बड़े टैक्सों ग्रौर पानी की बढ़ोतरीं व खातेदारी हकूक इत्यादि सम-स्याग्रों को लेकर कुछ दिनों से गिरफ्तारियां देने का एक गांधीवादी ग्रान्दोलन चलाकर लोगों के ग्रसन्तोष व वर्तमान शोषण पर ग्राधारित दमनात्मक व्यवस्था के प्रति घृणा की धधकती हुई ग्राग को ठंडी कर देना चाहते हैं। २२ साल का इतिहास साक्षी है कि ऐसे ग्रहिंसात्मक ग्रान्दोलनों से हमारी एक भी समस्या का समाधान न होकर, समस्याएं दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

मार्क्सवादी, लेनिनवादी पार्टी किसानों का ग्राह्वान करती है कि इन्हीं समस्याग्रों को लेकर इसी संघर्ष को सही तरीके से ग्रौर तेज करते हुए, सरकार से पूर्ण ग्रसहयोग करते हुए, तमाम कानूनों को ठप्प करते हुए इस लड़ाई को गांव, खेत, खलिहान, सड़क, बाजार स्कूल व कारखानों में ले जाएं ग्रौर चारों तरफ से सरकार को घेरकर इस संघर्ष को जन-

Page No 91

(श्री हंसराज आर्य)

संघर्ष बनाकर अपनी समस्याएं ताकत से हल करें।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी, लेनिनवादी) राजस्थान के मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों, क्रान्तिकारी बुद्धिजीवियों व तमाम मेहनतकश लोगों का आह्वान करती है। इस प्रतिक्रियावादी कांग्रेस, कांग्रेस सरकार से पूर्ण असहयोग करके राजस्थान के पैमाने पर सरकार को घेरकर कानून-कायदे ठप्प करते हुए श्री गंगानगर के लोक संघर्ष को विजयी बनायें।"

यह पेम्फलेट जब निकला....

श्री रामानन्द अग्रवाल : नीचे किसके हस्ताक्षर हैं ?

श्री हंसराज आर्य : जिला कमेटी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी, लेनिनवादी)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पार्टी के आपके जिले में कितने आदमी हैं ? कुल साठ-सत्तर आदमी भी मुश्किल से होंगे।

श्री हंसराज आर्य : आप सब्र रखिये। आप जब बोल रहे थे तो हम शान्ति से सुन रहे थे। आप अब हमारी भी सुनिये। आखिर हम भी बोलना जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोलिये पर गुमराह मत करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अजी कुछ और गोलियां चला-चलू कर इनकी भी हत्या करवा दीजिये। इनका भी खून कर दीजिये। गोलियां आपके पास हैं।

श्री विजयसिंह : आप डण्डे, गोली के जोर से उनको रोकना चाहते हैं ?

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर सांगरिया व भादरा में और चूरू के गोलीकाण्डों का और कोई दोषी है तो लाल ध्वजधारी मार्क्सवादी ये लेनिनवादी हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को भड़काया, किसानों को भड़काया, व्यापारियों को भड़काया। यदि ये पेम्फलेट नहीं निकाले जाते तो आन्दोलन में हिंसा नहीं आने वाली थी और कभी गोली नहीं चलने वाली थी।

श्री भगवानदास शास्त्री : तो फिर दिल्ली में, केन्द्र में आप ही लोग क्यों इनका सहयोग ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। वाद-विवाद में इस तरह बाधा नहीं पहुंचाई जावे।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हू कि राजस्थान की जितनी समस्याएं हैं उनको हम आपस में मिल कर सुलझावें और चाहे आन्दोलन से सुलझावें, लेकिन यह तरीका न आपके लिये भला है न हमारे लिए भला है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सेन्टर को पूछ लो पहले।

श्री हंसराज आर्य : इन लाल झण्डे वालों से तो बच कर चलना ही पड़ेगा। गंगानगर जिले में कुछ मूलभूत समस्याएं थीं जो काफी समय से लोगों के विचाराधीन थीं। सरकार से हमने भी निवेदन किया था। राजस्थान कैनाल संसार की सबसे बड़ी कैनाल है। वह निकल रही है। जहां-जहां वह पहुंचेगी वहां-वहां नई समस्याएं पैदा

(श्री हंसराज आर्य)

होंगी। नहर के आने से खातेदारी की समस्या पैदा हुई। नहर के आने से भूमिहीनों की समस्या पैदा हुई। नहर के आने से जिनके पास जमीन कम थी उनकी समस्या पैदा हुई। टैक्स बढ़े, इससे समस्या पैदा हुई है। ये समस्याएं पैदा होनी अनिवार्य थीं। हम सबके लिये ये असह्य थीं। मुझे यह सबसे बड़ी खुशी है कि हम आज से पहले गलत समझे जा रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि विरोध में बैठने वाले विधायक व उनके नेता भी इसे स्वीकार करते हैं कि केवल नहर के नाम से गंगानगर को स्वर्ग नहीं बताया जा सकता। आज उन नहरों से वहां नाम मात्र का पानी लगता है। पर चूंकि पानी वहां लगता है इसलिये गंगानगर स्वर्ग है, आम लोग यह मान कर चलते हैं, चाहे वह पानी नाम मात्र का ही क्यों न हो। पर मुझे खुशी है कि भैरोंसिंहजी ने आज गंगानगर जिले का सही चित्र खींचा है। गंगानगर के अधिकांश हिस्से की भी आज वही स्थिति है वही हाल है जो आज राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर आदि रेगिस्तानी इलाकों का है। आज गंगानगर का सही चित्र जनता के सामने आया। पहले जब हम कहते थे कि गंगानगर में अकाल पड़ गया, पीने के लिये पानी की समस्या है तो यह हाउस उसे नजर से ओझल कर देता था। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समस्याएं बहुत हैं। ज्यादा समय मैं आपका लेना नहीं चाहता।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस गोलीकाण्ड से मुझे भी बहुत दुःख हुआ है और अन्त में मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि, भादरा गोलीकाण्ड की शीघ्र से शीघ्र न्यायिक जांच करवाई जावे और इसके साथ ही अध्यादेश को वापस लिया जावे। जितने भी सत्याग्रही गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जावे। उन्होंने कोई गांव नहीं उजाड़ा है, शान्तिमय तरीके से जेल गये हैं उन सबको रिहा कर दिया जावे।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आन्दोलन में हस्तक्षेप करना है। हम नहीं चाहते, रिहा होना नहीं चाहते। हमारी मांगों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सत्याग्रही इस तरह से रिहा कराये जावें। जब तक हमारी सारी मांगें सरकार न मान ले तब तक हमारा आन्दोलन जारी रहेगा।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : ये किसानों को मराने वाले हैं।

(तीव्र शोर-गुल और अश्रव्य)

श्री गोकुलचन्द आटव (खेरथल) : इतने तो मरवा दिये और कितने मरवाओगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मजिस्ट्रेट के, अफसरों के और तुम्हारे गोलियां लगतीं तब पता लगता।

(शोर-गुल अश्रव्य)

श्री हंसराज आर्य : मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की जो-जो समस्याएं हैं उन्हें मंजूर करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि वे अपने शब्द वापस लें सत्याग्रहियों की रिहाई की मांग करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : विद्यार्थियों के बारे में निवेदन करूंगा सरकार से कि विद्यार्थियों की जो कुछ मांग है सरकार स्वीकार करे ताकि विद्यार्थियों को सन्तोष हो। विद्यार्थियों की भी काफी समस्याएं हैं, पर विद्यार्थियों को उभाड़ा गया है और उनको उभाड़ने की कोशिश की गई। उनको सान्त्वना दें, उनकी मांगों को स्वीकार करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप दरख्वास्त दें, हम सब दूर कर देंगे।

श्री हंसराज आर्य : यह न्यायसंगत बात नहीं कि विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाय। ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं फिर एक बार सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच करावे, अध्यादेश वापिस ले, सत्याग्रहियों को रिहा किया जाय और अगर सरकार ने न्यायिक जांच नहीं कराई, अध्यादेश वापस नहीं लिया और सत्याग्रहियों को रिहा नहीं किया तो हमारे लिये भी अब यह स्थिति असह्य होगी।

श्री उपाध्यक्ष : (दो सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप आपस में तय कर लीजिये। माननीय श्री बद्रीप्रसादजी !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से जिस गोलीकाण्ड के सिलसिले में सदन में चर्चा हो रही है और सरकारी पक्ष की ओर से एक बार तो जवाब दे दिया गया है, दूसरी बार जवाब देने वाली है, और कुछ वकील साहबान हैं सरकारी पक्ष के जिनका वकालत करने का पेशा है उन्होंने कुछ बातें कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल अलवर जिले में मुझे गंगानगर के सत्याग्रहियों से मिलने का मौका मिला। मैं कई बार गंगानगर गया और गंगानगर के बारे में उस इलाके के बारे में हम सभी लोग बहुत सी बातें मानते आये हैं उनमें से दो बातें प्रमुख हैं :—

एक तो यह कि गंगानगर के उधर के इलाके के आदमी हिंसा में विश्वास करते हैं और ऐसा लोग-बाग मानते भी हैं, तथ्य भी है इसके पीछे कि वहां पर अस्सी-नब्बे कत्ल हर साल हो जाते हैं। मामूली सी बात पर कत्ल कर देना वहां सामान्य बात समझी जाती है, यह सरकारी रिपोर्ट में भी है। इस बात के होते हुए भी इस बात का ताज्जुब है कि गंगानगर की वही जनता और वहां के विद्यार्थी आज जब से यह आन्दोलन शुरू हुआ है और जब से सत्याग्रह चालू हुआ है तब से पूर्ण अहिंसावादी हो गये हैं।

दूसरी बात, वहां के किसानों में और वहां की जनता में आपस में भले ही झगड़ा हो जाता हो, चाहे भाई एक-दूसरे का कत्ल कर देते हो और चाहे एक दूसरे के गोली मार देते हों, पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या सरकार के एक छोटे से छोटे चपरासी तक के खिलाफ कभी कोई हरकत नहीं करते। वे चपरासी तक की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कि एक मिनिस्टर की। गंगानगर के इलाके में आज तक ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ कि जिसमें सरकार के किसी भी अधिकारी या कार्यकर्ता के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत की हो। ये दोनों बातें गंगानगर के किसानों में हम देख रहे हैं आज। वे ही आज पूर्ण अहिंसावादी हैं और अपने समस्याओं के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रुख के खिलाफ बगावत करके खड़े हो गये हैं।

Page No 94

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य हंसराजजी अभी बोले थे अखबारों में भी उनका वक्तव्य आया है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वहां की समस्याओं को और सत्याग्रहियों की मांगों का समर्थन सरकारी पक्ष भी कर रहा है और उनकी मांगों के औचित्य को उन लोगों ने भी मान लिया है।

पहले जमीन नीलाम करने का जो मामला है उसको गलती से सरकार ने अब तक नहीं माना है। अब गवर्नर साहब ने एडमिट कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात याद दिलाना चाहूंगा इस सदन में भाई रामचन्द्रजी आर्य कई बार गंगानगर की मांग को लेकर खड़े होते थे और आप हमेशा उनको बैठने के लिये कहते थे और मुझे भी उनको मना करने में बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि मैं उनके पीछे ही बैठता हूं लेकिन उन्होंने कई बार गंगानगर की बात कही। आज हंसराजजी कहते हैं कि हम भी कहते हैं तो मैं समझता हूं अगर ये पहले कहते तो उनकी मांगें सरकार तीन रोज में मान लेती, क्योंकि वे सरकारी पक्ष में बैठे हैं, सरकार की जो हजूरी करते हैं। अब चूंकि सत्याग्रह सफल हो रहा है और वहां कांग्रेस की नींव कट रही है तो भाई हंसराजजी भी कहते हैं कि सत्याग्रहियों को छोड़ देना चाहिये। अब तक आप सरकार के पक्ष में बैठे-बैठे क्या कर रहे थे ? १६ तारीख को एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि फ्रस्ट्रेटड पार्टी है और एक अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे वह कोट कर रहे थे फ्रस्ट्रेटेड आन्दोलन है। आजकल इस प्रकार के आन्दोलन चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं हमारी जितनी पोलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, स्वतन्त्र पार्टी विश्वास नहीं करती, जनसंघ विश्वास नहीं करता। हम प्योरली डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। पहली बार हमारा सम्मेलन यहां हुआ जयपुर में वहां भी यह बात सामने आई थी। भाई रामचन्द्रजी आर्य ने कहा था हम सत्याग्रह करेंगे तो भाई दौलतरामजी ने उस समय इन्कार किया था और कहा था कि हम शान्तिपूर्वक अपनी मांगें मनवायेंगे। गंगानगर में आन्दोलन हुआ यह किसी भी पोलिटिकल पार्टी का आन्दोलन नहीं है। हमारे जो दो एम. एल. ए. जेल से छूट कर आये हैं जैसे अभी माननीय हंसराजजी कह रहे थे कि भारतीय क्रान्ति दल ने इसको शुरू किया है। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी का निर्देश है, हमारी पार्टी का डाइरेक्टिव है, हमने इस बात को कह रखा है, ऐलान कर रखा है— यू० पी० में जो सत्याग्रह हुआ हम इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। जनतन्त्र का मतलब है चुनाव में जीतिये और अपनी मांगें मनवाइये। हमारे प्रोफेसर केदारजी और भाई रामचन्द्रजी इनके दिल की ख्वाहिश थी। यह इन दोनों के दिमाग की बात थी कि गंगानगर का आन्दोलन सफल हो। इनको भी पहले विश्वास नहीं था कि आन्दोलन सफल होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कुछ जवान लड़के ४०९ सत्याग्रही जेल में बन्द हैं जिस बारे में मुझे भी ८ रोज तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माननीय शोभाराम जी भी मेरे साथ थे। मैं और प्रो० केदार मिलने के लिये गये तो सत्याग्रहियों ने कहा आप ८ रोज रह कर गये और उसके बाद आप ८ साल मिनिस्टर रहे तो अब हमको भी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। मैंने यह कहा यह बात ठीक है। मुझे भी मिनिस्ट्री का मौका मिला था। माननीय

Page No 95

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

शोभारामजी भी हैं उनको भी मौका मिला था। वे दो मिनिस्टर बन गये हैं, उनके दिल में इस प्रकार का उत्साह था कि मिनिस्ट्री मिलेगी...

एक माननीय सदस्य : उन ४०९ को कैसे मिलेगी ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान के अन्दर करोड़ों राजा हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज जनता का राज है। सही माने में जनता का राज्य क्या है और जनता के अधिकार क्या हैं? सरकार के मुलाजिम जो कि जनता के नौकर हैं जिनको कि इंडियन पैनल कोड में पब्लिक सर्वेन्ट कहा जाता है वास्तव में पब्लिक सर्वेन्ट हैं। गंगानगर ने साबित कर दिया है कि राज्य करने वाले हम हैं। हमारी हुकुमत के हिसाब से सरकार चलनी चाहिये और उन्होंने न सिर्फ गंगानगर को ही बल्कि राजस्थान को और सारे हिन्दुस्तान को आज सही माने में सत्याग्रह जो गांधीजी का सत्याग्रह था, जो गान्धीजी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया था कि दुनिया के सामने अत्याचार और अनाचार है तो उससे लड़ना चाहिये। इसको हम २२ साल में भूल चुके थे लेकिन अभी श्री अब्दुलगफ्फार खां ने हमें उसकी याद दिलाई।

मुझे बड़ा अभिमान है बिना किसी पोलिटिकल पार्टी के गंगानगर के किसानों ने और विद्यार्थियों ने हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में गान्धीजी के रास्ते को दिखाया है और यह उनका गौरव है कि हम गान्धीजी के रास्ते पर चल कर सच्चे राज्य को कायम करने में सफल हो सकते हैं। मैंने सत्याग्रहियों का चेहरा देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं २२ साल पहले जेल में बन्द रहा। जब मैं जवानी में था एक सत्याग्रही ने मुझ से खड़े होकर कहा हम तो अभी ६-६ महीने जेल में रहेंगे...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जवानी की और कौन-कौनसी बात याद आ रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे याद है मेरे पिताजी ने हुकुम दिया था कि फलां जगह मीटिंग करने मत जाना लेकिन मैंने निडर होकर वहां पर मीटिंग की और इस कारण जेल में बन्द हुआ। जवानी की २२ साल पहले की बात है। गांधीजी के उसी मार्ग पर चलते थे। गांधीजी के नाम को हिन्दुस्तान में कायम करने के लिये आज जेल में हैं। मैंने भी उसी तरह उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा हम ६ महीने तक जेल में रहने के लिये आये हैं। मैंने भी उस जमाने में, शास्त्रीजी के समय में जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे थे जो कविता मैंने उस समय कही थी वह आपके सामने भी कहना चाहता हूं।

जब राजीनामे की बात हुई तो मैंने कहा था:—

हे हनुमान बजरंग बली,
हम तुमको शीश झुकाते हैं,
सब देई देवता मदद करो,
हम तुमको आज मनाते हैं।
बापना की बुद्धि भ्रष्ट करो,
शास्त्रीजी को मत मिलने दो,
कम से कम ६ महीनों हमको,
बस इसी जेल में रहने दो।।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

शास्त्रीजी को उनसे मत मिलने दो और इसी तरह ६ महीने हमको रहने दो। वे बड़े खुश हुए। सही मायने में वे अहिंसा में विश्वास रखते थे। हिन्दुस्तान को सही मायने में अहिंसा का रास्ता दिखलाया। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये और इस सदन के जरिये वीर सत्याग्रही जो जेल के अन्दर हैं जिन्होंने इतनी यातनायें भुगती हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जहां तक मांग का सवाल है इसमें कोई शक नहीं जो बातें जांच की गई हैं उससे स्पष्ट है जो गोलीकाण्ड हुआ वह जायज है। डालचन्द वह है इसका नाम तो राजस्थान सरकार को नया नाम कायम करना चाहिये। सबसे पहले जबकि शुरू में राजस्थान सरकार बनी और वह मेजोरिटी में नहीं थी उस समय समरथराज को जो अलवर से जीत कर आये थे दूसरी पार्टी से उनको कांग्रेस में मिलाया और फिर वे डिप्टी मिनिस्टर बने। यही वह डालचन्द हैं जो सबसे पहले उनको पकड़ कर लाये थे, यही वे डालचन्द हैं जिन पर सरकार ने सबसे पहले विश्वास किया, जिन्होंने जयपुर में गोलीकाण्ड कराया था और अब जरूरत हुई तो वहां पर खास तौर से भेजा गया है।

(३ म० प०)

इसलिये यह जो गोलीकाण्ड की बात है और सरकार कहेगी कि हम इसकी जांच करायेंगे तो जांच का मामला है तो वह तो बेरी कमीशन से ही साबित हो गया। इसमें किसी को विश्वास नहीं है। जब आप जुडीशियल एन्क्वायरी की रिपोर्ट को नहीं मानते तो आपकी रिपोर्ट को कौन मानने जा रहा है ? यह तो अपने आपको डिफेण्ड करने की बात है। अब राजस्थान की जनता धोखे में आने वाली नहीं है। न तो उसका सरकार में विश्वास है और न रिपोर्टों में है और न एन्क्वायरीज में है और जबकि सरकार का ही जुडिशियरी में विश्वास नहीं है तो राजस्थान की सरकार में जनता का विश्वास कैसे हो सकता है ? इसलिये यह मांग करना कि एन्क्वायरी करायें उसको आप मानते नहीं हैं और उसमें भी आपका कमिटमेन्ट था कि आप उस रिपोर्ट को मानेंगे लेकिन हाईकोर्ट जज ने रिपोर्ट दी उसको आप मानने को तैयार नहीं हैं तो आपकी रिपोर्ट को और आपकी बातों में आने वाला कोई नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता अब जाग गयी है और उसके सामने एक रास्ता है और भाई हंसराज भी कह रहे थे कि जनता अब अहिंसात्मक आन्दोलन में विश्वास करने लगी है। हंसराजजी ने साम्यवादी पार्टी का पर्चा पढ़ कर सुनाया था। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस का यह अन्याय और अत्याचार का नमूना है कि बंगाल में और दूसरी जगहों पर दूसरा राज्य कायम हुआ है और यही हालत रही तो हिन्दुस्तान में हर आदमी कम्युनिस्ट बनने वाला है। क्या जनता आपकी बात को चुपचाप बर्दाश्त करे ? हमने यहीं पर बैठ कर सत्याग्रह किया और धरना दिया लेकिन क्या सरकार कोई झुकने वाली है ऐसे शांत आन्दोलनों से ? ऐसी उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में मिसाल नहीं मिलेगी कि अपोजीशन ने जायज डिमाण्ड की हो और हम लोग सदन में बैठे रहें और फिर नहीं माने हों। सरकार के भाई हंसराजजी कहते हैं कि आपस में बैठ कर कोई रास्ता निकाल लेना चाहिये और दूसरे कहते हैं कि

(राजवी श्री रूपसिंह)

प्रजातन्त्र को गलियों में ले जाया जा रहा है और यहां पर बैठ कर आप बात नहीं करते। श्रीमानजी इंग्लैण्ड में जहां से हमने प्रजातन्त्र लिया है वहां सरकार अपने खर्चे से अपोजीशन को चलाती है। जैसा राजस्थान में प्रजातन्त्र का अपमान हुआ है मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि राजस्थान के जो हम नुमाइन्दे हैं उनके लिये शर्म की बात है कि मेजोरिटी नहीं होते हुए भी सरकार बनने दी। हम कैसे मान सकते हैं कि सरकार एन्क्वायरी करायेगी और मैं तो स्पष्ट कहता हूं आपकी बात को अब जनता मानने वाली नहीं है, सरकार चाहे जितना भी कमिटमेन्ट करे उसमें जनता का विश्वास होने वाला नहीं है। जनता को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके इस सरकार को समाप्त कर देना चाहिये। यही बात मैं कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जनता अब सरकार के इन भुलाओं में आने वाली नहीं है। सरकार को समझ लेना चाहिये कि वह जमाना गया जब कि हमने एक नारा दिया और जनता को बहका लिया। अब जनता बहकने वाली नहीं है। गंगानगर ने न केवल राजस्थान को बल्कि सारे हिन्दुस्तान को रास्ता दिखाया है और उसी रास्ते पर चल कर हमारा उद्धार है, जनता का उद्धार है और देश का उद्धार है, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के सांगरिया व भादरा की फायरिंग की बाबत सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा गया है और उसके लिए बहस हो रही है। ता० १९ को भी इस पर गर्मागर्मी के साथ बहस हुई और उसके दरम्यान भी सांगरिया और भादरा में हुए गोली-काण्ड के अहम मुद्दों पर बहस न करके पार्टीज के उसके प्रिन्सिपल पर बहस करने लग गये। स्थगन प्रस्ताव के लिए २ घन्टे का टाइम रखा जाता है लेकिन हमको दो दिन का समय मिला है। वास्तव में सांगरिया और भादरा के फायरिंग पर ही हम अपनी बहस को महदूद रखते तो हर सदस्य को बोलने का मौका मिल सकता था। आखिर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सांगरिया में वहां तहसील के पास फायरिंग हुआ है। पहले तो मैं सांगरिया फायरिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ और उसका क्या कारण है और इसकी भूमिका कैसे बनी, इसके ऊपर कुछ कहूंगा। जिस समय गवर्नमेन्ट ने जमीन की नीलामी की कार्यवाही शुरू करनी चाही उस समय में किसान संघर्ष समिति ने गवर्नमेन्ट को लिखकर दिया कि हमारी ३३ मांगों को मन्जूर किया जाये और यदि मंजूर नहीं तो हम इस तरह का आन्दोलन करेंगे और उसके बाद में उन्होंने आन्दोलन शुरू कर दिया और वह चलता रहा। इस आन्दोलन के दरमियान में ऐसी घटना नहीं घटी जिसके कारण से कहीं पर भी गोली चलाने का मौका मिले। यह एक तरह का शांत प्रदर्शन था। इसके बाद २३ दिसम्बर के बाद आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और बजाय एक-एक के सौ-सौ और पचास-पचास सत्याग्रही गिरफ्तार होने लगे। ७ तारीख को सांगरिया में ५१ सत्याग्रही सत्याग्रह करने के लिए तहसील में आये। कहा जाता है कि जब वह तहसील की बिल्डिंग में आये तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ

(राजवी श्री रूपसिंह)

आदमियों को ट्रक पर बैठा दिया गया और दो-चार आदमी जो बाकी रहे थे उनको बैठाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त वहां पर डी० एस० पी० और एस० डी० एम० इन्सपेक्टर और थानेदार भी मौजूद थे। उस समय कहा जाता है कि भीड़ में से एक आदमी ने मकान की छत पर से गोली चलाई। भीड़ ने पत्थर फेंके और उत्तेजित हो कर हमला कर दिया जिसके कारण से पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह स्टेटमेंट सदन में होम मिनिस्टर ने दिया है और यह स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है। उस पर बेसिस है दूसरी तरफ से भरतपुर व जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने मौका देखा तो उससे ऐसी बात नहीं पाई गई कि जिससे फायरिंग होना वास्तव में जो फायरिंग हुआ उसके होने का कारण नहीं था। लेकिन पुलिस ने जानबूझ कर फायरिंग किया। किसी आदमी ने ट्रक की हवा निकाल दी और लोगों ने ट्रक में बैठने से इन्कार कर दिया और उस पर गोलमाल हो गयी और नाराज होकर डी० वाई० एस० पी० ने फायरिंग शुरू कर दिया। अब होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन लोगों ने जो पत्थर फेंके और गोली चलाई इसलिए सेल्फ डिफेन्स में फायरिंग किया। दफा ९७ आई० पी० सी० में लिखा है कि अगर हमला होता है और जिसमें मौत का खतरा न हो तब तक सेल्फ डिफेन्स में फायरिंग नहीं किया जा सकता है। फायरिंग एक आदमी ने किया उससे जान का खतरा हो सकता था लेकिन जिस आदमी ने फायरिंग किया वह कौन था? कहां गया? किस तरह फायरिंग किया उसका कोई पता नहीं लगा है? अगर वास्तव में कोई फायरिंग करने वाला था तो पहले उसको पकड़ना चाहिए था। जब बंदूक चलाने वाले का पता ही नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि किस ने बंदूक चलाई इसलिए यह मानना पड़ेगा कि बंदूक चलाने की कहानी एक आफ्टर थॉट है। भीड़ ने पत्थर फेंके। अगर पत्थर फेंके तो ग्रीवियस हर्ट का अन्देशा है तो उसके बाद में कर सकते हैं वर्ना नहीं। तो किसी आदमी के कोई चोट नहीं लगी, पत्थर से कोई आदमी नहीं मरता है। किसी आदमी की हड्डी टूट गयी या ऐसी चोट लगे जिससे उनकी लाइफ का डेंजर या ऐसा पुलिस ने कोई नहीं बताया जहां पर बोडिली ऐसी चोट नहीं आती है तो वहां सेल्फ-डिफेन्स की थ्योरी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। जो थ्योरी एस्टेब्लिश करके ९७ और ९९ आई० पी० सी० की मदद लेना चाहते हैं तो उसके अन्दर यह कहा गया है-

There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grevious hurt...

तो ग्रीवियस हर्ट और दोनों चीजें नहीं हैं तब तक फायरिंग की जरूरत नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि पत्थर मारे। उसमें यह कहा जाता है कि सत्याग्रही भी थे और दूसरे लोग भी थे, पत्थर मारने वाले तो फायरिंग होता तो उन लोगों पर होता जो सामने आकर पत्थर मारते थे उनमें किसी आदमी के, पत्थर मारने वाले के चोट आई है क्या कौन आदमी मरा है? एक आदमी के चोट लगती है २०० यार्ड्स पर से। उस

(राजवी श्री रूपसिंह)

आदमी के गोली लगती और वह आदमी मारा जाता तो ठीक है। एक गोली चलाई जा रही है स्टेशन के प्लेटफार्म और सिगनल के बीच में पाइन्ट्समेन वर्क कर रहा था उसको गोली लगती है। दूसरी गोली लगती है सांगरिया के स्टेशन के पास पंजाब का बोर्डर लगता है, हरियाणा का बोर्डर लगता है सो २०० याड्‌स की दूरी पर एक आदमी के गोली लगती है। एक गोली लगती है स्टेशन के दूसरी साइड में आदमी को। इस तरह से ४-५ आदमियों के गोली लगती है जो वहां से २०० से ५०० याड्‌स से ज्यादा की दूरी पर हो सकते हैं। इस तरह से फायरिंग हुआ है। इनका यह कहना है कि हमला किया गया। यदि हमला किया गया तो उन्हीं आदमियों के सामने फायरिंग किया जाता जो सत्याग्रह कर रहे थे। फायरिंग कहां हुआ जो २०० और ५०० गज की दूरी पर थे। पब्लिक को टेरोराइज करने के लिए फायरिंग हुआ था। इससे सेल्फ-डिफेन्स की थ्योरी से कानून का प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं वह नहीं मिल सकता है।

जिस तरह से फायरिंग हुआ है दिस इज अन्डर १०७ आई० पी० सी० के अन्दर निहत्थे आदमियों को गोली चलाकर मारा है तो वे ३०२ के अन्दर मुजरिम हैं। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि गोली चलाने का यह मसला फर्स्ट टाइम ही नहीं हुआ है, कई दफे हुआ है। हाई कोर्ट का एजीटेशन हुआ है उस वक्त मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज था, उस वक्त मेरे सामने केस आया था गोली चला देने का और उस गोली चलाने में डालचन्द का नाम आया है। हमारे यहां सेवन्थ मार्च को गोलीकाण्ड हुआ तो उसमें कहा गया कि डालचन्द नाम के आदमी के हाथ में पिस्तोल था और उसने गोली चलाई। आज भी यह डालचन्द आदमी है यह कहानी गढ़ी जाती है, तो डालचन्द को दुनिया जानती है, जैसा कि बद्रीप्रसादजी ने बताया है कि इस आदमी को किस तरह से उड़ा कर ले गये और उसने वहां पर लोगों को मारा।

लोग जानते थे कि एजीटेशन जोर पकड़ रहा है तो २३ दिन के बाद में सुखाड़ियाजी ने तय किया कि इस एजीटेशन को किसी तरह से दबाया जाय। तो उसको दबाने के लिए इन लोगों को भेजा, मंत्रियों को भेजा, वहां पर लोगों ने कहा कि मंत्री लोग आगये हैं वे सब कुछ करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सके और उनको मुंह की खानी पड़ी। वापस आये वापस आने के बाद में कहा कि कामयाब नहीं हुए तो कहा कि क्या किया जाय। तो एक काला कानून बनाकर उनको दबाकर काम कराना चाहते थे। लेकिन लोग दब नहीं सके और आन्दोलन ज्यादा जोर पकड़ गया और किसी तरह से नहीं दबा तो इन सबने मिलकर सोचा कि फायरिंग किया जाय। तो इस फायरिंग के अन्दर सेल्फ डिफेन्स नहीं हो सकता है। इसमें किस-किस का हाथ था। इन चारों मंत्रियों का हाथ था। जो वहां के विधायक हैं वे चाहते हैं कि कम्प्रोमाइज हो जाय और उनकी डिमाण्ड मानने को तैयार हैं। तो इन सब ने एक साथ में कान्सपिरेसी की है तो ३०२/१०६ के तहत में इनकी जांच की कार्यवाही होनी चाहिए।

अब मेरा यह कहना है कि सांगरिया के अन्दर जो फायरिंग की बात हुई है तो वहां पर जितने भी गोली चलाने वाले आदमी हैं, डी० वाई० एस० पी० दो सब-इन्सपेक्टर और पुलिस के आदमी हैं वे ३०२ के मुजरिम

(राजश्री श्री रूपसिंह)

हैं इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाकर उन पर मुकदमें चलाये जायें और बाकी दूसरों का हाथ है उनका ३०२/१०६ के तहत मुजरिम करार किया जाकर गिरफ्तार किया जाय, इसके अन्दर जुडिशियल एन्क्वायरी की जरूरत नहीं है ।

अब मैं कहता हूं दूसरी बात भी है भादरा के बाबत । भादरा के सिलसिले में यह बात कही जाती है कि स्टूडेन्ट्स थे वे आ रहे थे। उनको रोकने के लिए, ये शहर के अन्दर थे और शहर के बाहर से आ रहे थे, तो वहां पर क्या है कि हरियाणा पास में लगता है। और हरियाणा बस का स्टेण्ड एक फलांग के फासले पर है। उनको मालूम हो गया कि हरियाणा की बस में बैठे हुए लोग सांगरिया को आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए गये। इस बीच में लड़के यहां से जाते हैं और वे खड़े हो जाते हैं। ये जाकर रोक देते हैं। जिस वक्त वे उनको रोकते हैं तो वे कहते हैं कि जायेंगे। उनमें बोलाचाली होती है। एस० डी० एम० ने कहा कि पांच-पांच की कतार में जाने की इजाजत दी जाती है। डी० वाई० एस० पी० से उनकी बोलचाल हो जाती है। उसी वक्त लड़ाई होने के बाद में फायरिंग शुरू हो जाता है और एक आदमी के चोट लगती है। जिस वक्त में फायरिंग होता है तो १४४ धारा नहीं लगाई गई थी जब तक १४४ धारा नहीं लगाई जाती है तो लोग बाजार में आ जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल १९ के अन्दर हर आदमी को राइट है कि वह कहीं भी आये जाये। लेकिन दोनों नहीं हुई थी। न तो १४४ धारा लगाई गई और आर्टिकल १९ ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन की खिलाफवर्जी करते हुए उनको रोका और रोकने के बाद में मारपीट करके फायरिंग कर दी। होम मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि फायरिंग क्यों करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कुछ घर जला दिये थे और कुछ मकान जला दिये। यह जो जलाने की कार्यवाही है यह कब होती है? जब लाठी चार्ज हो जाता है और फायरिंग हो जाती है तब बाद में होता है। किसी के चोटें लगती है तो सब लोग नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद में चीजें जलाई जाती हैं। यह पता नहीं चलता है कि किस ने जलाई, पुलिस ने जलाई या लोगों ने यह तो जांच से ही पता चल सकता है। जब लोगों ने ऐसा काम हो नहीं किया तो प्रोटेक्शन अन्डर १९७ डेन्जर टू दी प्रापर्टी कहां से हो सकता है ? यह ठीक है डेन्जर टू दी प्रापर्टी हो तो फायरिंग करते हैं। यह प्रापर्टी कब जलाई जाती है ? जब कि फायरिंग हो जाता है और चोटें लग जाती है उसके बाद में प्रापर्टी वाली बात आती है। प्रापर्टी के लिए फायरिंग करते तो फायरिंग जस्टीफाइड हो सकती थी, लेकिन फायरिंग हो जाती है और प्रापर्टी बाद में जलती है तो उसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता है। बाद वाली कार्यवाही पहले होती है और फायरिंग करते तो इट वाज अन्डर दी प्रोटेक्शन ऑफ प्रापर्टी वह राइट हो जाता है और आर्टिकल १९ के अन्दर उनको प्रोटेक्शन मिल सकता था। गांव से एक फर्लांग की दूरी पर निहत्थे लड़कों पर लाठीचार्ज और फायरिंग होता है और एक आदमी मरता है और आप १९७ का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो वह किसी सूरत में नहीं मिल सकता है। गोलियां चलती हैं, लाठी क्यों चला दी तो वहां पर कई बातें हैं। किसी ने कह दिया १२ बज गये सरदारजी। गोली वहां चलाई जाती है जो शहर से बाहर

(राजवी श्री रूपसिंह)

है। गोली कब चलाई जाती है जब कि डेन्जर टू दी पर्सन और टू दी प्रापर्टी हो उस जगह पर गोली चलाई जाती है, शहर के बाहर में तो डेन्जर टू दी प्रापर्टी था और न टू दी पर्सन। प्रापर्टी को जलाया कब जब कि गोली चल गई इसलिए वे आदमी एस० डी० एम०, डी० वाई० एस० पी० और सब-इन्सपेक्टर और पुलिस के जवान ३०२ के मुजरिम हैं। इसके लिए होम मिनिस्टर साहब को किसी बात की इन्तजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि इनके खिलाफ केस दर्ज करके व अरेस्ट करके मुकदमे चलाने चाहिए।

इसी तरह से सांगरिया के डी० वाई० एस० पी० और सब-इन्सपेक्टर्स का ट्रान्सफर कर देना चाहिए और उनको सस्पेन्ड करके ३०२ आई० पी० सी० के अन्दर चालान कर देना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे अपनी जिम्मेवारी को समझें क्योंकि ही इज नोट ओनली ए कांग्रेसमेन, वे एक पोलिटिकल पार्टी के ही नहीं हैं, वे होम मिनिस्टर हैं फार दी होल आफ राजस्थान उन्हें अपने फर्ज को देखते हुए सब के साथ में इन्साफ करना चाहिए होम मिनिस्टर साहब को अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हुए सांगरिया के डी० वाई० एस० पी०, सब-इन्सपेक्टर और भादरा के डी० वाई० एस० पी० व सब-इन्सपेक्टर्स को अरेस्ट करके इनके खिलाफ ३०२ आई० पी० सी० के केस में इनका चालान करें। आप जुडिशियल एन्क्वायरी करेंगे तो कोई हल नहीं होने वाला है क्योंकि नाजायज तरीके से यह किया गया है। जयपुर में सेवन्थ मार्च को गोली-काण्ड हुआ था उस फायरिंग में हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि यह यह कार्यवाही इन-इन आफिसर्स के खिलाफ करना चाहिए, लेकिन उन आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उनको संरक्षण दिया और प्रोमोशन दिया।

यहां यह बात भी कह देना चाहता हूं कि यह डालचन्द जो हैं, यह जयपुर के गोलीकाण्ड के डिप्टी एस० पी० थे, इनको यहां से ले जाकर वहां हनुमानगढ़ में रखा है, इसलिए कि विरोधी पार्टियों को दबाया जाय और इनसे नाजायज काम कराया जाय। इस प्रकार जो इन्होंने लोगों पर गोली चलाई, यह नाजायज काम किया है और इसके लिए ३०२ के मुजरिम हैं और इसलिए इनके ऊपर ३०२ का मुकदमा चलाया जाय।

चूरू का जो प्रश्न है, वो प्रश्न इस स्थगन प्रस्ताव के साथ नहीं रखा गया है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल सकता हूं। आध्यादेश जो है, वो अन्डर दी आर्डर्स आफ राज्यपाल जारी हुआ है। उस पर बोलने का मौका तब मिलेगा। जब वो विधेयक पेश होगा यह इल्लिगल विधेयक है इसको सब मानते हैं कि यह नाजायज है। कांग्रेस के जो मेम्बर हैं, वह भी मानते हैं कि यह नाजायज है। तो पहले तैतीस डिमाण्ड थीं, अब चौंतीस डिमाण्ड हो गई हैं, उसमें एक और डिमाण्ड जुड़ गई है कि जो गोली चलाने वाले हैं उनका चालान किया जाय। तो इस प्रकार चौंतीस डिमाण्ड हैं, इनके लिए सबको सहमत होना चाहिए। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी कहते हैं कि यह डिमाण्ड जायज है इनको मान लेना चाहिए, तो इन डिमाण्ड के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। अब जिन्होंने गोली चलाई है उनका चालान करने के सम्बन्ध में डिमाण्ड बाकी रहती है। अगर ये डिमाण्ड्स पूरी हो जाती हैं, तो अध्यादेश जो है, वॉयड है और

(राजवी श्री रूपसिंह)

उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। यह कह देना जरूरी है कि पन्द्रह तारीख को असेम्बली शुरू होने वाली थी तो इस अध्यादेश को तीन तारीख को जारी करने की क्या जरूरत थी ? यह अध्यादेश आर्टिकल १३ से हिट होता है, और, आर्टिकल १३, की मौजूदगी में ऐसा अध्यादेश जारी करने का राइट है भी या नहीं इसके बारे में जब यह इश्यू आयन्दा आयेगा तब बताऊंगा। अभी इस विषय पर बोलने का मौका नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में आयन्दा बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी मुद्दा रखा है लेकिन सदन के अन्दर कानून के जानकार नहीं हैं। इसलिए यह तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने रखा है, और सदन को विचार करना है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन के सामने कुछ लीगल आस्पेक्ट्स मैं भी रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सांगरिया और भादरा....

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है। आॅर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे हाउस को जो नया रूप दिया गया है, इसके अन्दर हम आज तीन-चार रोज से देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वह आसन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वह आसन पर न होकर प्रेस गैलरी के भी बहुत ऊपर है। इसलिए मैं यह चाहता हूं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : सर्वोपरि है।

श्री लादूराम सुलानिया : सदन के द्वारा कि यह राष्ट्रीय ध्वज आसन के ऊपर होना चाहिए और इस जगह जितनी गैलरी आसन के ऊपर आती है उसको बन्द कर दिया जाय ताकि इधर-उधर कोई माननीय सदस्य या और कोई नहीं आ जा सके। इसको आसन के ऊपर लगाया जाय। यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सदन में चल रही बहस के अन्दर या दूसरी कोई इल्लिगेलिटी होती है उसके विषय में होता है। यह चर्चा का विषय नहीं है इसलिए इसको मैं डिसएलाऊ करता हूं।

श्री गोकुलचन्द : आसन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य के अन्दर कोई गोलीकाण्ड हो, मैं समझता हूं कि कोई भी पक्ष, कोई भी सरकार, कोई भी नागरिक उस गोलीकाण्ड को सराहनीय नहीं कह सकता। वास्तव में गोलीकाण्ड के लिए जितने भी व्यक्ति बोले हैं उन्होंने तो खेद प्रकट किया ही है लेकिन हमारे यहां माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें उन्होंने खुद भी खेद प्रकट किया है, राज्य सरकार ने भी

(श्री शंकरलाल)

खेद प्रकट किया है, सबने खेद प्रगट किया है। यह बात जरूर है कि वास्तव में गोलीकाण्ड किसी राज्य के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा, सांगरिया और भादरा में सात जनवरी को जो गोलीकाण्ड हुआ उसमें सीमित रहते हुए होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त है, हालांकि और भी कई बातें कही गई हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उन सब बातों का जिक्र नही करते हुए उस तक ही अपने को सीमित रखना उपयुक्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गोलीकाण्ड क्यों हुआ, गोलीकाण्ड कैसे शुरू हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेवार है? यह सारी बातें, मैं समझता हूं कि जो लोग वहां पर उपस्थित थे या जिनका सारा हाल आंखों देखा हुआ है–उन सारे लोगों की गवाही आदि होने के पश्चात् ही कहा जा सकता है कि किस पक्ष का कहना कहां तक उचित है। इस बारे में जो पक्ष इससे सम्बन्धित है उसके बारे में ही सदन के समक्ष निवेदन करूंगा। मुद्दा यह है कि....

उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा का समय चार बजे तक है, आपके बाद में माननीय केदार नाथ और बोलने वाले हैं।

श्री शंकरलाल : इस गोलीकाण्ड की जिम्मेदारी किसकी है? गोलीकाण्ड क्यों हुआ और गोलीकाण्ड के बारे में हमें या सरकार को क्या नीति रखनी है और क्या करना चाहिये? उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया है कि ३-११-६९ को जो आन्दोलन शुरू हुआ भूमि नीलामी के प्रश्न को लेकर और जो आन्दोलन आगे चला और जो भूमि नीलामी को स्वयं सरकार ने बाद में जाकर उचित नहीं माना, तो यह कहा जाता है कि भूमि नीलामी के प्रश्न पर यह आन्दोलन चलना ठीक था और आगे जाकर यह गोलीकाण्ड हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्पष्ट तौर से मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक गोलीकाण्ड का प्रश्न है, आज जो तथ्य हमारे सामने हैं– उनको स्वीकार करें तो मानना होगा कि भूमि नीलामी का प्रश्न गोलीकाण्ड का कोई प्रश्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह कहा गया है, यह स्वीकार किया गया है और यह माना जाता है कि दो जनवरी को राज्य सरकार ने भूमि नीलामी को बन्द करने की आज्ञा जारी कर दी और तीन तारीख को जो भूमि नीलामी होने वाली थी वह भूमि नीलामी नहीं हुई....

श्री नत्थीसिंह : बन्द करने की इजाजत थी या स्थगित करने की? दोनों में बहुत फर्क है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि भूमि नीलामी दो तारीख के बाद जो तीन तारीख को होने वाली थी, वह बन्द हो गई और उसके बाद जो गोलीकाण्ड हुआ है वह सात तारीख को हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मानना पड़ेगा कि भूमि नीलामी को बन्द करने के पश्चात् यह गोलीकाण्ड हुआ। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि भूमि नीलामी के सम्बन्ध के अन्दर पहले यह जो कम्युनिस्ट पार्टी या किसान सभा जिसे कहते हैं–किसान सभा और किसान संघर्ष समिति, दोनों ने मिल कर यह आन्दोलन चलाया। किसान सभा ने दो जनवरी के

(श्री शंकरलाल)

पश्चात्, जब इन लोगों ने यह कहा कि हमारा सम्बन्ध जो है वह भूमि नीलामी तक था, और इनको रिहा कर दिया गया और उस रिहाई के पश्चात् यह वापिस किसान सभा के लोग, किसान सभा के सदस्य उस आन्दोलन में कैसे शरीक हुए ? इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। मैं समझता हूं कि सदन के समक्ष यह रखना उचित है कि भूमि नीलामी का प्रश्न था वह प्रश्न दो तारीख को खत्म हो गया। उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है तो वापिस उस आन्दोलन में उनका शरीक होना कहां तक उचित था ? इस सम्बन्ध में जो चौधरी कुम्भाराम का वक्तव्य आया था, मैं समझता हूं, उसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, न ही उसके बारे में कोई भारतीय क्रांति दल के माननीय सदस्यों ने कोई स्पष्टीकरण दिया। जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा था, यह जो हिंसा हुई है, इसके लिए उन्होंने, चौधरी कुम्भाराम ने सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का गठबन्धन बताया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों को छोड़ा नहीं होता। उनको छोड़ा और वह आन्दोलन में गये, उन्होंने हिंसा को भड़काया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी के, ने या भारतीय क्रांति दल के माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा कि यह कहां तक ठीक था ? यह बात स्पष्ट है कि उनके दल ने आन्दोलन में न जाने की बात कहने के बाद, घोषणा करने के बाद वापिस कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन में शरीक हुई। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि नीलामी के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। भूमि नीलामी का प्रश्न था, वह वास्तव में मानवीय प्रश्न था जिसके लिये इधर के माननीय सदस्यों की भी सहानुभूति थी क्योंकि भूमि नीलामी के अन्दर बड़े-बड़े पूंजी वाले भूमि ले सकते हैं और जो भूमिहीन हैं उनके पास जमीन नहीं आ सकती है– यह सत्य बात है इसलिये सरकार को निवेदन किया गया। आज भी स्पष्ट बात है कि अगर सीलिंग कानून भूमि नीलामी के पहले लागू कर दिया जाय तो जो भूमिहीन हैं, जिन्होंने आन्दोलन में भाग लिया है, उनके पास में भूमि चली जाती तो मैं समझता हूं कि वह भूमिहीन इस आन्दोलन में भाग नहीं लेते। भूमिहीन किसान भूमि के लिये ही आन्दोलन में भाग लेते हैं। भूमिहीनों के लिये ही सरकार ने कानून बनाया था सीलिंग का, जिसके लिये राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में घोषणा की है लागू करने की, वह सीलिंग कानून अगर पहले लागू हो जाता है तो उससे भूमिहीनों को भूमि मिल जाती और इस कारण वह भूमिहीन आन्दोलन में भाग नहीं लेते। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उसके बाद स्थिति चली है उसमें तीन मांगे रह गई हैं, जो मेरी समझ में आई हैं और वह ये हैं– एक तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगेगा– उसका विरोध है, एक जो रैंट रेट, जो लगान की दर है उसको बढ़ाने की बात है, जिसके लिये कहते हैं कि सरकार ने बढ़ा दी उसके अगेन्स्ट में है और तीसरे बेटरमेन्ट लेवी के सिलसिले में है कि बेटरमेन्ट लेवी लगा दी हमें यह मानना पड़ेगा कि बेटरमेन्ट लेवी, कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स और रैंट रेट्स में बढ़ोतरी इन तीनों बातों का भूमिहीन किसानों से कितना ताल्लुक है ? आज भी वे लोग इस आन्दोलन में शामिल हैं तो किस तरह से हैं ? एक गरीब भूमिहीन आदमी जिस पर बेटरमेन्ट लेवी लगती नहीं, जिसे कैश क्रॉप्स पर टैक्स देना पड़ता नहीं,

(श्री शंकरलाल)

जिसका रेंट रेट नहीं बढ़ा तो इन हालात में यह कहना कि आम किसान इस आन्दोलन से सहानुभूति रखते हैं, आम किसान इस आन्दोलन में शामिल हैं, यह बात ठीक नहीं होगी।

एक तरफ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाये गये, जैसा राज्य सरकार ने बताया बड़े-बड़े प्रोजेक्ट गंगानगर जिले में बने, करोड़ों, रुपया राज्य सरकार का इसमें खर्च हुआ, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसका रिटर्न अगर नहीं आवे तो जो पिछड़े हुए जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर के जिले हैं उनको सुधारने के लिये जो सरकार को पैसा देना पड़ता है, वह सरकार कैसे देगी और इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को कैसे डेवलप किया जा सकेगा और इसका परिणाम यह होगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वे पिछड़े के पिछड़े रह जायेंगे। आज सब जानते हैं कि गंगानगर के किसान राजस्थान में खुशहाल हैं। मैं उन किसानों की बात करता हूं जो वास्तविक किसान हैं, दो तरह के किसान हैं, पहले भी कहा गया था कि किसान सीलिंग के खिलाफ हैं पर मैं जब गंगानगर गया तो मैंने देखा कि आम किसान सीलिंग के पक्ष में थे, केवल मुट्ठी भर कुछ लोग सीलिंग के खिलाफ थे, उन्होने इस प्रश्न को जारी रखा। तो भूमि नीलामी को बन्द करने के बाद यह आम किसानों का सवाल नहीं रहा। कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स नहीं होना चाहिये यह कोई डिमाण्ड नहीं है, क्यों कि यह तो एक्ट में है कानून के है। जहां तक रेंट रेट्स के बढ़ाने का सवाल है यह मामला गवर्नमेंट की तरफ से, जहां तक मेरी जानकारी है, फाइनेलाइज नहीं हुआ है, जो सेटलमेंट ऑफिसर्स ने रेंट रेट्स बढ़ाये हैं हालाकि उनके सम्बन्ध में आब्जेक्शन्स की टाइम चला गया पर अभी तक गवर्नमेन्ट ने रेंट रेट्स तय नहीं की हैं मैं भी महसूस करता हूं कि जिस तरह रेंट रेट्स सेटलमेंट ऑफिसर्स ने बढ़ाई हैं, वह पूरी उचित नहीं हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिये जहां तक कैश क्रॉप्स पर टैक्स, बेटरमेंट लेवी का प्रश्न है इसके बारे में अगर कोई बात हो तो उसे बैठ कर सुलझाया जा सकता है, पुनर्विचार किया जा सकता है, हालां कि सदन में वह बात आ चुकी है, सदन स्वीकृति दे चुका है। जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि वे धरने पर थे लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गोलीकांड के सम्बन्ध में जो धरना था और सदन में यह कानून पास हुआ कितना अर्सा इसमें बीत चुका है? धरना उठाने के बाद यह आन्दोलन क्यों नहीं चलाया कि आपने हमारे अनुपस्थिति में यह कानून क्यों पास कर दिया? हालां कि यह कहना मौजूं नहीं है, उनको हाउस में उपस्थित रहना चाहिये था! जनता के प्रतिनिधि थे, उनको इसका विरोध करना चाहिये था। पर वे यह नहीं कह सकते क्योंकि राजस्थान की दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि राजस्थान विधान सभा में बैठते हैं उन्होंने पास किया है। यदि इसमें कमियां हैं तो इसमें सुधार कराया जा सकता है। पर यह कहना कि यह आम किसानों का सवाल है जिसको लेकर आन्दोलन १ तारीख के बाद ... गया, मैं समझ... साथ सहानुभू... विद्यार्थियों का ... भैरोंसिंहजी ने ... राइट है कि उनके ...

(श्री शंकरलाल) तो वे आन्दोलन कर सकते हैं। भूमि की नीलामी के खिलाफ आन्दोलन कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी ९ तारीख को इस आन्दोलन में कूदे, ९ तारीख से पहले नहीं कूदे; तारीख २१-१-५७ को जमीनों की नीलामी बन्द करदी गई, उसमें विद्यार्थी आन्दोलन नहीं था। २२ तारीख को गोलीकाण्ड से एक दिन पहले सांगरिया में विद्यार्थियों ने फैसला किया कि हम इस आन्दोलन में भाग लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है? विद्यार्थियों को इस आन्दोलन में किसी ने घसीटा है, किसने घसीटा है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिये। विद्यार्थियों को आन्दोलन करने का अधिकार है पर जहां तक इस आन्दोलन का सवाल है, विद्यार्थी स्वयं इस आन्दोलन में नहीं कूदे, इस आन्दोलन में विद्यार्थियों को घसीटा गया है।

श्री मक्खनसिंह : क्या वे पांचवी-छठी कक्षा के विद्यार्थी थे जो उनको बहका कर आन्दोलन में शरीक कर लिया गया ?

श्री शंकरलाल : ठीक है।

[illegible] उनकी मांगों को पेश करने के बारे में कहा गया कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को कॉपी दी गई, शिक्षा मंत्री शिवचरण दासजी को दी, जनसंघ के नेता ने बताया कि एस. डी. एम. को कॉपी दी गई। उसमें किसान आन्दोलन का कोई बात नहीं थी। उन्होंने [illegible] विद्यार्थियों ने इसलिये आन्दोलन किया कि विद्यार्थियों की मांगें थी, छात्रों को [illegible] लिये एस. डी. एम. को [illegible] देते [illegible] हालत में देते हैं कि स्कूल टूटी हुई हो, मास्टर अच्छे नहीं हों, तो दे सकते हैं, पर ९ तारीख को एक साथ एक दम कैसे मांग उठी ? तो छात्रों ने उग्र रूप धारण किया, गोलियां चली, तो क्या इन मांगों के सम्बन्ध में गोलियां चली, यह कहना भूल होगी....

श्री भैरोसिंह : यह सही है ?

श्री शंकरलाल : यह कहते हैं कि किसानों को आगे आ कर रोका गया, एक तरफ सरकार कहती है कि उनको रोका गया उन्होंने पत्थर बरसाये, आप कहते हैं कि सरकार ने किया, सही स्थिति क्या थी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं मौके पर मौजूद नहीं था पर मैं कहता हूं कि जहां तक इस काण्ड के सम्बन्ध में जांच की [illegible] बात है सरकार को इन्कार नहीं करना चाहिये, जांच होनी चाहिये। सरकारी पक्ष कहता है कि जांच ने [illegible] जाहिर। [illegible] सरकार कहती है कि भीड़ की तरफ से गोली चली, दूसरा पक्ष कहता है कि सरकार की तरफ से चली, कौनसी बात सही है कौनसी बात गलत है यह गवाह सबूत के बाद ही कहा जा सकता है, जांच से सही तथ्य सामने आ सकते हैं या जो वहां मौके पर मौजूद थे वे कह सकते हैं, तो मैं इसमें न सरकार की बात का समर्थन देता हूं और न यह कहता हूं कि जो विरोधी पक्ष कहता है वह सही है। इसमें जांच होनी चाहिये, सही बात सामने आनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन्दोलन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में आन्दोलन करने का सवाल है संविधान के आर्टिकल १९ के अन्तर्गत कि [illegible] १९४८ के अन्दर जैसा कि उन माननीय सदस्य ने कही [illegible]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोलिटिकल [illegible]

श्री शंकरलाल : संविधान के पॉलिटिकल रूप में आन्दोलन करने का अधिकार है पर उसमें इस प्रकार का अधिकार नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एस. डी. एम. के इन्कार करने पर मैं चांटा लगा देता। चांटा लगा देते तो आपका अधिकार समाप्त हो जाता, आपका अधिकार शान्तिपूर्वक मांग रखने का है, शान्तिपूर्वक जाने का है, चांटा लगाने का संविधान में आपको कोई अधिकार नहीं दे रखा है।

श्री भुवनसिंह : स्वतः अधिकार है।

श्री शंकरलाल : वह स्वतः अधिकार भी अपनी बात कहने का है वायोलेंस करने का अधिकार नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि प्रारम्भ में पटवार संघ पर यह आन्दोलन का रूप रहा, पटवारी पर रहा, वहां भूमि की मालिकी का सवाल रहा, वहां बटरमेंट लेवी का सवाल हो, वह सब सरकार की मांगों से है। उस पर एस. डी. एम. तहसीलदार या पटवारी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। उसके ऊपर पथराव करें, कलम पकड़ें तो इसका आपको कोई अधिकार नहीं। आन्दोलन करना था तो सरकार के पास आकर, जयपुर में आकर अपनी बात कहनी चाहिये थी, आन्दोलन करना चाहिये था....

श्री भुवनसिंह : [illegible]

श्री शंकरलाल : आपको सोचना चाहिये....

श्री नत्थीसिंह : सारा आन्दोलन [illegible]

श्री शंकरलाल : अगर [illegible] में आ सकते हो तो वहां भी हो सकता है....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : जो सरकारी कर्मचारी हैं जो आजकल [illegible] के पक्ष को नहीं रख सकते हैं, हो सकता है उनकी भी गलती हो या नहीं लेकिन जो आंदोलन के रूप में....

श्री भुवनसिंह बोला : हम सहमत हैं कि पटवारी को बंद किया जाय, तो मिनिस्टर को भी बंद किया जाय....

श्री शंकरलाल : टैक्स का सवाल है, रेट रेंट का सवाल है, सबके बारे में सरकार निर्णय करती है। एस. डी. ओ. को अधिकार नहीं है, तहसीलदार को अधिकार नहीं है, पुलिस कर्मचारी को अधिकार नहीं है।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : गोली चलाने का निर्णय सुखाड़िया साहब की सहमति से। [illegible] करेंगे ? सरकारी अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई, सरकार स्वयं ही...

श्री शंकरलाल : [illegible] जहां तक गोली चलाने का प्रश्न है, किसकी गलती थी, किस तरह से गोली चलाई, क्यों चलाई गई, सरकारी अधिकारियों की गलती थी या नहीं, यह जांच का प्रश्न है, आप स्वतः नहीं कर सकते किसी बात को। मैं कहता हूं कि गोलीकांड बुरा हुआ, गोलीकांड के लिए कोई समर्थन नहीं करता लेकिन किन

(श्री शंकरलाल)

हालात में हुआ, जब तक चश्मदीद गवाह न हो आप और हम सुनी सुनाई बात करते हैं, अखबारों में पढ़ी हुई बात दे देते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : अखबार वाले झूठ लिखते हैं?

श्री शंकरलाल : लेकिन कौनसी बात सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए जो आंदोलन का रूप था, वह इस प्रकार का होना चाहिए था कि जहां से आज्ञा निकली हो उनके प्रति होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जैसे कहा गया उनकी कलमें पकड़ी गई। मैं समझता हूं, सरकारी कर्मचारी की ओर पटवारी और एक हद तक गोलीकांड के पहले जो....

श्री मदनसिंह : यहीं खून के कपड़े आए हैं।

श्री शंकरलाल : उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने सत्याग्रह किया था....

श्री शंकरलाल : सत्याग्रह करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को माननीय सदस्य जानते हैं पिछले साल कलेक्टरी में धरना करने को कहा था।

श्री शंकरलाल : जो धरना दिया था, वह कलम पकड़ने की बात नहीं थी। कलेक्टर को कलम पकड़ लें जहां से आदेश होता है। कलेक्टर की जहां तक बात है, सीलिंग कानून का इम्पलीमेंटेशन करता है, हमने कभी भी पटवारी के सामने आंदोलन नहीं किया। अगर पटवारी के सामने आंदोलन होने लगेगा तो एक राजनैतिक पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : पटवारी के सामने नहीं विधान सभा में हुआ, क्या असर हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री शंकरलाल : इस प्रकार जब आंदोलन का रूप हुआ और आगे जाकर जिस प्रकार विद्यार्थी आए, आगे जाकर अध्यादेश की बात आती है। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया, मैं उस अध्यादेश को उचित नहीं समझता। इसका कारण यह है कि जो लगान वसूली का तरीका है या जो प्रोसीजर बना हुआ है पी. डी. आर. एच.ए. के अंदर उस को छोड़कर एक स्पेशल प्रोवीजन ऑफेंस का बनाया, यह उचित नहीं था। सरकार को वास्तव में इस पर पुनः विचार करना चाहिए, रैंट रेट्स पर पुनर्विचार होना चाहिए, जांच के लिए सरकार को इन्कार नहीं करना चाहिए। अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए, यह वास्तव में उचित नहीं। लेकिन साथ में यह भी देखना पड़ेगा और उन लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग इस आंदोलन को जारी रख रहे हैं, या आगे बढ़ा रहे हैं उनको भूमि दिलाने का प्रश्न खतम हुआ। अगले जाकर मांग की जाय, आप भूमिहीनों को जमीन दें तथा भूमिहीनों को जमीन देने के लिए आप सीलिंग कानून को जल्दी इम्पलीमेंट करें और तारीख निश्चित करें। हमें खुशी है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में १० स्टैंडर्ड एकड़ कानून को लागू करने की घोषणा की लेकिन यह लागू कब होगा कैसे होगा, कितना समय लेंगे, सरकार को इस बारे में एक निश्चित तारीख तय करनी चाहिए,

(श्री शंकरलाल)

और इस बारे में सब स्टाफ को लगाना चाहिए जिस प्रकार सेटिलमेन्ट में लगाया जाता है। उसी प्रकार कानून की क्रियान्विति के लिए स्टाफ लगाना चाहिए कि कम से कम ६ महीने में इस साल के अन्त तक सीलिंग कानून की क्रियान्विति पूरी हो जायगी और भूमिहीनों को जमीन दी जायगी। अगर सारा इम्पलीमेंटेशन हो जाय तो आगे जाकर भूमिहीन किसानों की समस्या का हल हो जाता है। इसलिए जो दूसरे प्रश्न रह जाते हैं सैस, बेटरमेंट लेवी, उसका विशेष ताल्लुक है, लेकिन आन्दोलन जारी रखना, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाना, इसके लिए उचित नहीं और जो कुछ हुआ है उस बारे में सरकार को जांच करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा भी हो सकता है कि गरीब और अमीर का समझौता हो। तुम हमारी मांग का समर्थन करो और हम तुम्हारा समर्थन करें, ऐसा हो सकता है।

श्री शंकरलाल : यही तो मैं कहता हूं कि गरीबों को शायद इसके अंदर घसीटा जा रहा है क्योंकि वह प्रश्न नीलामी का तो खत्म हो गया।

श्री मदनसिंह : गरीबों के पास पैसा नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केदारनाथ। आपका भाषण आखिरी होगा, उसके बाद सरकार का उत्तर होगा।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, गंगानगर में जन-आन्दोलन पर यह डिस्कशन हुआ, और उस आन्दोलन के कारण हमारे सदन का गौरव और गरिमा में बढ़ोतरी हुई, प्रेरणा मिली, जो आन्दोलन के बारे में वाद-विवाद चल रहा है, उसका स्तर बहुत ऊंचा रहा। आन्दोलन की फिलोसफी के बारे में, आन्दोलन की मांगों के बारे में और आन्दोलन के पीछे क्या बैकग्राउन्ड है, यह चर्चा करने का मौका मिला। मैं समझता हूं, यह आन्दोलन जो गंगानगर की चहारदीवारी में शुरू हुआ, वह बाहर निकल गया, राजस्थान की सारी सामाजिक ज़िंदगी में नई हलचल पैदा कर दी। ऐसा कोई भी शहर नहीं, कोई सेन्ट्रल जेल नहीं जिसके चारों तरफ नारे सुनाई न देते हों कि नहरों का पानी पूरा करो, बढ़ा हुआ टैक्स नहीं दो, किसान एकता जिंदाबाद, शहीद अमर हों। यह हलचल राजस्थान की जिंदगी में पहली बार आई है। आप उसे बागी कहें, बगावत की संज्ञा दें, नेताओं पर दोष लगायें कि वहां हिंसा का वातावरण पैदा किया, यह सही नहीं है। उन इलाकों की जो सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि है, जो अपने आप रातोंरात पैदा नहीं हुई, इसके पीछे बैकग्राउन्ड है, एक चैन की लिंक है, वह लगातार चैन चलती आ रही है। जब राजाओं का समय था, जब गंग केनाल आई, आप ताज्जुब करेंगे जैसे खेतों में पानी आया, पानी के साथ हरियाली आई, नया कल्चरल चौंट हुआ। उस समय गंगासिंहजी थे, लोग लड़े प्रजा परिषद् के नाम से उसके बाद राजस्थान बना तो वहां पर सबसे पहले राजस्थान में सिंचाई की दरें बढ़ाई गई तो वहां के किसान गंगकेनाल के लोग ४-५ तहसीलों के लोग इकट्ठे हुए और लड़ाई लड़ी। १२००-१४०० आदमी जेलों में गए। तीन महीने तक लोगों ने टैक्स नहीं दिया। टैक्स के बाद,

[illegible] स्टेटमेंट का आन्दोलन हुआ और गोलमोलो के खिलाफ छात्र सेना में शामिल हो गई, बिद्यार्थी और व्यापारी लड़े और गोमीनगर वालों में सारी ताकतें लगा दी, सारी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। पिछले २० सालों में लड़ने का माद्दा पैदा हुआ, लोगों का दृष्टिकोण बदला, मैं उनको कौन बधाई दे सकता हूँ। आज आप उसकी स्टेट मांगी थी हमारे मांगों को पूरा करें; आदेश [illegible] कुछ दिन पहले जब गिरि चुनाव जीत गए थे तो सारे देश में हलचल पैदा हो गई। मोरारजी भाई को इन्दिरा जी लिखती हैं कि क्योंकि पोर्टफोलियो [illegible] रहा है जनता में [illegible] पैदा हुई है [illegible] रिवोल्यूशन पैदा हुआ है, जो सेंटीमेंट्स हैं उनके अनुसार [illegible] काम नहीं कर पाते इसलिए मुझे वहाँ पर [illegible] करना है [illegible] ताकतों को [illegible] करना है इसलिए मुझे आपका पोर्टफोलियो लेना चाहिए।

आज मुख्य मंत्री जी गम्भीरता से सोचें। जिस व्यक्ति को होम पोर्टफोलियो दिया है, उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप पढ़ें और उसे किसी के भी पास ले जाइये। गोली काण्ड सीरियस हुआ है। यह आन्दोलन चरम सीमा पर पहुँच गया। इस आन्दोलन ने ऐसी हलचल पैदा की है जो अपना इम्पैक्ट रखता है। तो उस होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से—थोड़ा बुढ़ापे का मैं लिहाज रखता हूँ—वे खुद उसका एप्रिसियेशन ले लें उनके अपने साथियों से जो उनके पास विराजमान हैं जिनको कि और पोर्टफोलियो दे रखे हैं, किन्तु पॉवर्स नहीं दे रखी हैं, तो मैं समझता हूँ कि [illegible]

जरूरत नहीं पड़ती। इस गोली काण्ड के पीछे [illegible] कुम्भकरण समझते [illegible] से यह हो गया [illegible] पेम्फलेट से यह हो गया [illegible] का गलत अन्दाजा है। [illegible] क्यों पैदा हुई [illegible] मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन को तेज [illegible] को दबाने के लिये एक के बाद एक [illegible] मेज्युअर्स [illegible] प्लान, कम्प्लेन [illegible] गये, जनमत को नहीं रोक सके, और सरकार ने देखा कि लोग आगे बढ़ गये तो गोली का सहारा लेना पड़ा [illegible]

यह सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ? कैसे सफल हुआ? कैसे सामूहिक सत्याग्रह में बना और आज किस शकल में है? मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे, वहाँ के गावों में आज लॉ-आर्डर नहीं है, अमन-चैन नहीं है। वहाँ आपके होम-मिनिस्टर का लॉ-आर्डर नहीं है। वहाँ लॉ-आर्डर हमारे मार्फत कायम हुआ है, होम मिनिस्टर की मार्फत नहीं है। अगर है तो, हमारी मार्फत है। गांव में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पटवारी, थानेदार गांव में नहीं जाते हैं। [illegible] जाते हैं [illegible] जाते हैं। [illegible] आन्दोलन [illegible] वहाँ नहीं जाते हैं। जितने भी आन्दोलन पिछले २०-२० सालों में हुए हैं उनमें हरेक की [illegible] अलग स्ट्रेटेजी रही है। सरकार जिस तरह से आन्दोलन को दबाया करती है उसको देखकर आन्दोलन की स्ट्रेटेजी बनती है और ऐसे आन्दोलन सफल होते हैं। जिस इलाके में पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं, हमारे यहाँ दलबन्दी, [illegible] गांवों में इस आन्दोलन के कारण एकता की लहर है और सामाजिक झगड़े, वैयक्तिक झगड़े इस आन्दोलन से खत्म हो गये हैं। इस [illegible] की [illegible] है। [illegible]

(श्री किदवई [illegible]) [illegible]

आन्दोलन को फिलासफी । मैं समझता हूं जिसने यह बतलाया है, जो समय इसको दिया है, यहां हिंदुस्तान की भूमि पर जितने आन्दोलन चाहे वे किसान, मजदूर और छात्रों के हुए हों, उससे यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि यह आन्दोलन उन सबमें अभूतपूर्व है। आन्दोलन बढ़ा और गांवों तक बढ़ा।

मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे, जो लोग [illegible] पर खड़े होकर हमारे मखौल किया करते थे, वे आज हमारे में शामिल हैं, वे सत्याग्रही हैं, कार्यकर्ता हैं और नेता के रूप में काम कर रहे हैं। जिले के अन्दर और बाहर एक ऐसी हवा, ऐसी लहर पैदा कर दी है कि यह किसी एक व्यक्ति के कारण पैदा हुई है, यह कहना आपका भ्रम है। एक पार्टी के कारण यह हुआ, यह कहना भी आपका भ्रम है। [illegible] व्यक्तियों के कारण यह हुआ, ऐसा कहना भी आपका भ्रम है। [illegible] शक्ति, सारे लोग इस आन्दोलन को [illegible] जिससे उनमें [illegible] स्फूर्ति पैदा की है [illegible] डेवलपमेन्ट है [illegible] सत्याग्रह [illegible] सत्याग्रह बिना [illegible] गांवों में फैला [illegible] गांवों के [illegible] सामाजिक [illegible] व्यापारी, किसान, पढ़े-लिखे सभी प्रकार के लोग इसमें हैं। सिर्फ ५-१० व्यक्ति जिनका [illegible] ऐजेन्सी [illegible] लोग इस आन्दोलन में शामिल न हों। [illegible] मनफूलसिंह जी यहां [illegible] नहीं है मेरे मन में [illegible] विराजमान हैं। [illegible]

(श्री निरंजननाथ आचार्य, (अध्यक्ष) पीठासीन)

[illegible] मुझे याद है जब वे बचपन में विद्यार्थी के रूप में पढ़ा करते थे। मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मनफूलसिंह जी, आपके रिश्तेदार भी इस आन्दोलन में शामिल हैं। [illegible] डेपुटेशन लेकर सुखाड़िया जी से [illegible] कितनी ही बार [illegible] किये हैं और आपने उनसे [illegible] कि इलाके का विकास होना चाहिये। [illegible] साहब आपके भी रिश्तेदार आन्दोलन में हैं [illegible] सत्याग्रही के रूप में काम कर रहे हैं। [illegible] पीजेन्ट्री है, वह भी इस आन्दोलन में है [illegible] जिन्होंने आपको [illegible] जिनके बल पर आप डिप्टी मिनिस्टर बने हुए हैं। [illegible] इस आन्दोलन के अन्तर्गत [illegible] हुआ है। [illegible] मुझे मालूम है जब [illegible] आन्दोलन का सहारा लेकर [illegible] आज आप डिप्टी मिनिस्टर हैं [illegible] सोशियलिस्ट [illegible] मैं सोचता हूं, आपके सारे लोग, रिश्तेदार इस आन्दोलन को [illegible] में रहे हैं [illegible] करते हैं कि [illegible] नहीं है? [illegible] मैं यह कहता हूं [illegible] कि इस आन्दोलन में किसी एक आदमी का हाथ है, यह [illegible] होता है। इसमें सबका हाथ है, सब पार्टियों का है। आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन किस सीमा तक पहुंच गया है, किसी एक व्यक्ति को दोष देकर एक पार्टी को [illegible] दूसरी पार्टी में [illegible] करने का [illegible]। जो [illegible] हुए हैं, उसके [illegible] सोचता हूं [illegible] इस आन्दोलन के

(श्री केदारनाथ)

प्रति इन्साफ नहीं करते हैं। हम आज एक हैं। यह इस आन्दोलन का इम्पैक्ट पड़ा है।

३ नवम्बर को ऐलान किया। किसान सभा ने अपनी लड़ाई का ऐलान किया, जो पिछले दो सालों से वहां काम कर रही है। वह अपने ढंग से लड़ने को तैयार हुई। इकट्ठे होकर लड़ने के लिये कार्यकर्ता के रूप में लोग गये। हमारे पास में जन-संगठन नहीं था। जिस इलाके में आन्दोलन की शुरूआत हुई उसकी बात सही तरीके से पेश नहीं करूं तो आप आन्दोलन का सही जायजा नहीं ले सकेंगे। २ तारीख को गिरफ्तारियां हुई। ३ तारीख को हाण्डा पर मार पड़ती है। मार्क्सवादी पार्टी के सेक्रेटरी पर मार पड़ती है। किसान कमेटी के सेक्रेटरी को गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद लाठीचार्ज होता है। लोग इधर-उधर भाग जाते हैं। यह आपने अमन कायम की। हजारों लोगों को आपने जंगलों में छोड़ा। होटलें बन्द करवा दीं। ये आपके एस. पी., डी. एस. पी. ने बंद करवायी ताकि किसी आदमी को भोजन नहीं मिले। रात को ठहरने का मौका नहीं मिले। और फिर आप यहां प्रजातंत्र की बात कहते हैं? आप चाहते थे कि आन्दोलन जोर न पकड़े। तो यहां इस आन्दोलन की शुरूआत होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह सामूहिक कैसे बना? आज यह कह देना, स्टेटमेंट में यह बयान कर देना होम मिनिस्टर के द्वारा कि अमुक पार्टी ने यह किया है, गलत है। नीलामी हमने बंद कर दी—अगर आप सोचते हैं तो आपने कहा था कि पंचायत इलेक्शन के कारण हमने थोड़े दिनों के लिये नीलामी बन्द कर दी है। राज्यपाल के भाषण में हम सिद्धान्ततः नीलामी बंद कर दी है-- यह कहा है। जिस पार्टी ने एक बात को लेकर आन्दोलन किया है, उसके पूरी होने पर उस पार्टी को उस आन्दोलन को वापिस लेने का अधिकार है, राइट है। उस राइट को हमने इस्तेमाल किया है। इस आन्दोलन को सामूहिक रूप से सफल बनाया। इसके लिए प्रयास किया और आगे बढ़े। पहले यह ३ नवम्बर को शुरू होता है। २१ तारीख को, २१ नवम्बर को यह गंगानगर शहर में शुरू होता है।

(४.०० म० प०)

उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता तहसील हैडक्वार्टर में पहुंचता है। वह ४७० पटवार सर्कल में फैल जाता है। इसका रूप बदलता है। जिनको जेल में रहने का मौका मिला है और आन्दोलन चलाने का भी मौका मिला है वे जानते हैं। मुझे आन्दोलन चलाने का और जेल में रहने का मौका मिला है। गांव में पंचायत बुलाते हैं, सारे वर्ग के लोग वहां इकट्ठे होते हैं। सत्याग्रही भेजने का तय होता है। किसान एकता कमेटी उसका नाम है। इकट्ठे होते हैं, सत्याग्रही को माला पहिनाते हैं और जाकर फिर गिरफ्तार कराते हैं। न किसी की कलम पकड़ी और न ही किसी दफ्तर में घुसे। सत्याग्रही गिरफ्तार होते हैं। पढ़े लिखे नौजवान, बच्चे-बूढ़े, माता-पिता, बहिन-भाई विदाई देने आते हैं ढोल बजाते हुए। कैसी जन-जागरण की बात। सामाजिक झगड़े मिटे। २३ तारीख को १०१ आदमी का जत्था लेकर सामूहिक रूप दिया गया गंगानगर शहर में। किसी पार्टी का असर नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। ऐसी फिजा फैली कि गांव-गांव से लोग एक नहीं अनेकों सत्याग्रही भेजने लगे। गांव की पंचायत होती हैं, वहां के ५१ आदमी जत्थे में जायेंगे इससे कम नहीं जायेंगे। सांगरिया में शुरूआत हुई। मोरपुर डाबा, अलग-अलग गांव हैं, सामूहिक सत्याग्रह फैला। यह २९ ता.

(श्री केदारनाथ)

की बात है। २६ तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शुरू करते हैं। आन्दोलन बढ़ रहा है यह होम मिनिस्टर को खबर मिली। दो-ढाई बजे रात को लोगों को पकड़ा गया। हम जानते हैं कि जिन्होंने आन्दोलन लड़े हैं गिरफ्तारी के बाद क्या स्थिति बनती है? १ से लेकर ५ बजे तक कोई गिरफ्तारी नहीं करते। लोग तहसील हैडक्वार्टर पर जाते हैं, पटवार सर्कल पर जाते हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाते हैं नहीं पकड़े जाते। ट्रकों से दूर भेजे जाते हैं। अगर किसी आदमी को दो तीन वक्त भूखा रहना पड़े, सख्त सर्दी में वापिस आना पड़े, थकावट बेचैनी हो, सामने संगीनें खड़ी हों और वह उस हालत में भी गुस्से पर काबू पा जाय—क्या आन्दोलन की सफलता नहीं मानते? गुस्से को चैलेन्ज कर दें और सामूहिक सत्याग्रह देता है तो गौरव और गरिमा उसकी नहीं मानते? सांगरिया में इतना बड़ा स्टेगरिंग पैदा हो गया, गांव-गांव के लोग गये, ५१ से कम नहीं जायं, बीरबलजी सरीखे आदमी। डी. एस. पी., गिरधारीलालजी एस. एच. ओ., सुमेरसिंहजी एस. एच. ओ. जब से गंगानगर पहुंचा हूं वहां थानेदार हैं। एक लाख की भेंट होगी बादी में। सुखाड़ियाजी, आप से ज्यादा ताकत रखता है? होम मिनिस्टर साहब, वहां का लॉ एण्ड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है लेकिन उन लोगों के हाथ में है। उस डी. एस. पी. ने गोलियां चलायीं, उस थानेदार ने पिस्तौल से गोलियां चलायीं। शुरूआत उन लोगों ने की। ५ तारीख को मनकासर जाता है आदमियों का जत्था। ट्रक में भरा उनको। सड़कों पर लाठी चार्ज किया। पन्द्रह बीस आदमियों के चोटें लगीं। वापिस गये तो माता बहिनें कहने लगीं कि चूड़ियां पहिन लो हम आन्दोलन करती हैं। तीन-चार हजार का हजूम गांव में आ गया लेकिन कोई भी इन्सीडेन्स नहीं हुआ। जब गिरफ्तारी नहीं हुई, जो पर्चा निकला ७ तारीख को उसको भी मैं नहीं मानता, कुम्भारामजी के स्टेटमेन्ट को भी मैं नहीं मानता, न मार्क्सिस्ट न लेनिनिस्ट का कोई हाथ मानता। यदि हिंसा पैदा करना चाहते तो ७ के बाद भी कर देते। हिंसा में विश्वास करते तो डी. एस. पी. वापिस जाते? नहीं है उनका विश्वास हिंसा में। न तो उन का हाथ है और न ही उनके पीछे जनता है। न उनके आन्दोलन में शरीक हुए जिनको आप नेक्सेलाइट मानते हैं। १०-११ तारीख को अखबार वाले नहीं पहुंचते तो ३०२ का मुकदमा बनता। मौके पर पहुंचे तो आन्दोलन की गति तेज हो गयी। ६२ एम. एल. एज घरों में बैठे हुए थे। भत्ते पकवाने में हैं। सारे राजस्थान में एक फिजा फैलने लगी। एक मीडियम साइज का ट्रक जिसमें पचास आदमी सत्याग्रही, दस पन्द्रह सिपाही होंगे, न चाय, न पानी, कुछ भी नहीं। गुस्सा या नाराजगी थी। जैसा कहा गया, हवा निकल गई या निकाल दी गयी किसी के द्वारा जैसा मेरे दोस्त ने कहा। हवा निकलते ही डालचन्द, सुमेरचन्द और थानेदार उनके पास पिस्तौलें थीं। यहां से आप अन्दाज लगा सकते हैं, अध्यक्षजी, यहां तहसील हैडक्वार्टर है, इसके पीछे थाना है, इस ओर मंडी है, यदि इसके चारों तरफ गोवार होती तो यह काण्ड जलियां वाले बाग से भी ज्यादा भयानक होता। चारों तरफ से घेर लिया। लड़का देवेन्द्र मरा, होनहार लड़का था, स्कूल का विद्यार्थी, रेल की पटरी से दूर, मनफूलसिंहजी के भाई जहां

(श्री केदारनाथ)

के चेयरमेन हैं, स्वामी केशवानन्दजी एम. पी. स्वयं उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिये और एवीडेन्स में उनको पेश करें तो मालूम पड़ जायगा कि गोली किसने मारी, क्यों मारी और कहां था देवेन्द्र ? ज्युडिशियल एन्क्वायरी करो। न स्वामीजी पर विश्वास, न भैरोंसिंहजी पर विश्वास लेकिन मनफूलसिंहजी पर तो विश्वास कर लो। बच्चों को मालूम पड़ा तो उसको वे उठाने जाते हैं फिर गोली आती है, बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, थोड़े समझदार थे बच्चे। आहिस्ता आहिस्ता पांच-दस बच्चे लाश को ले गये। पोस्टमार्टम सुना होगा ? तस्वीर में पोस्टमार्टम नहीं। थानेदार गोली चलाने वाला आपका, डॉक्टर आपका, डी. एस. पी. आपका जिसने यह काण्ड किया। लेकिन नहीं, उसको आपका संरक्षण है। लेकिन सुखाड़ियाजी ! आप चाहें आन्दोलन को दबाने का काम नहीं समझते हों लेकिन आप इसके मालिक नहीं, असली मालिक तो उस इलाके के ये डी. एस. पी. थानेदार, ठेकेदार हैं, मालिक हैं। तीन सौ गज दूरी पर खड़ा देवेन्द्र, उसको गोली मारी गयी। रामपाल, किसना राम को गोली मारी, मंडी में जाकर चंदू और रूड़सिंह को मारते हैं। ३०० गज की दूरी। टेढ़े-मेढ़े रास्ते। बाजार यों जाता है, फिर यों, फिर यों। गोली मारने वाला पीछे जाय फिर कैसे गोली नहीं लग सकती है मुझे ज्ञात नहीं। ज्युडिशियल इन्क्वायरी की बात कही जाती है। मैं समझता हूं अब इस प्रकार की एन्क्वायरी की स्टेज चली गई है। इस आन्दोलन से जो मोमेन्टम पैदा हुआ है, जो जन-जागृति पैदा हुई है उसको आप सोचें-समझें। इसके साथ जहां भूमिहीनों का मसला जुड़ा हुआ है वहां उस इलाके की उन्नति के लिये योजनायें भी जुड़ी हुई हैं। इस बारे में भाई भैरोंसिंहजी ने कहा कि आखिर आप इसको तह में जाकर देखें कि यह आन्दोलन क्यों पैदा हुआ है ?

अध्यक्ष जी, भादरा में ठीक १॥ बजे गोली चलती है उसी वक्त लाठी चार्ज करणपुर में होता है। आखिर ये सब इनसीडेन्ट्स एक साथ, एक समय किस प्रकार होते हैं ? आखिर इसमें क्या राज है ? एक साथ लाठी चार्ज, एक साथ गोली-काण्ड इसमें प्रतापसिंह और डालचन्द ने साजिश करके तय किया कि एक साथ इन-इन स्थानों पर गोली चलाओ। अध्यक्ष जी, यदि होम मिनिस्टर साहब आपके समान होते तो एक दफा उस स्थान का एरियल व्यू ले सकते थे लेकिन आप बीमार थे, आप किसी छोटे-मोटे मंत्री को भेज देते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीमार रहते हुए आपने क्या यहां का अपना पोलिटिकल बिजनेस नहीं किया, किसी प्रकार से इस आन्दोलन को कुचलने की बातें नहीं की ? आप सब बातें यहां बैठे करते रहे, लेकिन आपको वहां जाकर देखना था। आप नहीं गये। आप जाकर देखते, आपको पता चलता किस प्रकार की जागृति वहां के लोगों में आई है। इसलिये मैं आपके नजदीक होने के कारण आपको अच्छी तरह से समझता हूं। ईमानदारी तो इसी में है, मुख्य मंत्री महोदय, आप इनसे होम पोर्टफोलियो ले लें। आप इस विभाग को किसी ऐसे आदमी को सौंपे जिनमें बंबई अधिवेशन के बाद जो जन-जागृति आयी है उसको समझने की क्षमता हो, उसके अनुरूप कार्य कर सकता हो, इन आन्दोलनों की फिलोसाफी समझता हो, इनमें किस तरह से डील किया जाये, किस प्रकार से इसको सप्रेस किया जाय। किन-किन आन्दोलनों को सप्रेस करना है किनका

(श्री केदारनाथ)

समर्थन करना है, आप व्यासजी, बंबई में जो नई रोशनी कांग्रेस ने दी है उसको समझ नहीं पाओगे अतः अच्छा है आप इस पद को छोड़ दें। आज जब मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे सामने बंबई अधिवेशन की बात आती है जिसमें यह कहा गया कि हमें यंग फोर्सेज इकट्ठा करके सड़कों और गलियों में एक ऐसा मोमेन्टम पैदा करना है जिससे वास्तव में समाजवाद आये। उसमें लैण्ड रिफॉर्म्स की भी बात कही गई, हमें सन् ७० के अन्त तक ये लैण्ड रिफॉर्म्स लागू करने हैं। अगर आप सही मायने में इस प्रकार का समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप इकट्ठे हों चाहे उसमें कम्युनिस्ट हों, चाहे सोशियलिस्ट हों सभी तत्व एक साथ इकट्ठे हो जायं, ऐसी सारी फोर्सेज को इकट्ठा कर लें। मैं समझता हूं इस प्रकार सभी समाजवादी शक्तियां इकट्ठा होकर इस जन-जागृति का फायदा उठाना चाहें तो उठा सकती हैं। हो सकता है इस तरह के एलीमेन्ट्स से आन्दोलन में हिंसा का रूप भी धारण हो सकता है, लेकिन आखिर यह क्यों होता है—इसके कारण को भी हमें देखना चाहिये। आन्दोलन के बैकग्राउण्ड को न देखते हुए अगर हम इसको कन्डेम करने की चेष्टा करेंगे तो उचित नहीं होगा। बम्बई में कुछ फैसले किये गये, वहां से एक नई रोशनी लेकर आप आते हैं और उसके साथ ही एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। तीन तारीख को वह लागू कर देते हैं, अध्यक्ष जी, कभी इस प्रकार का अध्यादेश निकला नहीं। टैक्स नहीं देना हमारा नारा है और यह नारा हमारा रहेगा। टैक्स हम इसलिये नहीं देना चाहते कि हम अपने राजस्थान को भिखारी बना देना चाहते हैं यह बात नहीं है। हम आपको टैक्स देंगे, राजस्थान के खजाने को भरेंगे लेकिन कब जब आप हमारे विकास की जो योजनायें हैं उसके अन्दर जो रुकावटें पैदा हो गई हैं उनको आप दूर करें। आप हमारी हरी क्रान्ति में योग दें। हम राजस्थान में हरित क्रान्ति करना चाहते हैं। आप हमें सहयोग दें। हम भी आपको पूरी तरह से टैक्स देंगे।

अध्यक्ष जी, यह मैं साफ कह देना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्ति के खिलाफ आन्दोलन नहीं है और न किसी को नीचा दिखाने की गरज से ही यह आन्दोलन शुरू किया गया है। आप उस इलाके के चार मंत्रियों की जगह दस मंत्री भी बना दें तो हमें नाराजगी पैदा नहीं होगी। हमने आन्दोलन इसलिये शुरू किया है कि जनशक्ति पैदा हो, जब जनशक्ति पैदा हो जाती है, जब जन-आन्दोलन बन जाता है तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिये। यह एक नयी जागृति देश में आयी है आप, अध्यक्ष जी, जेलों का निरीक्षण करने जाओ, आप को पता चलेगा हमारे सत्याग्रहियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है? उनसे हम मिलने गये वे कहते हैं कि आप लोग हमारी मांग मन्जूर करवाते हो इसको हम गौण मानते हैं। उनका तो कहना यह है कि आन्दोलन से जो जन-जागरण पैदा हुआ है वह कायम रहना चाहिये। तीन साल पहले भी एक ऐसा मौका आया था तब भी इस प्रकार जन-जागरण पैदा हुआ था। उसका हम लोगों ने फायदा नहीं उठाया, उस समय समाजवादी ताकतें मिल कर इस सरकार को फेंक सकती थी। उस समय हम उसका फायदा नहीं उठा सके। आज फिर जन-जागरण हुआ है इसको हमें आगे मुस्तैदी से बढ़ाना चाहिये। यह आंदोलन वर्तमान

Page No 116

(श्री केदारनाथ)

हुकूमत को बदल सकेगा यह मैं नहीं मानता। यदि इस बारे में कुछ भी जागृति होती है तो मैं इस आन्दोलन की सफलता मानता हूं।

अध्यक्षजी, इस आन्दोलन में जिन पार्टियों का योग है हो सकता है उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हों, लेकिन जो रूप-रेखा बन गई है उसके अनुसार सब अपना योग दे रहे हैं। सुखाड़िया जी, विधायक लोग यह कहते है कि ज्युडिशियल एन्क्वायरी हो और इस अध्यादेश को वापिस लिया जाय। जो यह पर्चा निकाला है इससे आप चाहते हैं कि आन्दोलन बन्द हो जाय और लोग माफी मांग लेंगे। लेकिन हंसराजजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके ही गांव के २५० आदमी सत्याग्रह करके जेल में गये हैं, वे कभी माफी मांगने वाले नहीं हैं। मैं और रामानन्द जी जेल में सत्याग्रहियों से मिलने गये। वहां एक वृद्ध जो सत्याग्रह में गिरफ्तार होकर आया था उससे पूछा गया कि ये मांगें मन्जूर हो जाने पर तुम छूटना चाहोगे? वह कहता है मैं तो ९ महीने पहले जेल छोड़ने वाला नहीं हूं। इस अध्यादेश के अन्तर्गत ८ महीने की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने के बदले एक महीने और कैद इस तरह से ९ महीने पूरे करके ही जेल से निकलूंगा। इससे हमारे सत्याग्रहियों का मोरल और जज्बात का पता चलता है।

"देर आयद दुरुस्त आयद" वाली कहावत के अनुसार अब भी आप गलती मानते हैं तो यह दुरुस्त हो सकती है। लेकिन जो जन-आन्दोलन की फिलासाफी में विश्वास करते हैं मैं समझता हूं वे यह समझेंगे जनता में जागृति आयी है इसका उपयोग हम करते हैं तो इससे समाज का भला ही होगा। मैं नहीं समझ पाया यह रातों-रात आपके समझ में किस प्रकार से आगई और आपने एलान कर दिया।

सुखाड़िया जी, यह तो सब को मालूम है कि आप कभी सिण्डीकेट के साथ थे और अब इण्डीकेट के साथ मिल गये हैं। मैं आप पर किसी प्रकार का मोटिव इम्प्यूट नहीं करता हुआ कहना चाहता हूं आप लगातार १५ साल से मुख्य मंत्री है। इन सालों में जिस प्रकार का दिमाग आपका रहा है, जिस किसी ने आपकी नीतियों को देखा है, आपके जिस प्रकार के आचरण रहे हैं, आपका जिस प्रकार का स्वभाव रहा है उसको आप पलट नहीं सकेंगे चाहे आपने सिण्डीकेट से इण्डीकेट का सहारा लिया हो। आपके स्वभाव में, खून में और चमड़ी में एक तरह से वह चीजें समा गई हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। आप अपने स्वभाव और हेबिट्स को नहीं बदल पायेंगे। यह मैं मानता हूं कि आप राजस्थान को छोड़ नहीं पायेंगे और न आप बंबई अधिवेशन की कल्पना के अनुकूल इस राज्य को बना पायेंगे। मैं यह भी मानता हूं आपके नेतृत्व में १५ साल में कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं उससे इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन वे सब आपने अपने स्थायित्व के लिये किया है। सारे राजस्थान में आपने एक तरह से मर्दुमा छादी है। विरोधी पार्टीज को आपने एक तरह से समाप्त सा कर दिया। जन-आन्दोलन की भावना कुछ भी शेष नहीं रही है। सारी ताकतों को आपने बिखेर कर छोड़ दिया। आज राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त है आप समाजवाद की बातें करते हैं लेकिन आपके एक्शन्स उसके विपरीत हैं। जो एक नये समाजवाद की धारा आयी है जो जन-

(श्री केदारनाथ)

आगरण आया है, सुखाड़ियाजी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि आपका मन बदला नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आप यहां से सी० एम० पद से विदा हों। हम यह नहीं कर पाये, यह हमारी कमजोरी रही है और मैं तो यह भी मानता हूं आयन्दा भी हम नहीं कर पायेंगे, आने वाले दो सालों में भी नहीं कर पायेंगे। यह बात मैं अपनी प्रेरणा से कह रहा हूं हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम आपको बदलें। लेकिन यह जरूर है कि हालात जिस प्रकार के हो रहे हैं वह आपको अपने आप बदल देंगे। एक समय था मोरारजी का समर्थन करने वाले भी बहुत थे उनका भी महत्व कम हो गया है। आज आप जिस तरह से कुर्सी पर हैं उससे आपके सैकड़ों मित्र हैं लेकिन आपके इस पद से उतरते ही ये दोस्त कहलाने वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। हमने राजाओं का समय भी देखा है। उस समय भी जन-आन्दोलन के रूप में उनसे लड़ा करते थे। उस समय के हालात से परिचित लोग आपकी तरफ भी बैठे हैं। आज वही स्थिति यहां हो रही है। आपके अन्दर से ही सकता है कुछ लोग आपको चैलेन्ज करें। आप यह सोचकर न चलें कि आज जो आपका साथ दे रहे हैं वे हमेशा ही आपका साथ देंगे। आपको यह भ्रम दूर कर लेना चाहिये। मैंने ये बातें पेश कीं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए यह फिर कह दूं कि अगर अध्यादेश वापिस होता है, वह वापिस होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब। अध्यादेश हम मानते नहीं। ऐसा कोई कानून, जो संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकारों पर अंकुश लगावे, उसकी हमारे सामने कोई कीमत नहीं। इसके तहत पांच हजार आदमी जेलों में हैं। आज भी जा रहे हैं मेरे दोस्त आज भी तीन सौ चार सौ पकड़े गये होंगे। कोई बस से आ रहे होंगे। कोई किसी से आ रहे होंगे। हमने इस अध्यादेश को तो पहले ही फाड़ कर फेंक दिया है। हमने उसे माना ही नहीं। न कानूनी तौर पर और न संवैधानिक तौर पर। न उसे मान्यता दी। इसको तो हमने रौंद डाला। जो कोई ऐसा कानून जो किसान की आर्थिक प्रगति में, उसके विकास में रुकावट पैदा करता हो कोई बाधा डालता हो तो यह हमारा बुनियादी हक है उसे तोड़ने का हम जानते थे इसे आपको वापिस लेना पड़ेगा।

बाकी रहा प्रश्न जुडिशियल एन्क्वायरी का। वह वक्त नहीं रह गया अब। इसका जब ऐलान करना चाहिये था, तब तो आपने किया नहीं। आज कर रहे हैं। आज तो उसका वक्त निकल गया। औफ मोटेड हो गया। आज वह अपनी अहमियत खो बैठी। आज आप १०२ के मुकदमे चलावें पर प्रश्न यह है प्रोसीक्यूशन कौन करे? यह उलझन है। राजस्थान सरकार से करावें, यह काम उससे नहीं हो सकेगा। यह आपके लिये भी ठीक है कि आप इसको स्वयं नहीं करावें। फेयर डीलिंग तो यह होगा आपके पार्ट पर कि आप सेन्टर के लोगों को यह काम सौंप दें। आप तो इसमें स्वयं एक पार्टी हैं। आपकी सरकार तो प्रजातन्त्र की विरोधी सरकार है। तो आप इस जांच को वहां से पूव करावें। वे करें प्रोसीक्यूशन इसका ताकि हमें मालूम पड़ जावे कि इन अफसरों ने वास्तव में क्या किया, किसके इशारे पर यह सब कुछ किया?

(श्री केदारनाथ)

तीसरी बात, सत्याग्रहियों की रिहाई की बात। अध्यक्षजी, जो आन्दोलन चलाते हैं, सोच समझ कर चलाते हैं, उसके परिणाम को जानकर चलाते हैं। चलाते हो, चलाना है, चलाते रहे हों उनके बारे में यह कभो नहीं होगा कि आप उनको रिहाई करें। वे यह कहेंगे कि जो कम्पोनेन्ट हैं इस आन्दोलन के जो पार्टियां इस आन्दोलन को शुरू करने वाली है, दोनों किसान सभा और किसान संघर्ष समिति, बी० के० डी० साम्यवादी, किसी का कम, किसी का ज्यादा हिस्सा इसमें है, अपना अपना असर रखते हुए अपने-अपने बेनर में जिन्होंने यह काम शुरू किया है आप उनसे बात करें। इसके बाद अकाली पार्टी शामिल हुई है। आज स्वतन्त्र पार्टी वाले भी इसमें शामिल हैं जो इस में पहले विश्वास नहीं रखते थे। जनसंघ वाले भी इसमें सम्मिलित हो गये हैं। राजस्थान में उन्होने कॉल दे दी है तो इन सारी पार्टियों को उनकी इस सफलता के लिये में साधुवाद देता हूं। यहां के लोगों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इतना त्याग किया है और डटकर इस सरकार के अन्याय का मुकाबला किया है।

रहा सवाल इकोनॉमिक डिमान्ड के बारे में। सुखाड़िया साहब, आप टेबल पर इन कम्पोनेन्ट्स को बुलायें जो जेलों में हैं या बाहर या अण्डरग्राउन्ड हैं। हम तो बतौर वकालत करने के लिये वकील के तौर पर यहां हैं। विधायक हैं हमें हक नहीं है। हमें पावर नहीं है नेगोशियेशन करने का। आप किसान सभा के अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखें। ताकि वे अपना नुमाइन्दा भेजें, आप किसान सभा संघर्ष समिति वालों को लिखें प्रतिनिधि भेजने के लिये। फिर आप सब मिलकर टेबल पर बैठें और इकोनॉमिक डिमान्ड पर बात करें। मैं यह अब इसलिये सोचता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि यह रास्ता निकल आवे तो राजस्थान के विकास का रास्ता सुगम होगा, लॉ ऑर्डर की स्थिति भी जैसा आप मानते हैं ठीक होगी।

पर अगर इससे आप कोई यह समझते हों कि वे लोग कोई माफी मांगने वाले हों, या इस तरह से बारगेन करने वाले हों या इससे कोई चुनावों में लाभ उठाने की नीयत हो तो मेरा दिमाग इन मामलों में स्पष्ट है, खुला है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं हैं। यह समझते हों कि पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ा गया तो इससे कोई चुनावों की भूमिका बना रहे हों....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

....या यह समझते हों कि आईन्दा चुनाव होने हैं इसके लिये भूमिका तैयार कर रहे हों तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास पांच दस आदमियों के नाम ऐसे हैं जो सैल्फ इम्मोलेशन करने को तेयार हैं! सन्त फतेहसिंह जब यहां आये जो सैल्फ इम्मोलेशन कर रहे हैं। जनरैलसिंहजी भी थे। हमारे इलाके के ये लोग हैं। एक सन्त वहां कुर्बानी करें, एक यहां पर। तो इस पर दस नौजवानों ने अपने नाम भी दिये हैं और कहा कि हम सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिये तैयार हैं। इनमें वे भी हैं जो चुनाव लड़ते रहे हैं। पर अब परित्याग कर दिया है। वह घोषणा यहां करने वाले हैं। जब वक्त आवेगा तो घोषणा करेंगे। तो अगर यह बात ही आपके दिमाग में अपनी सीट को परिपक्व करने के लिये या सेन्टर में या स्टेट में

(श्री केदारनाथ)

बारगेन की दृष्टि से, चुनावों में लाभ उठाने की दृष्टि से, अपने बेनर को जिताने के लिये यह भूमिका है तो मैं स्पष्ट अपनी राय देना चाहता हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव आज एक हों, दो हों, दस हों, हमारा उसमें भाग लेने का कोई मकसद नहीं है। वक्त आने पर छोड़ देंगे, परित्याग कर देंगे। जो हमारे कहने से सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिये तैयार हैं उन्होंने अपने त्याग से और सेक्रीफाइस से आन्दोलन की एक रूपरेखा पैदा कर दी है, जनता की समस्याओं के सामने सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया हो उनके लिये यह सोचना कि वे चुनाव बैकग्राउण्ड को तैयार करने के लिये यह कर रहे हैं इससे अधिक शर्मनाक बात और नहीं होगी। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मनफूलसिंहजी आप भी कह दें, मन्त्री, पद छोड़ दें। हंसराजजी, गोयलजी आप भी कह दें। आपने सुखाड़िया सरकार का निर्माण किया। अगर आप अक्लमन्द होते तो आप उनसे राजस्थान कैनाल के पानी की बात करते। इन्डस ट्रीटी ३१ मार्च को समाप्त होने जा रही है। दो लाख क्यूसेक पानी आने वाला है। हरियाणा पंजाब ने अपना इन्तजाम कर लिया। आपने किया ? आपने नहीं किया।

ताज्जुब करेंगे, अध्यक्षजी, चण्डीगढ़ के नाम से हरियाणा और पंजाब इकट्ठे हो गये पर पानी के नाम से आज राजस्थान गफलत में पड़ा है। कितना पानी पंजाब इस्तेमाल करले, एक शर्त यह भी इसमें है। न पंजाब इस्तेमाल करे, बाकी का न राजस्थान करे। तीन साल बाद वापिस वह पाकिस्तान को चला जावेगा अगर यह आपने इस्तेमाल नहीं किया। यह भी धारा है इसमें। गुरदीपसिंहजी ने पोर्टफोलियो तो ले लिया पर शायद यह क्लॉज पढ़ा नहीं।

इस इलाके में विद्रोह पैदा न हो, बगावत पैदा न हो, तो यह इकोनॉमी देखनी होगी। आपका मन अगर साफ है इसके प्रति तो अनाउन्स कर दें जैसा हंसराजजी ने किया है। हंसराजजी और मैं साथ-साथ काम करते थे बीस-पच्चीस मील जाया करते थे प्रजा परिषद् के वक्त में। एक साथ पिटाई भी हुई। उनकी ज्यादा हुई। उसमें आपने खून दिया था पर वहां से समरसाल्ट कर गये तो आपके साथ भी ये समरसाल्ट कर सकते हैं, सुखाड़िया जी, ये। तो आप निर्णायक हिस्सा लें इसमें। सुखाड़ियाजी को समझाए। गंगानगर का किसान खाद्यान्न पैदा करे और अपनी सारी इनर्जी उधर डिवोट करे मैं जैसे ऐलान करता हूं वैसे आप कर दें, सुखाड़ियाजी, आज ही घोषित करदें। जो तीन दिन बाद करने वाले हैं वह आज ही कर दें तो अच्छा है।

अन्त में मैं आन्दोलन की सफलता की कामना करते हुए उन लोगों को जो गोली-काण्ड में काम आये और जो जेल की चारदीवारी में बन्द हैं और जो शहीद हुए हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं, लेना नहीं देना नहीं, उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए इस विश्वास के साथ कि इस आन्दोलन की जीत होगी, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैं १६ तारीख को भाषण कर रहा था उसके बीच में ही विधान सभा की कार्यवाही स्थगित

(श्री विजयसिंह)

कर दी गई थी। स्थगित करने का आपको अधिकार है। परन्तु मैं आपके सामने भीख नहीं मांग रहा हूं। मेरा अधिकार है कि मेरे भाषण को पूरा करूं और आपका फर्ज होता है कि मुझे पांच मिनिट का समय दें ताकि मैं अपना भाषण जो अधूरा रह गया था पूरा कर सकूं और अपनी मांग रख सकूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : आपके पास सार्जेन्ट हैं। पहरी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब बिजनेस सरकार चाहती है तो रात को बारह बारह बजे तक चलता है पर जब हम बोलना चाहते हैं तो समय की बाधा पैदा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : देखिये यह बराबर सदन की परम्परा रही है कि जो भाषण पहले हो जाता है उसके बाद अगर हाउस को स्थगित करते हैं तो वह भाषण समाप्त मान लिया जाता है, दूसरे दिन शुरू नहीं होता। इस प्रश्न पर फिर आपने बहुत देर से प्रश्न उठाया है। इस परम्परा को देखते हुए मैं समय देने में विवश हूं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग को तो सुनना चाहिये। आप दो मिनिट का समय दीजिये। मैं क्या मांग रखना चाहता हूं यह तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप समय चाहते हैं।

श्री विजयसिंह : मैं सिर्फ दो मिनिट का समय चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल दो मिनिट दे दें साहब।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट आपका और एक मिनिट मेरा, कुल तीन मिनिट।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, तो मैंने उस रोज शुरू में सांगरिया भादरा के बारे में जिक्र किया था। जिस रोज मैं सांगरिया और भादरा से आया मैं वैसे एक ऐसे स्थान से आता हूं जहां मकराना में पत्थर की खान है तो मैं अपने आपको समझता हूं कि मेरा दिल पत्थर का है, पर मेरा पत्थर का दिल भी पिघल गया इन सब बातों को देखकर। और उस दिन से मेरे दिल और दिमाग में कितनी ही प्रकार की बातें आती हैं और उन बातों को देखते हुए जब आज मैं विधान सभा के लिये आ रहा था और मैंने जगह-जगह पुलिस के सिपाही तैनात देखे और मुझे मालूम हुआ कि विद्यार्थी आज अपना प्रदर्शन करेंगे तो मेरा दिल हिल उठा कि कहीं इस प्रकार न हो कि आज भी इन नौनिहालों पर पुलिस के लोग गोली चलादें।

इतने में क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, कि एक कुत्ता मेरे सामने से निकला। मैंने सोचा जिस प्रकार हम स्कूलों में पढ़ते थे मैंने यह सोचा चांद का टुकड़ा है, मानो ××× तो उससे कोई एक्सीडेन्ट न हो जावे। मैं निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह एक्स० पन्ज किया जावे।

श्री विजयसिंह : उस कुत्ते को बचाने के लिये अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसका नतीजा यह हुआ।

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री विजयसिंह)

(शोरगुल अश्रव्य)

मेरा पेन्ट तक फट गया। तो अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि यह कोई ऐसी लम्बी चौड़ी बात नहीं है जिसमें गोलीकाण्ड के लिये बात को बढ़ाया जावे। न्यायिक जांच तो हो चुकी। बेरी कमीशन बैठ चुका। क्या हुआ उसमें? हम देख चुके। आज दिन तक उसका कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक बार रामसिंहजी कुड़ी का सवाल यहां आया। तो सदन ने प्रधान को यहां बुलाकर उसे ताड़ना देना मुनासिब समझा। तो मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जितने अधिकारी वहां तैनात थे जिनका गोलीकान्ड में हाथ था उनको यहां बुलाया जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं—दो साथी हैं एक मोला बक्स और दूसरा अलाहीन का चिराग वह यह बता सकते है कि किस प्रकार गोली-काण्ड हुआ। मैं कहता हूं सरकार को दिवारों पर लटका दिया जाय। जिस तरह की हरकतें इनके चापलूस अधिकारी करते हैं वह न कर पायें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन से ..

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जो बात कहेंगे वह ईश्वर को सामने रखकर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो दिन से यहां पर चर्चा चल रहा है और गंगानगर जिले की कुछ समस्याओं को लेकर वहां आंदोलन हुआ। क्या समस्यायें थीं उसके सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रकाश डाला है। मैं विस्तार में बहुत सी बातों में इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूं कि गंगानगर के इलाके में गंग कैनाल में जो पानी की कमी पड़ती है भाखरा सिस्टम के अन्दर जो पानी की कमी पड़ती है उस कमी की पूर्ति के लिये हमने बराबर प्रयत्न किये हैं अपने साधनों को लक्ष्य में रखते हुये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल से वैसे यह सारा सिस्टम अलग हो सकता था, लेकिन हमारी तरफ से इंजीनियर्स को इस बारे में हिदायतें दी गई हैं और कुछ कार्यवाही की गई है कि जो राजस्थान नहर में हमको पानी मिलेगा उससे गंग कैनाल में जो क्षेत्र बढ़ गया है और रिलायबिलिटी पर जो असर पड़ता है राजस्थान कैनाल से उसको सप्लीमेंट किया जाय। इसी प्रकार भाखरा सिस्टम के लिये उस सिस्टम को सप्लीमेंट करने के लिये भी वक्त-वक्त पर कार्यवाही की गई है और अभी कुछ ही दिनों पहले एक लिन्क राजस्थान कैनाल से जोड़ने के लिये फैसला किया है और उसका रुपया भी भेज दिया गया है जिससे वह लिन्क जल्दी से जल्दी कायम कर दी जाय जिससे भाखरा में पानी उपलब्ध हो सके।

माननीय अध्यक्षजी, पंजाब सरकार के साथ हम इस बारे में प्रयत्नशील रहे हैं कि ५०० ट्यूब वैल्स पंजाब के फिरोजपुर जहां वाटर लॉगिंग ज्यादा है उस इलाके में ट्यूब वैल्स लगाकर उस पानी को हम यहां पर काम में लें सकें—इन चीजों पर चर्चा हुई है, विचार-विनियम भी हुआ है, आगे भी कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन साधनों की जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सीमित स्थिति है वह मैं समझता हूं माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। सारे राजस्थान के अन्दर, एक-एक योजना के अन्दर, पहली योजना से लगाकर तीसरी योजना के अन्त तक और बाद के वर्षों में जो राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों के अन्दर खर्च की गई है वह सिंचाई और दूसरे विकास के क्रम में खर्च की गई है। मैं समझता हूं गंगानगर जिले के अन्दर क्योंकि वहां पर पानी आ सकता है ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करने का प्रयत्न किया जाता रहा है।

आज भी, माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं यह जानकारी देना चाहूंगा बहुत सी बार जो टैक्स या सैस, बेटरमेंट लेवी का सवाल खड़ा होता है आज मैं समझता हूं माननीय सदस्य जानते हैं कि खेती के लिये सिंचाई आवश्यक है। आज राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग ऐसा है जहां पर या तो पानी नहीं है या कुओं द्वारा सिंचाई होती है, जहां कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, सारे कुओं का रुपया उस किसान को कर्ज लेना पड़ता है। आज जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में छोटे किसान को ५ एकड़ से कम होगा उसको भी कर्जा लेना पड़ता है। हमने कहा सरकार गारन्टी कर देगी लेकिन ब्याज सहित रुपया चुकाना होगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य जानते हैं कुओं की सिंचाई की रेट ज्यादा आती है उसके मुकाबले नहर की रेट में काफी फर्क होता है। भाखरा का सिस्टम जो नहरों के लिये किया गया है कुल मिलाकर उस भाखरा के सिस्टम के ऊपर २७ करोड़ के करीब खर्च हुआ है। आज उस पर इन्टरेस्ट की चार्जेबिलिटी एक करोड़ ३५ लाख है। आज जो वर्किंग एक्सपेन्सेज हैं ५० लाख हैं जो वहां से रैवेन्यू मिलती है इरिगेशन के लिये वह कुल मिलाकर ४३ लाख मिलती है। आज १ करोड़ ७२ लाख रुपया गवर्नमेंट को लॉस होता है भाखरा के सिस्टम के ऊपर। आज जो वहां पर लॉस होता है, घाटा होता है, राजस्थान के उन लोगों को सबको मिलाकर बांटना होता है। कुओं से सिंचाई मंहगी पड़ती है इसलिये कुछ रिसोर्सेज रेस्टोर करने के लिये प्रयत्न किया गया है।

बेटरमेंट लेवी नया सवाल नहीं है। कई वर्षों पहले बेटरमेंट लेवी का फैसला तय किया गया था यह ठीक है टोटल कमान्ड के बारे में इसके सम्बन्ध में आदेश यहां से हुये थे उसके बाद मेरे पास कुछ लोग आये और उन्होंने कहा जिस जमीन पर पानी नहीं पहुंचता है, जिस जमीन से सिंचाई नहीं हो रही है उस जमीन से जो बेटरमेंट लेवी ली जा रही है वह उचित नहीं कही जा सकती है। माननीय अध्यक्षजी, २३ या २४ तारीख को पिछले महीने को इसके बारे में हमने आदेश जारी कर दिये कि जिस जमीन पर पानी नहीं पहुंचा है वह कमान्ड में गिनी भी जाती हो तो उस जमीन पर...

श्री भैरोंसिंह : पहले से ही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बीच में हो गया था, पहले था इस साल में यह आदेश हो गये कि टोटल कमाण्ड पर ली जाय। उसी प्रकार, माननीय अध्यक्षजी, जब राजस्थान नहर की भूमि नीलामी की बात आई, मैं समझता हूं हर साल जब बजट इस सदन में पेश किया जाता है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जमीन को नीलामी के जरिये हम अपनी रिसोर्ट में, केपीटल साईड में हमेशा कुछ रुपये बता कर चलते हैं कि कुछ रुपये इकट्ठा किया जायगा। आज भी जानते हैं आज राजस्थान केनाल में बहुत ही कम मात्रा में जमीन नीलाम की गई थी, लेकिन जमीन नीलाम करने वाली बात केवल इसी बात से सोचते थे कि टेक्सेशन का वजन कितना बढ़ सकता है और कितना नहीं बढ़ सकता है। १० लाख इरिगेट होने वाली उस जमीन को बेचकर राजस्थान के रिसोर्सेज ठीक हो सकते हैं और भी काम हो सकते हैं, उस लिहाज से काम शुरू किया। लेकिन उसके बाद में सब तरफ से यह मांग थी कि नीलामी वाली बात नहीं की जाय। बम्बई में जो अधिवेशन हुआ उसमें तय किया कि जो सरकारी जमीन हो वह भूमिहीनों को आवंटित की जानी चाहिये। उसका एक जनरल फैसला हुआ। वहां के फैसले के बाद हमने यह एलान कर दिया था कि जमीन की नीलामी है उसको स्थगित कर दी जाय। स्थगित की जाने वाली बात काफी अर्से से मालूम है यहां तक कि आज जमीन की नीलामी के आदेश स्थगित कर दिये। जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे स्वयं मेरे पास आये हैं और उन्होंने कहा था कि इन लोगों का आन्दोलन जमीन की नीलामी के खिलाफ था। अब क्योंकि यह रोक दिया गया है इसलिए जो हमारे लोग पकड़े गये हैं उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए हमने उनके आदेश देदिये कि उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। कुछ इस मामले में गलतफहमियां थी दुबारा वह इस सिलसिले में मिले और फिर उसके बाद में आदेश दिए गए कि गंगानगर के अन्दर बैटरमेन्ट लेवी का सवाल है, कैश क्रॉप्स का सवाल है हमारे सामने आये और कुछ लोगों ने यह कहा कि इस साल गंगानगर इलाके के अन्दर कैश क्रॉप्स का सैस लगाया गया है लेकिन कैश क्रॉप्स के अन्दर खास तौर से कपास की खेती के अन्दर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और उसकी वजह से यह सैस देना सम्भव नहीं है। जब हमारे सामने यह बात आई तो करीब २ तारीख को या उसके आसपास में हमने यह आदेश दिये कि कैश क्रॉप्स सैस की वसूली नहीं की जाय और कलेक्टर के जरिये इन्क्वायरी की जाय कि डेमेज कितना हुआ, कितना नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्षजी, करीब २ तारीख के आसपास या ३ तारीख के आसपास कुछ माननीय सदस्य हमारे पास आये, कुछ और लोग आये और आकर उन्होंने कहा कि जो पर्चे बांटे गये हैं सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से उन पर्चों में लगान जहां पहले ४ आना या ७ आना या ९ आना था वह बढ़ाकर, कहीं ९ रुपया कहीं १० रुपया और कहीं ११९ रुपयों के पर्चे बांट दिये गये हैं। मैं स्पष्टरूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लगान की बढ़ोतरी को मैं स्वयं पसन्द नहीं करता, और जब यह प्रश्न सामने आया तो मैंने उसी समय यह कहा और स्पष्टीकरण किया कि यह सरकार का फैसला नहीं है। यह बातचीत की स्टेज के ऊपर पर्चे बांटे गये हैं इसका वह जवाब दे दें उसके बाद यह सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास जायेंगे, रेवेन्यू बोर्ड में जायेंगे और फिर गवर्नमेन्ट के सामने आयेगा। हम इसका रिव्यू कन्सीडिरेशन करेंगे।

मैं तो, अध्यक्षजी, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल को छोड़कर के

Page No 124

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

व्यापकतौर से क्योंकि यह प्रश्न यहीं नहीं कुछ और इलाकों में भी है, जहां पर्चे बांटे वहां पर भी लोगों के अन्दर इस प्रकार की बात सामने आई थी तो केबिनेट के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था कि हम नीचे के ऑफिसरों को इस सारे सेटलमेन्ट के प्रोसेस में डालने के बजाय कुछ इस प्रकार का फैसला करें कि अमुक वर्षों के बाद जब सेटलमेन्ट ड्यू होता है या जब सेटलमेन्ट की कन्डीशन्स पैदा हो जाती हैं तो जो पिछले वर्षों के जिसके अन्दर कि खराब वर्ष हैं उनको निकाल करके प्राइसेज का कम्पेरिजन और, और बातों को देखकर के जो भी तय करना है एडहॉक इन्क्रीज कर देना चाहिए बजाय कि उसके सारी उलझनों में पड़ा जाये और उस एडहॉक इन्क्रीज पर भी समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि बारानी से बारानी हुई है तो कितना बढ़ सकता है, जहां इरिगेटेड से इरिगेटेड ही है तो उसमें कितना बढ़ना चाहिए, बारानी से बारानी है तो उसमें कितना बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने यह भी कहा कि जो पर्चे बांटे गये हैं उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिए और सरकार इस सारे प्रश्न पर नये तौर से विचार करेगी और इसके मामले में जो भी योजना होगी उस पर विचार करके सामने रखेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, यह तीन-चार मुख्य सवाल जो वहां पर थे इनके सम्बन्ध में यह फायरिंग हुआ ७ तारीख को उसके पहले वक्त-वक्त पर स्पष्टीकरण किया जाता रहा है, आदेश जारी किये जाते रहे हैं। अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि फायरिंग करवाने की हम लोगों की साजिश थी कि फायरिंग हो जाय और फायरिंग के जरिये हम अपना राज्य को कायम रखना चाहते हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझसे राजनीति में आप लोग बहुत ज्यादा विद्वान् होंगे लेकिन इतनी अक्ल मैं भी रखता हूं कि फायरिंग से कोई आदमी पापुलर नहीं होता है, फायरिंग से कोई शासन दृढ़ नहीं होता है। आज फायरिंग करवाने में किसी शासन को उत्सुकता नहीं हो सकती कि वह फायरिंग करवाकर लाभ उठाये। माननीय अध्यक्षजी, यहां पर जिक्र किया गया है कि मैंने सादुलशहर के अन्दर फायरिंग की कोई योजना बना रखी थी....

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर आपने बेरी आयोग की सिफारिश को क्यों नहीं लागू किया? जौहरी बाजार में लोगों की हत्यायें की उस पर जो रिपोर्ट आई उसको लागू क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, माननीय अध्यक्षजी, सादुलशहर के लिए कहूंगा कि मैंने टेलीफोन से कलेक्टर से पूछा कि फायरिंग हो गया या नहीं और मुझे ऐसा पता लग रहा है कि फायरिंग हुआ है ठीक बताओ? ऐसा मेरे लिए कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रेस के रिप्रेजेन्टेटिव्ज कुछ देर पहले मुझसे मिलकर के गये थे उसमें यू० एन० आई० के भी थे और मुझे अगर ठीक याद आता है तो टाइम्स ऑफ इण्डिया वाले भी थे और एक दो और भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे मिलने के बाद यह पता लगा है कि सादुलशहर में फायरिंग हो गया है। मैंने यहां पता लगाने की कोशिश की। मालूम हुआ कि हमारे पास तो लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि वहां पर फायरिंग जैसी बात नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक था कि जब कोई स्पेसिफिकली यह कहे कि

Page No 125

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ऐसी घटना वहां पर हुई है तो कलेक्टर से टेलीफोन मिलाकर पूछा कि यहां पर प्रेस कॉरेस्पोन्डेन्ट्स ऐसा कहते हैं तो उन्होंने यही कहा कि आधा घन्टे पहले की रिपोर्ट है कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि फिर भी कन्फर्म करके बताइये कि यहां पर समाचार आ रहे हैं ऐसे उसका क्या कारण है ? अगर यह पूछना साजिश के अन्दर आता है तो जैसा चाहे इन्टरप्रेट करें। लेकिन यह प्रश्न सामने आया और मैंने पूछा और जानकारी की और पूछने का कारण भी बताया कि जिसकी वजह से यह बात सामने आई।

अध्यक्षजी, फायरिंग कोई करना नहीं चाहता है। जो फायरिंग के लिए यहां पर इतनी बातें कही जा रही है राजस्थान की सरकार के लिए और औरों के लिए मैं समझता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि केरल और बंगाल के अन्दर कितने फायरिंग हुए हैं। उन्होंने मुझ से कहा कि इस्तिफा क्यों नहीं दे देते ? मैं आपसे कहता हूं कि कितने फायरिंग हुए हैं ? कितने वहां के साम्यवादियों ने इस्तीफे दिये हैं ? उसको भी गहराई के साथ सोचें। आज केवल फायरिंग वहीं नहीं हो रहीं हैं आप पिछले दो साल के अन्दर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों के जमाने में सब जगह आप पता लगायें और कई जगह फायरिंग हुए हैं कितनी जगह जुडीशियल इन्क्वायरी हुई हैं सिवाय कम्युनल रॉयट्स जो कि अहमदाबाद में हुए उसमें ट्रिब्युनल के जरिये एन्क्वायरी कराने की बात हुई है उसके अलावा कोई दूसरी जगह जुडीशियल इन्क्वायरी की बात नहीं हुई है और वह भी कम्युनल रॉयट्स थे। लेकिन यहां पर इस बात का वातावरण बनाया जाता है और यह कहा जाता है कि जैसे हम फायरिंग करवाने में दिलचस्पी रखते हैं, लोगों की हत्यायें करके राज्य कायम रखने में दिलचस्पी रखते हैं। फैक्ट्स के बारे में बहुत सी गलतफहमी हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर जो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि मावरा और सांगरिया और चूरू तीनों की फायरिंग के लिए जुडीशियल एन्क्वायरी बैठा दी जायेगी जिससे इसकी पूरी तरह से जांच हो....

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको गिरफ्तार करो, हम एन्क्वायरी नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जस्टिस बेरी से एन्क्वायरी करवाई उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया—हमारा आपकी सरकार में भरोसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, मैंने आज सुबह विरोधी दल के, और गंगानगर के इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को बुलाया था इस दृष्टि से कि हम बैठकर इसके बारे में बातचीत करें और इस समस्या के बारे में विचार किया जाय। माननीय सदस्यों ने बैठने के बारे में, विचार करने के बारे में अपना पत्र भेजा और मजबूरी जाहिर की। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान के अन्दर तनाव का वातावरण रहे। अगर कोई यह कहता है कि मैं झुकता गया हूं तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर वाजिब कोई बात है वह वाजिब बात जब समझ के अन्दर आये कह सकते हैं कोई कि देरी से क्यों ध्यान में आई, लेकिन वह बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समझ में आती है और उसमें सरेण्डर समझा जाता है तो उसके बारे में मेरे दिल में कोई पश्चाताप नहीं है। अगर जनमत के आगे, कोई जनमत सामने है, जन-आन्दोलन सामने है अगर उसके सामने झुकता हूं तो जनता के सामने झुकता हूं उसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कोई प्रेस्टीज का इश्यू न बनाकर लॉजिक होगी उसको सोचने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। लॉजिक नहीं होगी, राजस्थान की परिस्थितियों में सम्भावना नहीं होगी उसको मानने से मजबूरी होगी। मैं, माननीय अध्यक्षजी, इस दृष्टि से कि राजस्थान का वातावरण उपयुक्त बने, मैं यह भी एलान करना चाहता हूं कि जो कानून है (क्या नाम है उसका)....

श्री मस्थीसिंह : काला कानून कह दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काले कानून से सब समझते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रोहिबिटेरी ऑर्डिनेन्स सरकार ने इश्यू किया था, उस ऑर्डिनेन्स को भी हमने वापिस लेने का फैसला कर लिया है कि उस ऑर्डिनेन्स को वापस ले लिया जायेगा।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में गंगानगर आन्दोलन से सम्बन्धित जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं उनकी रिहाई के आदेश भी आज ही जारी कर दिये जायेंगे कि उन सब को रिहा कर दिये जाय।

मैं चाहता हूं कि वातावरण इस प्रकार का बनायें बैठकर और उस पर औचित्य की दृष्टि से बात करें। मैं बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं उनके विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मुझ से एम. एल. एज. मिले हैं, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मिले, दूसरे लोग मिले, और उन्होंने मिलकर बहुत सी बातें सामने रखी थीं। विद्यार्थियों की तरफ से यह सवाल भी सामने आया था, विद्यार्थियों ने इस बात को कहा कि उनको यूनिवर्सिटी के अन्दर, आज जो यूनिवर्सिटी के अन्दर प्री-मेडिकल टेस्ट होते हैं तो प्री-मेडिकल टेस्ट के अन्दर जो आयु २१ या २२ साल की है उसको पास करने के लिए तो उसको २४ वर्ष की आयु कर दी जाय। मैं इस बात से सहमत हूं और उसके बारे में कार्यवाही कर दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक प्रश्न यह था कि सीनेट और सिन्डीकेट के अन्दर विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और कहते हैं कि इसके सम्बन्ध में जो यूनिवर्सिटी कोठारी कमीशन कायम हुआ था उस कोठारी कमीशन ने इस बात से अपनी सहमति प्रकट की थी तो इस प्रश्न पर हम यू० जी० सी० के जो प्रेसीडेन्ट हैं डॉ० कोठारी, उनकी सलाह लेंगे। उन्हीं का कमीशन था। वे इसके बारे में इस बात का समर्थन करते हैं तो अप्रेल के बाद इसी असेम्बली में आवश्यक संशोधन उसके लिए ले आया जायेगा। उस तरह से उस प्रश्न को हल किया जा सकता है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि जो छात्रवृत्ति अल्प आय वाले लोगों को दी जाती है उसके बारे में कई कमी करने वाली बात थी तो उसके अन्दर कोई कमी नहीं की गई। यह

Page No 127

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया :) ...

भारत सरकार की तरफ से जो मिलती है उसके बारे में कुछ उलझन थी, लेकिन उसके सम्बन्ध में भी जो हम चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और अल्प आय वाले हैं उनके लिए ज्यादा किया जाय। इस वर्ष तो जो कुछ पहले था उसके बारे में फैसला कर ही दिया गया और आगामी वर्ष के बजट में यह प्रयत्न होगा कि जितना अब तक कर सकते हैं उससे इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा करने की दिशा के अन्दर कार्यवाही की जाय।

विद्यार्थियों का आर. जे. एस. सर्विस के लिए भी था कि एडवोकेट्स में सीनियोरिटी वाला सवाल न रहे और उनको भी इस बारे में मौका दिया जाय कि वे लोग उसमें एपियर हो सकें। आर० जे० एस० के लिए और हाई जुडिशियल सर्विस के लिए हाई कोर्ट के जरिये रूल्स बनते हैं और गवर्नमेंट के पास में आते हैं तो यह जो फीलिंग है वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रख कर उनसे बात की जायगी।

अध्यक्षजी, एक और प्रश्न था विद्यार्थी जो कॉलेजेज और युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी अटेन्डेन्स के बारे में सवाल खड़ा होता है, हमारे यहां अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, कन्सेशन देने के लिए। दिल्ली युनिवर्सिटी के अन्दर ६०% आवश्यक समझा जाता है तो मैं निवेदन करता हूं कि जो दिल्ली युनिवर्सिटी के अन्दर है तो सिण्डीकेट की मीटिंग में या एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग चल रही जिसके अन्दर यह प्रश्न उठाया जा सकता है, और उस पर विचार किया जा सकता है। उसमें मेरा विचार ऐसा है कि जब दिल्ली के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को यहां की युनिवर्सिटी स्वीकार करे और उसी प्रकार की स्थिति बना दी जाय।

जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, मैं विस्तार से प्रश्नों के अन्दर नहीं जाना चाहता राजस्थान कैनाल में टी० सी० आर्डर्स और खातेदारी का सवाल है, यह प्रश्न यहां पर उठाया गया है मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य यह जानते है कि जो खातेदारी का सवाल है वह राजस्थान कैनाल से जुड़ा हुआ है उसमें रोकने वाली बात कही गई कि पहले एक रेगिस्तानी इलाका था उस हिसाब से पहले बड़े बड़े होल्डिंग्स थे कई लोगों के हाथ में हैं, कई लोगों ने आज भी ५-५ हजार के होल्डिंग्स ट्रान्सफर कर दिये हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : सीलिंग के अन्दर रख दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैन्सिल कर दिया है हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : काले कानून के साथ में हमारी खातेदारी समाप्त कर दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन, माननीय अध्यक्षजी, आज जो पुराने काश्तकार हैं वे उस पर चले आरहे हैं और किसी ने सीलिंग की जितनी जमीन है-उससे ज्यादा रख छोड़ी हो उनको बेदखल कर दिया गया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
हो ऐसी बात नहीं है। खातेदारी का फैसला करना बाकी है। जो आज उस जमीन के ऊपर हैं, जो उस जमीन पर खेती कर रहे हैं उनका फैसला करना बाकी है उसके साथ दूसरा एक और फैसला करना भी बाकी है कि पौंग डैम के जितने आउटिस्ट हैं और जितने वहां के टी० सी० होल्डर्स है, चाहे पुराने काश्तकार हों, उनकी जमीन का सवाल है, भूमिहीनों की जमीन का सवाल है, इन सब सवालों पर सरकार विचार करके इनके ऊपर हम सारा निर्णय लेगें।

मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उससे राजस्थान के अन्दर शान्ति का, सौहार्द का वातावरण बनेगा, और हम जो भी प्रश्न हैं इस विधान सभा के स्थान पर बैठकर विचार-विनिमय कर सकते हैं, सारा सोच-विचार कर सकते हैं, उसका रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा है इस प्रश्न को औचित्य की दृष्टि से देखिये और औचित्य के साथ-साथ राजस्थान के साधनों की दृष्टि से भी देखा जाय, किस जगह से हम क्या करें उस दृष्टि से भी देखा जाय। मैं समझता हूं कि हम सब साथ मिलकर राजस्थान की दृष्टि से इस पर चिन्तन करें तो इसका हल ऐसा निकल सकता है जो सर्वमान्य हो। उसमें दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा विवेचन में पड़े बिना मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदन सिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो एनाउन्समेंट किये हैं यह तो आपका प्रोग्राम था, लेकिन जो पुलिस का फायरिंग है और जो बार-बार लोगों की मौतें होती हैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री मदनसिंह .... ने लोगों को क्या विश्वास दिया है?....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं रिप्लाई तो दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो अवसर था बोलने का जो नियमों के अन्तर्गत था वह आपने माननीय रामचन्द्रजी को दे दिया राइट ऑफ रिप्लाई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिर्फ नीतियों के प्रश्न रखे हैं। डिटेल्स में कोई प्रश्न नहीं रखा है। जब इस पर दो दिन तक बहस हो चुकी है तो मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आगे का समय न लें तो अच्छा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनुरोध तो आपका स्वीकार मैं हमेशा करता हूं। अधिक समय लूंगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो मैं यह मानूं कि ५ मिनिट में हो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, यह तो, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयत्न करूंगा कि कम से कम समय लूं, लेकिन ५ मिनिट में तो नहीं हो सकता है, आखिर दो दिन की डिबेट है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन पर रिप्लाई का अवसर तो होता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन ऑफ दी मूवर का राइट ऑफ रिप्लाई होता है।

श्री अध्यक्ष : मूवर का अवसर तो आपने खो दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं अवसर नहीं खोया है।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ रखिये।

(५ म० प०)

मैं १० मिनिट सदन की सम्मति से सदन का समय बढ़ाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में किसान आन्दोलन के सिलसिले में जो मादरा, सांगरिया और चूरू में राजस्थान सरकार की पुलिस द्वारा जो बर्बर गोली-काण्ड किया गया और जिसके सम्बन्ध में इस सदन में हमने स्थगन प्रस्ताव रखा था....

(५.०१ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई; उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस पर पिछले दो दिनों में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मादरा और सांगरिया में हुए गोली-काण्डों के सिलसिले में इस सदन के समक्ष अनेक माननीय सदस्यों ने जो तथ्य रखे हैं और जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आज मुख्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंशिक तौर से उस किसान संघर्ष समिति और उस आन्दोलन के संचालनकर्ताओं और गंगानगर के बहादुर किसानों और उनके समर्थन में जयपुर के छात्रों ने और राजस्थान के छात्रों ने जो अपना इतना बड़ा भारी समर्थन दिया- उसी का परिणाम है कि यह राजस्थान की हुकूमत जो उस आन्दोलन को गोली-काण्ड के द्वारा दबाना चाहती थी, यह राजस्थान की हुकूमत जिसने ७ मार्च, १९६७ को जयपुर में गोली-काण्ड के जरिये राजस्थान में अपनी हुकूमत कायम की, यह राजस्थान की सुखाड़िया हुकूमत जिसने पिछले ढाई साल के अन्दर राजस्थान के उन्नीस स्थानों पर इक्कीस आदमियों की जान ली, यह राजस्थान की सुखाड़िया हुकूमत जिसने वोटों से हार जाने के बाद गोलियों के बूते पर राजस्थान में अपनी हुकूमत कायम की, यह राजस्थान की सुखाड़िया हुकूमत जो अध्यादेश के माध्यम से किसानों के आन्दोलन को दबाना चाहती थी, यह राजस्थान की सुखाड़िया हुकूमत जो विधायकों का समर्थन लेकर इस विधान सभा के विरोधी दलों के सामने कहती थी कि हम छात्रों की मांगों को मंजूर नहीं करेंगे, किसानों के आन्दोलन के सामने नहीं झुकेंगे, हम जनमत के सामने नहीं झुकेंगे, हम ताकत के सामने नहीं झुकेंगे, यह राजस्थान की सुखाड़िया हुकूमत और राजस्थान के मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने गोली-काण्ड के आधार पर राजस्थान में अपनी हुकूमत बनाई, और राजस्थान के अन्दर ढाई साल तक अपना राज्य चलाया—यह राजस्थान के किसानों, राजस्थान के मजदूरों और राजस्थान के छात्रों और राजस्थान के विरोधी दलों के सामने झुकी है और उस राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया को आंशिक तौर से ही सही उनकी मांगों के सामने इस सदन में झुकना पड़ा है और उनकी मांगों को मंजूर करना पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्युडीशियल एन्क्वायरी की बात कह कर बाकी की मांगों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में वक्तव्य दिया है, मैं उन सब मांगों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण पिछले ढाई सालों में पैदा हुआ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, यह विरोधी दलों की क्षमता है, उनकी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है कि राजस्थान के अन्दर अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर एक ज्युडिशियल एन्क्वायरी का मुख्य मन्त्री ने एनाउन्समेंट किया, तो क्या मुख्य मन्त्री जी इस सदन में यह घोषणा नहीं कर सकते थे, क्या राजस्थान के विरोधी दलों को और राजस्थान की जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते थे इसी भूमिका में कि जिस प्रकार बेरी कमीशन का एपोइन्टमेंट हुआ, उस समय राजस्थान के राज्यपाल महोदय, श्री सम्पूर्णानन्द ने राजस्थान के उच्च न्यायाधीश को यह वचन दिया था कि राजस्थान सरकार उनके जांच प्रतिवेदन को स्वीकार करेगी, उस स्थिति में राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में जिस समय जोहरी बाजार में हुए गोलीकाण्ड के सिलसिले में राजस्थान के उच्च न्यायाधीश ने अनेक सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया, और उन पर मुकदमें जारी करने की सिफारिश की, लेकिन राजस्थान सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय, उस बेरी कमीशन की रिपोर्ट को आज तक स्वीकार नहीं किया है उसे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आज तक दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं दिया है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को, जिन्हें ७ मार्च, १९६७ को जौहरी बाजार, जयपुर में हुई गोली काण्ड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, उनके कार्य को अनुचित ठहराया गया था, गैर-वाजिब ठहराया गया था, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ इस राजस्थान की सरकार ने आज तक किसी प्रकार दण्ड देने की व्यवस्था नहीं की है, बल्कि उल्टे उन लोगों को प्रोमोशन दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस ज्युडिशियल एन्क्वायरी से हम क्या आशा करें? इसलिए यह सारा ज्युडिशियल कमीशन का एनाउन्समेन्ट मैं समझता हूं, राजस्थान की जनता के बढ़ते हुए जज़बात को दबाने का एक तरीका अपनाया गया है। जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया की कुर्सी खिसकने लगी, जब इस आन्दोलन की गर्मी इतनी बढ़ने लगी, कि इनके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने ही मांगों के सम्बन्ध में बयान देना शुरू कर दिया, चार मन्त्री जो गंगानगर से आये है और गंगानगर के तीन विधायक जब इन सात विधायकों ने गंगानगर में देखा कि हमारी कुर्सी जा रही है, गंगानगर से हमारे पैर उखड़ रहे हैं हम गंगानगर में खड़े नहीं हो सकेंगे तो उन्होंने सुखाड़िया जी पर दबाव लाना शुरू किया, उनका प्रतिनिधि मण्डल सुखाड़िया जी से मिला, उन्होंने इन मांगों का समर्थन किया और उस सारी स्थिति के अन्दर विधि मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां, शिक्षा मन्त्री, श्री शिवचरण माथुर और कांग्रेस दल के यंगटर्क्स, कांग्रेस दल के अन्तरात्मा-वादियों ने सुखाड़ियाजी को जब प्रेशर देना शुरु किया कि इस प्रकार की मांगे हैं, इन मांगों को यदि स्वीकार नहीं किया गया यह जो अध्यादेश जारी किया गया है, इस अध्यादेश को वापिस नहीं लिया गया तो स्थिति खराब हो सकती है। तो जब सुखाड़िया जी की कुर्सी खिसकने लगी, जब इनके खुद के घर में फूट पड़ने लगी, और जनता के आन्दोलन की गर्मी बढ़ने लगी तो उन सबको देख कर यह सोचा कि ज्युडिशियल कमीशन की नियुक्ति का एनाउन्समेंट करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ज्युडिशियल कमीशन की रिपोर्ट बेरी कमीशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की रिपोर्ट के समान तो इस सदन के सामने नहीं आने वाली है ? जो बेरी कमीशन की रिपोर्ट का हाल हुआ, वही हाल इसका हुआ तो इस सारे मामले पर लीपा-पोती करने के अलावा यह कुछ नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई केटेगोरीकल एश्योरेन्स मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया ने नहीं दिया है कि जिस प्रकार की इस ज्युडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आयेगी उसे वैसा ही स्वीकार किया जायगा, मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया ने यह एश्योरेन्स नहीं दिया है कि ज्युडीशियल कमीशन की रिपोर्ट पर दो महीने में अमल करेंगे।

ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन के ऊपर, आंदोलन की बढ़ती हुई ज्वाला के ऊपर पानी छिड़कने के समान है। इसलिए विरोधी दल के लोग, संघर्ष समिति के संचालनकर्ता और आन्दोलनकारी और राजस्थान के बाकी के प्रतिनिधि इस मसले पर बैठ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो तथ्य सामने आये हैं उन तथ्यों की भूमिका में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि चूरू में जिस प्रकार गोलीकाण्ड हुआ, उसके सम्बन्ध में किस प्रकार की ज्युडिशियल एन्क्वायरी कराना चाहते हैं, जब कि राजस्थान सरकार स्वयं मानती है कि यह अनधिकृत रूप से गोलीकाण्ड हुआ है। इसी प्रकार जो भादरा और सांगरिया के तथ्य सामने आये हैं उनके सम्बन्ध में ज्युडिशियल कमीशन से इन्क्वायरी की क्या स्थिति है जब कि वह गोलीकाण्ड अनआॅथोराइज्ड था ? वह गोलीकाण्ड एक बदले की भावना से किया गया था, वह गोलीकाण्ड लोगों को मारने के लिये किया गया था, और वह जो गोलीकाण्ड किया गया वह सरासर एक हत्याकाण्ड के रूप में किया गया। चाहिए तो यह था, मुख्य मन्त्रीजी इस किसान आन्दोलन को दबाने के लिए, जनता की भावनाओं पर पानी फेरने के लिए ऐसा न करते, बल्कि नैतिकता का तकाज़ा यह था, राजस्थान सरकार के गृह मन्त्री और राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस शमन के गोलीकाण्ड को लोकतन्त्र की भावना के हनन के रूप में घोषणा करते और कहते, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शर्मिन्दा हूं, मेरे राज्य के अन्दर बाईस बार गोलीकाण्ड हुए हैं और इतने लोग गोलीकाण्ड में मर गये हैं मेरे राज्य में शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई है, उस पर मेरा वश नहीं चलता इसलिए मैं मेरी सरकार का त्याग पत्र प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बंगाल ने एक उदाहरण दिया है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती है जहां पर जैसे सामन्तों की बात आती है, सामन्त जिनके बाप-दादों ने गोली चला कर राज्य लिया होगा, बुलेट से राज्य लिया होगा लेकिन १९४७ में हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद उन राजा महाराजा, सामन्त, जिनके बाप-दादों ने बुलेट से छीन कर राज्य लिया था वह राज्य हिन्दुस्तान की आजादी के बाद बेलट से छोड़ दिया, वैसा राजस्थान की हुकूमत ने न करके जो नमूना पेश किया है, वह नमूना हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता है, १९६७ के अन्दर आम चुनाव में बेलट से बाज़ी हारने के बाद राजस्थान के अन्दर बुलेट से बाजी को कायम किया गया है। ऐसा नमूना हिन्दुस्तान में सुखाड़िया साहब ने पेश किया है। इस प्रकार की हरकत हिन्दुस्तान में सुखाड़िया साहब ने पेश की है, जयपुर के अन्दर जोहरी बाजार

Page No 132

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में तेरह आदमियों को मार दिया गया, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और उसके बाद में लोगों की खरीद-फरोख्त करके अपनी हुकुमत को कायम किया है। आज तेलंगाना में क्या हो रहा है, बाकी के राज्यों में क्या हो रहा है? लेकिन कहीं पर राष्ट्रपति शासन नहीं है। आज किस प्रकार से हुकुमत बदली जा रही है, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से हुकुमत बनाई गई वह हमारे सामने है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अध्यादेश को वापिस लेने की बात कही वह यह समझ कर कही कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर अन्तरात्मावादी का एक वर्ग है, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया, उन लोगों ने सुखाड़िया साहब की मॉयोरिटी को चैलेन्ज करना शुरू किया, उस कारण कांग्रेस दल के घर में ही संघर्ष शुरू हुआ, उसके ऊपर बाहर का आन्दोलन, किसानों का आन्दोलन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो ताज्जुब होता है कि किस प्रकार वह लोग इस हाउस में चुप लगा गये। जयपुर के अन्दर गंगानगर के सत्याग्रही आये, स्टेशन पर वह तीन दिन तक पड़े रहे, वह भूख से मरते रहे। वह हमारे घर पर आये, कहा कि हमें छः महीने की सजा है लेकिन पुलिस हमें पकड़ती नहीं है। मैंने कहा कि गृह मन्त्री के घर पर जाओ वह तुम्हें रोटी देंगे और जेल भिजवा देंगे। वह लोग गृह मन्त्रीजी के घर गये, उन्होंने उनको जेल भिजवा दिया और उन पर चार्ज लगाया गया कि यह लोग लॉफुल कस्टडी से एस्केप होगये थे। आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, यह वह सत्याग्रही थे जो कि सजा पा चुके थे। मैंने उनके बारे में स्वयं टेलीफो किया था कि, गृह मन्त्रीजी इनको जेल भेजो, उन लोगों पर यह मुकदमा बनाया गया है कि वह लोग लॉफुल कस्टडी से भाग गये थे। यह रवैया है। इन सारी हालत में........

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समाप्त तो करूंगा ही मैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय पांच मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो बहुत उदार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि इस गंगानगर के आन्दोलन के सिलसिले में, उनकी मांगों के सम्बन्ध में जो विरोधी दल के नेताओं को आमन्त्रित किया गया, मुझे दुःख है इस बात का कि यहां भी मुख्य मंत्री ने राजनीति लगाई, जो किसान नेता इस किसान आन्दोलन के सूत्रधार हैं, जो किसान संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उन लोगों को राजनैतिक विरोध के कारण नही बुलाया और राजस्थान की बहबूदी की बातें करते हैं, आंकड़े सदन में प्रस्तुत करते है। आन्दोलनों को सुलझाने का, आन्दोलन से निबटने का यह तरीका नहीं हो सकता कि उनकी ३३ मांगें हैं उनमें से केवल दो-चार मांगों के अतिरिक्त और मांगों के सम्बन्ध में कुछ नही कहा केवल दो-चार बातों के सम्बन्ध में कह दिया, इन दो चार बातों के सम्बन्ध में तो हमने समाचार पत्रों में ही पढ़ लिया था कॉमर्शियल क्रॉप्स पर

Page No 133

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरचार्ज वापिस लेने का, ऑर्डिनेन्स वापिस लेने का भूमि की नीलामी का यह तो हम समाचार पत्रों में ही पढ़ चुके थे, जब कांग्रेस के घर के अन्दर इस प्रकार का अन्तर्द्वन्द्व बढ़ने लगा तो सुखाड़ियाजी को लगा कि कहीं इन्डीकेट-सिन्डीकेट के कुछ लोग मेरा साथ नहीं छोड़ जायं। इस डर के कारण, बाहर जलजला खड़ा हो रहा है। गंगानगर जैसा जिला, जिसके बारे में यह मशहूर है कि वहां के वाशिन्दे को कोई पूछता है कि हाउ इज योर हारवेस्ट तो उसको उत्तर मिलता है कि सफिशियेन्ट फॉर टु मर्डर्स, वे गंगानगर के किसान शान्तिपूर्वक सत्याग्रह करके अपने आपको जेल के लिये प्रस्तुत करते हैं, ऐसा भाईचारा, ऐसी एकता गंगानगर जिले के किसानों में हुई तो सुखाड़ियाजी को लगा कि यह आग भड़केगी, राजस्थान के किसान, राजस्थान के छात्र अपनी मांगों के सिलसिले मे, दमन-विरोधी नारे लगायेंगे, सुखाड़िया के पुतले जलेंगे, "गृह मंत्री हाय हाय" के नारे लगेंगे। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान के किसान, मजदूर, छात्र, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के प्रतिनिधि कहीं ऐसी आग न लगा दें कि वह आयन्दा सुखाड़िया की हुकूमत को लेकर ही बैठ जाय। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी घोषणाएं उदारतापूर्वक नहीं की हैं, मजबूर हो कर, लाचार हो कर ये घोषणाएं की हैं। आन्दोलन करना हमारा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन हमारा अधिकार है, शासन की गलत नीतियों के विरोध में आन्दोलन करना हमारा अधिकार है। जैसे कांग्रेस के लोगों ने केरल में हुकूमत बदलने के लिये आन्दोलन किया वैसा राजस्थान की जनता ने नहीं किया। यहां की जनता ने हुकूमत के लिये नहीं जनता की मांगों के लिये आन्दोलन किया, केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बदलने के लिये कांग्रेस ने सामूहिक आन्दोलन किया, आन्ध्र में पृथक तेलंगाना बनाने के लिये आन्दोलन आप करते हैं, गोलियां आपने चलवाई, देश में ऐसा वातावरण कांग्रेस ने बनाया और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। इसलिये राजस्थान के विरोधी दल बड़ी गम्भीरता के साथ, शालीनता के साथ इन आन्दोलनों का संचालन करते हैं, आन्दोलन करना, जेलों में जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, जनता की मांगों को मंजूर कराने के लिये आन्दोलनकारियों की मांगों को स्वीकार कराने के लिये, सरकार को झुकाने के लिये आन्दोलन किया है, इसलिये आन्दोलनकारियों की मांगों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करेंगे और कमजोर सुखाड़िया सरकार से उन मांगों को मंजूर करवायेंगे, सुखाड़िया सरकार को मैं बहुत कमजोर सरकार मानता हूं, ऐसी कमजोर सरकार और नहीं मिलेगी जो केवल गोंद से नहीं थूक से चिपकी हुई है. यह जनता के सामने हार मानकर झुकेगी और जनता की मांगों को स्वीकार करेगी और आने वाला इतिहास, आप द्वारा किये गये इन गोलीकाण्डों की घटनाओं की, जो गोलीकाण्ड ७ मार्च, १९६७ से ७ जनवरी १९७० तक राजस्थान में जिस प्रकार के गोलीकाण्ड हुए हैं, पानी मांगों तो गोलियां, स्कूल मांगों तो गोलियां और मांगें लेने जाओ तो गोलियां, यह गोलियों का राज राजस्थान में आपने बहुमत बना कर रखा होगा पर आज जो परिवर्तन की हवा चल रही है उसमें गोलीकाण्डों के बल पर बहुमत हॉसिल कर के बनी सुखाड़िया सरकार राजस्थान में कायम नहीं रह सकती।

मैं कांग्रेसी भाइयों को, सुमित्राजी जैसी व्यग्र हैं...

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसका समय ? सुमित्राजी का ?

मैं निवेदन कर रहा था कि इस किसान आन्दोलन के सिलसिले में राजस्थान की हुकूमत झुकी है, इसके झुकने का सारा श्रेय उन शान्त और लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले किसान-मजदूर भाइयों और छात्रवर्ग को है। जो सुखाड़ियाजी कहते थे मैं दबाव के सामने झुकना नहीं जानता वे आज झुक गये, वे और झुकेंगे, झुकाने वाला चाहिये। जनता की मांगों के लिये प्रबल बहुमत तैयार करना है, भाई शंकरलालजी जैसे, शिवचरण जी माथुर और कुछ नौजवान तुर्क, वे भी राजस्थान की जनता की आवाज बुलन्द करें। सुखाड़ियाजी आपको रोटी नहीं देते। विधान सभा ने जो कानून पास किया है, उसके अनुसार आपको भत्ता मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, समय समाप्त हुआ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, इस सब पर गम्भीरता से विचार करने के लिये निवेदन करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५.१६ पर दिनांक २०-१-७० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

(ता.प्र० सं० २५ की सूची)

Lal Bahadur Shastri College Jaipur

(Teaching Staff)

S. No	Name	Designation	Qualification	Experience
1	2	3	4	5
1.	Shri H. G. Dravid	Principal	M. A.	20 years
2.	,, L. S. Tiwari	Lect. in Economics	M. A. II	5 years
3.	,, V. C. Pathak	,, in Hindi	,,	3 years
4.	,, N. P. Sharma	,, in English	,,	5 years
5.	,, P. C. Chaturvedi	,, in History	,,	3 years
6.	,, K. K. Mureni	,, in Pub. Ad.	,,	2 years (Temporary)
7.	,, V. Goswami	,, in Sociology	,,	(Fresh appo-intment)
8.	,, S. M. Mathur	,, in Sociology	,,	(Temporary)
9.	,, K. Audichya	,, in Pol. Sc.	M. A. I	(Temporary)
10.	,, H. C. Sharma	,, in Pol. Sc.	,, II	3 years (Temporary)
11.	Miss S. Lata Bhatt	,, in Hindi	,,	3 years
12.	,, Rajeshwari Bhatt	,, in Sanskrit	,,	3 years (Temporary)
13.	,, Devika Chhugani	,, in Pub. Ad.	,,	(Temporary) One Session)
14.	Shri H. N. Purohit	,, in Economics Part-time	,,	10 years
15.	,, P. N. Sharma	,, in Hindi Part-time	,,	2 years
16.	,, Ghanshyam Dhar.	,, in Hindi Part-time	,,	2 years

1	2	3	4	5
17.	Shri G. P. Awasthi Lect	In Economics Part-time	M. A. II	(Current Session)
18.	,, M. C. Sethia ,,	in Hindi, Part-time	,,	10 years
19.	,, R. L. Sharma ,,	in Hindi, Part-time	,,	5 years
20.	,, R. K. Arora ,,	in Pub. Ad. Part-time	,,	5 years
21.	,, Ghanshyam Dutt Sharma ,,	in History Part-time	,,	2 years
22.	,, S. C. Singh ,,	in English Part-time	,,	5 years
23.	,, K. S. Tiwari ,,	in Hindi Part-time	,,	2 years
24.	,, S. C. Gupta ,,	in History Part-time	,,	7 years
25.	,, N. C. Jain ,,	in Pol. Sc. Part-time	,,	10 years
26.	,, R. K. Madann ,,	in English Part-time	M. A.	(Current Session)
27.	,, S. C. Saxena ,,	in English Part-time	,,	5 years
28.	,, Satish Batra ,,	in Economics Part-time	M. A. II ,,	Current Session
29.	Dr. N. C. Sharma ,,	in Economics Part-time	M. A., Ph. D.	
30.	,, N. P. Sharma ,,	in Hindi Part-time	,,	
31.	,, C. D. Bhatt ,,	in Sanskrit Part-time	,,	
32.	,, V. D. Sharma ,,	in Hindi Part-time	,,	
33.	,, O. N Saxena ,,	in Gen. Edu. Part-time	M. Sc. Ph. D.	

Note:—All part-time lecturers who are employees of the Rajasthan University or of some local colleges take only one period a day.

Sd/-
Principal

परिशिष्ट—२

(ता० प्र० सं० ४१ की सूची)

STATEMENT OF CHARGES

Statement of charges frmed against Shri Govind Lal Mathur Education Extension Officer, Panchayat Samiti, Didwana (Under suspension)

CHARGES

Charge I:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti Didwana, remained away from the Panchayat Samiti Headquarters from 28th May to 5th June, 1963 without drawing any regular tour programme as mentioned in the statement of allegations.

Charge II:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana committed serious irregularity in making payment of Rs. 29,250/— for construction of roads as mentioned in the statement of allegations.

Charge III:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana committed finanical irregularity in making purchase of improve seed worth Rs. 10,000/— in an irregular manner, as mentioned in the statement of allegations.

Charge IV:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana exceeded his powers in making officiating promotion of one Shri Jeth Mal, Village level worker as officiating A. R. O. and concealed the facts from the collector, Nagaur as mentioned in the statement of allegations.

Charge V:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana withdraw some certificates given by the Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana to the S. D. O., Didwana for recovery of certain amounts in order to give the concerned parties from the recoveries and thus committed serious irregularity as mentioned in the statement of allegations.

Charge VI:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana purchased Educational equipment worth Rs, 22,367.31 N. P. in an irregular manner

altered cartain dates beneath the signatures in many documents relating to the said transaction, as mentioned in the statement of allegations.

Churge VII:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana distributed a sum of Rs. 2,750/— among 9 cultivators individually on 25-3-63 and 28-3-63 for "Chawl Nirman' which is against rules, as mentioned in the statement of allegations.

Sd/—
For Director,
Primary & Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

परिशिष्ट–३

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

इन्सपेक्टरों को स्पेशल–पे

४२. श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राजस्व विभाग से सेटिलमेंट डिपार्टमेंट के कुछ अमीन व इन्सपेक्टर सन् १६५५ में पोस्ट सेटिलमेंट में भेजे गये थे और क्या सेटिलमेंट विभाग में स्पेशल-पे अमीन को १० रुपये तथा इन्सपेक्टर को २० रुपये प्रति माह मिलती थी ?

(२) क्या राज्य सरकार ने अपनी आज्ञा डी० १०६५७ एफ० ४० (६४) रा० क० ५१, दिनांक २४-६-१६५६ के द्वारा इन व्यक्तियों को फोरेस्ट सेटिलमेंट विभाग में यही स्पेशल पे दिनांक २६-२-१६५६ ई० से देने का निश्चय कर लिया ?

(३) क्या यह सच है कि इस प्रकार की स्पेशल पे सारे अमीनों को तो मिल गई लेकिन इन्सपेक्टर्स नहीं ले पाये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या राज्य सरकार के पास इस स्पेशल पे के बारे में रिप्रेजेन्टेशन केवल इन्सपेक्टर श्री चन्द्रपालसिंह ने ही किया और जिस पर सभी कर्मचारियों की स्पेशल पे स्वीकृत हुई और यह स्पेशल पे केवल इसी इन्सपेक्टर को नहीं दी जा रही है ? यदि ऐसा है, तो राज्य सरकार कब तक यह स्पेशल पे दिलवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। १-४-५० तथा १-३-५६ से इन कर्मचारियों पर लागू होने वाले यूनीफाइड एवं राशनेलाइज्ड पे स्केल में इस प्रकार के विशेष वेतन देने का प्रावधान नहीं था।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नही उठता।

परिशिष्ट–४

(अ० प्र० सं० १६ की सूची)

सुजानगढ़ से कुचामन वाया लाडनूं-डोडवाना रूट पर निम्नलिखित व्यक्तियों की गाड़ियां चल रही है:—

क्रम सं०	नाम अनुज्ञा-पत्रधारी	गाड़ी नं०	अनुज्ञा-पत्र जारी होने की तिथि	विशेष विवरण
१.	मे० सैनिक मोटर्स, जोधपुर	आर० जे० टी० १०२०	२-१-५३	
२.	,,	आर० जे० क्यू ३४७८	७-१०-६४	
३.	,,	आर० जे० एस० ५०४	२-१-५३	
४.	,,	आर० जे० क्यू० ७३१०	२-१-५३	
५.	,,	आर० जे० एल० ५६२३	१४-१२-५३	एस० टी० ए० के प्रस्ताव सं० २०, आइटम नं० २१, दिनांक १६,१७-१०-६६ के द्वारा श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री शिवराम-सिंह (जिनकी मृत्यु हो गई) के नाम पर हस्तान्तरित करने की आज्ञा दी परन्तु हस्तान्तरकर्ता ने अभी तक परमिटों पर इन्द्राज नहीं करवाये हैं। इन्द्राज होना शेष है।
६.	,,	आर० जे० क्यू० २६७३	२-१-५३	
७.	,,	आर० जे० क्यू २६७४	२-१-५३	

८.	"	आर० जे० जेड० ३४१	२-१-५३	एस० टी० ए० के प्रस्ताव सं० २०, आइटम नं० २२ दि० १६,१७-१०-१९६८ के द्वारा श्री सोहनसिंह पुत्र श्री शिवरामसिंह (जिनकी मृत्यु हो गई) के नाम पर हस्तान्तरित करने की आज्ञा दी परन्तु हस्तान्तरकर्ता ने अभी तक प. मिटों पर इन्द्राज नहीं करवाये हैं (इन्द्राज होना शेष है)
९.	"	आर० जे० क्यू० ३२७२	७-१०-६४	
१०.	"	आर० जे० क्यू० ४२५२	२-१-५३	
११.	"	आर० जे० क्यू० ४४६५	११-१-५३	
१२.	श्री प्रेमसिंह पुत्र शिवरामसिंह	आर० जे० क्यू ४२८७	२६-२-५३	
१३.	"	आर० जे० क्यू० ३२२१	२-१-५३	
१४.	भोमवर्त पुत्र श्री शिवरामसिंह	आर० जे० एल० ५९००	२-१-५३	
१५.	"	आर० जे० क्यू० ३०६४	२-१-५३	
१६.	कल्याणसिंह पुत्र शिवरामसिंह	आर० जे० क्यू० ४३४२	२७-२-५३	
१७.	मोहनसिंह पुत्र शिवरामसिंह	आर० जे० क्यू० २६८३	२-१-५३	
१८.	मै० रणवीर मोटर्स	आर० जे० टी० १०२१	१-१-५३	
१९.	डूंगरसिंह पुत्र तेजमल	आर० जे० क्यू० ४६५३	२३-२-५७	
२०.	श्री मोहनसिंह पुत्र शिवरामसिंह	आर० जे० क्यू० ६३३	१०-४-६१	
२१.	श्री लक्ष्मी मोटर कम्पनी	आर० जे० क्यू० ३३४५	१९-२-६५	

परिशिष्ट–५

(ध्र० प्र० सं० २० की सूची)

CONFIDENTIAL

On 25-11-67 morning I proceeded by road to Ladnu in order to see the records in the Ladnu Hospital, in connection with the death of a woman in Ladnu on 4-8-67. I returned to Jaipur on 25-11-67 at 10 P. M.

On examination it was found that on 4-8-67 a letter was despatched to the S. H. O., Ladnu in connection with the death by drawning in Ladnu town. Despatch register was examined and the following entries are recorded in this register:—

S. No.	Date of Issue	To whom issued	Brief contents
2485	4-8-67	S. H O., Ladnu	Information of drawning death.

Peon book was also examined, which contains the following entries:—

Date	Number of Letters etc.	Address	Signature of Receiver
4-8-67	No. Lad/Hoap/67/2485	S. H. O., Ladnu	

From the peon book it was observed that there were no signatures about the delivery of this letter to S. H. O., Ladnu. The office copy of this letter was not available in the record of the Hospital.

On enquiry it was known from Shri Sardacharan, U. D. C. of the Hospital, that on 4-8-67, Dr. V. V. Vyas, the then M. O. Incharge went in the morning for examination of a case in Ladnu and soon after his return to Hospital, he wrote a letter to S. H. O., Ladnu informing him about the death by drawning of a woman in Ladnu. This letter was despatched by this clerk, who states that he closed this letter in an envelop and marked it to S. H. O., Ladnu and handed it over to Farrash Pritha Ram to deliver it to S. H. O., Ladnu, while this farrash was on his way to S. H. O's. office, Shri Sumer Vijaiji Gurasa, who was very

well known to Dr. Vyas met him on the way, and brought him back with this letter to the hospital and the farrash delivered this letter to Dr. Vyas and the letter was not delivered to S. H. O., Ladnu.

Statement of Shri Sardacharan U. D. C. is enclosed. This clerk has further stated that Dr. V. V. Vyas kept the office copy of this letter with him and this letter was written by Dr. Vyas in his own hand writting. Shri Pirtha Ram, Farrash was on privilege leave and was out of Ladnu on 25-11-67.

The despatch Register and the Peon Book, which I have brought from Ladnu Hospital are in my possession.

Submitted.

Sd/–D. H. Rai,
27-11-67
Dy. D. M. & H. S. (Med.)

परिशिष्ट-६

(प्र० प्र० सं० २५ की रिपोर्ट)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर (राजस्थान)

जयपुर, दिसम्बर १६, १९६६

क्रमांक शिविना/विकास/नोटिस/६६-६७/६५६६/६६०२:—

श्री जिलाधीश महोदय,
नागौर राजस्थान।

विषय:—श्री मुन्शीसिंह भूतपूर्व स० उ० निरीक्षक की ओर से उनके वकील श्री जा० जी० शर्मा द्वारा धारा ८० सी० पी० सी० का नोटिस।

प्रसंग:— आपका पत्रांक जो० ए० डी०/७/१८४७ दिनांक २०-११-६६।

श्री मुन्शीसिंह स० प० उ० निरीक्षक/पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा दिये गये धारा ८० सी० पी० सी० के नोटिस के सम्बन्ध में आपना के अनुसार रिपोर्ट प्रेषित कर रहा है जो इस प्रकार हैं:—

१. आपके कार्यालय से नोटिस की प्रति प्राप्त होने पर इस कार्यालय ने श्री विकास अधिकारी प० स० लाडनूं, श्री महालेखाकार राजस्थान, जयपुर तथा विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर से सब मामले की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार किया। श्री महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के कार्यालय से अाज तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

२. (ए) नोटिस के पैरा नम्बर २ में श्री मुन्शीसिंह ने पी० एफ० हिसाब में दो ऋण प्रथम ५८-५६ में ६६० रुपये तथा द्वितीय ऋण ६१-६२ में ६६० रुपये का लेना लिखा है प्रथम ऋण ८८० रुपये जो उन्होंने दुबारा काट लिया जाना बतलाये हैं इस सम्बन्ध में श्री विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर ने अपने पत्रांक शिविनज/लेखा/ए/६६/१४६३ दिनांक २४-११-६६ के अन्तर्गत इस कार्यालय को सूचित किया है कि जैसलमेर जिले के वेतन बिलों के निरीक्षण के उपरान्त पता लगा है कि श्री मुन्शीसिंह से उनके द्वारा लिये गये पी० एफ० लोन में से अक्टूबर ५६ तक ४०० रुपये १० बराबर किश्तों में काट लिये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(ब) श्री विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं ने अपने पत्रांक ५७६४, दि० २६-७-६६ के अन्तर्गत उक्त ऋण के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित किया है कि

उन्होने उक्त ऋण की रकम के ४४० रुपये नवम्बर, ५९ से अक्टूम्बर, ६० तक ११ किस्तों में ४० रुपये प्रतिमास से (सिवाय जनवरी, ६० के) काट लिये हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है।

३. इस पत्र के पेरा नम्बर २ ए० व० बी० में दर्शाये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि नोटिस के पेरा नम्बर ३ ए तथा ब में दर्शाई गई रकम ८४०) श्री मुन्शीसिंह के रिटायर होने से पूर्व अपने वेतन में से ४० रुपये प्रतिमाह की किश्तों में कटवा चुके हैं, जो उनका पी० एफ० एकाउन्ट में से दुबारा काट लिया जाना बतलाया है।

४. प्रथम बिल के ९६० रु० में से पेरा नम्बर १ शब्दों में दर्शाये गये अधिकारियों द्वारा ८४०) रुपये ४०) रुपये प्रतिमाह की किश्तों से काटे जा चुके हैं। बकाया १२०) रुपये जमा होने हैं।

५. द्वितीय ऋण के ९९० रुपये के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं बतलाया। नोटिस प्रथम ऋण के सम्बन्ध में ही दिया गया है।

६. अतः रिपोर्ट सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

ह०

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग,

नागौर।

परिशिष्ट–७

(क्र० प्र० सं० २६ की सूची)

दि० १-७-६६ के रा० उ०मा० विद्यालय लाडनूं, के अधिग्रहण के समय उक्त शाला में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	१-७-६६ के पूर्व वेतन श्रृंखला	१-७-६६ के पश्चात् विभाग द्वारा दी गई वेतन श्रृंखला
१	२	३	४
१.	श्री इन्द्रराज सिंह, वरिष्ठ अध्यापक	२२५-४८५	२२५-४८५
२.	,, देवेन्द्रनाथ जैन वरिष्ठ अध्यापक	२२५-४८५	२२५-४८५
३.	,, दयानन्द शर्मा सहायक अध्यापक	१७०-३३५	११५-३००
४.	,, मोतीलाल सहायक अध्यापक	७५-१६०	७५-२००
५.	,, हनुमान दत्त सहायक अध्यापक	११५-३००	११५-३०० शास्त्री परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर ७५-२०० का ग्रेड दिया गया।
६.	,, सलीम खां सहायक अध्यापक	१०५-२४०	७५-२००
७.	,, गुलाब चन्द सहायक अध्यापक	१०५-२४०	७५-२००
८.	,, दुर्गाप्रसाद सहायक अध्यापक	७५-१६०	७५-२००
९.	,, भंवरलाल, पी० टी० आई	७५-१६०	७५-२००
१०.	,, मांगीलाल, स० अ०	६०-१५०	७५-२००
११.	,, ओम प्रकाश वरिष्ठ लिपिक	६०-१५०	६०-२००

१	२	३	४
१२.	श्री राम मोहन प्रयोगशाला सहायक	१०५-२४०	९०-२२५
१३.	,, फताराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४५-७०	४५-७०
१४.	,, देवीलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४५-७०	४५-७०
१५.	,, भैरूलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४५-७०	४५-७०
१६.	,, बन्तीराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४५-७०	४५-७०
१७.	,, किशनाराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४५-७०	४५-७०

गवर्नमेन्ट, संस्कृत, कालिज, एग्जामीनेशन बनारस,

सील

तमसोमा ज्योतिर्गमय

रोल नं० १५६०

हनुमान वसं दाधीच नामा श्री रघुनाथ दाधीच नाम पुत्र श्री बुजेन्द्र शर्मा नामीच विस्पार्दवासी, जोधपुर मन्डलान्तर्गत डोडवाना निवासी १९५०) १९५० वर्षे व्याकरण शास्त्री परीक्षायां द्वितीय श्रेण्यमुत्तीर्ण तव श्री शास्त्री पदवो इति प्रमाणित करोति ।

बनारस की सील

व तारीख

दिसम्बर १०-१-१९५१

हस्ताक्षर

एम० ए०, एम० डी०, शास्त्री

एम० ए० (ओक्सन), गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलिज परीक्षा

संयुक्त कॉलेज परीक्षा, संयुक्त प्रान्त, बनारस

परिशिष्ट–८

(अ. प्र. सं० २८ की सूची)

सूची संख्या १

टोंक व भीलवाड़ा जिलों में वर्ष वार मदवार आवंटन तथा व्यय

खर्च का मद	जिला टोंक				जिला भीलवाड़ा			
	१६६८-६६		१६६६-७०		१६६८-६६		१६६६-७०	
	आवण्टन	व्यय	आवण्टन	व्यय	आवण्टन	व्यय	आवण्टन	व्यय
सहायता कार्य	१६,५०,०००	५५,००,०००	१५,६३,६६६-७६	७२,७०,७५१-६०	२८,०४,०७४	२८,४०,०७४-००	८२,२५,४३०	८२,३३,४४०
असहाय सहायता कार्य	१०,०००	३५,०००	७,४३६	२८,८६८-४८	२०,०००	१५,४४७-२०	३५,०००	२५,३२२-५०
जलप्रदाय व्यवस्था	—	—	—	—	५०,०००	४,६००-००	५,००,०००	१,५७,७८४-००
पशु संरक्षण एवं चारा प्रबन्ध	१,५८०००	१,००,०००	८६,३३६-१७	८२,३६१-०५	३०,०००	६,६२०-३५	५८,०००	१८,४००-००
तकावी	२,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	—	४,००,०००	४,००,०००	३,००,०००	२,८१,७५०-००

सूची संख्या—२

एनीकट एवं पक्की सड़कों के कार्य एवं व्यय का विवरण

नाम जिला १	राहत कार्य का नाम २	व्यय राशि ३
भीलवाड़ा	१. कोटड़ी एनीकट	२०,२००) रु०
	२. सांगानेर एनीकट	२९,५००) रु०
	३. माण्डल एनीकट, माण्डल-देवगढ़ सड़क	८३,०००) रु०
	४. कोठारी नदी पर एनीकट भीलवाड़ा-कोटड़ी सड़क	१,११,०००) रु०
	५. कोठारी नदी पर एनीकट, सवाइपुर-कोटड़ी सड़क	८८,०००) रु०
	६. बनास नदी पर एनीकट, मंगरोल के पास	१,७८,०००) रु०
	७. कोसीथल पर एनीकट,	२,०४,०००) रु०
	८. हुर्डा (खारी) ऐनीकट,	४,३४,७८०) रु०
	९. मानसी एनीकट,	१४,२२५) रु०
	१०. भगवानपुरा-बेमाली सड़क	२,४७,०००) रु०
	११. माण्डल-भाईवास	९६,०००) रु०
	१२. माण्डल-देवगढ़ सड़क	१,४०,०००) रु०
	१३. आसीन्द-गुलाबपुरा सड़क	१,८०,०००) रु०
	१४. बड़लियास-हमीरगढ़-बड़ोद सड़क	१,२५,०००) रु०
	१५. शाहपुरा-सरेरी सड़क	४,८०,०००) रु०
	१६. हुर्डा-मागूचा सड़क	१,६०,०००) रु०
	१७. सोडार-सरेरी सड़क	१,३५,०००) रु०
	१८. रायपुर-करेड़ा सड़क	२,२६,०००) रु०
	१९. शाहपुरा-माण्डल सड़क का सुधार	९०,०००) रु०
	२०. गाडर माला-भीलवाड़ा सड़क	२,२९,०००) रु०
	२१. कारोई-बागोर सड़क	३,५०,०००) रु०
	२२. भीलवाड़ा-कोटरी-मेजा सड़क	२,६०,०००) रु०
	२३. आसीन्द-भीम सड़क	६६,०००) रु०

1	2	3
भीलवाड़ा	२४. आसीन्द-करेड़ा सड़क	३,४५,००० रु०
टोंक	१. मेंहदवाल से मोडीयाला (बनास नदी में सड़क का कार्य)	१०,१८९.३१ पै०
	२. टोडारायसिंह से मालपुरा	१,३५,२६५-२६ पै०
	३. मालपुरा से केकड़ी	१,७०,१०४-३३ पै०
	४. राजकोट	१४,२५२-०० पै०
	५. सरदार पुरा	१५,०००.०० रु००

परिशिष्ट—९

(अ० प्र० सं० ३० की सूची)

पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी व प्रसार अधिकारी द्वारा की गई यात्रा की सूची।

क्रमांक	यात्रा करने का दिनांक	यात्रा किस स्थान के लिए की
१	२	३
	विकास अधिकारी	
१.	१८-५-६८	जयपुर
२.	१९-५-६८	"
३.	३०-५-६८	"
४.	१७-६-६८	"
५.	१८-६-६८	"
६.	१९-६-६८	"
७.	१७-७-६८	"
८.	१८-७-६८	"
९.	१९-७-६८	"
१०.	५-८-६८	"
११.	२२-११-६८	"
१२.	२३-११-६८	
	कृषि प्रसार अधिकारी	
१३.	२२-११-६८	"
१४.	१८-१-६९	"
	शिक्षा प्रसार अधिकारी	
१५.	१२-११-६८	"
१६.	२२-११-६८	"
१७.	१५-१२-६८	"

परिशिष्ट—१०

(प्र० प्र० सं० ३५ की सूची)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या १८, दिनांक ५-६-६८ स्थाई समिति, प्रशासन, वित्त एवं करारोपण पंचायत समिति, किशनगढ़वास, जिला अलवर

प्रस्ताव संख्या १८:—

चबूतरा खेत में से हटाने पर विचार

एक प्रार्थना-पत्र वासूमल साधामल सिंधी, किशनगढ़ की ओर से इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्रामीणों के खेत खसरा नम्बर २७३/१, रकबा १।।)१, २६३/२, रकबा ।।) में आज से ६-१० वर्ष पूर्व कर्नल नासिर महोदय के आगमन पर एक भाषण देने हेतु ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। उस चबूतरे से हमको नुकसान है। अतः इस चबूतरे का मलवा वहां से हटा लिया जावे।

प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया, वस्तुस्थिति यह है कि आज से करीब ६-१० वर्ष पूर्व जब कर्नल नासिर साहब, किशनगढ़ पधारे थे तब उनके भाषण हेतु प्रार्थीगणों के खेत में एक चबूतरे का पंचायत समिति ने निर्माण करवाया था।

सर्वप्रथम तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस चबूतरे ने जमीन घेर रखी है, उसमें व चारों ओर आसपास उसके कारण काफी दूर में अनाज पैदा नहीं होता जो कि न केवल प्रार्थी को बल्कि अधिक अन्न उत्पादन में भी बाधाजनक है।

दूसरे प्रार्थी का सामान आने-जाने में बाधा व उसके नुकसान वाली बात भी काफी उचित जान पड़ती है व इस प्रकार से आये दिन पंचायत समिति की अपनी मीटिंग में जगह घेरी जावेगी तो पंचायत समिति की साख पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता।

तीसरे यह भी आज तक देखा गया है कि ६-१० वर्ष के दौरान इसकी कोई उपयोगिता नहीं पाई गई है व केवल ताबूत के रूप में जगह घेरे (रोके) खड़ा है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चबूतरे के मलवे को नीलाम कर दिया जावे। साथ में उक्त भूमि उनके मालिकों को वापिस लौटा दी जावे।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १९ जनवरी, १९७०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८	नीचे से ५	१७ ८ १९६७	१७-८-१९६७
९	,, १५	स कार	सरकार
९	,, १४	आरो	आरोप
१०	,, १९	तक	तक
१०	,, ४	वथा	कया
१२	ऊपर से ७	कोई	कोई
१३	नीचे से १	रेकाँ	रेकारग
१६	,, २	७ १० ६७	७-१०-६७
१८	ऊपर से ३	सेक्रे टरियेट	सेक्रेटरियेट
१९	,, ७	श्री भगवानदास	२७. श्री भगवानदास
२२	,, ११	प्रोक्षी	प्रोक्सो
२३	,, ८	इसम	इसमें
३३	,, १२	विराध	विरोध
३७	नीचे से २	ह	है
३९	,, २	शि ाविभा न	शिक्षा विभाग ने
४०	,, ६	म	में
४०	,, ३	क	के
४४	ऊपर से ५	रघुनाथ विश्नोई	रघुनाथ विश्नोई
४६	नीचे से ४	पत्रों	पत्रों
४८	,, २	जयनाराण	जयनारायण
५१	,, ६	प्रश्न समाप्त हुए	प्रश्न समाप्त हुए (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)
५४	,, ११	ग्रामाण	ग्रामीण
६१	,, २१	पाप्त	प्राप्त
६३	,, ६	लाडन	लाडनूं
६४	ऊपर से ५	रख	रखने
६४	,, ८	कार्यवाही	कार्यवाही

१	२	३	४
६४	ऊपर से १२	कायवाही	कार्यवाहो
६६	शुरू में	(विट्ठलप्रसाद)	(विट्ठलप्रसाद शर्मा)
८०	नीचे से १	परिशिष्ट १	परिशिष्ट ६
८३	ऊपर से २	(हवा महल)	(हवा महल, जयपुर)
८५	नीचे से १३	कोई	कोई
८८	,, १४	राज्य	राज्य
९३	,, २५	शेम ! शेम !	शेम ! शेम !
९५	ऊपर से ६	बाढ़	बढ़ा
९८	नीचे से ३	घुटनै	घुटने
११३	ऊपर से ३	ज मीन	जमीन
११५	,, ४	कमिट्मेंट्स	कमिट्मेंट्स
११५	ऊपर से १६	ल ग	लोग
११६	,, १०	बनता	जनता
१२२	,, ६	कमेण्डेशन	रिकमण्डेशन
१२२	,, ७	होरों	हीरा
१२२	नीचे से ४	पटवार	पटवारी
१३७	ऊपर से ६	प्रतासिंह	प्रतापसिंह
१४०	नीचे से १	क म	काम
१५४	ऊपर से १०	प्राफेन्‍ ।	प्राफेन्स
१५४	नीचे से ४	बनिस्बत	बनिस्बत
१५५	,, ६	में	मैं
१५७	ऊपर से ३	में	मैं
१६०	,, ६	हाजिरी	हाजरी
१६३	नीचे से ७	ालों	वालों
१६४	ऊपर से २	फें	फेंके
१६५	,, २०	सेक्रेट्रा	सेक्रेटरी
१६५	नीचे से ५	जिसम	जिससे
१६६	,, ५	फाम	फार्म
[illegible]	,, २	लिय	लिये